एनसीआर में
सूक्ष्म एवं घरेलू उद्यमों
हेतु कार्यात्मक योजना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर - 4बी, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली
www. ncrpb.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूक्ष्म एवं घरेलू उद्यमों हेतु कार्यात्मक योजना

(15 जुलाई 2019 को आयोजित एनसीआर योजना बोर्ड की योजना समिति की 67वीं बैठक में स्वीकृत)

अस्वीकरण : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

कोर - 4बी, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हरदीप एस पुरी
HARDEEP S PURI

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
भारत सरकार
Minister of State (I/C), Housing and Urban Affairs
Minister of State (I/C), Civil Aviation
Minister of State, Commerce and Industry
Government of India

सन्देश

सूक्ष्म, लघु एवं घरेलू उद्यम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उद्यमों के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जो देश को सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में ले जाएगी। ये उद्यम देश के समग्र उत्पादन नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये आर्थिक विकास के केंद्र में हैं। एमएसएमई मंत्रालय और भारत सरकार के कई अन्य मंत्रालयों के एमएसएमई के विकास के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम हैं।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि एनसीआर योजना बोर्ड ने एनसीआर घटक राज्यों और विभिन्न अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ "एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना" तैयार की है। यह समझा जाता है कि एनसीआर के घटक राज्यों ने एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न पहल की हैं और नीति एवं योजनाएं तैयार की हैं।

यह कार्यात्मक योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करती है जो स्थानीय स्तर पर सार्थक रोजगार के साथ-साथ स्थायी आय सृजन के साधन प्रदान करते हैं। एमएसएमई खासकर एनसीआर में छोटे/टियर-3 शहरों के विकास के लिए हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

मैं एनसीआर के संघटक राज्यों एवं एनसीटी दिल्ली से सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना में दी गई सिफारिशों को अपनाने और लागू करने तथा एनसीआर के उनके संबंधित उप-क्षेत्रों में एमएसएमई के त्वरित उन्नति एवं विकास को प्राप्त करने के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ प्रयास का आह्वान करता हूं।

(हरदीप एस पुरी)
अध्यक्ष
एनसीआर योजना बोर्ड

नई दिल्ली
16 अगस्त 2019

कार्यालय:- कमरा नंबर 104-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011; फोन:011 23061166, 23061162, 23062089(फैक्स)

दुर्गा शंकर मिश्र
सचिव
Durga Shankar Mishra
Secretary

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Nirman Bhavan, New Delhi- 1100 11

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि एनसीआर योजना बोर्ड सचिवालय ने क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रतिभागी राज्यों के मार्गदर्शन के लिए "एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना" को अंतिम रूप दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और इसमें सूक्ष्म एवं घरेलू उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार और प्रतिभागी राज्य सरकारों ने एमएसएमई क्षेत्र को बदलने के लिए विभिन्न पहल की हैं तथा विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं तैयार की हैं। मैंने देखा है कि कार्यात्मक योजना, क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का संज्ञान लेती है तथा क्षेत्र में सेक्टर के विकास के लिए विभिन्न सिफारिशें प्रदान करती है।

यह कार्यात्मक योजना एमएसएमई के मौजूदा आधार को प्रदर्शित करती है और भविष्य में उन्नति और विकास की क्षमता प्रस्तुत करती है। मुझे उम्मीद है कि यह राज्य एजेंसियों, संस्थानों और उद्यमियों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके प्रभावी कार्यान्वयन से क्षेत्र में एमएसएमई का समग्र विकास होगा।

(दुर्गा शंकर मिश्र)

नई दिल्ली
14 अगस्त, 2019

कार्यालय का पता: कमरा नंबर 122 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-1100 11 टेलीफोन: 011- 23062377,23061179, फैक्स:011-23061459; ईमेल:secyurban@nic.in वेबसाइट: www.mohua.gov.in

अर्चना अग्रवाल, भा.प्र.से.
सदस्य सचिव
Archana Agrawal, IAS
Member Secretary

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
National Capital Region Planning Board
Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India

प्राक्कथन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) का गठन 1985 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक अद्‌वितीय अंतर-राज्यीय क्षेत्र है और महानगरीय क्षेत्रीय योजना एवं विकास का एक मॉडल बन गया है। एनसीआरपीबी ने एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार की, जो एनसीआर के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित एक परस्पर संबंधित नीति दस्तावेज है।

एनसीआर आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र है और विभिन्न आर्थिक ताकतों के कारण तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई, क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनसीआरपीबी ने एनसीआर प्रतिभागी राज्यों तथा संबंधित केंद्र/राज्य एजेंसियों की सलाहकार और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्‌यमों पर अध्ययन किया। हितधारकों की कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें एनसीआर प्रतिभागी राज्यों, संबंधित केंद्रीय एजेंसियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। एमएसएमई न केवल एनसीआर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है बल्कि सूक्ष्म, घरेलू और छोटे उद्‌यमियों की प्रतिभा तथा कौशल का विकास एवं पोषण करके एक मजबूत उद्‌यमिता आधार भी बना रहा है।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्‌यमों के लिए कार्यात्मक योजना ने विभिन्न मुद्‌दों की पहचान की तथा एनसीआर में एमएसएमई की उन्नति और विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न संभावित तथा प्राथमिकता वाले उद्‌यमों / समूहों के लिए सिफारिशें प्रदान कीं। सिफारिशों को कार्रवाई में बदलने के लिए, मैं एनसीआर प्रतिभागी राज्यों से इस कार्यात्मक योजना को आधार के रूप में लेने और क्षेत्र में एमएसएमई के विकास के लिए जरुरी सहायता प्रदान करने के लिए इसकी सिफारिशों को लागू करने का आग्रह करती हूं।

मैं एनसीआरपीबी को एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्‌यमों पर कार्यात्मक योजना तैयार करने के प्रयासों के लिए बधाई देती हूं जो एनसीआर के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे विश्वास है कि प्रतिभागी राज्यों और उनकी एजेंसियों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग और लोगों के उत्साहपूर्ण समर्थन से, यह कार्यात्मक योजना एनसीआर में एमएसएमई विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्‌यमों के विकास को बढ़ावा देगी तथा एनसीआर में समग्र सामाजिक-आर्थिक उन्नति और विकास में योगदान करेगी।

अर्चना अग्रवाल

नई दिल्ली
27 अगस्त, 2019

जगदीश पारवानी
निदेशक (प्रशा.एवं वित्त)

Jagdish Parwani
Director (Admn. & Fin.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अभिस्वीकृति

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एक अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है, जिसे एनसीआरपीबी द्वारा सलाहकार के माध्यम से आयोजित किया गया है। अध्ययन के अलावा, एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और विभिन्न अन्य सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित जिला स्तरीय डेटा से उपलब्ध इनपुट का उपयोग भी एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों की मौजूदा स्थिति के विश्लेषण के लिए किया गया है। इस कार्य योजना की तैयारी के दौरान एमएसएमई विकास संस्थानों, ओखला, नई दिल्ली और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) के विशेषज्ञों से परामर्श किया गया।

सबसे पहले मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सदस्य सचिव श्रीमती अर्चना अग्रवाल का आभारी हूं, जिन्होंने योजना को अंतिम रूप दिया और इस कार्यात्मक योजना को अंतिम रूप देने के कार्य को आगे बढ़ाया। मैं उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभारी हूं, जिसके बिना यह योजना प्रकाशित नहीं हो पाती। मैं योजना समिति के सदस्यों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मैं केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, विशेष रूप से एमएसएमई विकास संस्थान, ओखला और एनआईईएसबीयूडी, और एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों और उनकी एजेंसी/विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए यथार्थ सहयोग और निरंतर सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं एनसीआर के चार उप-क्षेत्रों के एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने डेटा प्रदान करने के साथ-साथ मूल्यवान इनपुट प्रदान करने में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय किया है।

मैं एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन करने के लिए सलाहकार मैसर्स मॉट मैकडोनाल्ड प्राइवेट लिमिटेड की भी सराहना करता हूं।

अंत में, मैं एनसीआर योजना बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के ठोस प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके परिणामस्वरूप इस कार्यात्मक योजना का प्रकाशन हुआ है। मैं एनसीआर योजना बोर्ड के टीम को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से श्री जेएन बर्मन, सलाहकार एवं पूर्व निदेशक (तकनीकी), एनसीआरपीबी, श्रीमती रुचि गुप्ता पूर्व संयुक्त निदेशक (तकनीकी), एनसीआरपीबी और श्री नरेश कुमार, सहायक निदेशक (तकनीकी), एनसीआरपीबी, जिनकी कड़ी मेहनत ने इस कार्यात्मक योजना की तैयारी को संभव बनाया है।

जगदीश पारवानी
निदेशक (प्रशा.एवं वित्त)

प्रथम तल, कोर-IV बी, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष: कार्यालय : 011-24603138 फैक्स : 011-24642163

कार्यकारी सारांश

I. पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई की चौथी जनगणना (2011-2012) के अनुसार, देश में कुल 3.6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनके कर्मचारियों की कुल संख्या 8.0 करोड़ से अधिक है। कुल मिलाकर, एमएसएमई का कुल औद्योगिक उत्पादन में 45% और देश के कुल निर्यात में 40% का योगदान है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का कुल योगदान 37.54% है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (7%) अकेले निर्माण खंड से आता है। इस प्रकार, कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) देश में तेजी से बढ़ते औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में से एक है जिसमें संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के कुछ हिस्से शामिल हैं। समृद्ध संसाधन आधार, औद्योगिक विकास, जनसंख्या का बड़ा आकार और क्षेत्र में विशाल उपभोक्ता बाजार कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण एनसीआर में एमएसएमई का तेजी से विकास हुआ। एनसीआर में 94,929 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ लगभग 85,648 सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जिनमें 9 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। ये उद्यम न केवल एनसीआर में लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सूक्ष्म, घरेलू और छोटे उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का विकास एवं पोषण करके अर्थव्यवस्था में एक मजबूत उद्यमशीलता का आधार भी बना रहे हैं।

एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 (आरपी-2021) ने माना कि एनसीआर में अनौपचारिक सेक्टर की गतिविधियों और उद्यमों की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति तुलनात्मक रूप से सस्ती मजदूरी वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है, जिससे आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वरोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए, आरपी-2021 ने एनसीआर में कुछ प्रमुख अनौपचारिक गतिविधियों / उद्यमों की पहचान की जिसमें इंजीनियरिंग और धातु के काम, चमड़े के काम, मूर्तिकला, कालीन की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, खेल के सामान का निर्माण, कैंची और ब्लेड उद्योग, पीतल के बर्तन निर्माण आदि शामिल हैं। यह देखा गया है कि एनसीआर प्रतिभागी राज्यों यानी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से एमएसएमई गतिविधियों की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करते हैं।

एमएसएमई की मौजूदा स्थिति, उनके मुद्दों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को समझने के लिए और एनसीआर में ऐसे उद्यमों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए, एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 में एक सलाहकार के माध्यम से "एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम" पर एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला कि एनसीआर में एमएसएमई बुनियादी ढांचे (सड़क, बिजली, पानी, भूमि, आदि) की उपलब्धता, कच्चे माल की खरीद, प्रसंस्करण, डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, वित्तीय सहायता, विपणन और निर्यात, आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तदनुसार, बोर्ड ने

क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों की उन्नति एवं विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक कार्यात्मक योजना तैयार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, यह कार्यात्मक योजना सामान्य सिफारिशें और सेक्टर/क्लस्टर विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करके तैयार की गई है। इन सिफारिशों को एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना है।

'एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना' में प्रस्तुत मौजूदा स्थिति विश्लेषण 2005 में अधिसूचित आरपी-2021 में शामिल क्षेत्र तक सीमित है। छह नए जिले, राजस्थान राज्य के भरतपुर; हरियाणा राज्य के भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल; और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर और शामली को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013, 2015 और 2018 में एनसीआर में शामिल किया गया था। इन छह नए जिलों को शामिल करने के परिणामस्वरूप, एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 34,144 वर्ग किमी से बढ़कर 55,083 वर्ग किमी हो गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त नए जोड़े गए जिलों के एमएसएमई की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण नहीं किया गया है, हालांकि, यह माना गया है कि विभिन्न प्रकार की एमएसएमई गतिविधियां (जैसा कि इस कार्यात्मक योजना में विश्लेषण किया गया है) मोटे तौर पर मौजूद हैं या इन जिलों में भी की जा रही हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि इस कार्यात्मक योजना में की गई सिफारिशों को नए जोड़े गए जिलों सहित पूरे एनसीआर में लागू किया जा सकता है।

II. एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों का विकास और उन्नति

a) नीतिगत ढांचा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को भारत सरकार द्वारा 2006 में अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न पहल/हस्तक्षेप किए हैं और देश में एमएसएमई (विनिर्माण) के समग्र विकास और उन्नति के लिए कई नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किये हैं जिनमें क्लस्टर विकास, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय सहायता, कच्चे माल की खरीद, तैयार उत्पादों का विपणन, उत्पादों का प्रदर्शन और प्रदर्शनी और निर्यात और प्रचार आदि शामिल हैं। एमएसएमई के विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट मंत्रालयों, जैसे कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आदि ने भी एमएसएमई की उन्नति और विकास के लिए बड़ी पहल की है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से अमल में लाने और लागू करने के लिए, एनसीआर प्रतिभागी राज्यों ने भी विभिन्न नीतियों, योजनाओं को तैयार किया है और एमएसएमई की उन्नति एवं विकास के लिए हस्तक्षेप शुरू किया है। ऐसे हस्तक्षेपों का राज्यवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- **हरियाणा सरकार** ने लगभग **20** प्रमुख एमएसएमई समूहों**,** ग्रामीण कार्यात्मक समूहों आदि के विकास की परिकल्पना करते हुए 'उद्यम संवर्धन नीति-**2015**' तैयार की है। इसने एमएसएमई समूहों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के विकास के लिए 'मिनी क्लस्टर विकास योजना' भी तैयार की है। इसके अलावा**,** उद्योगों के भौगोलिक फैलाव को बढ़ावा देने के लिए**,** पूरे राज्य को औद्योगीकरण और आर्थिक

विकास के स्तर के आधार पर विकास खंडों की चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तदनुसार, इन वर्गीकृत ब्लॉकों में प्रोत्साहन, अर्थात् वैट छूट, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क वापसी, आदि प्रदान किए जा रहे हैं। नीति ने राज्य में सूक्ष्म और लघु औद्योगिक गतिविधियों के बीच ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों की पहचान की है जो कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध उद्योग, जूते और सहायक उपकरण आदि हैं।

- **उत्तर प्रदेश सरकार** ने 'बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति -2012' तैयार की है और तदनुसार लघु उद्योग विभाग को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 'एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग' के रूप में पुनः नामित किया गया है। रोजगार सृजन में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, राज्य सरकार इस क्षेत्र को भारी उद्योगों के साथ संतुलित तरीके से पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नीति के तहत, मेमोरेंडम-I या मेमोरेंडम-II के धारकों को केंद्र सरकार की योजनाओं यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीडीपी), प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (पीएमईजीपी), एक्सपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, गुणवत्ता सुधार, प्रदूषण निवारण संयंत्रों की स्थापना की योजना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का पंजीकरण और ऋण गारंटी, मार्केटिंग सहायता, कौशल विकास, बार कोडिंग, आदि का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उद्योग निदेशालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक योजना के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- **राजस्थान सरकार** ने राज्य में एमएसएमई के विकास के लिए 'राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति, 2015' तैयार की है। इसके तहत थ्रस्ट सेक्टर जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, सिरेमिक एवं ग्लास सेक्टर, डेयरी और कोटा स्टोन, मार्बल तथा ग्रेनाइट सेक्टर को विशेष लाभ दिए गए हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति, 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार और उक्त नीति में प्रदान किए गए लाभों को प्रभावी करने के लिए, राज्य में 'राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना, **2015**' शुरू की गई है। इसके अलावा, राज्य में व्यवहार्य और संभावित रूप से व्यवहार्य खराब पड़े सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए, 'राजस्थान खराब सूक्ष्म और लघु उद्यम (पुनरुद्धार और पुनर्वास) योजना, **2015**' भी राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक पैकेज के रूप में तैयार की गई है।
- **एनसीटी दिल्ली सरकार** (जीएनसीटी दिल्ली) ने 'दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति' 2010-2021 तैयार की है। जीएनसीटी दिल्ली का जोर दिल्ली में आधुनिक, हाई-टेक, परिष्कृत, निर्यात योग्य लघु उद्योगों के साथ-साथ उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर है जो अपने अल्प संसाधनों जैसे भूमि, पानी, बिजली आदि का विस्तार नहीं करते हैं। एनसीटी दिल्ली में किसी भी छोटे पैमाने की इकाई की स्थापना के लिए पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, एक छोटे पैमाने की इकाई की स्थापना स्थान विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन है क्योंकि इन्हें केवल अनुरूप क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कोई विशेष नीति नहीं है। दिल्ली की औद्योगिक नीति 2010-2021 के अनुसार, जीएनसीटी दिल्ली ने हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी उद्यमों, क्लस्टर विकास, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और कौशल विकास आदि के विकास की

परिकल्पना की है।

b) स्थानिक वितरण, मौजूदा स्थिति एवं विकास

एनसीआर में, **हरियाणा उप-क्षेत्र** बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्माण के लिए जाना जाता है। उप-क्षेत्र पानीपत में घरेलू सामान, वस्त्र और फाउंड्री; फरीदाबाद में रसायन, निर्माण और सामान्य इंजीनियरिंग; रोहतक में ऑटोमोबाइल निर्माण और मरम्मत; झज्जर में फुटवियर निर्माण; रेवाड़ी में पीतल उत्पाद निर्माण; सोनीपत में तैयार माल की पैकेजिंग; और गुरुग्राम में रेडीमेड परिधान में विशिष्ट है। **राजस्थान उप-क्षेत्र** में, जिला अलवर टेराकोटा, मूर्तिकला और चमड़े के उत्पाद निर्माण में विशिष्ट है। **उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र** अपनी निर्यात वस्तुओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह भारत से उत्पादों के निर्यात के मामले में शीर्ष पर है। इस उप-क्षेत्र के भीतर, बुलंदशहर मिट्टी के बर्तनों एवं चीनी मिट्टी, ज़री/कढ़ाई और अंडर-गारमेंट्स में विशिष्ट है; गाजियाबाद और हापुड़ मोड़ा बनाने, हड्डी के सामान और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं; मेरठ खेल सामान निर्माण, कृत्रिम आभूषण, संगीत वाद्ययंत्र निर्माण, कैंची बनाने और हथकरघा के लिए लोकप्रिय है। एनसीटी दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम रेडीमेड वस्त्र, गैर-चमड़े के उत्पाद, फर्नीचर, कागज उत्पाद, बिजली के सामान, गहने, छपाई, जरी/कढ़ाई के काम आदि के निर्माण में विशिष्ट हैं। दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट निर्माण में बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। यह देखा गया है कि एनसीटी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, आदि से निकटता एनसीआर के भीतर विभिन्न समूहों की एकाग्रता में एक अभिन्न भूमिका निभाती है।

एनसीआर में कुल मिलाकर करीब 41.9 लाख एमएसएमई हैं। यह देखा गया है कि हरियाणा उप-क्षेत्र मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या के मामले में शीर्ष पर है क्योंकि उस क्षेत्र में कुल एमएसएमई का 42.15% है, इसके बाद राजस्थान उप-क्षेत्र (28.42%), उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (28.41%) और एनसीटी दिल्ली (1%) है। इसके अलावा, क्षेत्र के जिला स्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर जिले में एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक है, जो क्षेत्र में कुल एमएसएमई का 28.42% है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र का गुरुग्राम जिला (15.75%) और यूपी उप-क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर जिला (14.77%) है। जिन जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या कम है, उनमें हरियाणा उप-क्षेत्र के मेवात (0.04%), पलवल (0.08%) और पानीपत जिला (0.84%) शामिल हैं।

एनसीआर में, एमएसएमई (93.25%) का एक बड़ा हिस्सा अपंजीकृत है जो 92.70% के राष्ट्रीय औसत के बहुत करीब है। इस क्षेत्र में केवल 6.67% एमएसएमई पंजीकृत हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का वर्चस्व है, क्योंकि ये एनसीआर (अखिल भारतीय स्तर पर 94.94%) में कुल एमएसएमई का 99.72% (अर्थात 41.7 लाख इकाइयाँ) हैं, इसके बाद 0.26% छोटे उद्यम और लगभग 341 मध्यम उद्यम (0.008%) हैं। इसके अलावा, एमएसएमई द्वारा निष्पादित गतिविधियों के प्रकार के विश्लेषण के आधार पर, यह देखा गया है कि एनसीआर में, 76.10% उद्यम विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं, इसके बाद मरम्मत और रखरखाव से संबंधित 15% उद्यम और सर्विस क्षेत्र से संबंधित 8.89% उद्यम हैं।

एनसीआर में लगभग 15.4 लाख व्यक्ति विभिन्न एमएसएमई में लगे हुए हैं, जो भारत में कुल एमएसएमई कर्मचारियों का 16.5 प्रतिशत हिस्सा है। एनसीआर में कुल एमएसएमई कर्मचारियों में, अधिकतम हिस्सा यानी 71.85% सूक्ष्म उद्यमों में लगा हुआ है, इसके बाद छोटे उद्यमों में (24%) और मध्यम उद्यमों में

(4%) हैं।

III. एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों से संबंधित मुद्दे

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन से पता चला है कि एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यमों की उत्पत्ति और विकास का मुख्य निर्धारक केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग के बाद उत्पादों के लिए बड़े बाजार का अस्तित्व है। यह देखा गया है कि एनसीआर में एमएसएमई के अत्यधिक महत्व और क्षमता के बावजूद, इस क्षेत्र के अधिकांश सूक्ष्म, घरेलू और लघु उद्यम समूहों को भौतिक बुनियादी ढांचे (यानी बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़क, आश्रय, भंडारण, आदि), कच्चे माल की खरीद, मशीनरी और उपकरण की खरीद, डिजाइन और प्रौद्योगिकी, ऋण तक पहुंच, उत्पादों की मार्केटिंग और संस्थागत सहयोग, आदि की उपलब्धता से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों और समस्याओं को तीन श्रेणियों अर्थात सामान्य मुद्दे और सेक्टर/समूह विशिष्ट मुद्दे में वर्गीकृत किया गया है। एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

A. सामान्य मुद्दे:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित अधिकांश मुद्दे प्रकृति में समान हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- कुशल कर्मचारी, कौशल उन्नयन और श्रमिक की उपलब्धता की कमी
- कच्चे माल तक सीधी पहुंच और सामग्री की लागत
- काम और श्रमिकों के लिए जगह की कमी, कच्चे माल और तैयार माल का भंडारण, सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पार्किंग की जगह आदि।
- बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़क संपर्क, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) जैसे टेस्टिंग लैब, टूल रूम, डिजाइन सेंटर आदि जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी।
- मास्टर प्लान या विकास योजनाओं में भूमि का आवंटन
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- खराब पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सुविधाएं
- अप्रचलित प्रौद्योगिकी और पुराने डिजाइन
- उद्यमों/क्लस्टरों के बीच जुड़ाव और साझेदारी की कमी
- उद्यमी ज्ञापन का पंजीकरण या फाइलिंग (ईएम I और II)
- संस्थाओं की बहुलता और नीतियों की ओवरलैपिंग
- एमएसएमई के लिए डेटाबेस प्रबंधन

B. उद्यम/क्लस्टर वार मुद्दे:

हथकरघा उद्यम/क्लस्टर: हथकरघा गतिविधियां एनसीआर में अनेक सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियों में से हैं। रंगाई और फिनिशिंग की प्रक्रिया के दौरान हथकरघा उद्यम, उपचार के बिना खतरनाक रासायनिक अपशिष्टों का निर्वहन करते हैं, इसलिए, यह जल प्रदूषण का कारण बन रहा है। यह भी देखा गया है कि हथकरघा समूहों में उचित जल निकासी व्यवस्था की कमी के कारण, अपशिष्ट जल क्षेत्र में जमा हो जाता है और जलभराव की स्थिति पैदा

करता है। इसके अलावा, कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव, उच्च परिवहन लागत, डिजाइन और तकनीकी पहलुओं में नवाचारों की कमी और भंडारण सुविधा, मशीनरी आदि की कमी से संबंधित समस्या भी एनसीआर में हथकरघा उद्यमों / समूहों से जुड़ी हुई है।

- **परिधान बुनाई/परिधान उद्यम/क्लस्टर:** गारमेंट उद्योग को हथकरघा क्षेत्र द्वारा पोषित किया जाता है, हालांकि, परिधान उद्योग आमतौर पर ऐसी सामग्री की खरीद करता है जो स्रोत से खरीदने के बजाय आसपास के डीलरों से आसानी से उपलब्ध हो। इससे कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा परिधान उद्योग को नवीनतम डिजाइन और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
- **चमड़ा और फुटवियर उद्यम/क्लस्टर:** कच्चे माल की लागत में वृद्धि और महत्वपूर्ण गैर-चमड़े के घटकों जैसे पीयू सोल, इनसोल, स्टील टो कैप, धातु फिटिंग आदि के लिए आयात पर निर्भरता में वृद्धि से चमड़े और जूते की गतिविधियाँ से संबंधित उद्यमों के लिए कम लाभ मार्जिन होता है। इसके अलावा, अनिवार्य अपशिष्ट उपचार योजना के कारण निवेश पर दबाव है, जिसके परिणामस्वरूप तैयार चमड़े की लागत बढ़ जाती है। यह भी देखा गया है कि गुणवत्ता आश्वासन, रंगाई, सिलाई और काटने के लिए कुशल कर्मचारी, गुणवत्ता मानदंडों और मानकों के बारे में जागरूकता के लिए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की कमी है; और अनुसंधान एवं विकास, आदि जो ऐसे समूहों के विकास में बाधा बन रहे हैं।
- **लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्यम/क्लस्टर:** यह देखा गया है कि नवीनतम मशीनरी और कुशल जनशक्ति की अनुपस्थिति (बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के गुणवत्ता उपायों के साथ मेल खाने के लिए), कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव, आपूर्तिकर्ताओं का एकाधिकार, कम लागत ऋण की कमी, खराब बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, परिवहन/लॉजिस्टिक्स, सीवेज, आदि एनसीआर में लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट निर्माण में लगे उद्यमों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे हैं।
- **मिट्टी के बर्तन**, **टेराकोटा**, **सिरेमिक उद्यम/क्लस्टर:** कारीगरों के पास उचित कार्यस्थल नहीं है क्योंकि उनमें से अधिकांश या तो खुले शेड/स्थान में या अपने घर के भीतर काम करते हैं। अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अनुचित वेंटिलेशन काम करने की स्थिति को खराब कर देता है और इसे और खराब कर देता है। इसके अलावा, भंडारण की समस्या, तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उचित स्थान की कमी, खराब ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग सुविधाओं के कारण उत्पादों की बर्बादी और क्षति होती है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **पैकेजिंग उद्यम/क्लस्टर:** यह देखा गया है कि कुशल कर्मचारी की कमी, अपर्याप्त ऋण सुविधाएं, सर्वोत्तम प्रबंधन और विनिर्माण प्रथाओं के लिए जोखिम/प्रशिक्षण की कमी और कच्चे माल की कमी और इसकी लागत आदि एनसीआर में विभिन्न पैकेजिंग उद्यमों/क्लस्टरों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख मुद्दे हैं।

  खेल सामग्री उद्यम/क्लस्टर: एनसीआर में खेल के सामान के निर्माण में लगे उद्यम मैनुअल/स्वदेशी मशीनरी का उपयोग करते हैं जो उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ समय पर उत्पादन को प्रतिबंधित कर रहा है। इसके अलावा, कच्चे माल की अनुपलब्धता और उच्च लागत; कुशल कर्मचारी की कमी, माल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग, नवीनतम तकनीक और उपकरण, प्रशिक्षण

और अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता और विभिन्न खेल सामान निर्माताओं के बीच तालमेल और समन्वय की कमी कुछ अन्य मुद्दे हैं जो ऐसे समूहों के विकास को सीमित करते हैं।

- **विविध विनिर्माण उद्यम/क्लस्टर:** एनसीआर में कई अन्य छोटे विनिर्माण क्लस्टर हैं जैसे कैंची निर्माण, संगीत वाद्ययंत्र, कृत्रिम आभूषण, हथकरघा, जरी और कढ़ाई, पीतल के बर्तन, मोड़ा बनाना, संगमरमर की मूर्तिकला आदि। यह देखा गया है कि इन समूहों को सहायक भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता और इसकी लागत, कुशल कर्मचारी की उपलब्धता, खराब कार्य वातावरण और भंडारण सुविधाओं आदि से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

IV. एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के विकास के लिए सिफारिशें

यह स्पष्ट है कि एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ कुल मिलाकर सभी प्रकार के उद्यमों/समूहों में आम हैं। हालाँकि, एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के मुद्दों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात सामान्य और सेक्टर/समूह विशिष्ट, इसी तरह इन मुद्दों को हल करने के लिए इन तीन स्तरों पर सिफारिशें भी दी जाती हैं। एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

A. सामान्य सिफारिशें:

➢ **स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का निर्माण**

1. प्रत्येक क्लस्टर/क्लस्टर के समूह स्तर पर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उप-क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की जानी चाहिए।

➢ **जनशक्ति**

2. विभिन्न तकनीकी, वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से विभिन्न उद्यमों की आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की जरुरत है। प्रतिभागियों को दैनिक वेतन/अवसर लागत के बराबर वजीफा के रूप में इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन गतिविधियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से किए जाने चाहिए।

➢ **कच्चा माल**

4. प्रत्येक जिले में कच्चा माल बैंक स्थापित किया जाना चाहिए और साझा बाजारों की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए। उद्यमों को प्रत्यक्ष उत्पादकों से सीधे कच्चे माल की खरीद के लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
5. प्रत्येक क्लस्टर स्तर पर एक साझा शेड/भंडारण क्षेत्र बनाया जाना चाहिए।
6. समान गुणों वाली नई सामग्री लाने के लिए अनुसंधान और विकास शुरू किया जाना चाहिए और फंड दिया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को प्रतिस्थापित और कम किया जा

सके।

7. उद्यम/क्लस्टर की अंतर्निर्भरता को आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज के संदर्भ में मान्यता दी जानी चाहिए और ऐसे लिंकेज को मजबूत करने के लिए बार-बार क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

➢ **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भूमि / स्थान**

8. विकास प्राधिकरणों/यूएलबी/राज्य सरकारों को सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के लिए भूमि/स्थान की पहचान और उन्हें चिन्हित करना चाहिए और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा एसपीवी आदि के सहयोग/मदद के द्वारा सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसे लैंड पार्सल विकसित करना चाहिए।

➢ **भौतिक अवसंरचना**

9. आधारभूत संरचना विकास पहल जैसे भूमि का विकास, जलापूर्ति का प्रावधान, जल निकासी, बिजली वितरण, सामान्य कैप्टिव उपयोग के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, सड़कों का निर्माण, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसीएस) जैसे सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केंद्र, डिजाइन केंद्र , परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), मार्केटिंग प्रदर्शन / बिक्री केंद्र, सामान्य रसद केंद्र, आम कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो, आदि के साथ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कैंटीन और अन्य आवश्यकता आधारित आधारभूत संरचना क्लस्टरों में और उसके आसपास एसपीवी/उद्योग संघों के सहयोग से स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा सुविधाएं ली जानी चाहिए।

10. क्लस्टरों के लिए आधारभूत संरचना विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

11. सौर और बायोमास सहित वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए; और एसपीवी/उद्योग संघों को अपने स्वयं के समूहों के लिए बिजली उत्पादन में पहल करनी चाहिए।

12. पर्यावरण प्रदूषण से बचने और नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर संबंधित समूहों में सीईटीपी का निर्माण किया जाना चाहिए। पीपीपी मोड पर सीईटीपी और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

➢ **सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण गतिविधियों के साथ मास्टर प्लान में सामंजस्य स्थापित करना**

13. शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और घरेलू निर्माण से संबंधित विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। ऐसे उद्यमों के लिए भूमि/स्थान मास्टर प्लान/विकास योजना में निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही पुराने शहर के क्षेत्रों में स्थित/केन्द्रित एमएसएमई के लिए पुनर्विकास/पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयास किए जाने चाहिए। एमएसएमई निर्माण गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए यूएलबी और विकास प्राधिकरणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

➢ **वित्त और ऋण**

14. एमएसएमई को ऋण से संबंधित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए जिनका वे

लाभ उठा सकते हैं। एसपीवी/उद्योग संघों को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए।

15. एमएसएमई को विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा एमएसई ऋण अधिकारियों की क्षमता विकसित की जानी चाहिए।
16. अग्रणी बैंक/सिडबी को एमएसएमई क्लस्टरों को अपनाना चाहिए।
17. सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों को मुद्रा बैंक से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आरबीआई के मानदंडों के अनुसार मुद्रा ऋण, यानी 10 लाख तक के ऋण को कोलैटरल फ्री कर दिया गया है।
18. भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आदि जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। केन्द्र सरकार की ऐसी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

- **प्रौद्योगिकी, डिजाइन और पैकेजिंग**

19. प्रौद्योगिकी, डिजाइन, पैकेजिंग पहलुओं आदि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता शुरू की जानी चाहिए और विभिन्न राष्ट्रीय या राज्य स्तर के तकनीकी और डिजाइन अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
20. एसपीवी/एसएचजी/औद्योगिक संघों आदि के सहयोग से क्लस्टर या जिला मुख्यालय स्तर पर डिजाइन केंद्र और परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

- **उत्पादों की मार्केटिंग**

21. सूचना प्रसार केंद्र, डिस्प्ले हॉल, प्रदर्शनी केंद्र आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, जहां एमएसएमई का ध्यान जाता हो। जरूरत पड़ने पर ऐसी सुविधाओं को पीपीपी मोड में विकसित किया जा सकता है।
22. एनसीआर के भीतर आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए इंटर-क्लस्टर और इंट्रा-क्लस्टर लिंकेज की पहचान की जानी चाहिए।
23. इन सर्किटों/गलियारों पर सरकारी गेस्ट हाउस/मोटल या रेस्तरां के साथ एकीकृत बिक्री डिपो, डिस्प्ले सेंटर आदि स्थापित करके पर्यटक सर्किट/कॉरिडोर की क्षमता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
24. स्वदेशी उत्पादों की ब्रांडिंग और राज्य स्तरीय वेब पोर्टलों, प्रमुख पत्रिकाओं, राष्ट्रीय टेलीविजन आदि पर विज्ञापन दिया जाना चाहिए।
25. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए; और एमएसएमई को बिजनेस टू कस्टमर (बी2सी) और बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) के आधार पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाकर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि ई-कॉमर्स को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सके तथा खरीदार और विक्रेताओं को दोनों विशिष्ट उत्पादों के साथ-साथ विभिन्न मात्रा में बड़े पैमाने पर खपत के उत्पादों को वर्चुअल मार्केट तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

26. एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तर्ज पर 'सार्वजनिक खरीद नीति' तैयार करनी चाहिए।
27. एक वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें क्लस्टरों का विवरण हो और उत्पादों की एक विस्तृत सूची इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए।

➢ **उद्यमी ज्ञापन (ईएम) का रजिस्ट्रेशन/फाइलिंग)**

28. राज्य सरकारों/डीआईसी के साथ ईएम-II/पंजीकरण के लाभों के संबंध में उद्यमियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कठिन हस्तक्षेप की जरुरत है। सभी सूक्ष्म, लघु एवं घरेलू उद्यमों को चरणबद्ध तरीके से पंजीकृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

➢ **संस्थागत / शासन संरचना**

29. एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों को सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए। डीआईसी को सक्रिय किया जाना चाहिए और उनके फील्ड अधिकारियों को उचित रूप से निर्देशित और लामबंद किया जाना चाहिए। डीआईसी अधिकारियों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
30. एमएसएमई से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए, उनमें कर्मचारियों की उचित तैनाती और उनकी मौजूदा सुविधाओं का ज्यादा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों का गठन/ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

➢ **वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं का निरूपण**

31. केंद्र और राज्य सरकार की दिलचस्पी से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए क्लस्टर परियोजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करना चाहिए। एसपीवी/औद्योगिक संघ और/या डीआईसी इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
32. एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों/क्लस्टरों के विकास के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों का एनसीआरपीबी से एनसीआरपीबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्ट लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

➢ **एमएसएमई के लिए नीतियां/योजनाएं तैयार करना**

33. एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों को बीमार एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए नीतियां/योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

B. उद्यम/क्लस्टर-वार सिफारिशें:

a) हथकरघा उद्यम/क्लस्टर

i) सीईटीपी का निर्माण संबंधित हथकरघा समूहों में किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकारों को पीपीपी मोड पर सीईटीपी के निर्माण और संचालन के लिए निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

ii) बड़े पैमाने पर कच्चे माल के बैंक (आरएमबी) स्थापित किए जाने चाहिए।

iii) कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार की यार्न आपूर्ति योजना, जिसमें तीन घटक हैं, अर्थात् (i) मिल

गेट मूल्य पर यार्न की आपूर्ति (ii) सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम और ऊन पर 10% मूल्य सब्सिडी (iii) एनएचडीसी में निवेश को व्यापक रूप से प्रचारित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

iv) हथकरघा उद्यमों के बीच परिधान उद्योग या अन्य हितधारकों को अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए जागरूकता पैदा की जानी चाहिए; और नियमित क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

v) हथकरघा समूहों के लिए विशिष्ट डिजाइन और प्रौद्योगिकी के लिए विशेष पाठ्यक्रम तथा कार्यशालाएं डिजाइन और आयोजित की जानी चाहिए।

vi) हथकरघा उद्यमों के विकास के लिए प्रमुख विकास केंद्रों/क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाना चाहिए।

vii) सीएफ़सी को क्लस्टर स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए और क्लस्टरों में एनएसआईसी की किराया खरीद और पट्टे की योजना शुरू की जानी चाहिए।

b) पहनावा परिधान/परिधान उद्यम/क्लस्टर

i) हथकरघा उद्यमों से सीधे कच्चे माल की खरीद के लिए परिधान निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए; और नियमित क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि हथकरघा बुनकर (उत्पादक) और परिधान निर्माता (खरीदार) सीधा संपर्क स्थापित कर सकें।

ii) जिला या क्लस्टर स्तर पर डिजाइन और परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

iii) प्रमुख बाजारों की पहचान/चिह्नित करें जहां उद्यम अपने उत्पाद बेच सकें।

iv) सीएफ़सी की स्थापना की जानी चाहिए और एनएसआईसी की किराया खरीद और पट्टे जैसी योजनाएं क्लस्टर स्तर पर शुरू की जानी चाहिए।

c) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्यम/क्लस्टर

i) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए। प्रोडक्शन कैचमेंट में प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और कोल्ड चेन बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए।

ii) बिजली की आपूर्ति को समृद्ध किया जाना चाहिए और एमएसएमई को कम दरों पर बिजली कनेक्शन की सुगम पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iii) चूंकि कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई के अधिकांश आइटम/उत्पाद तत्काल उपभोग के लिए होते हैं और जल्दी खराब होने वाले होते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं जैसे रेफ्रिजेरेटेड वैन, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिए डिज़ाइन किए गए वैगन आदि कृषि-खाद्य उत्पादों को सुरक्षा के साथ उपभोक्ता बाजारों तक ले जाने में तेजी लाने के लिए पीपीपी मोड पर बनाया जाना चाहिए।

iv) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण के लिए एमएसएमई अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को उचित रूप से मजबूत किया जाना चाहिए ताकि

प्रसंस्करण उपकरण और मशीनरी की लागत को कम किया जा सके।

v) एनसीआर में डेयरी, सब्जी और तिलहन आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

vi) कैचमेंट/क्लस्टर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं भी अधिक संख्या में स्थापित की जानी चाहिए।

vii) आईसीएआर, एसएयू, निजी क्षेत्र, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), आदि के सहयोग से राज्य के कृषि और बागवानी विभाग एमएसएमई के लिए उद्यमिता/कौशल विकास कार्यक्रम, स्मार्ट मार्केटिंग पर प्रशिक्षण आदि नियमित आधार पर आयोजित किए जाने चाहिए।

viii) संबंधित एनसीआर प्रतिभागी राज्य एजेंसियों और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त मार्केटिंग बुनियादी ढांचे और प्रावधान को विकसित करने की जरुरत है। ऐसी एजेंसियों द्वारा सहकारी मार्केटिंग विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए और कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई की सुविधा के लिए बाजार की जानकारी और खुफिया जानकारी पर एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए एमएसएमई द्वारा उत्पादित कार्यात्मक भोजन (अनाज और दालों से प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पाद, सोयाबीन, तेल भोजन उत्पाद) पर विचार किया जाना चाहिए।

ix) बिजली और पानी के कनेक्शन, लाइसेंस और ऋण आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम/सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए और जहां भी संभव हो, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात सब्सिडी सहित टैक्स अवकाश और अन्य प्रोत्साहन शुरू किए जा सकते हैं।

d) लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्यम/क्लस्टर

i) सरकार को इस्पात की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए जो प्रकाश इंजीनियरिंग और ऑटो-कॉम्पोनेन्ट उद्यमों के लिए मुख्य कच्चा माल है।

ii) सरकार को आरएंडडी, परीक्षण प्रयोगशालाओं और डिजाइन केंद्रों के लिए साझा बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास के निर्माण और उपयोग के लिए लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट निर्माण उद्यमों को सुविधा और/या प्रोत्साहन देना चाहिए।

iii) वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) और एमएसएमई मंत्रालय जैसे संस्थानों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही हितधारकों के बीच विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

iv) सरकार ने राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) के तहत बड़ी पहल की है और इस योजना के तहत ऑटोमोटिव उद्योग की विकासशील क्षमताओं के लिए महंगा बुनियादी ढांचा प्रदान करने की योजना है। एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों/डीआईसी या एसपीवी/औद्योगिक संघों को ऐसी योजनाओं से अधिकतम लाभ मिलना चाहिए।

v) एमएसएमई की विस्तार योजनाओं के लिए क्रेडिट योग्यता रेटिंग प्राप्त करने की आवश्यकता और कम लागत वाली संस्थागत इक्विटी पूंजी और जोखिम पूंजी निधि की उपलब्धता के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इस श्रेणी की कुछ योजनाओं में सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) का एसएमई ग्रोथ फंड शामिल है, जिसका उपयोग ऑटो-कंपोनेंट क्लस्टर में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एक्जिम बैंक के पास एसएमई, फर्मों, उत्पाद निर्यात और विदेशी निवेश के फाइनेंस के लिए भी कई योजनाएं हैं।

vi) उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रमिकों और उद्यमियों को विशिष्ट कार्य आवश्यकता के अनुकूल विशिष्ट कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

vii) क्लस्टर स्तर पर उचित दर पर बिजली की नियमित आपूर्ति, कुशल परिवहन और रसद सेवाएं और अन्य आवश्यक ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

e) मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, सिरेमिक उद्यम/क्लस्टर

i) उत्पादन के आधुनिक तरीकों, उन्नत उपकरणों के उपयोग और माल के तेजी से उत्पादन, उत्पाद डिजाइन के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नवीनतम तकनीक पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

ii) सरकारी अधिकारियों को शिल्प के प्रभावी मार्केट प्रमोशन के लिए कदम उठाने चाहिए।

iii) ऐसे क्लस्टरों में सड़क, परिवहन, संचार और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

iv) बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि और सुधार किया जाना चाहिए।

v) उत्पादों के बेहतर प्रदर्शन के लिए शिल्प गांवों के भीतर और बाहर, यानी आस-पास के शहरों में अधिक शोरूम / प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

vi) मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा, चीनी मिट्टी की चीज़ें आदि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए।

f) चमड़ा और फुटवियर उद्यम/क्लस्टर

i) उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता कार्यक्रम और चमड़े को प्रतिस्थापित करने के लिए समान सामग्री शुरू की जानी चाहिए।

ii) एसएमई के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सामान्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उप-क्षेत्र स्तर पर मार्केटिंग और व्यवसाय विकास केंद्र, साझा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र, आर एंड डी केंद्र आदि जैसी सामान्य सुविधाओं में मदद करने के लिए योजना/कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

iii) प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

iv) तकनीकी सहायता के लिए उद्योग विशेषज्ञों का डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।

v) उद्यमियों को पारंपरिक जूते (जैसे मोजरी) और अन्य चमड़े के सामान विशेष रूप से नए डिजाइन और तकनीकों पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित

किया जाना चाहिए। साथ ही, उद्यमियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

vi) कच्चा माल बैंक स्थापित किया जाना चाहिए तथा चमड़े के सामान और जूते के डिजाइनरों के साथ संपर्क स्थापित किए जाने चाहिए।

g) पैकेजिंग उद्यम/क्लस्टर

i) पैकेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीआईएआई) के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन/विश्व मानकों के अनुपालन, उच्च जीवनचक्र लागत, अपशिष्ट प्रबंधन, लागत प्रभावशीलता और उपभोक्ता सुविधा आदि के साथ पर्यावरण के अनुकूल और इनोवेटिव पैकेजिंग समाधान पेश किए जाने चाहिए।

ii) पूंजी निवेश सब्सिडी को बुनियादी ढांचे, नवीनतम मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों आदि के विकास के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

iii) पीपीपी मोड पर पैकेजिंग पार्क स्थापित करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत वह एमएसएमई/डीआईसी के संबंधित निदेशालय के माध्यम से आईएसओ 9001/14001/एचएसीसीपी प्रमाणन खर्चों की प्रतिपूर्ति 75% या 75,000/- रुपये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति करता है। आईएसओ प्रमाणन के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम, अभियान/कार्यशालाएं आदि आयोजित की जानी चाहिए।

v) श्रमिकों और उद्यमियों को उनके कौशल को बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

vi) प्रीमियम संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी), स्कूल ऑफ पैकेजिंग-पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सेंटर आदि पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

vii) एनसीआर में पैकेजिंग उद्यमों/क्लस्टरों के समग्र विकास के लिए माइलस्टोन पर प्रतिबद्धता के साथ एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

h) खेल के सामान उद्यम / क्लस्टर

i) युवा मामले और खेल मंत्रालय; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय या किसी अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को कच्चे माल को लाने ले जाने में प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। उचित दरों पर कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के द्वारा खेल के सामान निर्माताओं की सुविधा के लिए कच्चे माल बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए।

ii) उद्यमों को तकनीकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सस्ती दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iii) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी), प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स गुड फाउंडेशन ऑफ इंडिया आदि के सहयोग से उद्यमियों

और श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

iv) ब्रांड इंडिया को घरेलू स्तर पर लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में खिलाड़ियों/प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय निर्देशों और मानकों के अनुरूप भारत में निर्मित खेल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खेल चैनल, डीडी स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया रेडियो आदि को रियायती दरों पर स्थानीय खेल ब्रांडों का विज्ञापन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मेलों में स्थानीय ब्रांड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

v) मौजूदा उद्यमों/क्लस्टरों को बिजली की आपूर्ति, अच्छी सड़क, जल निकासी, भंडारण, प्रदर्शन केंद्र आदि जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

vi) खेल सामग्री उद्यमों का एक डेटाबेस/निर्देशिका बनाया जाना चाहिए और कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं पारस्परिक बैठकों आदि का आयोजन करके विभिन्न खेल सामान निर्माताओं के बीच तालमेल और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

vii) उत्पाद विविधता की तत्काल जरुरत है। इसके लिए, नए उत्पादों पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

i) विविध विनिर्माण उद्यम/क्लस्टर

विविध निर्माण क्लस्टर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आर्टिफीसियल आभूषण क्लस्टर, मोड़ा बनाने वाला क्लस्टर, मूर्ति कला क्लस्टर आदि शामिल हैं। ये क्लस्टर अत्यधिक असंगठित और खंडित हैं, जो छोटे शहरों/गांवों और/या राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित हैं। यह अनुशंसित है कि संबंधित एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों का व्यापक विश्लेषण करना चाहिए और उपरोक्त सिफारिशों पर विचार करते हुए ऐसे क्लस्टरों के समग्र नियोजित वृद्धि और विकास के लिए एक रोड-मैप/विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।

विषय

प्राक्कथन

अभिस्वीकृति

कार्यकारी सारांश ..... *I - XV*

विषय-सूची

1. प्रस्तावना 1

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) 1
1.2 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 1
1.2.1 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के लक्ष्य और उद्देश्य 4
1.3 एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन 5
1.4 कार्यात्मक योजना तैयार करने की आवश्यकता 6
1.4.1 कार्यप्रणाली 7

2. सूक्ष्म और घरेलू उद्यम: प्रासंगिक अधिनियम, नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं 9

2.1 पृष्ठभूमि 9
2.2 प्रासंगिक शर्तों की अवधारणा और परिभाषाएं 9
2.2.1 उद्यम 9
2.2.2 अति लघु उद्योग 10
2.2.3 घरेलू उद्योग 10
2.2.4 ग्रामोद्योग 11
2.2.5 पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम 11
2.2.6 अपंजीकृत सूक्ष्म उद्यम 11
2.2.7 क्लस्टर 11
2.2.8 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) 12
2.3 एमएसएम उद्यमों की संस्थागत संरचना 12
2.3.1 केंद्रीय स्तर 13
2.3.2 राज्य स्तरीय संस्थागत तंत्र 26

3. एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यम 40

3.1 पृष्ठभूमि 40
3.2 एनसीआर घटक राज्यों में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यम 43
3.2.1 हरियाणा 43
3.2.2 उत्तर प्रदेश 44
3.2.3 राजस्थान 45
3.2.4 एनसीटी दिल्ली 46
3.2.5 एनसीआर घटक कार्यरत एमएसएमईज का राज्यवार वितरण 46
3.2.6 एनसीआर घटक पंजीकृत कार्यरत एमएसएमईज का राज्यवार वितरण 48
3.2.7 एमएसएमईज रोजगार का एनसीआर राज्यवार वितरण (पंजीकृत) 49
3.3 एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यम 49

3.3.1 एनसीआर का औद्योगिक परिदृश्य 49
3.3.2 मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम 50

3.4 एनसीआर में एमएसएमई (विनिर्माण) का उप-क्षेत्रवार जिला स्तर विश्लेषण 52
3.4.1 हरियाणा उप-क्षेत्र 52
3.4.2 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 70
3.4.3 राजस्थान उप-क्षेत्र 85
3.4.4 एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र 87
3.5 क्लस्टरों के स्थानिक विकास में तुलनात्मक विश्लेषण और बाधाएं 92
3.6 संभावित क्लस्टर 94
3.7 नए और संभावित सूक्ष्म उद्यम 94

4. केस स्टडीज 97

4.1 पृष्ठभूमि 97
4.2 केस स्टडीज 97
4.2.1 हथकरघा समूह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 97
4.2.2 निटवेअर क्लस्टर, तिरुपुर, तमिलनाडु 99
4.2.3 किशमिश क्लस्टर, सांगली, महाराष्ट्र 102
4.2.4 द फुटवियर क्लस्टर, अथानी, बेलगाम, कर्नाटक 105
4.2.5 पॉटरी और सिरेमिक क्लस्टर, खुर्जा, उत्तर प्रदेश 107
4.2.6 ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर, चेन्नई, तमिलनाडु 111

5. मुद्दे और सिफारिशें 116

5.1 पृष्ठभूमि 116
5.2 एनसीआर में सूक्ष्म, घरेलू और लघु विनिर्माण उद्यम/क्लस्टर 116
5.3 मुद्दे और सिफारिशें 120

अनुलग्नक -1 160
अनुलग्नक -2 166
अनुलग्नक -3 168
अनुलग्नक -4 169
अनुलग्नक -5 172
अनुलग्नक -6 175
अनुलग्नक -7 181
अनुलग्नक -8 190
अनुलग्नक -9 193
अनुलग्नक -10 196
अनुलग्नक -11 219
अनुलग्नक -12 228
अनुलग्नक -13 229
ग्रंथ सूची 230
अंतटिप्पण 232

तालिकाओं की सूची

तालिका 2.1 निवेश की अधिकतम सीमा के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण.....10
तालिका 3.1 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारत में कार्यरत उद्यमों का क्षेत्रवार वितरण.....41
तालिका 3.2 भारत में संगठन और क्षेत्र के प्रकार के अनुसार उद्यमों का प्रतिशत वितरण.....41
तालिका 3.3 पंजीकृत और अपंजीकृत उद्यमों और रोजगार का सेक्टर वार वितरण.....42
तालिका 3.4 हरियाणा में गतिविधि के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों की क्षेत्रीय प्रोफाइल.....43
तालिका 3.5 उत्तर प्रदेश में गतिविधि के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों का क्षेत्रीय प्रोफाइल.....44
तालिका 3.6 राजस्थान में गतिविधि के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों का क्षेत्रीय प्रोफाइल.....45
तालिका 3.7 एनसीटी-दिल्ली में गतिविधि के आधार पर पंजीकृत और गैर-पंजीकृत इकाइयों की क्षेत्रीय प्रोफ़ाइल....46
तालिका 3.8 एनसीआर राज्यों में कार्यरत एमएसएमई (पंजीकृत और अपंजीकृत) का वितरण.....47
तालिका 3.9 एनसीआर में गतिविधियों की प्रकृति द्वारा पंजीकृत कार्यरत उद्यमों का वितरण.....48
तालिका 3.10 एनसीआर राज्यों और भारत में पंजीकृत एमएसएमई में रोजगार का वितरण.....49
तालिका 3.11 एनसीआर में पंजीकृत मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों का वितरण.....50
तालिका 3.12 एनसीआर में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम (विनिर्माण) और कारीगर इकाइयां.....51
तालिका 3.13 पानीपत जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....53
तालिका 3.14 क्लस्टर विश्लेषण, पानीपत जिला.....54
तालिका 3.15 फरीदाबाद जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....56
तालिका 3.16 क्लस्टर विश्लेषण, फरीदाबाद जिला.....57
तालिका 3.17 रोहतक जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....58
तालिका 3.18 क्लस्टर विश्लेषण, रोहतक जिला.....59
तालिका 3.19 झज्जर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....60
तालिका 3.20 क्लस्टर विश्लेषण, झज्जर जिला.....61
तालिका 3.21 रेवाड़ी जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....62
तालिका 3.22 क्लस्टर विश्लेषण, रेवाड़ी जिला.....63
तालिका 3.2 3 पलवल जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....64
तालिका 3.24 क्लस्टर विश्लेषण, पलवल जिला.....65
तालिका 3.25 मेवात जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....66
तालिका 3.26 क्लस्टर विश्लेषण, मेवात जिला.....66
तालिका 3.27 सोनीपत जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....67
तालिका 3.28 क्लस्टर विश्लेषण, जिला सोनीपत.....68
तालिका 3.29 गुरुग्राम जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....69
तालिका 3.30 क्लस्टर विश्लेषण, गुरुग्राम जिला.....70
तालिका 3.31 बुलंदशहर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....70
तालिका 3.32 क्लस्टर विश्लेषण, बुलंदशहर जिला.....72
तालिका 3.33 गाजियाबाद जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....73
तालिका 3.34 क्लस्टर विश्लेषण, गाजियाबाद जिला.....74
तालिका 3.35 मेरठ जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण.....76

तालिका 3.36 क्लस्टर विश्लेषण, मेरठ जिला....77
तालिका 3.37 बागपत जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण....80
तालिका 3.38 क्लस्टर विश्लेषण, बागपत जिला....81
तालिका 3.39 गौतमबुद्धनगर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण....82
तालिका 3.40 क्लस्टर विश्लेषण, गौतमबुद्ध नगर जिला....83
तालिका 3.41 अलवर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण....85
तालिका 3.42 क्लस्टर विश्लेषण, अलवर जिला....86
तालिका 3.43 एनसीटी-दिल्ली में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण....88
तालिका 3.44 क्लस्टर विश्लेषण, एनसीटी दिल्ली....89
तालिका 4.1 सीएफ़सी परियोजना के घटक और उनकी लागत, किशमिश क्लस्टर, सांगली....104
तालिका 4.2 रायसिन क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के बाद प्राप्त लाभ....104
तालिका 5.1 एनसीआर में प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए प्रस्तावित उप-क्षेत्रवार एमएसएमई क्लस्टर....118
तालिका 5.2 एनसीआर में उत्पादित जिलेवार फल और सब्जियां....142

चित्रों की सूची

चित्र 2.1 भारत में एमएसएमईज के लिए संस्थागत सहायता संरचना....13
चित्र 3.1 भारत में क्षेत्र द्वारा रोजगार का वितरण....42
चित्र 3.2 हरियाणा में गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा....43
चित्र 3.3 उत्तर प्रदेश में गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा....44
चित्र 3.4 राजस्थान में गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा....45
चित्र 3.5 एनसीटी-दिल्ली में गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा....46
चित्र 3.6 एनसीआर घटक राज्यों में कार्यरत एमएसएमई का वितरण....47
चित्र 3.7 एनसीआर राज्यों में गतिविधि के प्रकार के आधार पर पंजीकृत कार्यरत एमएसएमई का वितरण....48
चित्र 4.1 सिरेमिक उत्पादों के निर्माण में शामिल प्रक्रिया....108
चित्र 4.2 ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर के हितधारक....111
चित्र 5.1 एमएसएमई के विकास से जुड़े मुद्दे....121
चित्र 5.2 मुद्रा का वित्तपोषण पैटर्न....128
चित्र 5.3 डिज़ाइन क्लिनिक योजना और डिज़ाइन ऑडिट की अवधारणा....130
चित्र 5.4 डिजाइन सम्मिश्रण की प्रक्रिया....131
चित्र 5.5 विभिन्न समूहों के अंतर-संबंध मैट्रिक्स....136
चित्र 5.6 पैकेजिंग के प्रकार....150

प्लेटों की सूची

प्लेट 3.1 पानीपत में एमएसएमई 55
प्लेट 3.2 फरीदाबाद में एमएसएमई 57
प्लेट 3.3 रोहतक में एमएसएमई 59
प्लेट 3.4 झज्जर में एमएसएमई 61
प्लेट 3.5 रेवाड़ी में एमएसएमई 63
प्लेट 3.6 सोनीपत में एमएसएमई 68
प्लेट 3.7 गुरुग्राम में एमएसएमई 70
प्लेट 3.8 बुलंदशहर में एमएसएमई 73
प्लेट 3.9 पिलखुवा, गाजियाबाद में एमएसएमई 76
प्लेट 3.10 मेरठ में एमएसएमई 79
प्लेट 3.11 बागपत में एमएसएमई 82
प्लेट 3.12 गौतमबुद्ध नगर में एमएसएमई 84
प्लेट 3.13 अलवर जिले में एमएसएमई 87
प्लेट 3.14 एनसीटी-दिल्ली में एमएसएमई 92
प्लेट 4.1 सामान्य सुविधा केंद्र, सांगली 104

प्लेट 5.1 भौतिक अवसंरचना की स्थिति 125
प्लेट 5.2 एनसीआर में एमएसएमई 157

मानचित्रों की सूची

मानचित्र 1-1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-संघटक क्षेत्र (आरपी-2021 के अनुसार) 2
मानचित्र 1-2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- घटक क्षेत्र (जिलों के पुनर्गठन के बाद) 3
मानचित्र 1-3 एनसीआर में सर्वे किए गए क्लस्टर 7
मानचित्र 3-1 एनसीआर में क्लस्टरों का स्थानिक प्रसार 85
मानचित्र 5-1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नए जोड़े गए जिलों सहित) 159

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एईपीसी	:	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
एएचवीवाई	:	अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
एएससीईएनटी	:	उद्यमिता पहल के लिए एशियाई केंद्र
एएसआईडीई	:	निर्यात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता
सीएफसी	:	सामान्य सुविधा केंद्र
सीडीई	:	क्लस्टर विकास कार्यकारी
सीडीओ	:	क्लस्टर विकास अधिकारी
सीडीपी	:	क्लस्टर विकास कार्यक्रम
डीसी एमएसएमई	:	विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
डीआईसी	:	जिला उद्योग केंद्र
सीएफटीआरआई	:	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
डीएसटी	:	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
डीओएच	:	स्वास्थ्य विभाग
डीआरडीए	:	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
ईडीआई	:	उद्यमिता विकास संस्थान
ईएम I	:	उद्यमी ज्ञापन I
ईएम II	:	उद्यमी का ज्ञापन II
जीडीपी	:	सकल घरेलु उत्पाद
जीओआई	:	भारत सरकार
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईई	:	भारतीय उद्यमिता संस्थान
आईएचडीएस	:	भारत मानव विकास सर्वेक्षण
आईपीआर	:	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीआई	:	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
केवीआईसी	:	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
केवीआईबी	:	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
एमएसएमई-टीसी	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - परीक्षण केंद्र
एम/ओ एमएसएमई	:	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
एमजीआईआर	:	ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान
एमएसएमई-डीआई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - विकास संस्थान
एमएसएमई-टीआई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - प्रशिक्षण संस्थान
एमएसएमई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसई	:	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएमईडी एक्ट	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एमएसई-सीडीपी	:	सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
एमएसएमई-टीआर	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - टूल रूम
एमएसएमई-टीएस	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - परीक्षण स्टेशन
एमयूडीआरए	:	सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी
एनसीआरपीबी	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एनसीआर	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

एनसीटी	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनआईसी	:	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईईएसबीयूडी	:	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान
एनआईडी	:	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
एनआई-एमएसएमई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय संस्थान
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसआईसी	:	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
एनएमसीपी	:	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम
एनएटीआरआईपी	:	राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना
पीपीपी	:	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पीएमईजीपी	:	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
क्यूएमएस	:	गुणवत्ता प्रबंधन मानक
क्यूटीटी	:	गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण
आरएंडडी	:	अनुसंधान एवं विकास
आरईजीपी	:	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
एसडीपी	:	कौशल विकास कार्यक्रम
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	:	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएसआई	:	लघु उद्योग
एसआईएसआई	:	लघु उद्योग सेवा संस्थान
सिडको	:	लघु उद्योग विकास निगम
एसएफयूआरटीआई	:	पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना
एसएमई	:	छोटे और मध्यम उद्यम
एसआईसीडीपी	:	लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम
एसपीवी	:	विशेष उद्देश्य वाहन
एसजीएसवाई	:	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
यूनिडो	:	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
यूपीटेक	:	एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन कार्यक्रम
टीडीसी	:	प्रौद्योगिकी विकास केंद्र
टीआईआईसी	:	तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम
टीएएनएसटीआईए	:	तमिलनाडु स्मॉल एंड टिनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
डब्ल्यूएससी	:	विश्व मानक सहयोग

1. प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के कुछ हिस्सों और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) को कवर करता है। क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, एनसीआर में एनसीटी-दिल्ली, हरियाणा राज्य के आठ जिले, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात और फरीदाबाद; उत्तर प्रदेश राज्य के पांच जिले, जैसे मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर; और राजस्थान राज्य का अलवर जिला (मानचित्र 1-1 देखें) शामिल हैं। बाद में, संबंधित भाग लेने वाले एनसीआर राज्य सरकारों द्वारा कुछ जिलों को विभाजित और पुनर्गठित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एनसीआर में हरियाणा राज्य के नौ जिले, उत्तर प्रदेश राज्य के छह जिले, राजस्थान राज्य के जिला अलवर और संपूर्ण एनसीटी दिल्ली शामिल हैं (मानचित्र 1-2 देखें)। सितंबर, 2013 तक एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 34,144 वर्ग किमी था।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 01.10.2013, 26.11.2015 और 16.04.2018 की राजपत्र अधिसूचना के तहत एनसीआर में हरियाणा राज्य के भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिलों, राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर और शामली जिलों को जोड़ा। इन अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप, एनसीआर का वर्तमान क्षेत्रफल 55,083 वर्ग किमी है। एनसीआर के घटक क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयाँ इस प्रकार हैं:

i) संपूर्ण एनसीटी दिल्ली

ii) हरियाणा उप-क्षेत्र जिसमें तेरह जिले शामिल हैं, जिनके नाम हैं पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल।

iii) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र जिसमें सात जिले शामिल हैं, जिनके नाम हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली।

iv) राजस्थान उप-क्षेत्र जिसमें दो जिले शामिल हैं, जिनके नाम हैं अलवर और भरतपुर।

जनगणना-2011 के अनुसार, एनसीआर की कुल जनसंख्या लगभग 581 लाख है, जिसमें से लगभग 38% जनसंख्या ग्रामीण है। एनसीआर में कुल 230 शहरी बस्तियां और 8200 से अधिक ग्रामीण बस्तियां हैं, जिनकी आबादी का आकार विभिन्न है।

1.2 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने क्षेत्र के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार संभावित वर्ष 2021 (आरपी-2021) के साथ एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार की थी। आरपी-2021 एनसीआर के तत्कालीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था (जैसा कि मानचित्र 1-1 में दिखाया गया है) और 17 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था।

पानीपत सोनीपत रोहतक बागपत मेरठ झज्जर हरियाणा एनसीटी दिल्ली ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गौतमबुद्ध नगर फरीदाबाद मेवात गुड़गांव रेवाड़ी अलवर राजस्थान

प्रमुख

एनसीआर सीमा राज्य सीमा

जिला सीमा

जिला मुख्यालय

मानचित्र 1-1 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- संघटक क्षेत्र (आरपी-2021 के अनुसार)**

पानीपत सोनीपत रोहतक बागपत मेरठ रोहतक झज्जर हरियाणा एनसीटी दिल्ली ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश हापुड़ बुलंदशहर गौतमबुद्ध नगर फरीदाबाद मेवात गुड़गांव रेवाड़ी अलवर राजस्थान

प्रमुख

एनसीआर सीमा राज्य सीमा जिला सीमा

उप क्षेत्र	**क्षेत्र**
एनसीटी दिल्ली	1483
हरियाणा	13428
राजस्थान	8380
यू पी	10853
योग	34144

मानचित्र 1-2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- संघटक क्षेत्र (जिलों के पुनर्गठन के बाद)

1.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के लक्ष्य एवं उद्देश्य

क्षेत्रीय योजना-2021 का उद्देश्य "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देना" है। इस लक्ष्य को निम्न के माध्यम से हासिल करने की कोशिश की जा रही है:

i) एनसीटी दिल्ली के आर्थिक विकास आवेग को अवशोषित करने में सक्षम क्षेत्रीय बस्तियों की पहचान और विकास द्वारा भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार प्रदान करना।

ii) कुशल और आर्थिक रेल और सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (जन परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करना जो भूमि उपयोग के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हैं।

iii) एनसीआर के विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।

iv) शहरी ढांचागत सुविधाओं जैसे परिवहन, बिजली, संचार, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, आदि के साथ चयनित शहरी बस्तियों का विकास करना, जिसकी तुलना एनसीटी दिल्ली के साथ की जा सकती है।

v) अच्छी कृषि भूमि की रक्षा और संरक्षण और शहरी उपयोग के लिए अनुत्पादक भूमि का उपयोग करने के लिए तर्कसंगत भूमि उपयोग पैटर्न प्रदान करना।

vi) जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना।

vii) संसाधन जुटाने के मौजूदा तरीकों की दक्षता में सुधार करना और संसाधन जुटाने के नवीन तरीकों को अपनाना और निजी निवेश को वांछित दिशा में सुविधाजनक बनाना, आकर्षित करना और मार्गदर्शन करना।

आरपी-2021 ने माना है कि एनसीआर के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियां और उद्यम उपस्थिति हैं, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वरोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करते हुए तुलनात्मक रूप से सस्ती मजदूरी वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इस असंगठित क्षेत्र को शहरी मानव गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में मान्यता दी गई है जो इन नगरों और उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र की प्रगति और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है।

इनमें से कुछ गतिविधियां लंबे समय से की जा रही हैं और विशेषज्ञता और निर्यात संभावनाओं के मामले में भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं। आरपी-2021 ने एनसीआर में निम्नलिखित अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की पहचान की है:

i) अलवर में इंजीनियरिंग और धातु का काम, चमड़े का काम, मूर्तिकारी, कालीन बुनाई और मिट्टी के बर्तन

ii) मेरठ में हथकरघा, खेल के सामान और कैंची तथा ब्लेड उद्योग

iii) खुर्जा में मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के सामान

iv) पानीपत में हथकरघा उद्योग

v) रेवाड़ी में पीतल के बर्तन

vi) मेवात में मिट्टी के बर्तन।

आरपी-2021 अपने सभी प्रभावों में अनौपचारिक क्षेत्र को संबोधित करने की आवश्यकता की वकालत करता है और आश्रय, कार्यस्थल, सामाजिक सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी घटक आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करता है ताकि उनके विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और, साथ ही, बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए अपने कौशल और उद्यमिता को संगठित किया जा सके। एनसीआर के त्वरित विकास की रणनीति के तहत, घरेलू उद्योगों सहित अनौपचारिक क्षेत्र को प्रेरित जनसंख्या वृद्धि और आय सृजन के एक बड़े हिस्से का दावा करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसलिए, जहां तक संभव हो अनौपचारिक क्षेत्र को अवशोषित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से नियोजित शहरी विकास और एकीकृत टाउनशिप के आर्थिक विकास के ताने-बाने के भीतर, जो एनसीआर के लिए परिकल्पित विकास रणनीति के मूल में हैं।

1.3 एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

एनसीआर में एमएसएमई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरपीबी ने मेसर्स मॉट मैकडोनाल्ड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से "एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम" पर एक अध्ययन किया, जिसे 2009 में शुरू किया गया था और 2015 में पूरा किया गया था। उक्त अध्ययन में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यमों को शामिल किया गया है जो यह इंगित करता है कि एनसीआर में 35,000 से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम हैं (जैसा कि आरपी-2021 में अधिसूचित किया गया है) और बड़ी संख्या में गैर-पंजीकृत सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम हैं।

अध्ययन रिपोर्ट केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों और उनके विभागों/एजेंसियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई थी। 08.05.2015 को आयोजित एक हितधारक कार्यशाला में मसौदा निष्कर्षों और अध्ययन की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों/सुझावों को शामिल करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। एनसीआर के लिए सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट को बाद में सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में गठित परामर्शी समीक्षा समिति (सीआरसी) द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें निदेशक, एमएसएमई

विकास संस्थान; निदेशक, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एनसीटी-दिल्ली सरकारों के उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य थे। 14.08.2015 को आयोजित अपनी छठी बैठक में सीआरसी द्वारा अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी।

अध्ययन ने इस क्षेत्र में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यमों के विकास की क्षमता पर बल दिया जो एनसीआर में कई परिवारों को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

1.4 एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर कार्यात्मक योजना तैयार करने की आवश्यकता

एनसीआर आरपी-2021 में "प्रतिभागी राज्यों के सक्रिय सहयोग के साथ एनसीआर के सुव्यवस्थित, संतुलित और पर्यावरणीय तौर पर सुस्थिर स्थानिक आर्थिक विकास के लिए दिल्ली द्वारा जनित समूहपरक अर्थव्यवस्था और विकास के विस्तार के लाभदायक बनाना प्रस्तावित है।

यह स्पष्ट है कि एनसीआर में कई शहरी केंद्र जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आदि उद्योग और सेवा क्षेत्र के केंद्र के रूप में उभरे हैं, हालांकि, एनसीआर के कई छोटे कस्बों और गांवों में रोजगार सृजन गतिविधियों की कमी है। इन छोटे शहरी केंद्रों और गांवों में पर्याप्त आर्थिक अवसर और रोजगार सृजन गतिविधियों को बनाने की तत्काल आवश्यकता है। एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में कृषि आधारित उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि जैसे विभिन्न प्रकार शामिल हैं। शहरी गतिविधियों का सहयोग करने और एनसीआर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इन्हें बढ़ावा देने की जरुरत है। रोजगार सृजन के लिए उच्च क्षमता के अलावा, कम पूंजी निवेश, मूल्यवर्धन का उच्च अनुपात और निर्यात और विदेशी मुद्रा आय की उच्च क्षमता के कारण सूक्ष्म और घरेलू उद्यम क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है।

एनसीआर में कई कारीगर अंशकालिक आधार पर शिल्प कार्यों में लगे हुए हैं। घरेलू/कुटीर उद्योग बड़ी संख्या में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों सहित कई कारीगरों को रोजगार प्रदान करते हैं। एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों में कृषि-प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, कपड़ा, लाइट इंजीनियरिंग, सिरेमिक और मिट्टी के बर्तनों, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आय और रोजगार सृजन का पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा, एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यम क्षेत्र को संभावित क्षेत्रों के लिए तलाशने की जरूरत है।

सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते

हुए, जैसा कि "एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम" पर अध्ययन में प्रकाश डाला गया है और एनसीआर में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए क्षेत्र की विशाल क्षमता के आधार पर, 'एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के मार्गदर्शन के लिए एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 16 के तहत प्रावधान के अनुसार एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना तैयार की गई है। कार्यात्मक योजना एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यमों के विकास के लिए सिफारिशें प्रदान करती है।

1.4.1 कार्यप्रणाली

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन के विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई है। यह अध्ययन भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों/सूचनाओं, विभिन्न उद्योग संघों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और *2500* सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित था। जहां प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था, वहां क्लस्टर, सैंपल क्लस्टर और क्लस्टर के जिलेवार वितरण का विवरण अनुबंध-*1 (*परिशिष्ट *1.A, 1.B* और *1.C*) में दिया गया है। सर्वेक्षण किए गए समूहों का स्थानिक वितरण मानचित्र *1-3* में दिया गया है।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन के अलावा, एमएसएमई-विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा प्रकाशित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित जिला स्तरीय डेटा का भी उपयोग किया गया है। एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करें।

सूक्ष्म और घरेलू उद्यम तीन प्रकार के होते हैं अर्थात विनिर्माण, मरम्मत और रखरखाव, और सेवाएं। सेवा आधारित सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के व्यापक आधार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कार्यात्मक योजना सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों तक सीमित होगी।

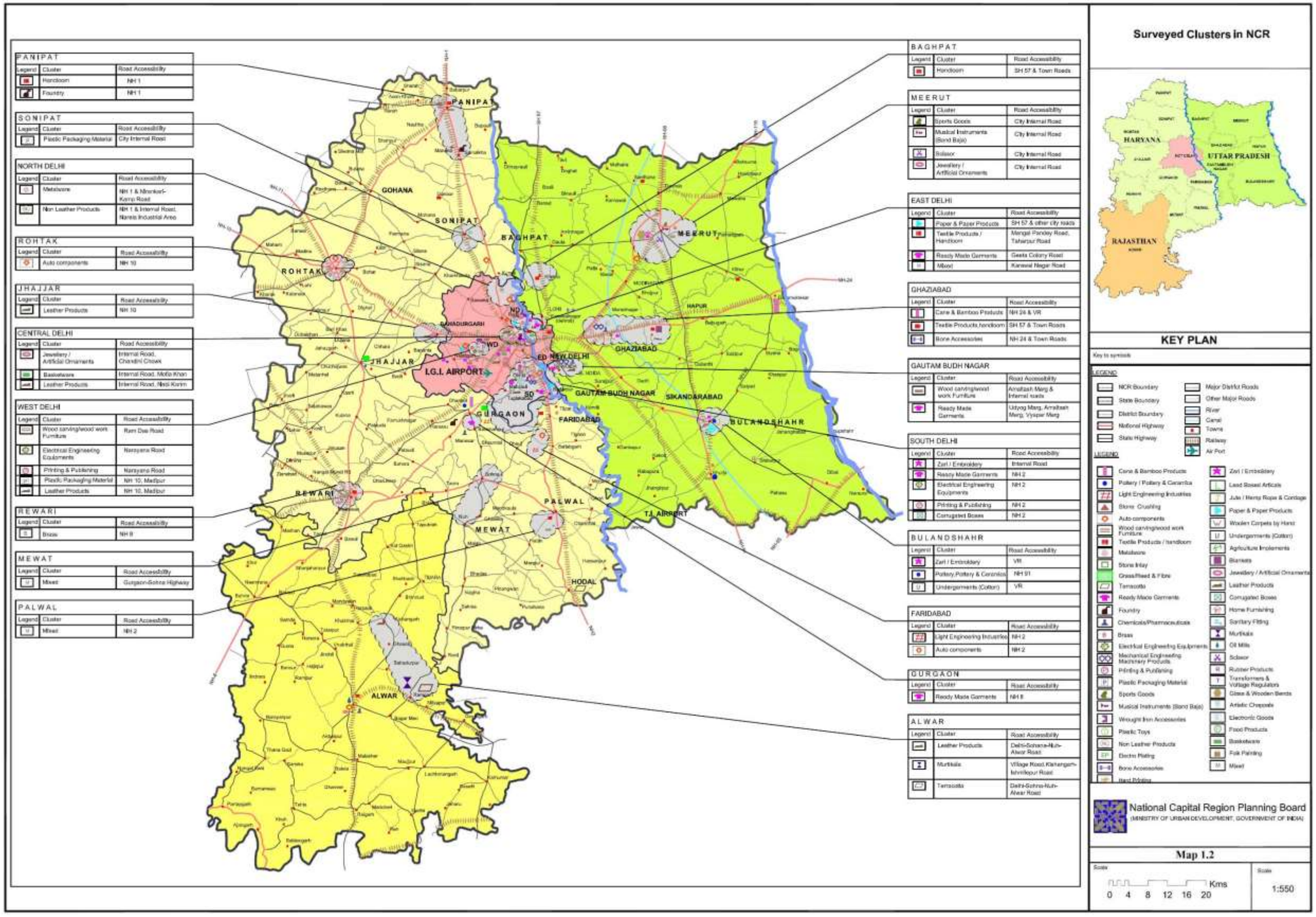

मानचित्र 1-3 एनसीआर में सर्वे किए गए समूह

2. सूक्ष्म और घरेलू उद्यम: सम्बंधित अधिनियम, नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं

2.1 पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। मई 2007 में, लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) बनाने के लिए मिला दिया गया। एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को विकसित करने की दृष्टि से नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं को डिजाइन करता है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 भारत में एमएसएमई के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और "उद्यम" (निर्माण और सेवाओं दोनों को मिलाकर) की अवधारणा को मान्यता देता है। यह इन उद्यमों के तीन स्तरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम को एकीकृत करता है। सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएम) उद्यम भी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इस क्षेत्र के एमएसएम उद्यमों के लिए प्लांट और मशीनरी के लिए एक अलग निवेश सीमा निर्धारित की गई है।

उक्त अधिनियम को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएम उद्यमों) के प्रचार और विकास की सुविधा के लिए;
- एमएसएम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए;
- एमएसएम उद्यमों के संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए;
- एसएसआई उपक्रमों और सहायक उद्योगों से एमएसएम उद्यमों को लाभ के दायरे का विस्तार करने के लिए।

2.2 प्रासंगिक शर्तों की अवधारणा और परिभाषाएं

2.2.1 उद्यम

वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में अपनी क्षमता में एक संस्थागत इकाई को एक उद्यम के रूप में जाना जाता है। एक उद्यम वित्तीय और निवेश निर्णय लेने के संबंध में एक

आर्थिक लेनदेन या स्वायत्तता है, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों के आवंटन के लिए अधिकार और जिम्मेदारी है। यह एक या अधिक स्थानों पर एक या अधिक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकता है। एक उद्यम एकमात्र कानूनी इकाई हो सकता है।

2.2.2 अति लघु उद्योग

'उद्योग' की पहले की अवधारणा को 'उद्यमों' में बदल दिया गया है। मोटे तौर पर, उद्यमों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i) माल के निर्माण/उत्पादन में लगे उद्यम,

ii) सेवाएं प्रदान करने/प्रस्तुत करने में लगे उद्यम

एमएसएमईडी अधिनियम ने उद्यमों को विनिर्माण उद्यमों के लिए प्लांट और मशीनरी में उनके निवेश के आधार पर या सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने वाले उद्यमों के लिए उपकरणों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में परिभाषित किया है। निवेश सीमा के आधार पर उद्यमों का वर्गीकरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका **2.1** निवेश की अधिकतम सीमा के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण

उद्यमों का वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम (प्लांट और मशीनरी में निवेश सीमा)	सेवा उद्यम (उपकरण में निवेश सीमा)
सूक्ष्म	रु. 25 लाख	रु. 10 लाख
लघु	रु. 5 करोड़	रु. 2 करोड़
मध्यम	रु. 10 करोड़	रु. 5 करोड़

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी और एमओएमएसएमई में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर अध्ययन रिपोर्ट "एमएसएमई एक नज़र में-*2016"*

2.2.3 घरेलू उद्योग

भारत की जनगणना के अनुसार, 'घरेलू उद्योग' को परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर या गांव में और केवल घर के परिसर के अंदर संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है, यदि परिवार शहरी क्षेत्रों में रहता है। घरेलू उद्योग में श्रमिकों के बड़े अनुपात में घर के सदस्य होते हैं। उद्योग एक पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं चलाया जाता है जो भारतीय कारखाना अधिनियम के तहत योग्य होगा या पंजीकृत होगा। घरेलू उद्योग माल के उत्पादन, प्रसंस्करण, सर्विसिंग, मरम्मत या बनाने और बेचने (लेकिन केवल बिक्री नहीं) से संबंधित होता है।

2.2.4 ग्रामोद्योग

'ग्राम उद्योग' शब्द को संशोधित केवीआईसी अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है, "ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो बिजली के उपयोग के साथ या उसके बिना किसी भी सामान का उत्पादन करता है या कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें कारीगर के प्रति व्यक्ति निश्चित पूंजी निवेश होता है। या कार्यकर्ता 1.0 लाख रुपये (पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ग्रामोद्योग के मामले में 1.50 लाख रुपये) या ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं है, जो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।"

2.2.5 पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम

'पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों' के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार किया गया है:

i) 2.10.2006 तक (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से पहले) जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) के साथ स्थायी रूप से पंजीकृत विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने / प्रस्तुत करने की गतिविधियों में लगे सभी उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 से पहले, पंजीकृत उद्यमों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

ii) 31.03.2010 को जिला उद्योग केंद्रों से उद्यमी ज्ञापन-II (ईएम -II) प्राप्त करने वाले विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने/प्रस्तुत करने की गतिविधियों में लगे सभी उद्यमों को ईएम-II के साथ पंजीकृत उद्यम के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2006 से पहले पंजीकृत उद्यमों पर डेटा/सूचना उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, जिन उद्यमों को 2006 के बाद डीआईसी के साथ पंजीकृत किया गया है और ईएम-II प्राप्त किया गया है, उन्हें पंजीकृत उद्यमों की सूची पर पहुंचने के लिए माना गया था।

2.2.6 अपंजीकृत सूक्ष्म उद्यम

वे सभी उद्यम जो 31.03.2010 को जिला उद्योग केंद्रों के साथ विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने / प्रतिपादन करने की गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन स्थायी रूप से पंजीकृत नहीं हैं या उद्यमी ज्ञापन- II (EM-II) प्राप्त किए हैं, उन्हें 'अपंजीकृत उद्यम' कहा जाता है।

2.2.7 क्लस्टर

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अनुसार, एक 'क्लस्टर' को एक पहचान योग्य और जहां तक व्यावहारिक, सन्निहित क्षेत्र में स्थित उद्यमों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है और समान/एक सा उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। एक क्लस्टर की भौगोलिक सीमा एक मोहल्ला, गांव, ब्लॉक आदि का गठन कर सकती है। गांवों, कस्बों या ब्लॉकों का संयोजन और यहां तक कि एक छोटा जिला/केंद्र शासित प्रदेश, यदि कार्यक्रम के तहत आसानी से प्रशासित किया जाता है, तो भी क्लस्टर के रूप में योग्य हो सकता

है।

एक क्लस्टर में उद्यमों की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, ऊर्जा खपत, प्रदूषण नियंत्रण, आदि के तरीकों में समानता या पूरकता;

ii) प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग रणनीतियों/प्रथाओं के समान स्तर;

iii) क्लस्टर के सदस्यों के बीच संचार के लिए चैनल; तथा

iv) सामान्य चुनौतियाँ और अवसर।

2.2.8 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)

एमएसई-सीडीपी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में सामान्य परीक्षण सुविधाएं, डिजाइन केंद्र, उत्पादन/प्रसंस्करण, आम कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मार्केटिंग डिस्प्ले / सेलिंग सेंटर, कॉमन लॉजिस्टिक्स सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर, कोई अन्य जरूरत आधारित सुविधाएं आदि जैसी मूर्त 'परिसंपत्तियों' का निर्माण शामिल है।

2.3 एमएसएम उद्यमों की संस्थागत संरचना

भारत में एमएसएमई समूहों के विकास में शामिल प्रमुख संस्थानों को चित्र 2.1 में संक्षेप में दर्शाया गया है और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को बाद के पैरा में समझाया गया है:

चित्र 2.1 भारत में एमएसएमई के लिए संस्थागत सहायता संरचना

1. संघात्मक स्तर पर

2. लघु उद्योग विकास संगठन (सिडको)

3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

4. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

5. कॉयर बोर्ड

6. उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई)

अन्य

1. उद्योग संघ

2. एनजीओ

3. बैंक/वित्तीय संस्थान

राज्य स्तर पर

1. उद्योग निदेशालय

2. जिला उद्योग केंद्र

3. राज्य वित्तीय निगम

4. राज्य औद्योगिक विकास निगम

5. तकनीकी परामर्श संगठन

6. उद्यमिता विकास संस्थान

चित्र 2.1 एमएसएमई, भारत में संस्थागत सहायता संरचना

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर एनसीआरपीबी अध्ययन

2.3.1 केंद्रीय स्तर

एमएसएमई को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों/संगठनों के माध्यम से किया जाता है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां/विभाग एजेंसियां/संगठन और उनकी संबंधित भूमिकाएं इस प्रकार हैं:

i) विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई):

विशेष सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) [डीसी-एमएसएमई] की अध्यक्षता में विकास आयुक्त, एमएसएमई के कार्यालय की भूमिका, देश में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक शीर्ष निकाय होने के नाते, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। यह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए हिमायत, सहायता और सुविधा के लिए एक एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। यह एमएसएमई-डीआई, क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों, फुटवियर प्रशिक्षण संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, फील्ड परीक्षण स्टेशनों और विशेष संस्थानों के नेटवर्क के द्वारा कार्य करता है। इसके प्रबंधन में 70 से अधिक कार्यालय और 21 स्वायत्त निकाय हैं। इन स्वायत्त निकायों में टूल रूम, प्रशिक्षण संस्थान और परियोजना-सह-प्रक्रिया विकास केंद्र शामिल हैं। डीसी-एमएसएमई का कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र को सेवाओं की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें परीक्षण के लिए सुविधाएं, उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण, परियोजना और उत्पाद प्रोफाइल की तैयारी, तकनीकी और प्रबंधकीय परामर्श, निर्यात के लिए सहायता, प्रदूषण और ऊर्जा लेखा परीक्षा, आदि हैं। डीसी-एमएसएमई का कार्यालय आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करता है और एसएसआई के प्रचार और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देता है। क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में भी काम करते हैं।

ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबी एमएसएमई):

एमएसएमई में विकास कार्यों की विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए और समन्वय और अंतर-संस्थागत संबंधों की सुविधा के लिए, एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एनबी एमएसएमई) के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है। यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। भारत सरकार के एमएसएमई के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हैं और बोर्ड में अन्य, राज्य उद्योग मंत्री, कुछ संसद सदस्य और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उद्योग संघ और क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। नीतिगत मामलों से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने के लिए बोर्ड समय-समय पर बैठक करता है।

iii) कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प):

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए निम्नलिखित सात योजनाओं को लागू कर रहा है:

a) बाबा साहब हस्तशिल्प विकास योजना
b) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन
c) मार्केटिंग सहायता और सेवाएं
d) अनुसंधान और विकास
e) मानव और संसाधन विकास
f) हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना
g) अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना

जबकि बाबा साहेब हस्तशिल्प विकास योजना एक क्लस्टर विशिष्ट योजना है, शेष योजनाएं विशिष्ट हस्तक्षेपों से निपटने वाले समूहों में कटौती करती हैं।

iv) यूनिडो क्लस्टर विकास कार्यक्रम (यूएनआईडीओ-सीडीपी):

भारत में यूनिडो-सीडीपी, क्लस्टरों में फर्मों और संबद्ध संस्थानों के चयनित स्थानीय समुदायों की सहायता करके सतत विकास के लिए छोटे और मध्यम उद्यम समूहों के समग्र प्रदर्शन और सामूहिक दक्षता में योगदान दे रहा है। इसमें चयनित पायलट समूहों में क्लस्टर सहायता पहल के कार्यान्वयन के साथ-साथ क्लस्टर आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के अपने कार्यक्रमों में केंद्रीय और स्थानीय संस्थानों को सहायता शामिल है। यूनिडो-सीडीपी के भागीदार संस्थान हैं:

- विकास आयुक्त (एसएसआई), लघु उद्योग मंत्रालय
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- भारत की कपड़ा समिति, कपड़ा मंत्रालय
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) - यूपीटेक
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)
- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई)
- राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी)
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)

- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

v) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी):

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा और विकसित कर रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। केवीआईसी को कम प्रति व्यक्ति निवेश पर स्थायी ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। केवीआईसी स्फूर्ति योजना के तहत खादी के लिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है।

vi) कपड़ा समिति:

कपड़ा समिति ने कपड़ा क्षेत्र में एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) और क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) शुरू किया है समिति विविध क्षेत्रों जैसे गुणवत्ता निरीक्षण, वाणिज्यिक परीक्षण, कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) परामर्श, सीडीपी, आदि में उभरी है। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन (ईपी और क्यूए), लैबोरेट्रीज, मार्केट रिसर्च डिवीजन, टीक्यूएम डिवीजन, सीडीपी सेल और आईएसडीएस डिवीजन हैं।

vii) कॉयर बोर्ड:

कॉयर बोर्ड कॉयर उद्योग के समग्र सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है और इस पारंपरिक उद्योग में लगे श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार कर रहा है। कयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान और विकास गतिविधियों; नए उत्पादों और डिजाइनों का विकास करना; और भारत और विदेशों में कयर और कयर उत्पादों का मार्केटिंग को शामिल करना शामिल है। यह भूसी, कयर रेशे, कयर सूत के उत्पादकों और कयर उत्पादों के निर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को भी बढ़ावा देता है जिससे उत्पादकों और निर्माताओं आदि को पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित होता है।

2.3.1.1 राष्ट्रीय स्तर की सहायता संस्थाएं

उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करने के लिए, एमओएमएसएमई ने तीन राष्ट्रीय स्तर के

उद्यमिता विकास संस्थान जैसे; हैदराबाद में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), नोएडा में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), और गुवाहाटी में भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), स्वायत्त समाज के रूप में स्थापित किए हैं। (एनआईईएसबीयूडी और आईआईई को मई 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) में स्थानांतरित कर दिया गया है)। एमएसएमई के विकास और संवर्धन में लगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों का विवरण नीचे दिया गया है:

i) **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई):**

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), पूर्व में, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी), क्लस्टर विकास से संबंधित अनुसंधान और परामर्श अध्ययन करता है। संस्थान प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में लगा हुआ है; अनुसंधान और प्रशिक्षण शुरू करना; और एमएसएमई के उद्यमिता विकास और प्रोत्साहन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना, जिसमें उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि शामिल है। यह पूरे भारत में विभिन्न स्फूर्ति समूहों को हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह स्फूर्ति के तहत कयर समूहों को तकनीकी सेवा भी प्रदान करता है।

एनआईएमएसएमई उत्तर प्रदेश एनसीआर के उप-क्षेत्र में कई समूहों के लिए नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रबंधन विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विकास पर कार्यक्रम, व्यवहार्यता सर्वेक्षण और विश्लेषण, आईएएस/आईईएस अधिकारियों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेट के लिए कार्यक्रम और क्लस्टर विकास पर कार्यक्रम आदि जैसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

ii) **राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनईआईएसबीयूडी):**

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एनईआईएसबीयूडी, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन में लगे हुए हैं। संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), आदि शामिल हैं।

एनआईईएसबीयूडी एमएसएमई-क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 24 क्लस्टर्स में काम कर रहा है और स्फूर्ति में डायग्नोस्टिक स्टडीज (डीएसआर), विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(डीपीआर) तैयार करने आदि के लिए काम कर रहा है। इसने नेटवर्किंग और क्षमता निर्माण, तकनीकी मुद्दों, उत्पाद विकास और विविधीकरण और मार्केटिंग प्रचार सहायता के माध्यम से क्लस्टर अभिनेताओं (कारीगरों/उद्यमियों) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और सुधारने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न समूहों में हस्तक्षेप किया है। एनसीआर में, एनआईईएसबीयूडी पांच समूहों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे मेरठ में कैंची क्लस्टर, लोनी में बोनवेयर क्लस्टर, पिलखुवा में टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर और गाजियाबाद में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री क्लस्टर और गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स क्लस्टर। एनआईईएसबीयूडी ने मेरठ में कैंची क्लस्टर और लोनी में बोनवेयर क्लस्टर और पिलखुवा में टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लस्टरों के कारीगरों को क्रेडिट और मार्केटिंग लिंकेज का लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाने के लिए भी संवेदनशील बनाया गया था। यह संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शन-सह-अध्ययन दौरों का आयोजन करता है और कारीगरों को प्रदर्शनियों/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

एनआईईएसबीयूडी ने सीजर्स क्लस्टर्स, मेरठ के एसपीवी सदस्यों को सिंडिकेट बैंक से एक करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा सहित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना के लिए 1.63 करोड़ रुपये के अपने हिस्से की व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान की। उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण से भी जमीन खरीदी है जहां एक सीएफ़सी आवास के लिए भवन और शेड की बुनियादी संरचना का निर्माण किया गया है। पिलाखुवा में टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर में, आधुनिक प्रिंटिंग उपकरण के साथ सीएफ़सी की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संस्थान द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

iii) भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई):

भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) की स्थापना 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा की गई थी। अब, यह 2015 से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियां प्रदान करना है। आईआईई उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और विकसित करता है, अनुसंधान करता है और

उद्यमिता विकास के लिए परामर्श प्रदान करता है और आउटरीच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के संचालन में अन्य संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करता है। यह एमएसएमई/संभावित उद्यमियों को निगरानी सेवा भी प्रदान करता है और प्रतिभागियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाता है।

आईआईई ने छोटे और पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्लस्टर विकास प्रयास शुरू किए हैं। संस्थान क्लस्टर गतिविधियों पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करता है। वर्तमान में, संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ प्रशिक्षण के अलावा परामर्श अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाओं से संबंधित हैं। संस्थान स्फूर्ति के तहत क्लस्टर के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्य योजना तैयार करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है।

iv) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई):

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), वर्धा, महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान केवीआई क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। संस्थान का मुख्य कार्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करके, अनुसंधान एवं विकास के विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी के प्रसार के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के तहत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सुधार करना है।

v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी):

एनएसआईसी, एमएसएमई मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का आयोजन करके और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में भागीदारी, घरेलू प्रदर्शनियों का आयोजन और भारत में प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, गहन अभियान चलाना और मार्केटिंग संवर्धन कार्यक्रम आदि आयोजित करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मार्केटिंग सहायता प्रदान करता रहा है।

बैंक ऋण सुविधा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एनएसआईसी बिना किसी लागत के एमएसएमई को बैंकों से ऋण सहायता की व्यवस्था करता है। एमएसएमई एनएसआईसी के पैनल में शामिल क्रिसिल, आईसीआरए आदि जैसी स्वतंत्र, प्रसिद्ध और पेशेवर रेटिंग

एजेंसियों के माध्यम से रेटिंग प्राप्त करके व्यापार और प्रौद्योगिकियों के मामले में अपनी क्षमता को अपग्रेड कर सकते हैं।

एनएसआईसी कच्चे माल की सहायता योजना के माध्यम से, कच्चे माल (स्वदेशी और आयातित दोनों) को खरीदने के लिए वित्तपोषण के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की मदद करता है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। यह कच्चे माल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, थोक खरीद, नकद छूट आदि जैसी खरीद के अर्थशास्त्र का लाभ उठाने में मदद करता है और सभी प्रक्रियाओं, प्रलेखन का ध्यान रखता है। यह आयात के मामले में साख पत्र भी जारी करता है।

vi) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड):

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के तहत नाबार्ड ने 50 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है. इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन/हस्तांतरण, कच्चे माल की पहुंच, कौशल विकास, प्रबंधकीय आदानों, ऋण और बाजार सहयोग के माध्यम से स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की दिशा में मौजूदा समूहों को मजबूत करना है।

2.3.1.2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। यूनिडो का मिशन विकासशील देशों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (आईएसआईडी) को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना है।

यूएनआईडीओ की गतिविधियों में कई व्यक्तिगत कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें यूएनआईडीओ के चार सक्षम कार्यों के माध्यम से प्रभावी परिणाम और प्रभाव प्राप्त करने के लिए समग्र तरीके: जैसे (i) तकनीकी सहयोग; (ii) विश्लेषणात्मक और अनुसंधान कार्य और नीति सलाहकार सेवाएं; (iii) मानक कार्य, मानक और गुणवत्ता संबंधी गतिविधियां; और (iv) ज्ञान हस्तांतरण, नेटवर्किंग और औद्योगिक सहयोग के लिए साझेदारी के आयोजन से कार्यान्वित किया जाता है।

भारत में यूनिडो की तकनीकी सहयोग सेवाओं के मूल तत्व मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति प्राथमिकताओं और विकास रणनीतियों के अनुरूप अपनी गतिविधियों को लागू करना है। यूनिडो देश कार्यक्रम यूनिडो द्वारा विकास हस्तक्षेपों के एक

पोर्टफोलियो के रूप में कार्य करता है, जो सतत औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यूनिडो ने मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर में एक प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केंद्र शुरू किया है जो खेल के सामान उद्यमों में नए डिजाइन और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के विकास में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

2.3.1.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं/पहल

i. सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

एमएसई-सीडीपी को एमओएमएसएमई द्वारा सॉफ्ट इंटरवेंशन (जैसे नैदानिक अध्ययन, क्षमता निर्माण, मार्केटिंग विकास, निर्यात प्रोत्साहन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कार्यशालाओं का आयोजन, सेमिनार, प्रशिक्षण, अध्ययन दौरे, एक्सपोजर विजिट, आदि), कठिन हस्तक्षेप (सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना) और बुनियादी ढांचे का उन्नयन (नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/एमएसई के समूहों में ढांचागत सुविधाओं का निर्माण/उन्नयन)। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

➢ नैदानिक अध्ययन	:	अधिकतम लागत 2.50 लाख रुपये
➢ सॉफ्ट इंटरवेंशन	:	परियोजना की अधिकतम लागत 25.00 लाख रुपये है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 75% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% और महिलाओं/सूक्ष्म/गाँव/एससी/एसटी इकाइयों वाले समूहों के लिए 50% से अधिक) है।
➢ हार्ड इंटरवेंशन	:	यानी सीएफ़सी की स्थापना - परियोजना की अधिकतम लागत 15.00 लाख रुपये है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 70% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% और महिलाओं/सूक्ष्म/गाँव/एससी/एसटी इकाइयों वाले समूहों के लिए 50% से अधिक) है।
➢ बुनियादी ढांचे का विकास	:	नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्रों में। परियोजना की अधिकतम लागत 10.00 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% और महिलाओं/सूक्ष्म/गाँव/एससी/एसटी इकाइयों वाले समूहों के लिए 50% से अधिक) है।

स्रोत: *www.dcmsme.gov.in/mse-cdprog.htm*

शेष राशि को सिडबी/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से इक्विटी के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है।

ii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएमएसई)

बैंक ऋण प्राप्त करने में एमएसई की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में सीजीएमएसई की शुरुआत की गई थी। मौजूदा और नए दोनों उद्यम इस योजना के लिए पात्र हैं। एमएसएमई मंत्रालय और

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सीजीएमएसई योजना को लागू करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की है।

ऋण सुविधाएं जो इस योजना के तहत कवर किए जाने के लिए योग्य हैं, वे हैं मीयादी ऋण और/या कार्यशील पूंजी सुविधा, प्रति उधार लेने वाली इकाई के लिए 100 लाख रुपये तक, बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के, नए या मौजूदा माइक्रो और लघु उद्यम को दी गई है। गारंटी योजना के तहत कवर की गई उन इकाइयों के लिए, जो प्रबंधन के नियंत्रण से परे कारकों के कारण बंद हो सकती हैं, ऋणदाता द्वारा दी गई पुनर्वास सहायता को भी गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है। कोई भी ऋण सुविधा जिसके संबंध में किसी योजना के अंतर्गत जोखिम है अतिरिक्त रूप से कवर किए जाते हैं, सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित, योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना के तहत गारंटी कवर सावधि ऋण/समग्र ऋण की सहमत अवधि के लिए है। कार्यशील पूंजी के मामले में, गारंटी कवर 5 साल या 5 साल के ब्लॉक का है।

इस योजना में पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रति उधार लेने वाली इकाई के लिए 100 लाख रुपये तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी) शामिल है। 50 लाख रुपये से अधिक और 100 लाख रुपये तक के क्रेडिट एक्सपोजर के 50% पर एक समान गारंटी के साथ प्रदान किया गया गारंटी कवर 50 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधा का 75% (सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किए गए 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85%, महिलाओं के स्वामित्व वाले / संचालित एमएसई के लिए 80% और एनईआर को सभी ऋण) तक है। स्वीकृत क्रेडिट सुविधा के 1.0% की समग्र वार्षिक गारंटी शुल्क (5 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधा के लिए 0.75% और 5 लाख रुपये से अधिक के लिए 0.85% और सिक्किम सहित एनईआर में महिला, सूक्ष्म उद्यमों और इकाइयों के लिए 100 लाख तक) का शुल्क लिया जा रहा है। चूक के मामले में, ट्रस्ट ऋणदाता संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा के चूक में राशि के 75% (या 85% / 80% / 50% जहाँ भी लागू हो) तक के दावे का निपटान करता है। इस प्रयोजन के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से राशि की गणना उधारकर्ता के खाते में बकाया मूल राशि के रूप में की जाती है, सावधि ऋण के संबंध में और बकाया कार्यशील पूंजी सुविधाओं की राशि, ब्याज सहित, खाते की गैर-निष्पादित संपत्ति के चालू होने की तिथि के अनुसार (एनपीए) की जाती है।

iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की है, जो दो योजनाओं को मिलाकर मार्च, 2008 तक चल रही थी, अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी),

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना। पीएमईजीपी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य स्तर पर, इसे राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से लागू किया जाना है। योजना के तहत सरकारी सब्सिडी केवीआईसी द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों को उनके बैंक खातों में वितरण के लिए भेजी जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी को प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थानों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)/उद्यमी मित्र राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) के तहत सूचीबद्ध, पंचायती राज संस्थानों और अन्य संबंधित निकायों को योजना के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से क्षेत्र विशिष्ट व्यवहार्य परियोजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के क्षेत्र में, और उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति और वित्त पोषण के स्तर निम्नानुसार हैं:

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां	**लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का)**	**सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)**	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
➢ सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग आदि सहित)	05%	25%	35%

नोट: *(1)* निर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत *25* लाख रुपये है।

(2) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत *10* लाख रुपये है।

(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

हाल ही में, पीएमईजीपी के दायरे का विस्तार करने के लिए पीएमईजीपी दिशानिर्देशों की नकारात्मक सूची को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अब निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति दी गई है:

- उद्योग जैसे पश्मीना ऊन का प्रसंस्करण और अन्य उत्पाद जैसे हाथ से कताई और हाथ की बुनाई।
- सभी ग्रामीण और शहरी परिवहन गतिविधियाँ।

- चाय, कॉफी, रबर आदि रेशम उत्पादन, बागवानी, फूलों की खेती के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद।

प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक नोडल शाखा की अवधारणा को लागू करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पीएमईजीपी के तहत बैंकों की सभी नोडल शाखाओं को फंड के प्रवाह की निगरानी के लिए पीएफएमएस (योजना वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के तहत केंद्रीय योजना योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के माध्यम से जोड़ा गया है। नोडल शाखाओं द्वारा सीधे डेटाबेस का नियमित अद्यतन किया जा रहा है।

पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ पीएमईजीपी लाभार्थियों का डेटा बेस बनाने के लिए पीएमईजीपी अनुप्रयोगों की ई-ट्रैकिंग शुरू की गई है। पीएमईजीपी और आरईजीपी इकाइयों को उद्यमिता ज्ञापन (ईएम -I) दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाया गया है - औद्योगिक भूमि के लिए आवेदन, ऋण के लिए आवेदन, प्रदूषण निकासी आदि ताकि उद्यमी मंत्रालय के ईएम-I के तहत लाभ प्राप्त कर सकें। एमएसएमई। केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत आरएसईटीआई / रुडसेटी के प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

iv. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)

तकनीकी उन्नयन की सुविधा के लिए, भारत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) शुरू की है और इसे लागू कर रही है। यह योजना विनिर्माण में लगे नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर लागू है। इस योजना के तहत अच्छी तरह से स्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 15% अग्रिम पूंजी सब्सिडी (अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपये तक का निवेश) की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित मशीनरी/प्रौद्योगिकी वाले लगभग 51 उप-क्षेत्रों/उत्पादों को शामिल किया गया है।

वर्तमान में, यह योजना 12 नोडल बैंकों/एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जा रही है और साथ ही नोडल बैंकों सिडबी और नाबार्ड के अंतर्गत बड़ी संख्या में सहयोजित पीएलआई के साथ भी संचालित की जा रही है। पात्र लाभार्थी उद्यमों को योजना के तहत अनुमोदित मशीनरी/प्रौद्योगिकियां खरीदने के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करना है।

v. पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)

पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने स्फूर्ति के तहत पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के

लिए एक कोष की स्थापना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए सहायता प्रदान की जा सके। और पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए उत्पादों, डिजाइन हस्तक्षेप और बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सहयोग प्रदान करके ऐसे समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर रोजगार प्रदान करती है। एक अन्य उद्देश्य संबंधित समूहों के पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण और एक्सपोजर यात्राओं के माध्यम से बेहतर कौशल और क्षमताओं से लैस करना और सामूहिक सुविधाओं और कारीगरों के लिए बेहतर उपकरण और उपकरणों का प्रावधान करना है ताकि क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम को हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ मजबूत किया जा सके। ताकि वे उभरती चुनौतियों और अवसरों का आकलन कर सकें और सुसंगत तरीके से उनका जवाब दे सकें। क्लस्टर के लिए फंडिंग परियोजना के आकार और पैमाने के आधार पर 1.5 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये तक होती है। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन विकास, आदि सहित सॉफ्ट इंटरवेंशन के वित्तपोषण के प्रावधान हैं और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, रॉ मैटेरियल बैंक्स (आरएमबी), ट्रेनिंग सेंटर्स आदि सहित हार्ड इंटरवेंशन और क्रॉस कटिंग थीमैटिक इंटरवेंशन शामिल हैं।

जिसमें ब्रांड निर्माण और प्रचार, समाचार मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास पहल और समूहों के बीच संबंध विकसित करना शामिल है।

अन्य योजनाएं/पहल

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, कई अन्य योजनाएं/पहलें हैं जिन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं/पहलों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

- प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना
- मार्केटिंग सहायता योजना
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना
- प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना
- सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान
- बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)
- कयर विकास योजना
- कयर उद्यमी योजना
- कयर एस एंड टी योजना (योजना एस एंड टी)

कुछ योजनाएं/कार्यक्रम/पहल हैं जो विकास आयुक्त एमएसएमई द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, उन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

- डिजाइन क्लिनिक योजना (एनएमसीपी के तहत)

- लीन मैन्युफैक्चरिंग (एनएमसीपी के तहत)
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमसीपी के तहत)
- बौद्धिक संपदा अधिकार
- ऊष्मायन
- बार कोड योजना (एमडीए के तहत)
- मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना
- जेड परिपक्वता मॉडल: गुणवत्ता प्रबंधन मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण (क्यूटीटी) - एनएमसीपी के तहत
- महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रेड)
- मार्केटिंग सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (एमएटीयू)
- प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)
- एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसीएस)
- एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता

हाल ही में, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ पहल की है। इन पहलों में, नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर); प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम; संशोधित कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) और कयर विकास योजना (सीवीवाई); उद्योग आधार: उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया में आसानी के लिए; एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी, कॉयर बोर्ड और नि-एमएसएमई में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ); जिला उद्योग प्रोफाइल तैयार करना; एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए कौशल मानचित्रण और ढांचा शामिल हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, विभिन्न अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों ने क्षेत्र विशिष्ट एमएसएमई और घरेलू उद्यमों के उन्नयन और विकास के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम/पहल शुरू की हैं। ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों की एक विस्तृत सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

2.3.2 राज्य स्तरीय संस्थागत तंत्र

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने और लागू करने के लिए, एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों ने बुनियादी ढांचे, वित्तीय सहायता, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास, मार्केटिंग सहायता आदि सहित एमएसएमई के समग्र विकास के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं तैयार की हैं। इसमें शामिल विभाग और संस्थान और एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों में एमएसएमई के विकास के लिए जिम्मेदार उद्योग विभाग / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केंद्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य

वित्तीय निगम, तकनीकी परामर्श संगठन और उद्यमिता विकास संस्थान शामिल हैं। उप-क्षेत्रवार विवरण जैसे भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों और उनके मौजूदा संस्थागत तंत्र द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

I. एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र

उद्योग विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति (2010-2021)' तैयार की। नीति के अनुसार, उद्योग विभाग दिल्ली में उद्योगों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है। चूंकि दिल्ली का जोर दिल्ली में आधुनिक हाई-टेक, परिष्कृत निर्यात-उन्मुख लघु उद्योगों के साथ-साथ उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर है जो भूमि, पानी और बिजली जैसे अपने अल्प संसाधनों का विस्तार नहीं करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी लघु इकाई की स्थापना के लिए पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक छोटे पैमाने की इकाई की स्थापना स्थानीय प्रतिबंधों के अधीन है क्योंकि इन्हें केवल अनुरूप क्षेत्रों में ही स्थापित किया जा सकता है। आवासीय क्षेत्रों में भी घरेलू उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एमएसएमई के विकास के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। हालांकि, दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति (2010-2021), उद्योग विभाग और एनसीटी दिल्ली सरकार ने एनसीटी दिल्ली में उद्योगों/उद्यमों के विकास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार किया है।

हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी

i) दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति (2010-2021) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी निर्माण उद्यमों के विकास के लिए प्रावधान प्रदान करती है। यह ध्यान में रखते हुए कि ये दिल्ली की पारंपरिक औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, नीति में प्राचीन शिल्प के संरक्षण और डिजाइन और उत्पादन की आधुनिक तकनीकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

ii) केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के पास इस उद्योग का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रम हैं जिनमें हथकरघा द्वारा निर्मित कुछ प्रकार के कपड़े का आरक्षण, मास्टर कारीगरों के लिए पुरस्कार और समय - समय पर सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और दिल्ली वित्तीय निगम द्वारा निष्पादित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता शामिल है।

iii) फैशन और इंटीरियर डिजाइन उद्योग में उपयोग के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी क्षेत्र में दिल्ली की मौजूदा शक्ति का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, फैशन डिजाइन उद्योग के साथ संबंध बनाना और अधिक आक्रामक मार्केटिंग रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है।

कौशल विकास

(i) कम कुशल गतिविधियों में लगी मौजूदा इकाइयों को ज्ञान आधारित उद्योगों से ग्रेजुएट करने की जरूरत है। रेडीमेड गारमेंट जैसे क्षेत्रों को तकनीकी प्रगति के कारण उद्योग की बदलती मांगों को पूरा करने में सक्षम कुशल कर्मचारी की जरुरत होती है। यह महत्वपूर्ण है कि मौजूदा कर्मचारी को बेहतर तकनीक को संभालने में सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट कौशल विकास और ब्रिज कोर्स विकसित किए जाने चाहिए।

(ii) दिल्ली में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) नोडल निकाय होगा।

(iii) दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन (डीकेडीएफ) औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है

(iv) दिल्ली कौशल मिशन को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली स्किल मिशन सोसाइटी (डीएसएमएस) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो युवाओं (स्कूल छोड़ने), अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों के कौशल के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कई संस्थानों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा।

क्लस्टर विकास

(i) दिल्ली में, इसके औद्योगिक क्षेत्रों में क्लस्टर दृष्टिकोण शुरू हुआ, जिसमें उद्यमों को भूमि आवंटित की जा रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विशेष क्षेत्र की इकाइयां एक साथ स्थित होंगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों में भी 'क्लस्टर दृष्टिकोण' का पालन करने की परिकल्पना की गई है। यह समर्पित औद्योगिक पार्क बनाकर, औद्योगिक क्षेत्रों में चिन्हित क्षेत्रों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की पेशकश के माध्यम से किया जाना है।

(ii) औद्योगिक नीति में इलेक्ट्रॉनिक और लाइट इंजीनियरिंग पार्क/एसईजेड, फैशन प्रौद्योगिकी और डिजाइन पार्क और रत्न और आभूषण एसईजेड के विकास की परिकल्पना की गई है।

(iii) दिल्ली के लिए सुझाए जा रहे फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइन पार्क के साथ उद्योग का भी मजबूत संबंध होगा। इसके अलावा, यह उद्योग स्वच्छ होता है और इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है।

(iv) रत्न और आभूषण और सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातोन्मुख क्षेत्र हैं और डीएसआईआईडीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में बापरोला में दो क्षेत्र विशिष्ट सेज स्थापित कर रहा है।

औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन

(i) नीति ने माना कि स्वच्छ औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का प्रभावी संचालन और रखरखाव और सुरक्षित अपशिष्ट निपटान महत्वपूर्ण है। हालांकि, निपटान के

लिए निर्धारित क्षेत्रों की कमी है और सीईटीपी के डिजाइन और संचालन से संबंधित मुद्दे भी हैं

(ii) पानी बचाने के लिए, दोहरी पाइपिंग प्रणाली स्थापित करने के विकल्प का पता लगाया जा सकता है जहां औद्योगिक क्षेत्रों (भविष्य और मौजूदा) में अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है

संस्थागत तंत्र

एनसीटी दिल्ली में, अधिकांश नियोजित औद्योगिक सम्पदा और फ्लैट कॉम्प्लेक्स डीडीए द्वारा विकसित किए गए हैं और एमसीडी के माध्यम से बनाए रखा गया है। डीएसआईआईडीसी सभी औद्योगिक सम्पदाओं, नियमित औद्योगिक क्षेत्रों, सामुदायिक कार्य केंद्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों और फ्लैट परिसरों के विकास और प्रबंधन के लिए प्रबंधन करता है और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है। डीएसआईआईडीसी संचालन और रखरखाव अनुबंध या पुनर्विकास के माध्यम से सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के तहत औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल निकाय होगा। एनसीटी दिल्ली में औद्योगिक गतिविधियों और कौशल विकास के विकास में शामिल विभाग और एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

i) उद्योग विभाग
ii) दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)
iii) दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
iv) दिल्ली वित्तीय निगम
v) टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र
vi) हाई-टेक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर
vii) दिल्ली नगर निगम
viii) दिल्ली जल बोर्ड
ix) प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई)
x) दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन (डीकेडीएफ)
xi) दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग
xii) स्व-रोजगार के लिए सोसायटी

II. हरियाणा उप-क्षेत्र

हरियाणा सरकार ने माना कि जीवंत एमएसएमई क्षेत्र राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवेश, विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है और तदनुसार, उद्यम प्रोत्साहन नीति,

2015 में एमएसएमई का सहयोग करने के लिए कई हस्तक्षेपों की परिकल्पना की गई है। उक्त नीति में विनिर्माण उद्यमों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

क्लस्टर विकास

हरियाणा में, विकास/सहायता के लिए 20 से अधिक समूहों की पहचान की गई है, जिसमें 6,000 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं। राज्य के प्रमुख समूहों में गुरुग्राम (चमड़े और रेडीमेड वस्त्र), फरीदाबाद (लाइट इंजीनियरिंग), मानेसर (ऑटो कॉम्पोनेन्ट), करनाल (मुद्रण और पैकेजिंग, कृषि-उपकरण और फार्मास्यूटिकल्स), पानीपत (कपड़ा मशीनरी), यमुनानगर (इंजीनियरिंग और प्लाईवुड), कुंडली (स्टेनलेस स्टील), जगाधरी (धातु), आदि शामिल हैं।

i. **राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजना** - यह योजना मौजूदा इकाइयों के एक समूह के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाने के लिए तैयार की गई है जिसमें **90%** राज्य योगदान और **10%** एसपीवी योगदान के साथ **2** करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए फंडिंग पैटर्न है।

ii. **प्रोत्साहन के नेतृत्व में भौगोलिक फैलाव-** उद्योग के भौगोलिक फैलाव को बढ़ावा देने के लिए, पूरे राज्य को औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर विकास खंडों की चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये चार श्रेणियां हैं - विकसित (**A),** इंटरमीडिएट (**B),** पिछड़ा (**C),** और सबसे पिछड़ा (**D)** ब्लॉक। प्रोत्साहन की श्रेणी, अर्थात् वैट छूट, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क वापसी, आदि बी, सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, राज्य में उत्पादित कच्चे माल का उपयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्रों/फोकस समूहों यानी कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

iii. **ग्रामीण कार्यात्मक क्लस्टर-** ऐसे समूह जो परिधान और फुटवियर निर्माण से संबंधित हैं उनका बी, सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में कृषि क्षेत्र में सीएलयू के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास कोष, अनुमति के माध्यम से पंचायत भूमि, **24X7** बिजली आपूर्ति, कम बिजली शुल्क, रोजगार सृजन सब्सिडी और लास्ट मील कनेक्टिविटी पर लीज के आधार पर फ्लैट फैक्टरी परिसरों के माध्यम से मदद किया जा रहा है ।

इसके अलावा, जिला उद्योग केंद्रों को मजबूत किया जाएगा और उद्यम सहायता समूह के रूप में फिर से स्थापित किया जाएगा ताकि एमएसएमई को मुद्रा बैंक से वित्त पोषण, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ट्रिगर की पहचान करने और सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करने आदि सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। इन समूहों को वित्त, मार्केटिंग, संचालन आदि में विशेषज्ञता प्राप्त पेशेवरों/सलाहकारों द्वारा उपयुक्त रूप से मजबूत किया जाएगा। उद्योग

निदेशालय एमएसएमई मंत्रालय और एमएसएमई के साथ प्रभावी इंटरफेस के लिए एमएसएमई के लिए एक समर्पित सेल स्थापित करेगा।

हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों और निवेशों को मान्यता दी जिन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग- हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि राज्य है जहां रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए अनुकूल मौसम की स्थिति है। इसने खाद्य उत्पादन और दुग्ध उत्पादों में आत्मनिर्भरता का दर्जा हासिल किया है। हरियाणा देश का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। एनसीआर के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में से एक के निकट होने के कारण राज्य को स्थानीय लाभ प्राप्त है। साथ ही, राज्य में कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की अपार संभावनाएं हैं।

   पानीपत शहर अपने हथकरघा उत्पादों, साज-सज्जा के कपड़े, टेरी-तौलिये और कंबल के लिए प्रसिद्ध है। अन्य कपड़ा आधारित उद्योगों के अलावा लगभग 125 कालीन निर्माण इकाइयाँ, 400 रंगाई इकाइयाँ, 42 ओपन एंड इकाइयाँ, 20-25 कंबल निर्माण इकाइयाँ और 250 नकली यार्न निर्माण इकाइयाँ, 4000 शटल-लेस लूम और 8000 पावरलूम इकाइयाँ हैं। भारत सरकार ने पानीपत में एक एकीकृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है जो निजी उद्यमियों के एक समूह द्वारा वहन किए जाने वाले लगभग 140 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा।

   गुरुग्राम रेडीमेड कपड़ों के निर्माण के हब के रूप में उभरा है। एशिया में रेडीमेड गारमेंट्स के कुछ सबसे बड़े निर्माताओं की विनिर्माण सुविधाएं गुरुग्राम में हैं। गुरुग्राम में लगभग 300 रेडीमेड परिधान इकाइयाँ, 4 बुनाई इकाइयाँ जिनमें 50 से अधिक पावर लूम हैं, लगभग 15 प्रोसेस हाउस और 50 होजरी इकाइयाँ हैं। इसी तरह, फरीदाबाद भी राज्य में कपड़ा प्रसंस्करण उद्योग के केंद्र के रूप में उभरा है। 70- 80 रंगाई/मुद्रण इकाइयां, 10 होजरी इकाइयां, 10 -15 इकाइयां रेडीमेड वस्त्र (निर्यात इकाइयां) और लगभग 100 डेनिम धोने और रंगाई इकाइयां हैं।

   पानीपत में एक टेक्सटाइल इनक्यूबेशन सेंटर को पहले ही कपड़ा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। एचएसआईआईडीसी ने पानीपत में लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए एसआईटीपी योजना के तहत एक आवेदन दायर किया है। हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन सेंटर भी

विकसित किया जा रहा है।

ii. **फुटवियर और सहायक उपकरण-** फुटवियर क्षेत्र श्रम प्रधान है और राज्य में लाभकारी रोजगार प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बहादुरगढ़ में गैर-चमड़े के फुटवियर इकाइयों की उच्च सांद्रता वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम शामिल हैं। एमएसई-सीडीपी योजना के तहत एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किया जा रहा है। लिबर्टी, एक्शन, रिलैक्सो, लांसर, टुडे, कोलंबस, एरोबैक और वेलकम जैसे सभी प्रमुख ब्रांड/कंपनियां हरियाणा में स्थित हैं। करनाल सिटी लगभग **50,000** श्रमिकों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) को रोजगार देने वाले फुटवियर उत्पादन का केंद्र है। फुटवियर फैशन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और फुटवियर प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से करनाल में एक फुटवियर हब स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन जैसे बिजली टैरिफ सब्सिडी @ 2 रुपये प्रति यूनिट, ब्याज सब्सिडी @ 6%, वैट पर निवेश सब्सिडी @ 50% - 75%, 500 रुपये से ऊपर के फुटवियर पर वैट में कमी, 80% -100% स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड और श्रेणियों के लिए बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी), आदि से 50% छूट प्रदान किए गए हैं।

राज्य सरकार अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, थ्रस्ट सेक्टर्स, ग्रामीण कार्यात्मक समूहों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर रही है।

iii. **वैट/एसजीएसटी के एवज में निवेश सब्सिडी-** हालांकि, सूक्ष्म, लघु, बड़ी और मेगा परियोजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन की मात्रा को अलग-अलग किया गया है, प्राथमिक सिद्धांत के बाद लेनदेन लागत को कम करने के लिए ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से भुगतान किए गए शुद्ध वैट/एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी प्रदान करना है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, राज्य सरकार राज्य जीएसटी घटक के उचित प्रतिशत की प्रतिपूर्ति द्वारा जीएसटी शासन में भी यह सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी। अनुमान है कि **8-10** वर्षों के लिए भुगतान किए गए वैट/एसजीएसटी नेट का **50% - 75%** की दर से सालाना **200** करोड़ रुपये की यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

iv. **ब्याज सब्सिडी**- यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, उच्च पूंजी लागत को वहन करने में असमर्थता के कारण स्थापना / विस्तार / आधुनिकीकरण करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसलिए, ब्याज सब्सिडी इन इकाइयों को आकार में बढ़ने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मुख्य रूप से एक उपकरण के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक को शामिल करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।.

रोजगार सृजन सब्सिडी के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अत्यधिक रोजगार उन्मुख होने के कारण, एमएसएमई को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान करके केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्पादों के लिए बाजार बनाने के लिए, बाजार विकास सहायता, ब्रांड निर्माण सहायता और खरीद नीति में 20% आरक्षण के संबंध में वित्तीय सहायता के प्रावधान की आवश्यकता महसूस की गई है।

जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की इस अवधारणा को अपनाने के लिए, हरियाणा सरकार गुणवत्ता प्रमाणन, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, पेटेंट पंजीकरण, प्रत्येक प्रकार के लिए अधिकतम 50% की सीमा तक परीक्षण उपकरण और पर्यावरण अनुपालन के लिए 50% की दर से प्रौद्योगिकी उन्नयन और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी।

संस्थागत तंत्र

हरियाणा उप-क्षेत्र में उद्योगों/उद्यमों के विकास में शामिल विभाग और एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

i) जिला उद्योग केंद्र
ii) हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी)।
iii) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी)
iv) हरियाणा वित्तीय निगम लिमिटेड
v) जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
vi) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
vii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
viii) एमएसएमई - विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), करनाल, एमएसएमई मंत्रालय

III. उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

उत्तर प्रदेश सरकार, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति -2012 के अनुसार, लघु उद्योग विभाग को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के रूप में फिर से नामित किया गया है। एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रोजगार सृजन, राज्य सरकार इस क्षेत्र को भारी उद्योगों के अनुरूप संतुलित तरीके से पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किया जाएगा।

i) नीति के तहत, मेमोरेंडम- I या मेमोरेंडम- II के धारकों को केंद्र सरकार की योजनाओं, जैसे क्लस्टर डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ASIDE, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, स्थापना की योजना का अधिकतम लाभ, प्रदूषण निवारण संयंत्र, बौद्धिक संपदा अधिकारों और भौगोलिक संकेतकों का पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी, मार्केटिंग सहायता, कौशल विकास, प्रबंधन विकास, बार कोडिंग आदि प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उद्योग निदेशालय में एक विशेष सेल बनाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिसे हर योजना के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

ii) हस्तशिल्प कारीगरों के कौशल में सुधार किया जाएगा और उन्हें नए डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य योजना के तहत हस्तशिल्प उत्पादों का बिक्री मूल्य उचित मूल्यांकन के बाद निर्धारित किया जाएगा और उन्हें कमीशन के आधार पर बेचा जाएगा। इस योजना के तहत, कारीगरों को उनके उत्पादित माल के अनुपात में अग्रिम राशि प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा ताकि उन्हें कार्यशील पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े।

iii) कारीगरों को विभिन्न किरायों में भाग लेने के लिए स्टालों के किराए के शुल्क की प्रतिपूर्ति करके और उनके प्रदर्शनों को इस तरह के प्रदर्शनों तक पहुँचाने में सहायता प्रदान की जाएगी। इससे हस्तशिल्प कारीगर आसानी से अपने उत्पादों का मार्केटिंग कर सकेंगे।

iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास के लिए उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना एवं ऐसी ही अन्य योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

v) ज्ञापन-I की प्राप्ति के बाद, उद्योग से संबंधित सिफारिशें और संबंधित विभागों की स्वीकृति साप्ताहिक आधार पर एकल तालिका प्रणाली के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर जारी की जाएगी और सभी ज्ञापन- I की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। इसी प्रकार ज्ञापन-II प्राप्त करने वाली इकाईयों की समस्याओं का निराकरण, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

vi) एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

vii) गैर-प्रदूषणकारी सूक्ष्म और लघु उद्यम, जो भवनों के रूप को विकृत या नुकसान पहुंचाए बिना संचालित होते हैं और जो भूमि, जल और वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, उन्हें आवासीय क्षेत्रों में

चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण विभाग लघु उद्योग विभाग के परामर्श से ऐसे गैर प्रदूषणकारी उद्यमों की सूची घोषित करेगा।

viii) ऐसे उद्यम, जो प्रदूषण नहीं कर रहे हैं और जो इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें भी बहुमंजिला अपार्टमेंट में अनुमति दी जाएगी। आवासीय अपार्टमेंट के मामले में, औद्योगिक भवनों की बिक्री और किराए के लिए नियम बनाए जाएंगे। ऐसे भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण उपनियमों/विनियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

संस्थागत तंत्र

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में उद्योगों/उद्यमों और कौशल विकास के विकास में शामिल विभाग और एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

i) जिला उद्योग केंद्र
ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
iii) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
iv) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (क्षेत्रीय कार्यालय)
v) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम
vi) जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
vii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
viii) एमएसएमई - विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), आगरा, एमएसएमई मंत्रालय

IV. राजस्थान उप-क्षेत्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति, 2015 तैयार की है। उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार राज्य में एमएसएमई के विकास के लिए नोडल विभाग जिम्मेदार है।

i. राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति-2015 में शामिल प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:
   - व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को सुव्यवस्थित करना
   - सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाना
   - नए निवेशकों को मार्गदर्शन और मौजूदा निवेशकों को सहायता देने के लिए सुविधा तंत्र स्थापित करना

- निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करना
- नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण
- उद्योग के लिए समयबद्ध आवंटन या भूमि का परिवर्तन
- निजी औद्योगिक पार्कों और एमएसएमई समूहों को प्रोत्साहन
- हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी सहित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना
- क्रेडिट/पूंजी जुटाने या प्राप्त करने के लिए एसएमई को सुविधा देना
- बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करना
- प्लग एंड प्ले सुविधाओं और इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के माध्यम से स्टार्ट-अप और उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देना
- एमएसएमई को मार्केटिंग सहायता करना
- गुणवत्ता सुधार और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना
- पर्यावरण संरक्षण और जल तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना
- पर्याप्त कर्मचारी प्रदान करने के लिए केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम
- खराब इकाइयों को पुनरुद्धार के प्रयासों में सहायता करना
- एमएसएमई सरकारी सहायता एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण
- सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने वाले एमएसएमई को मान्यता और प्रोत्साहन

ii. नीति में तकनीकी उन्नयन और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है, ताकि उन्हें एमएसएमई से संबंधित सभी सुविधाएं जैसे भूमि, बिजली / पानी कनेक्शन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी, श्रम / कारखाने और बॉयलर विभाग / वैट पंजीकरण एकल खिड़की प्रणाली और ऑनलाइन अनुमोदन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ई-सक्षम केंद्रों की सुविधा के रूप में पुनर्गठित किया जा सके।

iii. निवेश के अवसरों, उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया, आवश्यक अनुमोदन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन, दस्तावेजीकरण, क्रेडिट संस्थानों तक पहुंच और सहायता के संदर्भ में नए निवेशकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय एमएसएमई सुविधा केंद्र की स्थापना पंजीकरण और आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना।

iv. राज्य सरकार एमएसएमई के विकास के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगी। रणनीति और दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित करना और उत्पादन केंद्र बनाने के उद्देश्य से स्थानीय संसाधनों का अनुकूलन करना होगा ताकि उत्पादन या सेवा केंद्र बन सकें ताकि समग्र लाभ के लिए पैमाने

की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हो सके। हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी, रत्न और आभूषण, कृषि-आधारित / खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, कपड़ा और परिधान, पत्थर, चीनी मिट्टी और कांच, मिट्टी के बर्तन, लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कॉम्पोनेन्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) जैसे क्षेत्र। विशेष रूप से कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए समूहों में विकास के लिए आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस), आदि को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

v. राज्य सरकार खादी, हथकरघा और शिल्प क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन और कारीगरों और बुनकरों की कमाई के अवसरों को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करेगी। हस्तक्षेपों में डिजाइन विकास, नवाचार, उत्पाद विकास, कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सहायता और समकालीन उपयोग के लिए इन हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न अन्य साधन शामिल होंगे।

vi. राजस्थान सरकार वित्तीय संस्थानों से एमएसएमई को क्रेडिट एक्सेस और सहायता प्रदान करेगी। राजस्थान वित्तीय निगम एमएसएमई को आसान शर्तों और ऋण योजना पर ऋण प्रदान करेगा।

vii. एमएसएमई के लिए अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करने और विक्रेताओं और एंकर इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, एमएसएमई के लिए मार्केटिंग कार्यक्रम जैसे खरीदार-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले और प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी और एमएसएमई को स्टॉल स्थापित करने और ऐसे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख क्षेत्र- राजस्थान एमएसएमई नीति, 2015 के तहत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के लिए विशिष्ट लाभ दिए गए हैं:

(i) सिरेमिक और ग्लास सेक्टर:- कम से कम 5 करोड़ रुपये के निवेश पर - 50% निवेश सब्सिडी और 10 साल के लिए वैट और सीएसटी की 10% तक रोजगार सृजन सब्सिडी।

(ii) डेयरी क्षेत्र:- 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के लिए **-** 50% निवेश सब्सिडी और 10 साल के लिए वैट और सीएसटी की 10% तक रोजगार सृजन सब्सिडी**,** नए प्लांट को लगाने या मौजूदा उद्यमों की विस्तार के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर 50% प्रवेश कर छूट।

(iii) ईएसडीएम क्षेत्र:- 25 लाख रुपये लेकिन 250 करोड़ रुपये से कम के निवेश के लिए - पहले 4 वर्षों के लिए 75% निवेश सब्सिडी**,** अगले 3 वर्षों के लिए 60% और पिछले **3** वर्षों के लिए 50% और 10 वर्षों के लिए वैट और सीएसटी की 10% तक रोजगार सृजन सब्सिडी। नए प्लांट को लगाने या मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर 50% प्रवेश कर में छूट।

(iv) एमएसएमई क्षेत्र:- विनिर्माण उद्यमों को दिए गए लाभों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बिजली शुल्क से 75% छूट, 10 वर्षों के लिए 1% की सीएसटी कम, ईंधन को छोड़कर कच्चे और प्रसंस्करण सामग्री और पैकेजिंग सामग्री पर प्रवेश कर के भुगतान में 50% छूट।

(v) प्लास्टिक से तेल निर्माण क्षेत्र:- 1 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के लिए - 60% निवेश सब्सिडी और 10 साल के लिए वैट और सीएसटी की 10% रोजगार सृजन सब्सिडी। नए संयंत्र की स्थापना या मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर 50% प्रवेश कर में छूट।

(vi) कपड़ा क्षेत्र:- 25 लाख रुपये के न्यूनतम निवेश के लिए - 5% ब्याज सब्सिडी, 25 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी; तकनीकी कपड़ा क्षेत्र के लिए 7% ब्याज सब्सिडी, यार्न, फाइबर, रीसाइकल्ड फाइबर यार्न, कपास और पेट बॉटल्स की खरीद पर 50% प्रतिपूर्ति, नए प्लांट को लगाने या मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर 50% प्रवेश कर छूट, सिविल कार्य को छोड़कर प्लांट के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के 20% के बराबर शून्य तरल निर्वहन आधारित ईटीपी पर पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम 1 करोड़ रुपये)

(vii) कोटा स्टोन, **मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर:-** 25 लाख रुपये के न्यूनतम निवेश के लिए - 55% निवेश सब्सिडी और 7 साल के लिए वैट और सीएसटी की 10% रोजगार सृजन सब्सिडी।.

राजस्थान एमएसएमई नीति, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान सरकार ने एमएसएमई को लाभ प्रदान करने के लिए राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना, 2015 तैयार की है। यह योजना उन सभी नए और मौजूदा एमएसएमई पर लागू है जिनके पास उद्यमी ज्ञापन- I या उद्योग (एमएसएमई) विभाग द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन- II या एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत जारी उद्योग आधार पावती है। इस योजना के तहत, निम्नलिखित सहायता/लाभ प्रदान किए जाते हैं:

i) वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए एकमुश्त सेवा प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की पहुंच और सहायता।

ii) हॉलमार्क प्रमाणन आदि के लिए एमएसएमई द्वारा भुगतान किए गए 50% शुल्क/शुल्क की प्रतिपूर्ति करके गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता।

iii) हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता।

iv) औद्योगिक क्षेत्रों/समूहों और छोटे और मध्यम उद्यमों में उद्योग संघों/एसपीवी द्वारा सामान्य

अपशिष्ट उपचार प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना की पूंजी लागत का 50% प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान बीमार सूक्ष्म और लघु उद्यम (पुनरुद्धार और पुनर्वास) योजना, 2015 भी तैयार की है, जो व्यवहार्य और संभावित रूप से व्यवहार्य बीमार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पैकेज है, ताकि सृजित परिसम्पत्तियों को उत्पादक उपयोग में लाया जा सके। साथ ही रोजगार भी सृजित किया जा सके। इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

i) पुनर्वास पैकेज के तहत, कमर्शियल करों (वैट और अन्य करों) और बिजली की बकाया राशि के रूप में सरकारी विभागों/एजेंसियों की बकाया राशि में राहत।

ii) बीमार उद्यम को नए प्रबंधन में स्थानांतरित करने पर स्टाम्प शुल्क पर भुगतान की 100% छूट के संदर्भ में बीमार और छोटे उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन।

संस्थागत तंत्र

राजस्थान उप-क्षेत्र में एमएसएमई के विकास और कौशल विकास में शामिल विभाग और एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग
ii) जिला उद्योग केंद्र, अलवाड़ी
iii) जिला उद्योग केंद्र, भिवाड़ी
iv) राजस्थान औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (रीको)
v) राजस्थान वित्तीय निगम (आरएफसी)
vi) राजस्थान राज्य उद्योग निगम
vii) ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुडा)
viii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
ix) एमएसएमई - विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), जयपुर, एमएसएमई मंत्रालय
x) एमएसएमई परीक्षण केंद्र
xi) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3. एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यम

3.1 पृष्ठभूमि

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लगभग 49 मिलियन इकाइयों के विशाल नेटवर्क के साथ देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान देता है, लगभग 111 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है, 6,000 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है और कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 37% का योगदान देता है। और विनिर्माण क्षेत्र का भारत के कुल निर्यात का केवल 40% हिस्सा है।

एमएसएमई1 (पंजीकृत क्षेत्र) की चौथी अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 15.64 लाख पंजीकृत कार्यरत उद्यम थे, जिनमें से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्रमशः 94.94%, 4.89% और 0.17% थे। इन कुल पंजीकृत कामकाजी उद्यमों में, 10.49 लाख इकाइयाँ (66.92%) विनिर्माण में थीं, 2.62 लाख इकाइयाँ (16.43%) सेवा उद्यम थीं और बाकी 2.52 लाख (15.8%) मरम्मत और रखरखाव कार्यों से संबंधित थीं। कुल पंजीकृत एमएसएमई में से 54.77 फीसदी शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे जबकि बाकी (45.23 फीसदी) ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे थे।

एमएसएमई (अपंजीकृत क्षेत्र) की चौथी अखिल भारतीय जनगणना के अनुमान के अनुसार, भारत में कुल 198.74 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम थे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों का अनुपात क्रमशः 99.83% और 0.17% था। इन कुल अपंजीकृत उद्यमों में, 104.50 लाख इकाइयां (52.58%) विनिर्माण उद्यम थे, 81.93 लाख (41.22%) मरम्मत और रखरखाव उद्यम थे और 12.31 लाख (6.19%) सेवा उद्यम थे। अधिकांश अपंजीकृत उद्यम (60.22%) ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष शहरी क्षेत्रों से संचालित हो रहे थे।

एमएसएमई क्षेत्र भारत के निर्यात में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। MSMEs के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि लगभग 46,675 उद्यम हैं जो अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। इन निर्यात उद्यमों में से अधिकांश (68.42%) शहरी क्षेत्रों में स्थित थे और शेष 31.58% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे।

एमएसएमई में, सूक्ष्म उद्यमों की हिस्सेदारी पर्याप्त (85.83%) थी, इसके बाद छोटे उद्यमों (12.75%) और मध्यम उद्यमों (1.42%) का स्थान था। देश के शीर्ष दस निर्यातक राज्यों के एमएसएमई जनगणना विश्लेषण के अनुसार, यूपी निर्यात में 21.12% हिस्सेदारी के साथ राज्य

शीर्ष पर है, इसके बाद तमिलनाडु (14.80%) है। उत्तर प्रदेश के अलावा, अन्य एनसीआर घटक राज्य यानी राजस्थान और हरियाणा क्रमशः 5 वें (7.33%) और 7 वें (7.12%) स्थान पर हैं।

देश में कार्यरत एमएसएमई का ग्रामीण-शहरी वितरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, भारत में कार्यरत उद्यमों का क्षेत्रवार वितरण (लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
ग्रामीण	6.87	0.19	0.01	7.07
शहरी	7.98	0.57	0.02	8.57
कुल	14.85	0.76	0.03	15.64

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

एमएसएमई क्षेत्र में मालिकाना उद्यमों का वर्चस्व है क्योंकि कुल 15.64 लाख कामकाजी उद्यमों में से 90% से अधिक हिस्सेदारी मालिकाना उद्यमों के पास है, इसके बाद 4.01% भागीदारी और 2.77% निजी उद्यम हैं। संगठन के प्रकार के आधार पर उद्यमों का प्रतिशत वितरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।.

तालिका 3.2 भारत में संगठन और क्षेत्र के प्रकार के अनुसार उद्यमों का प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	स्वामित्व	पार्टनरशिप	निजी कंपनी	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	सहकारी	अन्य
सूक्ष्म	91.77	3.47	1.78	0.37	0.28	2.33
लघु	59.12	14.24	21.02	3.37	0.57	1.68
मध्यम	38.11	9.75	34.46	13.06	1.86	2.75
कुल	90.08	4.01	2.77	0.54	0.30	2.30

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय स्तर पर, पंजीकृत एमएसएमई क्षेत्र लगभग 93.09 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। रोजगार का अधिकतम हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों ने 65.34 लाख (70.19%) प्रदान किया। **चित्र 3.1** रोजगार के क्षेत्रवार वितरण को दर्शाता है।

1 एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना संदर्भ वर्ष 2006-2007 के साथ आयोजित की गई, जिसमें 2009 तक डेटा एकत्र किया गया और परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किया गया।

एमएसएमई जनगणना के अनुसार, लगभग 408.84 लाख व्यक्ति अपंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों में कार्यरत थे, इनमें से 99% (405.52 लाख) सूक्ष्म उद्यमों में कार्यरत थे और केवल 3.32 लाख (0.81%) छोटे उद्यमों में कार्यरत थे।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रति पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम/इकाई का औसत रोजगार लगभग 4 व्यक्ति था, जबकि लघु और मध्यम उद्यमों में यह क्रमशः 30 और 160 व्यक्ति था।

प्रति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अखिल भारतीय औसत रोजगार पंजीकृत क्षेत्र के लिए लगभग 6 व्यक्ति और अपंजीकृत क्षेत्र के लिए 2 व्यक्ति थे। विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है।.

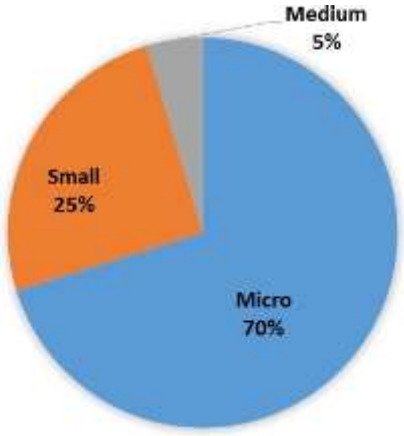

चित्र 3.1 भारत में, क्षेत्र द्वारा रोजगार का वितरण

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 3.3 भारत में पंजीकृत और अपंजीकृत उद्यमों का सेक्टर वार और प्रति उद्यम रोजगार वितरण

क्षेत्र	कार्यरत उद्यमों की संख्या (लाख में)		रोजगार (लाख में)		प्रति उद्यम औसत रोजगार	
	पंजीकृत	अपंजीकृत	पंजीकृत	अपंजीकृत	पंजीकृत	अपंजीकृत
सूक्ष्म	14.85	198.39	65.34	405.52	4.40	2.04
लघु	0.76	0.35	23.43	3.32	30.62	9.60
मध्यम	0.03	-	4.32	-	160.87	-
कुल	15.64	198.74	93.09	408.84	5.95	2.06

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

3.2 एनसीआर घटक राज्यों में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यम

3.2.1 हरियाणा

हरियाणा में 5,20,150 एमएसएमई हैं, इनमें से अधिकांश अपंजीकृत हैं यानी 93.62% (4,87,000) और केवल 6.38% (33,150) पंजीकृत हैं (तालिका 3.4 देखें)। कुल एमएसएमई में से, लगभग 54% सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसके बाद 40% विनिर्माण और 6% मरम्मत और रखरखाव कार्यों में लगे हैं (**चित्र 3.2 देखें**)।

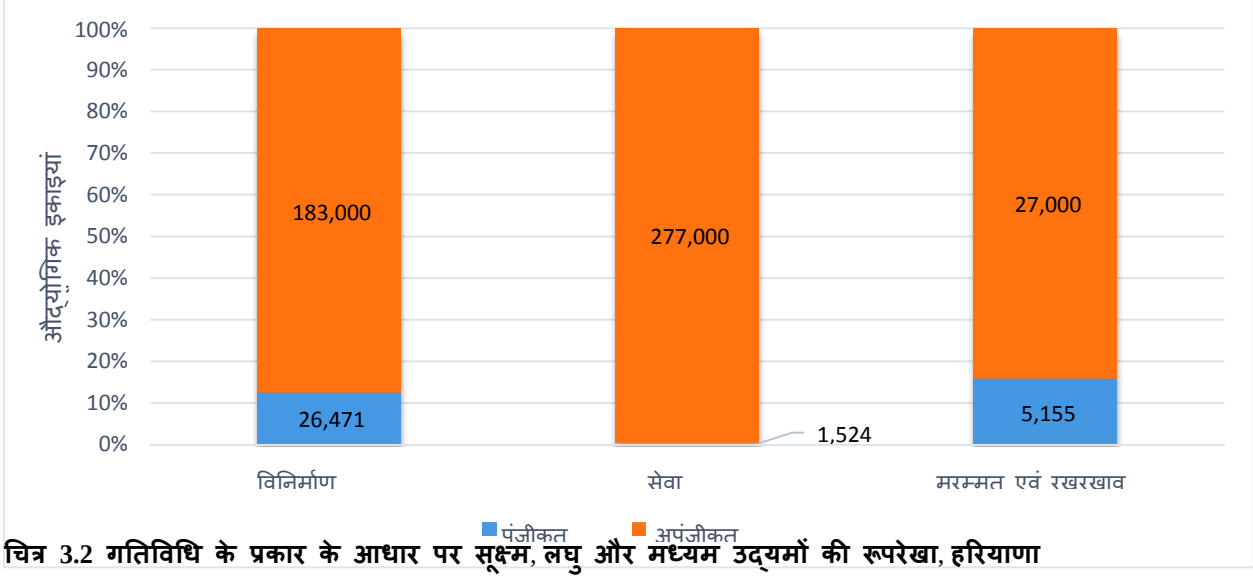

चित्र 3.2 गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा, हरियाणा

तालिका 3.4 गतिविधि के प्रकार के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों का क्षेत्रीय प्रोफाइल, हरियाणा

यूनिट का प्रकार	गतिविधियां			
	उत्पादन	सेवाएं	मरम्मत एवं रखरखाव	कुल
पंजीकृत	26,471	1,524	5,155	33,150
अपंजीकृत	1,83,000	2,77,000	27,000	4,87,000
कुल	**2,09,471**	**2,78,524**	**32,155**	**5,20,150**

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 3.4 बताती है कि हरियाणा राज्य में कुल 33,150 पंजीकृत और 4,87,000 गैर-पंजीकृत एमएसएमई हैं। एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, कुल 33,150 पंजीकृत एमएसएमई में से लगभग 14,788 (44.6%) पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में आते हैं। ये उद्यम गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों में फैले हुए हैं। हालांकि, इस राज्य में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र

महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, भागीदारी की प्रमुख गतिविधियों में बुनियादी धातु उद्योग, गैर-धातु खनिज उत्पादन, मशीनरी और पुर्जे, परिवहन उपकरण और पुर्जे, कागज उत्पाद, सूती कपड़ा उद्योग और विविध उत्पाद निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

3.2.2 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 24,20,742 एमएसएमई हैं, जिनमें से 92% अपंजीकृत हैं और केवल 8% पंजीकृत हैं (तालिका 3.5 और चित्र 3.3 देखें)। कुल एमएसएमई में से, लगभग 63% विनिर्माण उद्यम हैं, इसके बाद सर्विसिंग में 32% और 4.7% मरम्मत और रखरखाव उद्यम हैं।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, कुल 1,87,742 पंजीकृत एमएसएमई में से लगभग 15,595 (8.3%) पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम एनसीआर के यूपी उप-क्षेत्र में आते हैं। ये उद्यम बुलंदशहर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जिलों में फैले हुए हैं। ये उद्यम मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन, सूती वस्त्र, होजरी और वस्त्र उत्पादन, मूल धातु, मशीनरी भागों और विविध उत्पाद निर्माण में शामिल हैं।

तालिका 3.5 गतिविधि के प्रकार, उत्तर प्रदेश के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों की क्षेत्रीय प्रोफाइल

यूनिट का प्रकार	गतिविधियां			कुल
	उत्पादन	सेवाएं	मरम्मत एवं रखरखाव	
पंजीकृत	1,13,840	31,350	42,552	1,87,742
अपंजीकृत	14,10,000	7,50,000	73,000	22,33,000
कुल	**15,23,840**	**7,81,350**	**1,15,552**	**24,20,742**

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

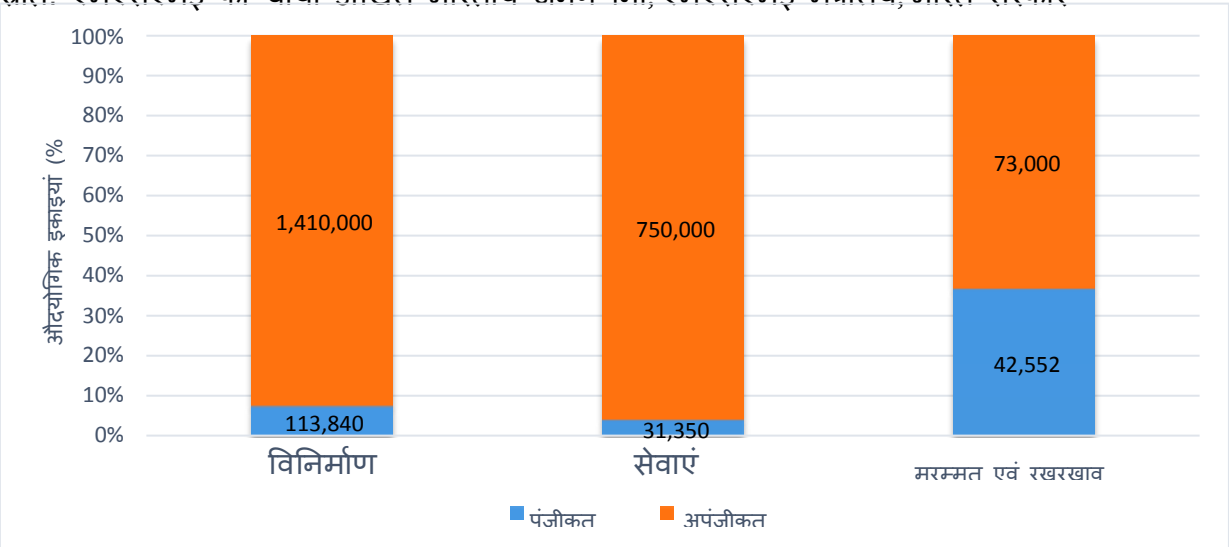

चित्र 3.3 गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा, उ.प्र.

3.2.3 राजस्थान

राजस्थान में कुल 9,68,885 एमएसएमई हैं, जिनमें से अधिकांश यानी 94% (9, 14,000) अपंजीकृत हैं और केवल 6% (54,885) पंजीकृत हैं (तालिका 3.6 और चित्र 3.4 देखें)। कुल एमएसएमई में, 58% उद्यम विनिर्माण में लगे हुए हैं, इसके बाद सर्विसिंग में 38% और केवल 4% उद्यम मरम्मत और रखरखाव में लगे हुए हैं। एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, कुल 54,885 पंजीकृत एमएसएमई में से लगभग 2,295 (4.18%) पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम राजस्थान उप-क्षेत्र के जिला अलवर में आते हैं। इन एमएसएमई में विविध उत्पादों का निर्माण सबसे प्रमुख गतिविधि है, इसके बाद चमड़े के उत्पादों, परिवहन उपकरणों और भागों और कपड़ा उत्पादों का निर्माण होता है।

तालिका 3.6 गतिविधि के प्रकार, राजस्थान के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों का क्षेत्रीय प्रोफाइल

यूनिट का प्रकार	गतिविधियां			
	उत्पादन	सेवाएं	मरम्मत एवं रखरखाव	कुल
पंजीकृत	38,548	7,211	9,126	54,885
अपंजीकृत	5,26,000	3,61,000	27,000	9,14,000
कुल	**5,64,548**	**3,68,211**	**36,126**	**9,68,885**

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

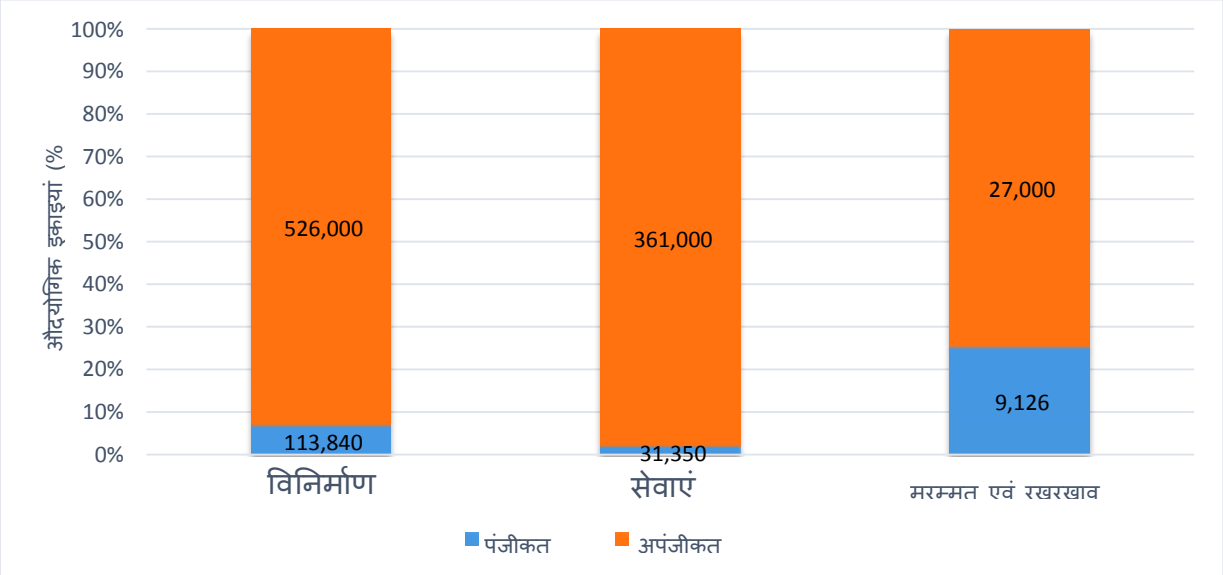

चित्र 3.4 राजस्थान में गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा

3.2.4 एनसीटी दिल्ली

दिल्ली में 1,78,754 एमएसएमई हैं, जिनमें से 97.8% (1,75,000) एमएसएमई अपंजीकृत हैं और केवल 2.2% (3754) पंजीकृत हैं (तालिका 3.7 और चित्र 3.5 देखें)। इनमें से लगभग 81% उद्यम सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसके बाद 18% विनिर्माण क्षेत्र में और केवल 0.6% मरम्मत और रखरखाव क्षेत्र में लगे हुए हैं। एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, एनसीटी दिल्ली में कुल 3,754 पंजीकृत एमएसएमई में से लगभग 3,203 (85.3%) इकाइयां सूक्ष्म उद्यम हैं। एमएसएमई विकास संस्थान, एनसीटी दिल्ली द्वारा तैयार एनसीटी दिल्ली के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल के आंकड़ों के अनुसार, कुल 875 सूक्ष्म और लघु उद्यम और कारीगर इकाइयाँ (मरम्मत और सर्विसिंग को छोड़कर) हैं। ऊन, रेशम और हाथ से बने वस्त्र निर्माण उद्योग; और रबर और प्लास्टिक निर्माण उद्योग दिल्ली में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख उद्योग हैं, इसके बाद होजरी और वस्त्र क्षेत्र हैं। धातु उत्पाद और विद्युत मशीनरी और पुर्जे निर्माण इकाइयाँ भी आमतौर पर दिल्ली में पाई जाती हैं।

तालिका 3.7 गतिविधि के प्रकार, एनसीटी-दिल्ली के आधार पर पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों का क्षेत्रीय प्रोफाइल

यूनिट का प्रकार	गतिविधियां			
	उत्पादन	सेवाएं	मरम्मत एवं रखरखाव	कुल
पंजीकृत	3,545	55	154	3,754
अपंजीकृत	29,000	1,45,000	1,000	1,75,000
कुल	**32,545**	**1,45,055**	**1,154**	**1,78,754**

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

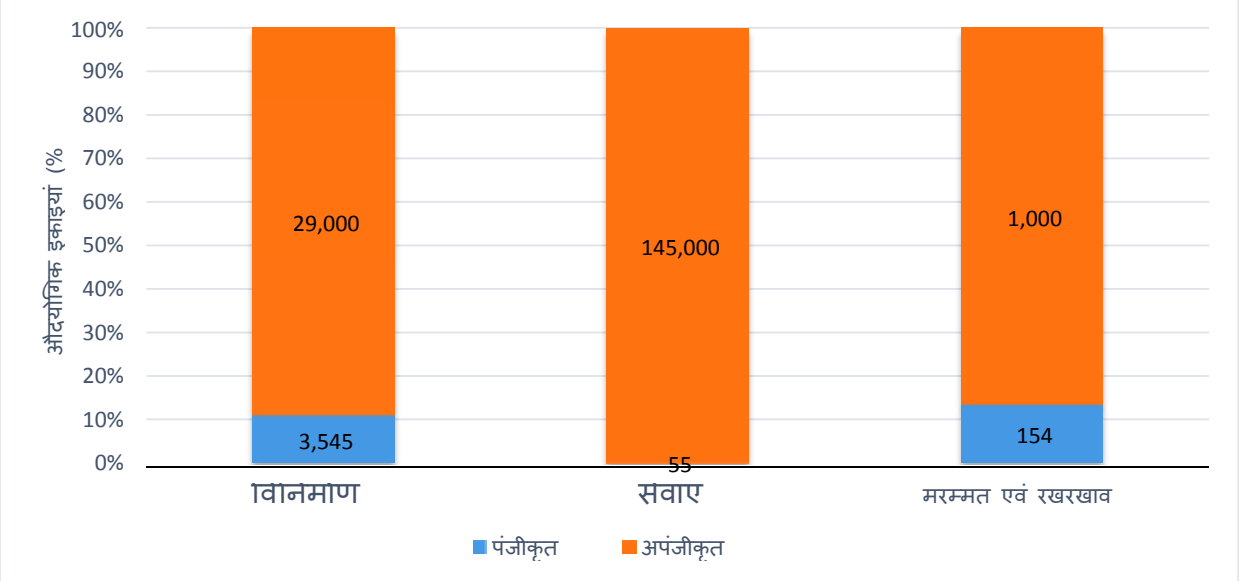

चित्र 3.5 गतिविधि के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रूपरेखा, एनसीटी-दिल्ली

3.2.5 एनसीआर संघटक कार्यरत एमएसएमई (पंजीकृत और अपंजीकृत) का राज्यवार वितरण)

एमएसएमई के उपरोक्त दृष्टांतों के अलावा, एनसीआर संघटक राज्यों में पंजीकृत और गैर-पंजीकृत एमएसएमई का तुलनात्मक वितरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.8 एनसीआर घटक राज्यों और भारत में कार्यरत एमएसएमई (पंजीकृत और अपंजीकृत) का वितरण

(संख्या में)

एनसीआर घटक राज्य	सूक्ष्म			लघु			मध्यम			कुल योग
	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	
हरियाणा	30741	486000	516741	2329	-	2329	80	-	80	519150
दिल्ली	3510	173000	176510	236	2000	2236	8	-	8	178754
राजस्थान	52241	912000	964241	2541	1000	3541	103	-	103	967885
उत्तर प्रदेश	184503	2233000	2417503	3089	-	3089	150	-	150	2420742

एनसीआर घटक राज्य	सूक्ष्म			लघु			मध्यम			कुल योग
	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	
एनसीआर संघटक राज्य (कुल)	**270995**	**3804000**	**4074995**	**8195**	**3000**	**11195**	**341**	**-**	**341**	**4086531**
पुरे भारत को % हिस्सा	18.25	19.17	19.11	10.70	8.57	10.03	12.70		12.70	19.06
अखिल भारतीय (कुल)	1484768	19839000	21323768	76523	35000	111523	2683	-	2683	21437974

स्रोत: एमएसएमई (पंजीकृत और अपंजीकृत), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की चौथी अखिल भारतीय जनगणना

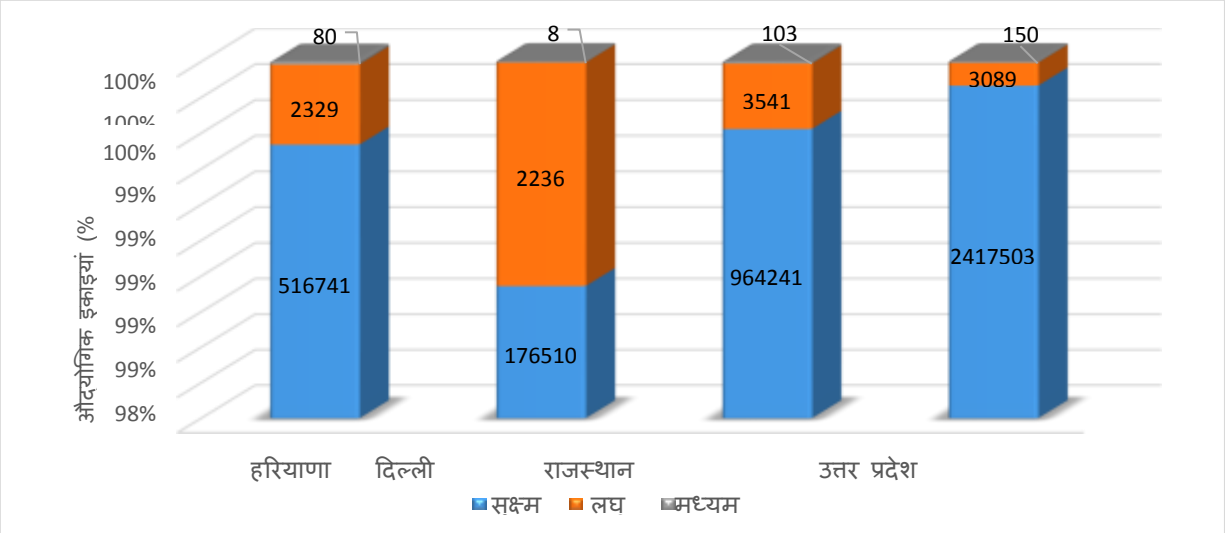

चित्र 3.6 एनसीआर घटक राज्यों में कार्यरत एमएसएमई का वितरण

तालिका 3.8 और **चित्र 3.6** से पता चलता है कि एनसीआर के घटक राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुल 2,70,995 पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम हैं जो देश में कुल पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों का 18.25% हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीआर घटक राज्यों में पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों का उच्चतम हिस्सा (68.08%) है, इसके बाद राजस्थान (19.28%) और हरियाणा (11.34%) हैं। एनसीटी दिल्ली में पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों की हिस्सेदारी नगण्य यानी 1.30% है। छोटे उद्यमों के मामले में, एनसीआर में कुल 8,195 पंजीकृत उद्यमों में से, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी 37.69% है, इसके बाद राजस्थान (**31%**) और हरियाणा का स्थान (28.42%) है।

3.2.6 एनसीआर घटक गतिविधियों की प्रकृति द्वारा पंजीकृत कार्यरत एमएसएमई का राज्यवार वितरण

एनसीआर के भीतर गतिविधियों की प्रकृति द्वारा पंजीकृत उद्यमों के राज्य-वार वितरण के विश्लेषण से पता चलता है कि एनसीटी-दिल्ली में विनिर्माण/असेंबली/प्रसंस्करण उद्यमों की अत्यधिक एकाग्रता, यानी 94.34% है, इसके बाद हरियाणा (82.91%), राजस्थान (70.43%) और यूपी (56.74%), है, जबकि पुरे भारत में औसत 66.92% है। सेवाओं का औसत; और एनसीआर घटक राज्यों में मरम्मत और रखरखाव क्रमशः 8.89% और 15.01% है, जबकि पुरे भारत में औसत क्रमशः 16.27% और 16.82% है। विवरण नीचे तालिका 3.9 और चित्र 3.7 में दिया गया है:

तालिका 3.9 एनसीआर घटक राज्यों और भारत में गतिविधियों की प्रकृति द्वारा पंजीकृत कार्यरत उद्यमों का वितरण

एनसीआर घटक राज्य	विनिर्माण / असेंबली / प्रसंस्करण	गतिविधियां सेवाएं	मरम्मत और रखरखाव
हरियाणा	82.91 %	3.68 %	13.42 %
दिल्ली	94.34 %	1.47 %	4.19 %
राजस्थान	70.43 %	12.16 %	17.41 %
उत्तर प्रदेश	56.74 %	18.23 %	25.03 %
एनसीआर के घटक राज्यों का औसत	**76.10** %	**8.89** %	**15.01** %
भारत	66.92 %	16.27 %	16.82 %

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना (पंजीकृत), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

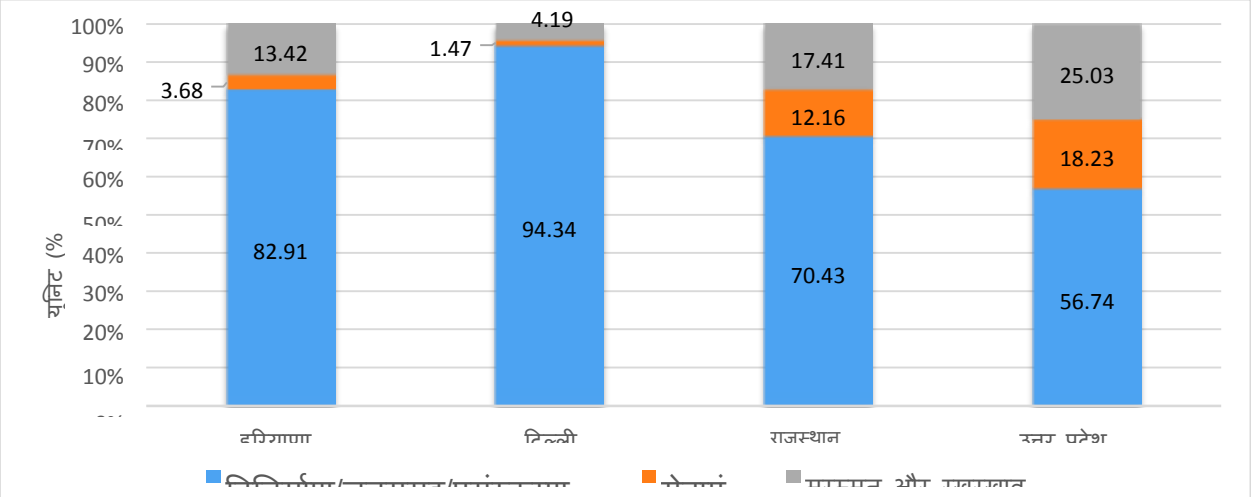

चित्र 3.7 एनसीआर घटक राज्यों में गतिविधि के प्रकार के आधार पर पंजीकृत कार्यरत एमएसएमई का वितरण

3.2.7 एनसीआर घटक एमएसएमई रोजगार का राज्यवार वितरण (पंजीकृत)

तालिका 3.10 में दिए गए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एनसीआर घटक राज्यों में कुल एमएसएमई श्रमिकों में से, सूक्ष्म उद्यमों ने एक प्रमुख हिस्सेदारी यानी 71.85%, छोटे और मध्यम उद्यमों के बाद क्रमशः 24.08% और 4.07% को रोजगार दिया।

तालिका 3.10 एनसीआर घटक राज्यों और भारत में पंजीकृत एमएसएमई में रोजगार का वितरण

एनसीआर संघटक राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
हरियाणा	214246 (56.12%)	137399 (35.99%)	30129 (7.89%)	381774 (100 %)
दिल्ली	41200 (70.89%)	15818 (27.21%)	1105 (1.90%)	58123 (100%)
राजस्थान	244541 (71.57%)	84673 (24.78%)	12476 (3.65%)	341690 (100%)
उत्तर प्रदेश	603987 (80.00%)	132071 (17.50%)	18850 (2.50%)	754908 (100%)
एनसीआर संघटक राज्य	**1103974 (71.85%)**	**369962 (24.08%)**	**62560 (4.07%)**	**1536495 (100%)**
भारत को % हिस्सा	16.90	15.79	14.47	16.50
भारत	6534187 (70.19%)	2343033 (25.17%)	432266 (4.64%)	9309486 (100%)

स्रोत: एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना (पंजीकृत), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

3.3 एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यम

3.3.1 एनसीआर का औद्योगिक परिदृश्य

एनसीआर में सूक्ष्म उद्यमों के विकास में बड़े और मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में और एनसीआर में बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए एक विक्रेता के रूप में कार्य करते हैं। एमएसएमई-विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तैयार एनसीआर में विभिन्न जिलों के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल से संकेत मिलता है कि एनसीआर में कुल 2,50,671 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से 1,05,673 पंजीकृत हैं। एनसीआर में 1346 पंजीकृत मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनका कारोबार करीब 70,41,569 लाख रुपये है। एनसीआर में, गुरुग्राम जिले में पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाइयाँ (436) सबसे अधिक हैं, इसके बाद गौतमबुद्धनगर (359), और फरीदाबाद जिले में (180) हैं। एनसीआर में मध्यम और बड़े उद्योगों का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11 एनसीआर में पंजीकृत मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों का वितरण

क्रमांक	उप-क्षेत्र/जिले	औद्योगिक इकाई	पंजीकृत औद्योगिक इकाई	पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाई	कारोबार (लाख रुपये)
हरियाणा उप-क्षेत्र					
1	पानीपत	5,500	4,068	43	37,94,796
2	फरीदाबाद	17186	17186	180	5691.30
3	रोहतक	1435	4761	15	--
4	झज्जर	2500	1849	-	34000
5	रेवाड़ी	1800	1370	141	5900000
6	पलवल	380	73	40	600000
7	मेवात	57	42	16	15360
8	सोनीपत	13039	13039	06	6240
9	गुरुग्राम	24741	22491	436	354500

क्रमांक	उप-क्षेत्र/जिले	औद्योगिक इकाई	पंजीकृत औद्योगिक इकाई	पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाई	कारोबार (लाख रुपये)
	उप कुल	66638	64879	877	474613.7
यूपी उप-क्षेत्र					
1	बुलंदशहर	5565	5565	5	--
2	गाजियाबाद (हापुड़ सहित)	5957	1796	--	--
3	मेरठ	8197	8197	13	10325
4	बागपत	3500	2635	05	31750
5	गौतमबुद्धनगर	6349	1063	359	3703
	उप कुल	29568	19256	382	45778
राजस्थान उप-क्षेत्र					
1	अलवर	25,465	551	87	80000
	कुल योग	25465	552	87	80000
एनसीटी-दिल्ली					
1	एनसीटी-दिल्ली	129000	20986	--	--
	कुल योग	129000	20986	--	--
कुल योग		**250671**	**105673**	**1346**	**7041569**

स्रोत: दिल्ली, करनाल, जयपुर और आगरा में जिला (जिलों), एमएसएमई विकास संस्थान का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल; एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

3.3.2 मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम

एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, एनसीआर द्वारा तैयार किए गए विभिन्न जिलों के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, 9492907.32 लाख रुपये के कुल निवेश और लगभग 8.98 लाख व्यक्तियों

को रोजगार के साथ विनिर्माण क्षेत्र में 85,648 सूक्ष्म और लघु उद्यमों का गठन किया गया है। (तालिका 3.12 देखें)। हरियाणा उप-क्षेत्र में ऐसी इकाइयों की संख्या सबसे अधिक है यानी 36,103 जो कुल इकाइयों का 42.15% है, इसके बाद राजस्थान उप-क्षेत्र (28.42%), यूपी उप-क्षेत्र (28.41) और एनसीटी दिल्ली (1.02%) है।

इसके अलावा, जिला स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों का वितरण इंगित करता है कि अलवर इन इकाइयों की सबसे अधिक संख्या का गठन करता है यानी 24344, जो एनसीआर में कुल इकाइयों का 28.42 प्रतिशत है, इसके बाद गुरुग्राम (15.75%), गौतमबुद्ध नगर (14.77%), फरीदाबाद (10.77%) और सोनीपत (10.09%) जबकि मेवात में सबसे कम सूक्ष्म और लघु उद्यम यानी 38 इकाइयां हैं। विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12 एनसीआर में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम (विनिर्माण) और कारीगर इकाइयां

उप-क्षेत्र/जिला	इकाइयों की संख्या*	इकाइयाँ (% में)	रोज़गार (संख्या में)	निवेश (रुपये लाख में)
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र				
कुल योग	*875*	*1.02*	*27163*	*32870*
हरियाणा उप-क्षेत्र				
पानीपत	721	0.84	5708	4844
फरीदाबाद	9221	10.77	53641	1118479

उप-क्षेत्र/जिला	इकाइयों की संख्या*	इकाइयाँ (% में)	रोजगार (संख्या में)	निवेश (रुपये लाख में)
रोहतक	1105	1.29	4660	8565.5
गुरुग्राम	13490	15.75	325946	3655475
सोनीपत	8645	10.09	58339	9338.5
झज्जर	1799	2.10	15882	29600
रेवाड़ी	1013	1.18	7708	10187
पलवल	71	0.08	2368	10578.09
मेवात	38	0.04	1120	3167.78
कुल योग	*36103*	*42.15*	*475372*	*4850234.87*
यूपी उप-क्षेत्र				
गाजियाबाद (हापुड़ सहित)	836	0.98	7808	3808.7
बुलंदशहर	3202	3.74	16429	1774.15
मेरठ	5216	6.09	30723	42616.03
बागपत	2419	2.83	10918	13436.16
गौतमबुद्धनगर	12653	14.77	223635	4343958.16
कुल योग	*24326*	*28.41*	*289513*	*4405593.2*
राजस्थान उप-क्षेत्र				
अलवर	24344		106286	204209.25
कुल योग	*24344*	*28.42*	*106286*	*204209.25*
कुल एनसीआर	**85648**	**100**	**898334**	**9492907.32**

स्रोत: दिल्ली, करनाल, जयपुर और आगरा में जिला (जिलों), एमएसएमई विकास संस्थान का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल; एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

*नोट: इकाइयों की संख्या में मरम्मत और सर्विसिंग शामिल नहीं है

3.4 एनसीआर में एमएसएमई (विनिर्माण) का उप-क्षेत्रवार जिला स्तर विश्लेषण

एनसीआर घटक जिलों के संक्षिप्त जिला औद्योगिक प्रोफाइल (ओं) के आधार पर किए गए एमएसएमई का उप-क्षेत्रवार जिला स्तर विश्लेषण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

3.4.1 हरियाणा उप-क्षेत्र

1. पानीपत जिला

पानीपत हरियाणा राज्य के हरित क्रांति बेल्ट के केंद्र में स्थित है। प्रमुख चावल-गेहूं फसल प्रणाली के परिणामस्वरूप दलहन और तिलहन हाशिए पर है। इसके अलावा यहां बागवानी फसलें और यूकेलिप्टस जैसे कृषि-वानिकी के पेड़ भी उगाए जाते हैं। उगाई जाने वाली अन्य फसलें गन्ना, तिलहन और दलहन हैं। भैंस और गाय मुख्य दुधारू जानवर हैं। जिले में बागवानी और सब्जियों की फसलों की भी खेती की जाती है।

पानीपत जिला रिपोर्ट (एमएसएमई-विकास संस्थान) के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, कुल 5,500 औद्योगिक इकाइयों में से, अधिक संख्या यानी 4,068 (74%) पंजीकृत हैं। पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में, 43

इकाइयां मध्यम और बड़े पैमाने की हैं जबकि शेष लघु और सूक्ष्म उद्यम और शिल्पकार इकाइयां हैं (अनुलग्नक-3 देखें)। जिले में लगभग 300-400 इकाइयाँ बड़े और मध्यम उद्योगों के सहायक के रूप में काम कर रही हैं।

पानीपत जिले में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और लघु उद्यम और कारीगर इकाइयाँ विद्यमान हैं, जिनका विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है। मौजूदा एसएमई और कारीगर इकाइयों के विश्लेषण से पता चलता है कि पानीपत जिले में सूती कपड़ा, ऊनी, रेशम और कृत्रिम धागा, इंजीनियरिंग इकाइयाँ, धातु आधारित (स्टील फैब), विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण, जूट और जूट आधारित उद्योग सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अधिकतम हिस्सेदारी का गठन करते हैं और इसलिए, यह जिले के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है।

तालिका 3.13 पानीपत जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या)
20	कृषि आधारित	36	380	357
23	सूती कपड़ा	444	752	1315
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	52	352	754
25	जूट और जूट आधारित	17	112	185
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	5	50	52
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	9	180	115
28	कागज और कागज उत्पाद	4	320	214
29	चमड़ा आधारित	2	40	20
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	18	415	687
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	7	254	84
32	खनिज आधारित	3	84	30
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	47	900	845
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	54	725	913
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	8	200	85
97	मरम्मत और सर्विसिंग	275	478	1062
01	अन्य	15	80	52
	कुल	**996**	**5322**	**6770**

स्रोत: पानीपत जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एमएसएमई मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि सूती दरी, मेड अप, बेड कवर, कालीन, स्नान चटाई, कालीन, पर्दे, टेरी टॉवल, फर्श, फर्निशिंग कपड़े आदि प्रमुख वस्तुएं हैं, जिनका पानीपत जिले से दुनिया के विभिन्न भागों में निर्यात किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसने 10 से 15% की वृद्धि दिखाई है। एमएसएमई मंत्रालय ने जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष रूप से कपड़ा मशीनरी और बाथरूम फिटिंग आइटम आदि के निर्माण के

क्षेत्र में एक उत्कृष्ट क्षमता की पहचान की है।

वर्तमान में, जिले में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के तीन प्रमुख समूह हैं जो इस प्रकार हैं:

i) होम फिनिशिंग (फर्श कवरिंग और मेड अप्स) क्लस्टर

ii) टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

iii) फाउंड्री क्लस्टर, समालखा

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने पानीपत जिले में दो समूहों, जैसे समालखा में फाउंड्री क्लस्टर और पानीपत में हैंडलूम क्लस्टर का विश्लेषण किया। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14 क्लस्टर विश्लेषण, पानीपत जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये में)
1	फाउंड्री क्लस्टर	35	356	दिल्ली, पानीपत, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान उप-क्षेत्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा	172
2	हथकरघा (वस्त्र) क्लस्टर	490	4,278	पानीपत, दिल्ली	2558

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

उपरोक्त क्लस्टर विश्लेषण इंगित करता है कि फाउंड्री क्लस्टर और हैंडलूम (टेक्सटाइल) क्लस्टर में उत्पन्न औसत रोजगार क्रमशः लगभग 10 और 9 कर्मचारी/इकाइयों का है। फाउंड्री क्लस्टर और हैंडलूम क्लस्टर का औसत टर्नओवर क्रमशः 4.91 रुपये और 5.22 लाख / यूनिट है।

जिले में एमएसएमई गतिविधियों की एक झलक **प्लेट 3.1** में उपलब्ध है

पानीपति में एक हथकरघा इकाई में काम करते बुनकर[i]

पानीपत में हथकरघा/वस्त्र[ii]

समालखा, पानीपत में फाउंड्री यूनिट[iii]

प्लेट 3.1 पानीपत में एमएसएमई

2. फरीदाबाद जिला

फरीदाबाद जिला एनसीटी-दिल्ली से सटा हुआ है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी तरफ जिले की सीमा को अलग करती है और दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच -2) जिले के केंद्र से होकर गुजरती है। जिला मेट्रो और रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रमुख ब्रॉड गेज लाइन यानी दिल्ली-मथुरा ट्रिपल ट्रैक जिले को प्रमुख कस्बों / शहरों से जोड़ता है। जिले में सिलिका बालू, भवन निर्माण पत्थर, साधारण मिट्टी, ईंट मिट्टी, साधारण रेत, मलबा आदि खनिज उपलब्ध हैं।

फरीदाबाद जिले के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान) के अनुसार, जिले में 17,186 औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं। इन इकाइयों में, केवल एक प्रतिशत (180 इकाइयां) मध्यम और बड़े पैमाने की हैं और शेष या तो एसएमई या शिल्पकार इकाइयां हैं (अनुलग्नक-3 देखें)। बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्माण इकाइयाँ, मरम्मत और रखरखाव इकाइयाँ सहायक इकाइयों के रूप में आ रही हैं। जिले में स्थित मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु सहायक इकाइयों को बढ़ावा देने की क्षमता है।

जिले में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और शिल्पकार इकाइयों से संबंधित जानकारी का विश्लेषण करते समय, यह पाया गया है कि इंजीनियरिंग, धातु, मरम्मत और सेवाएं और कृषि आधारित उद्योग प्रमुख उद्योग हैं जो फरीदाबाद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अधिकतम हिस्सेदारी का गठन करते हैं। **तालिका 3.15 देखें**)।

तालिका 3.15 फरीदाबाद जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	450	4400	1860
22	सोडा - वाटर	2	12	12
23	सूती कपड़ा	10	1942	60
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	2	24	20
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	170	129565	850
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	210	47487	1050
28	कागज और कागज उत्पाद	125	24240	625
29	चमड़ा आधारित	10	1825	78
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	80	9280	375
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	310	74356	1265
32	खनिज आधारित	375	54160	1480
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	2072	8956	10410
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	3675	638790	24956
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	430	56910	2140
97	मरम्मत और सर्विसिंग	2675	417405	16340
01	अन्य	1300	66532	8460
	कुल	**11896**	**1535884**	**69981**

स्रोत: फरीदाबाद जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान, *2012-13)*, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

एमएसएमई मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जिले से ऑटो पार्ट्स, फुटवियर, ट्रैक्टर, बिजली के पंखे आदि जैसी वस्तुएं प्रमुख निर्यात होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिले में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की विकास क्षमता बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के प्रमुख अस्तित्व के कारण है। जिले में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए नवीन औद्योगिक सम्पदाओं की भी योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में, एमएसएमई इकाइयों की संख्या के संदर्भ में, फरीदाबाद जिले में दो प्रमुख विनिर्माण खंड इंजीनियरिंग और धातु/इस्पात निर्माण हैं।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने फरीदाबाद में दो समूहों का विश्लेषण किया, अर्थात सेक्टर 58 में लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर और मुजस्सर में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स क्लस्टर। इन समूहों का विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16 क्लस्टर विश्लेषण, फरीदाबाद जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर	60	452	फरीदाबाद, दिल्ली, लुधियाना, गुरुग्राम, नोएडा	167
2	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर	100	315	फरीदाबाद	672

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

क्लस्टर विश्लेषण इंगित करता है कि लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स क्लस्टर में उत्पन्न औसत रोजगार लगभग 8 और 3 कर्मचारी / यूनिट है, जिसका औसत कारोबार क्रमशः 2.78 रुपये और 6.72 लाख / यूनिट है।

एमएसएमई-विकास संस्थान ने हर्बल सौंदर्य देखभाल उत्पादों, तत्काल फास्ट फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष भोजन, सीडी/डीवीडी के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों, प्रसाधन सामग्री, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, रक्षा उन्मुख वस्त्र, कंक्रीट फर्नीचर इत्यादि की क्षमता की पहचान की और इसलिए, ये जिले में नए एमएसएमई के रूप में विकसित किया जा सकता है।

फरीदाबाद में ऑटो-पार्ट्स निर्माण इकाई[iv]

फरीदाबाद में एक रबड़ निर्माण इकाई[v]

प्लेट 3.2 फरीदाबाद में एमएसएमई

3. रोहतक जिला

रोहतक हरियाणा राज्य में कृषि की दृष्टि से समृद्ध जिले में से एक है। यहां उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, चावल, चना, गन्ना और बाजरा हैं। हालांकि, जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है लेकिन भूमिगत जल स्तर अपेक्षाकृत अधिक है जो अच्छा कृषि उत्पादन देता है।

रोहतक जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान-करनाल) इंगित करता है कि रोहतक जिले में, *4,761* पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से केवल *15* मध्यम और बड़ी इकाइयां हैं और शेष सूक्ष्म और लघु उद्यम और शिल्पकार इकाइयां हैं (अनुलग्नक देखें- *3)*। जिले में बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु इकाइयां

लक्ष्मी प्रेसिजन टूल्स, रोहतक की सहायक इकाइयों के रूप में काम कर रही हैं। औद्योगिक मोर्चे पर, रोहतक ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि (*15 - 20%*) की है। एचएसआईआईडीसी, रोहतक द्वारा दिल्ली-रोहतक रोड पर एक औद्योगिक शहर भी स्थापित किया गया है। जिले में अमर डेयरी, निप्पन कार्बाइड, एशियन पेंट्स, हाई-टेक फोर्ट वायर डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसी इकाइयां आ रही हैं। इसलिए, जिले और आसपास में फास्टनर उद्योग की बहुत अच्छी गुंजाइश है और इस प्रकार, रोहतक शहर को 'फास्टनरों का शहर' भी कहा जाता है।

रोहतक के जर्मनी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, घाना, स्विटजरलैंड, सिंगापुर आदि के साथ अच्छे निर्यात संबंध हैं, जहां यह नट और बोल्ट, स्क्रू, शॉक एब्जॉर्बर, टूल एंड डाइज, इंडस्ट्रियल फास्टनर, मेटा फीनिक्स, डिहाइड्रेटेड क्लोरीफायरिफोस आदि जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान जिले से 13,500 लाख करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया। जिले में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और कारीगर इकाइयों का विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17 रोहतक जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	57	1689	185
22	सोडा - वाटर	-	-	-
23	सूती कपड़ा	23	253	21
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	-	-	-
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	17	195	11
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	67	34.50	11
28	कागज और कागज उत्पाद	-	-	-
29	चमड़ा आधारित	25	15	32
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	29	209	85
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	-	-	-
32	खनिज आधारित	-	-	-
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	-	-	-
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	420	5670	3800
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	-	-	-
97	मरम्मत और सर्विसिंग	350	290	560
01	अन्य	467	500	515
	कुल	**1455**	**8855.50**	**5220**

स्रोत: रोहतक जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान-करनाल), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने रोहतक जिले में दो समूहों का विश्लेषण किया है, अर्थात् टर्न कंपोनेंट्स क्लस्टर और ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर (**तालिका *3.18* देखें**)।

तालिका *3.18* क्लस्टर विश्लेषण, रोहतक जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	चालू घटक क्लस्टर	140	770	रोहतक	874
2	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर	40	236	रोहतक	234

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

क्लस्टर विश्लेषण इंगित करता है कि टर्न्ड कंपोनेंट्स क्लस्टर और ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर में उत्पन्न औसत रोजगार इन संबंधित क्लस्टर में से प्रत्येक में लगभग 6 कर्मचारी / इकाइयां हैं, जिनका औसत टर्नओवर क्रमशः 6.24 और 5.85 लाख / यूनिट है।

ऑटोमोबाइल विनिर्माण[vi]

रोहतक में निर्मित घटक

प्लेट 3.3 रोहतक में एमएसएमई

रिपोर्ट (एमएसएमई-विकास संस्थान-करनाल) इंगित करती है कि हरियाणा राज्य में क्लस्टर पहचान नहीं हुई है। हालाँकि, कई इकाइयाँ नट, बोल्ट और स्क्रू का निर्माण कर रही हैं, इसलिए उद्योग के एक समूह को एमएसएमई मंत्रालय की एमएसई-सीडीपीएमएसई-सीडीपी योजना के तहत लिया जा सकता है। इसके अलावा, नए एमएसएमई यानी बायोटेक उत्पादों के लिए भी अच्छी संभावनाएं हैं जिनमें फास्टनर, नट और बोल्ट, पेंट और रसायन, फार्मास्युटिकल उत्पादों और कॉस्मेटिक उपयोग के लिए हर्बल अर्क, रेडीमेड वस्त्र, खाद्य तेल, ऑटो-घटक, इंजीनियरिंग

उत्पाद, लकड़ी आधारित उद्योग, बुनियादी दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, परोसने के लिए तैयार भोजन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, टैटिंग, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी, फैब्रिक डाईंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्लास डिजाइनिंग, लेबल और स्टिकर्स की प्रिंटिंग, वुडन वर्क, एम्ब्रायडरी और अन्य संबंधित इकाइयों के लिए भी पर्याप्त गुंजाइश मौजूद है।

4. झज्जर जिला

झज्जर जिला दिल्ली से लगभग 65 किमी की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर में रोहतक जिले, दक्षिण में रेवाड़ी जिले और पश्चिम में भिवानी जिले से घिरा हुआ है। पूर्व में, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली की टिकरी सीमा को छूती है। जिला वर्गीकृत शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में आता है। जिले में मोटे तौर पर चार प्रकार की मिट्टी उपलब्ध है। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और दोमट बलुई। जिले की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ प्रकृति और उपजाऊ है। झज्जर जिले की मुख्य जलवायु विशेषताएँ तेज़ गर्मी, ठंडी सर्दी और कम वर्षा हैं।

जिले में कुल 2500 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से 1849 (73.96%) पंजीकृत हैं। झज्जर जिले का संक्षिप्त औद्योगिक विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

एमएसएमई विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, झज्जर जिले में लघु स्तर की इकाइयां फुटवियर, काले/जस्ती स्टील ट्यूब, खाद्य रंग और स्वाद, लेड पेंसिल, पेट्रो रसायन, पॉली बैग, ऑटो पार्ट्स, कीटनाशकों सहित अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में लगी हुई हैं। फॉर्मूलेशन, ब्रास हार्डवेयर, प्लाईवुड, ग्लास, एम्पाउल्स, अल्ट्रामरीन ब्लू, डीप फ्रिज, नालीदार कार्टून और संबद्ध पैकिंग सामग्री, प्लास्टिक के खिलौने, मेडिकल डिस्पोजेबल, सरसों के तेल, फार्मास्युटिकल, गोला बारूद के बक्से, पेंट और रसायन, बुलेट प्रूफ हेलमेट, आदि का विवरण जिले में विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा कारीगर इकाइयों का विवरण तालिका 3.19 में दिया गया है।

जिले में लगभग 250-300 सहायक इकाइयाँ हैं जो पिछले कुछ वर्षों में 10 - 15% के बीच विकास की प्रवृत्ति दिखा रही हैं। जिले में फार्मास्यूटिकल्स, चमड़े के फुटवियर, खोखले कांच के सामान, विमान में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव घटकों, मिसाइलों और रडारों, अल्ट्रामरीन ब्लू, सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स, सैनिटरी वेयर, ब्रेक लाइनिंग के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है।

तालिका 3.19 झज्जर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	15	300.00	150
22	सोडा - वाटर	3	250.00	150
23	सूती कपड़ा	5	125.00	35
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	-	-	-
25	जूट और जूट आधारित	3	120.00	21
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	25	1000.00	150
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	130	1600.00	1200

28	कागज और कागज उत्पाद	20	600.00	280
29	चमड़ा आधारित	60	1500.00	600
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	70	1600.00	800
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	100	1800.00	800
32	खनिज आधारित	22	400.00	220
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	80	2000.00	800.00
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	60	1000.00	600
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	60	900.00	700
97	मरम्मत और सर्विसिंग	50	500.00	200
01	अन्य	1146	16405.00	9376
	कुल	**1849**	**30100**	**16082**

स्रोत: झज्जर जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में स्थित फुटवियर क्लस्टर का विस्तृत विश्लेषण किया (तालिका *3.20* देखें)।

तालिका *3.20* क्लस्टर विश्लेषण, झज्जर जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	फुटवियर क्लस्टर, बहादुरगढ़	60	727	दिल्ली, बहादुरगढ़	520

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

क्लस्टर विश्लेषण इंगित करता है कि फुटवियर क्लस्टर में उत्पन्न औसत रोजगार लगभग 12 कर्मचारी/इकाई है, जिसका औसत कारोबार 8.6 लाख रुपये/यूनिट है। जिले में की जा रही कुछ एमएसएमई गतिविधियों की झलक प्लेट 3.4 में दी गई है।

बहादुरगढ़, झज्जर में फुटवियर निर्माण[vii]

प्लेट 3.4 झज्जर में एमएसएमई

5. रेवाड़ी जिला

जिले में घाटियां, लहरदार भूमि, रेत के टीले और कछार मैदानों सहित विभिन्न स्थलाकृति शामिल हैं। जिले में हरे, काले और भूरे रंग के रंगों में पाए जाने वाले क्वार्टजाइट और अच्छी गुणवत्ता वाले स्लेट के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं।

जिले में कुल मिलाकर 1800 औद्योगिक इकाइयाँ मौजूद हैं, जिनमें से 141 (7.8%) पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाइयाँ हैं और शेष 92.2% सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। रेवाड़ी जिले का संक्षिप्त औद्योगिक विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

जिले में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और कारीगर इकाइयों के विश्लेषण से पता चलता है कि धातु आधारित (स्टील फैब।) इंजीनियरिंग इकाइयाँ, लकड़ी / लकड़ी आधारित फर्नीचर, तैयार वस्त्र और कढ़ाई और कृषि आधारित उद्योग हैं। प्रमुख उद्योग, और रेवाड़ी जिले में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का अधिकतम हिस्सा है।

तालिका 3.21 रेवाड़ी जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	65	2190	217
22	सोडा - वाटर	05	12	44
23	सूती कपड़ा	7	15	58
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	04	116	65
25	जूट और जूट आधारित	2	20	40
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	70	110	270

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	77	1410	317
28	कागज और कागज उत्पाद	25	350	76
29	चमड़ा आधारित	32	44	77
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	18	110	36
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	24	1270	59
32	खनिज आधारित	43	640	1442
33	धातु आधारित (स्टील फैब।)	310	2510	1380
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	113	1210	1410
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	-	-	-
97	मरम्मत और सर्विसिंग	317	624	1605
01	अन्य	218	180	2217
	कुल	**1330**	**10811**	**9313**

स्रोत: रेवाड़ी जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने रेवाड़ी शहर के पीतल उत्पाद क्लस्टर का विस्तार से विश्लेषण किया है (देखें तालिका *3.22)*। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यहां औसतन *1.62* लाख रुपये प्रति यूनिट के औसत कारोबार के साथ लगभग *3* कर्मचारी / इकाइयां उत्पन्न हुई हैं।

तालिका 3.22 क्लस्टर विश्लेषण, रेवाड़ी जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	पीतल उत्पाद क्लस्टर, रेवाड़ी टाउन	50	129	Rewari	81

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

रेवाड़ी में पीतल के बर्तन का निर्माण[viii]

रेवाड़ी में टीला जूती बनाना[ix]

प्लेट 3.5 **एमएसएमई रेवाड़ी में**

6. पलवल जिला

पलवल नव निर्मित जिला है, जो फरीदाबाद और मेवात जिलों से बना है। पलवल जिले के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, जिले में लगभग 380 औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से 40 (10.52%) पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाइयाँ हैं और शेष (89.47%) सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं (देखें अनुबंध- 3)।

एमएसएमई विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, पलवल जिले में सूक्ष्म और लघु इकाइयां प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग इकाइयां, रसायन/रासायनिक आधारित, खनिज आधारित, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण और कृषि आधारित उद्यम हैं (तालिका 3.23) देखें।

तालिका 3.23 पलवल जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

उद्यम जिन्होंने ईएम-I दाखिल किया (जनवरी 2009 से 2011-12)

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	6	277.00	66
22	सोडा - वाटर	-	-	-
23	सूती कपड़ा	4	100.84	72
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	-	-	-
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	3	205.00	242
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	2	84.50	113
28	कागज और कागज उत्पाद	3	455.90	93
29	चमड़ा आधारित	-	-	-
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	7	238.61	63

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	-	-	-
32	खनिज आधारित	7	428.00	91
33	धातु आधारित (स्टील फैब।)	5	544.00	342
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	27	4126.24	902
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	6	3930.00	355
97	मरम्मत और सर्विसिंग	2	6.00	12
01	अन्य	1	188.00	29
	कुल	**73**	**10584.09**	**2380**

स्रोत: पलवल जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने पलवल जिले में मिश्रित क्लस्टर का विश्लेषण किया है। क्लस्टर के विस्तृत विश्लेषण (तालिका *3.24* देखें) से पता चलता है कि क्लस्टर में औसतन *2.4* लाख रुपये/यूनिट के औसत कारोबार के साथ लगभग *3* कर्मचारी/इकाई उत्पन्न होती है।

तालिका 3.24 क्लस्टर विश्लेषण, पलवल जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	मिश्रित क्लस्टर	10	25	पलवल, फरीदाबाद, गुजरात	24

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

7. मेवात जिला

मेवात जिले को तत्कालीन गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों से अलग कर बनाया गया था। मेवात के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और संबद्ध कृषि आधारित गतिविधियाँ हैं। मेवात में कृषि ज्यादातर वर्षा पर निर्भर है, छोटे क्षेत्रों को छोड़कर जहां नहर सिंचाई उपलब्ध है। पशुपालन, विशेष रूप से डेयरी, आय का द्वितीयक स्रोत है।

जिले के एमएसएमई के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, जिले में 57 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 42 इकाइयां (73.68%) पंजीकृत हैं। इनमें से 16 (38%) पंजीकृत मध्यम और बड़े उद्योगों से संबंधित हैं और शेष (61.9%) सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। जिले की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुएं खाद्य स्वाद, कपास क्रेप बैंडेज, ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक के खिलौने और टैंक, बिल्डिंग स्टोन, प्रिय भोजन, कूलिंग टॉवर, रबर के पुर्जे और मांस आदि हैं। मेवात जिले का एक संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफ़ाइल अनुबंध-3 में दिया गया है।

मेवात जिले में कुछ रासायनिक/रासायनिक आधारित इकाइयाँ, इंजीनियरिंग इकाइयाँ, सूती वस्त्र और कृषि आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं (तालिका 3.25 देखें)। मौजूदा एसएमई और कारीगर इकाइयों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि रासायनिक/रासायनिक आधारित इकाइयों में निवेश का उच्चतम हिस्सा है, इसके बाद कृषि-आधारित इकाइयां हैं, जबकि इंजीनियरिंग इकाइयों ने अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार दिया है, इसके बाद जिले में सूती कपड़ा इकाइयां हैं।

तालिका 3.25 मेवात जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	4	706.4	89
22	सोडा - वाटर	-	-	-
23	सूती कपड़ा	5	191	239
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	-	-	-
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	2	52	94
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	2	73	61
28	कागज और कागज उत्पाद	-	-	-
29	चमड़ा आधारित	-	-	-
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	8	814.65	160
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	-	-	-
32	खनिज आधारित	-	-	-
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	3	53.5	29
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	7	577.4	317
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	-	-	-
97	मरम्मत और सर्विसिंग	4	25.5	36
01	अन्य	7	699.83	131
	कुल	**42**	**3193.28**	**1156**

स्रोत: मेवात जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन के आधार पर, मेवात जिले में मिश्रित उद्यम क्लस्टर का विस्तृत विश्लेषण इंगित करता है कि क्लस्टर में उत्पन्न औसत रोजगार लगभग *3* कर्मचारी/इकाई है, जिसका औसत कारोबार *4.23* लाख/यूनिट है (देखें तालिका *3.26))*

तालिका 3.26 क्लस्टर विश्लेषण, मेवात जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	मिश्रित क्लस्टर, नूह, मेवात	13	43	मेवात	55

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

8. सोनीपत जिला

जिला सोनीपत फसलों, तिलहन, बागवानी पौधों, सब्जियों और फूलों की व्यापक खेती के लिए जाना जाता है।

जिले के एमएसएमई औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, जिले में 13,039 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें नगण्य संख्या में इकाइयाँ यानी 6 (0.04%) मध्यम और बड़ी इकाई की हैं और शेष इकाइयाँ (99.95%) सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। (अनुबंध-3 देखें)। चावल, स्टेनलेस स्टील उत्पाद, बर्तन, कागज उत्पाद, बिजली के सामान और ऑटो पार्ट्स आदि इस जिले की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुओं में से हैं। जिले में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के दो मौजूदा क्लस्टर, अर्थात् कुंडली में स्टेनलेस स्टील क्लस्टर और राय में प्रिंटर और पैकेजर्स क्लस्टर हैं।

जिले में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और कारीगर इकाइयों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि इंजीनियरिंग इकाइयाँ, कृषि आधारित उद्योग, रसायन / रसायन आधारित इकाइयाँ, रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित उद्यम प्रमुख उद्योग हैं जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अधिकतम हिस्सेदारी का गठन करते हैं। जिले में (तालिका 3.27 देखें)। रोजगार के मामले में, जिले में अधिकतम श्रमिक इंजीनियरिंग उद्यमों में लगे हुए हैं, इसके बाद कृषि आधारित और रासायनिक / रसायन आधारित उद्यम हैं।

तालिका 3.27 सोनीपत जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	62	460.00	824
22	सोडा - वाटर	02	10.00	26
23	सूती कपड़ा	32	160.00	329
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	12	120.00	156
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	27	1725.10	484
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	35	350.25	434
28	कागज और कागज उत्पाद	04	200.00	54
29	चमड़ा आधारित	10	560.00	124
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	54	1080.00	636
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	42	840.00	486
32	खनिज आधारित	-	-	-
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	35	380.00	378
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	92	1472.10	1270
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	32	1034.00	482
97	मरम्मत और सर्विसिंग	98	782.00	1368
01	अन्य	8206	947.05	52656
	कुल	**8743**	**10120.50**	**59707**

स्रोत: सोनीपत जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने सोनीपत जिले में पैकेजिंग सामग्री क्लस्टर का विश्लेषण किया है। विश्लेषण इंगित करता है कि उक्त क्लस्टर में औसत रोजगार लगभग *8* कर्मचारी/इकाई है और औसत कारोबार लगभग *4.57* लाख/यूनिट है (तालिका *3.28* देखें)।

तालिका 3.28 क्लस्टर विश्लेषण, जिला सोनीपत

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	पैकेजिंग सामग्री क्लस्टर	40	210	सोनीपत, दिल्ली	183

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

पैकिंग सामग्री निर्माण, राय, सोनीपत[x]

खरखोदा, सोनीपत में लकड़ी का काम[xi]

रबड़ के पुर्जों का निर्माण, सोनीपत[xii]

प्लेट 3.6 सोनीपत में एमएसएमई

9. गुरुग्राम जिला

एमएसएमई संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम जिला ऑटो पार्ट्स, रेडीमेड कपड़ों, चमड़े के उत्पादों, हस्तशिल्प वस्तुओं आदि के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। जिले में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आधारित एमएसएमई दोनों के लिए विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, शीट धातु के कॉम्पोनेन्ट, प्लास्टिक कॉम्पोनेन्ट ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट, इंजीनियरिंग कॉम्पोनेन्ट, चमड़े के

फुटवियर, आदि के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं।

जिले में 24,741 मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से 436 (1.76%) पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाइयाँ हैं और शेष (98.23%) सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। गुरुग्राम जिले का संक्षिप्त औद्योगिक विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

जिले में, इंजीनियरिंग इकाइयों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अधिकतम संख्या है, इसके बाद तैयार वस्त्र और कढ़ाई, धातु आधारित (स्टील फैब।) और रासायनिक / रासायनिक आधारित इकाइयां हैं। निवेश के मामले में, इंजीनियरिंग इकाइयों की अधिकतम हिस्सेदारी (8,94,000 लाख रुपये) है, इसके बाद रासायनिक/रासायनिक आधारित इकाइयों (46,500 लाख रुपये) और कृषि आधारित इकाइयों (45,500 लाख रुपये) का नंबर आता है। रोजगार के मामले में, रेडीमेड गारमेंट और कढ़ाई इकाइयाँ अधिकतम रोजगार प्रदान करती हैं यानी 87380 श्रमिक, इसके बाद जिले में इंजीनियरिंग इकाइयाँ (70,500), चमड़ा (56,400), धातु (30,000) और रासायनिक / रासायनिक आधारित इकाइयाँ (11,830) हैं। तालिका 3.29 देखें)।

तालिका 3.29 गुरुग्राम जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	66	45500	4500
22	सोडा - वाटर	--	--	--
23	सूती कपड़ा	10	9000	1000
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	5	60	50
25	जूट और जूट आधारित	--	--	--
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	1255	5530	87380
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	15	45	120
28	कागज और कागज उत्पाद	36	3600	400
29	चमड़ा आधारित	145	22500	56400
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	616	46500	11830
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	90	7000	850
32	खनिज आधारित	85	5100	2700
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	1035	4200	30000
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	2000	894000	70500
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	28	6500	810
97	मरम्मत और सर्विसिंग	760	228000	3400
01	अन्य	8104	554000	59400
	कुल	**14250**	**3883475**	**329346**

स्रोत: गुरुग्राम जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन ने गुरुग्राम जिले में रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर का विश्लेषण किया है जो इंगित करता है कि क्लस्टर में उत्पन्न औसत रोजगार लगभग *14* कर्मचारी / इकाई है, जिसका औसत कारोबार लगभग *36.50* लाख / यूनिट है (तालिका *3.30* देखें)।

तालिका 3.30 क्लस्टर विश्लेषण, जिला गुरुग्राम

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर	40	540	दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम	1460

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

गुरुग्राम में एक निर्यात-उन्मुख गारमेंट फैक्ट्री[xiii]

पाइपिंग और निर्माण कार्य, सूरत नगर, गुरुग्राम[xiv]

प्लेट 3.7 गुरुग्राम में एमएसएमई

3.4.2 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

1. बुलंदशहर जिला

बुलंदशहर जिला मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक उत्पादों के निर्माण के लिए जाना जाता है। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों का समूह है जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समूहों में से एक है, जो बुलंदशहर जिले में स्थित है। एमएसएमई-विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 5,565 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें मध्यम और बड़ी इकाइयों की हिस्सेदारी नगण्य है यानी 5 इकाइयां (0.08%) हैं लेकिन 99.91% औद्योगिक इकाइयों की हिस्सेदारी के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यम इस क्षेत्र पर हावी हैं। एक संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफ़ाइल बुलंदशहर जिला अनुबंध-3 में दिया गया है।

जिले में, कृषि आधारित इकाइयों (894) में विनिर्माण इकाइयों का सबसे अधिक हिस्सा है, इसके बाद लकड़ी / लकड़ी आधारित फर्नीचर (333), तैयार वस्त्र और कढ़ाई (278) और धातु आधारित (184) हैं। रोजगार के मामले में भी, कृषि आधारित इकाइयों में श्रमिकों का अधिकतम हिस्सा होता है, इसके बाद लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर और तैयार वस्त्र और कढ़ाई होती है (तालिका 3.31 देखें)।

तालिका 3.31 बुलंदशहर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	894	482.3	4470

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
22	सोडा - वाटर	-	-	-
23	सूती कपड़ा	3	1.65	15
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	-	-	-
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	278	150.1	1395
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	333	179.85	1660
28	कागज और कागज उत्पाद	49	26.45	251
29	चमड़ा आधारित	44	23.78	219
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	43	22.22	217
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	49	26.48	250
32	खनिज आधारित	-	-	-
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	184	99.36	915
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	34	18.36	173
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	102	55.08	512
97	मरम्मत और सर्विसिंग	2363	1276.05	11820
01	अन्य	1189	688.52	6352
	कुल	**5565**	**3050.2**	**28249**

स्रोत: बुलंदशहर जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

खुर्जा पॉटरी क्लस्टर में, लगभग 300 इकाइयां विभिन्न प्रकार के सिरेमिक उत्पादों जैसे स्टोनवेयर, बोन चाइना क्रॉकरी, एचटी (हाई टेंशन) और एलटी (लो टेंशन) इंसुलेटर, सैनिटरी वेयर, डेकोरेटिव वेयर, केमिकल पोर्सिलेन आदि के उत्पादन में लगी हुई हैं। क्लस्टर में आश्रित और स्वतंत्र मिट्टी के बर्तन इकाइयाँ शामिल हैं, हालाँकि, स्वतंत्र मिट्टी के बर्तनों के निर्माताओं के पास कच्चे माल के प्रसंस्करण से लेकर फायरिंग तक की एकीकृत उत्पादन सुविधाएँ हैं। ऐसे कुम्हारों के अपने संघ हैं, जैसे क्रमशः केएचपीए (कुटीर अवम हस्त-शिल्प पॉटर्स एसोसिएशन) और केपीएमए (खुर्जा पॉटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन)। खुर्जा में अधिकांश इकाइयों को प्रौद्योगिकी में उन्नति की आवश्यकता है क्योंकि वे अभी भी अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं यानी डॉवंड्राफ्ट भट्टों का उपयोग जिसमें उच्च उत्पादन लागत और ईंधन की खपत होती है लेकिन कम लाभ होता है और प्रदूषण भी होता है।

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तनों के समूहों के विकास को मजबूत करने के लिए, खुर्जा में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजी एंड आरआई) स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और ऐसे समूहों को आवश्यक तकनीकी सहायता (परीक्षण और तकनीकी सुविधाएं) प्रदान कर रहा है। खुर्जा में सीजी एंड आरआई का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में सिरेमिक उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना है।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन के लिए किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि क्लस्टर यानी जरी / कढ़ाई, अंडरगारमेंट्स (कपास), मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक को विकसित करने के लिए लिया जा सकता है क्योंकि इनमें विकास और उनके विकास की अच्छी क्षमता है। इन्हें आवश्यक कठोर और नरम हस्तक्षेप के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

क्लस्टर विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करती है कि जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर, अंडर-गारमेंट्स (कॉटन) क्लस्टर और पॉटरी और सिरेमिक क्लस्टर्स क्रमशः लगभग 3, 3 और 6 कर्मचारियों/यूनिट का औसत रोजगार उत्पन्न करते हैं। यह पाया गया है कि अन्य मौजूदा क्लस्टरों में, जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर का कारोबार लगभग 3.10 लाख रुपये/यूनिट का है, इसके बाद अंडरगारमेंट्स (कॉटन) क्लस्टर यानी 2.2 लाख रुपये और मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक क्लस्टर (1.81 लाख रुपये) हैं। विवरण तालिका 3.32 में दिया गया है।

तालिका 3.32 क्लस्टर विश्लेषण, जिला बुलंदशहर

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक क्लस्टर	380	2,280	खुर्जा	688
2	जरी/कढ़ाई क्लस्टर	100	321	बुलंदशहर, जहांगीराबाद,	310
3	अंडर गारमेंट्स (कॉटन) क्लस्टर	100	330	सिकंदराबाद	220

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

मिट्टी के बर्तन बनाना खुर्जा[xv]

जरदोजी कढ़ाई, बुलंदशहर[xvi]

प्लेट 3.8 बुलंदशहर में एमएसएमई

2. गाजियाबाद जिला (हापुड़ सहित)

एमएसएमई-विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद जिले में 5957 औद्योगिक इकाइयां थीं, जिनमें से केवल 1796 पंजीकृत हैं (अनुलग्नक-3 देखें)। इस रिपोर्ट के अनुसार, जिले में लघु उद्योगों में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की अनुमानित औसत संख्या 17,221 थी।

जिले में विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण की इकाइयों की अधिकतम हिस्सेदारी है, इसके बाद तैयार वस्त्र और कढ़ाई, और खनिज आधारित उद्योग हैं। निवेश के मामले में, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण में सबसे अधिक 637.40 लाख रुपये की हिस्सेदारी है, इसके बाद 2 इकाइयों (500.00 लाख रुपये), सूती वस्त्र (407.00 लाख रुपये) के साथ सोडा वाटर का स्थान है। जिले में विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण उद्यम अधिकतम रोजगार प्रदान करते हैं, इसके बाद ऊनी, रेशम और कृत्रिम धागे आधारित कपड़े और तैयार वस्त्र और कढ़ाई उद्यम हैं (तालिका 3.33) देखें।

तालिका 3.33 गाजियाबाद जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	24	100.90	176
22	सोडा - वाटर	2	500.00	100
23	सूती कपड़ा	13	407.00	96
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	3	110.00	1462

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	85	207.90	1262
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	23	58.70	218
28	कागज और कागज उत्पाद	26	141.10	171
29	चमड़ा आधारित	--	--	--
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	--	--	--
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	21	50.30	155
32	खनिज आधारित	38	153.50	505
33	धातु आधारित (स्टील फैब।)	19	46.90	139
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	22	55.30	135
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	123	637.40	1517
97	मरम्मत और सर्विसिंग	45	105.10	781
01	अन्य	437	1339.70	1872
	कुल	**881**	**3913.8**	**8589**

स्रोत: गाजियाबाद जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

एनसीआरपीबी द्वारा आयोजित अध्ययन के लिए किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि मोधा (बेंत और बांस उत्पाद) क्लस्टर, बोन एक्सेसरीज क्लस्टर और टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं, केवल तभी जब क्षेत्र में आवश्यक नरम और कठोर हस्तक्षेप किया जाता है।

क्लस्टर विश्लेषण आगे संकेत करता है कि मोधा क्लस्टर, बोन एक्सेसरीज़ क्लस्टर और टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर, लगभग रु. 1.61 लाख/यूनिट, रु. 3.54 लाख/यूनिट और क्रमशः रु. 5.15 लाख/यूनिट के औसत कारोबार के साथ लगभग 4, 3 और 5 कर्मचारियों/यूनिट का औसत रोजगार उत्पन्न करता है। इन समूहों का विवरण नीचे तालिका 3.34 में दिया गया है:

तालिका 3.34 क्लस्टर विश्लेषण, गाजियाबाद जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	मोधा (बेंत और बांस उत्पाद) क्लस्टर	100	397	गढ़ मुक्तेश्वर और आसपास के क्षेत्र	161
2	बोन एक्सेसरीज क्लस्टर	200	648	लोनी, दिल्ली, मुंबई	708

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
3	टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर, पिलाखुवा	190	958	पिलखुवा, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली	979

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

बुनाई गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से के लिए एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। पिलखुवा में टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर की बड़ी मात्रा है। पिलखुवा में खेस, चादरें, तौलिये, दरी/लोही, तिरपाल आदि का भी निर्माण किया जाता है (देखें प्लेट 3.9)। बाजार में इन वस्तुओं की अच्छी मांग है। इसे ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई-विकास संस्थान/एमएसएमई मंत्रालय पिलखुआवा में एक हैंडलूम क्लस्टर विकसित करने की प्रक्रिया में है।

यह जिला होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव फैब्रिक, फैशन एक्सेसरीज, फ्रोजन मीट, बीयर और फार्मास्यूटिकल्स, स्टील इनगॉट, साइकिल, आयुर्वेदिक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, पॉलिएस्टर बटन, व्हाइट क्रिस्टल शुगर, पीयू फोम, ऑटोमोबाइल पिस्टन और अंगूठियां, स्टेनलेस स्टील के तार और बार, उच्च और निम्न कार्बन स्टील के तार, प्लास्टिक मोल्ड फर्नीचर, स्टील सिल्लियां, स्टील ब्लेड और मिश्र धातु इस्पात, क्राफ्ट पेपर, आदि से संबंधित निर्यात के लिए प्रसिद्ध है।

मोढ़ा क्लस्टर, गढ़ मुक्तेश्वर[xvii]

हड्डी का सामान, लोनी[xviii]

टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग, पिलखुवा[xix]

टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग, पिलखुवा

प्लेट 3.9 पिलखुवा, गाजियाबाद में एमएसएमई

3. मेरठ जिला

2010-11 के दौरान जिले में लगभग 8197 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ थीं, जिनमें से 13 मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग हैं और शेष सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। जिले में लघु उद्योगों में लगभग 48280 व्यक्ति कार्यरत थे (अनुबंध-3 देखें)।

रिपेयरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के अलावा, जिले में रेडीमेड गारमेंट्स और कढ़ाई की अधिकतम इकाइयाँ (807) हैं, इसके बाद धातु आधारित (537) और कृषि-आधारित इकाइयाँ (304) हैं। इसी तरह, रेडीमेड कपड़ों और कढ़ाई में निवेश का उच्चतम हिस्सा (रु. 6593.19 लाख) है, इसके बाद धातु आधारित और कृषि आधारित इकाइयां हैं (तालिका 3.35 देखें)। रोजगार के मामले में भी, तैयार वस्त्र और कढ़ाई जिले में रोजगार का अधिकतम हिस्सा है, इसके बाद धातु आधारित और कृषि आधारित इकाइयां हैं।

तालिका 3.35 मेरठ जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	304	2484.95	1791
22	सोडा - वाटर	-	-	-
23	सूती कपड़ा	76	620.92	447
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	23	187.91	135
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	807	6593.19	4753
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	213	1740.21	1255
28	कागज और कागज उत्पाद	63	514.71	371
29	चमड़ा आधारित	221	1805.57	1302
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	57	465.69	336
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	52	424.84	306
32	खनिज आधारित	4	32.68	24

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	537	4387.29	3163
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	103	841.51	607
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	67	547.39	395
97	मरम्मत और सर्विसिंग	2981	24240.46	17557
01	अन्य	2689	21969.13	15838
	कुल	**8197**	**66856.49**	**48280**

स्रोत: मेरठ जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआरपीबी द्वारा आयोजित अध्ययन के दौरान किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स क्लस्टर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स (बैंड बाजा) क्लस्टर और कैंची क्लस्टर में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन आवश्यक सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन के प्रावधान के बाद ही (प्लेट देखें) 3.10)।

स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर, आर्टिफिशियल आभूषण क्लस्टर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स (बैंड बाजा) क्लस्टर और कैंची क्लस्टर की क्लस्टर विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करती है कि संबंधित क्लस्टर में औसत रोजगार लगभग 7, 3, 4 और 3 कर्मचारी / यूनिट है, जिसका औसत कारोबार क्रमशः 5.59 रुपये, 4.28, 2.04 और 1.32 लाख/यूनिट, है। इन समूहों का विवरण तालिका 3.36 में दिया गया है।

तालिका 3.36 क्लस्टर विश्लेषण, मेरठ जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	खेल सामग्री क्लस्टर	9,000	61,920	Meerut, Delhi, NCR	50310
2	कृत्रिम आभूषण क्लस्टर	1,600	4,144	Meerut	6848
3	संगीत वाद्ययंत्र (बैंड बाजा) क्लस्टर	95	341	Meerut	194
4	कैंची क्लस्टर	180	484	Meerut	238

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

खेल के सामान का निर्माण, मेरठ[xxi]

खेल के सामान का निर्माण, मेरठ[xxii] & [xxiii]

मेरठ में निर्मित कृत्रिम आभूषण[xxiv]

तुरही और ढोल निर्माण, मेरठ[xxv]

कैंची निर्माण, मेरठ[xxvi]

प्लेट 3.10 मेरठ में एमएसएमई

4. बागपत जिला

बागपत जिला एनसीटी-दिल्ली से सटा हुआ है। हालांकि, लगभग 70% लोग अभी भी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं और जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। जिले में वस्त्रों में काम करने वाली छोटी इकाइयां भी शामिल हैं, लेकिन इसमें न्यूनतम बुनियादी ढांचा है जो लघु-स्तरीय इकाइयों की स्थापना के लिए जरुरी है। कुल मिलाकर जिले में संसाधन आधारित और मांग आधारित उद्योगों की अच्छी संभावनाएं हैं।

संसाधन आधारित उद्योग कृषि, बागवानी, वन और पशुधन आधारित हो सकते हैं, हालांकि, मांग आधारित उद्योगों को यांत्रिक और इंजीनियरिंग, रसायन, विद्युत, खाद्य आधारित और विविध उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

विभिन्न उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं के लिए उपलब्ध संसाधनों, कर्मचारी और मांग के आधार पर, ऐसे सामानों के टेस्ट, फैशन और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के साथ, बागपत जिले में अच्छी संख्या में लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। जिले का संक्षिप्त औद्योगिक विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

जिले में, सूक्ष्म और लघु उद्यम बड़े पैमाने पर कृषि आधारित हैं जिनमें 908 इकाइयां शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म और लघु उद्यम तैयार वस्त्र और कढ़ाई इकाइयाँ और लकड़ी / लकड़ी आधारित फर्नीचर हैं। निवेश के मामले में, कृषि आधारित इकाइयों की हिस्सेदारी सबसे अधिक (4906.30 लाख रुपये) है, इसके बाद लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर, धातु आधारित (स्टील फैब) और सूती वस्त्र हैं। रोजगार के मामले में भी, कृषि आधारित इकाइयां जिले में रोजगार का अधिकतम हिस्सा (4040 श्रमिक) है, इसके बाद रेडीमेड वस्त्र और कढ़ाई, लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर, सूती कपड़ा और धातु आधारित इकाइयां हैं। बागपत जिले के मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और कारीगर इकाइयों का विवरण नीचे तालिका 3.37 में दिया गया है।

तालिका 3.37 बागपत जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	908	4906.30	4040
22	सोडा - वाटर	--	--	--
23	सूती कपड़ा	125	1758.33	629
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	--	--	--
25	जूट और जूट आधारित	-	-	-
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	590	295.20	2902
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	217	2956.46	1090
28	कागज और कागज उत्पाद	4	56.26	70
29	चमड़ा आधारित	22	309.46	85
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	8	112.53	82

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	12	168.80	68
32	खनिज आधारित	--	--	--
33	धातु आधारित (स्टील फैब।)	192	2698.16	576
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	114	1635.60	456
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	106	1491.06	303
97	मरम्मत और सर्विसिंग	210	2954.00	790
01	अन्य	121	1745.06	617
	कुल	**2629**	**16390.16**	**11708**

स्रोत: बागपत जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआरपीबी द्वारा आयोजित अध्ययन के लिए किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि बागपत जिले में हथकरघा क्लस्टर में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं, यदि आवश्यक हो तो जिले में आसान और कठिन व्यवधान किया जा सकता है। क्लस्टर में सृजित औसत रोजगार लगभग *3.12* लाख/यूनिट के औसत कारोबार के साथ लगभग *3* कर्मचारी/इकाई है (तालिका *3.38)* देखें।

तालिका *3.38* क्लस्टर विश्लेषण, बागपत जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	हथकरघा क्लस्टर	285	949	खेकड़	892

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

हथकरघा फर्श मैट, रंगीन बेडस्प्रेड, तकिया कवर और पर्दे आदि निर्माण, बागपत[xxvii]

प्लेट 3.11 बागपत में एमएसएमई

5. गौतमबुद्ध नगर जिला

एमएसएमई मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में गौतमबुद्धनगर में कुल 6,349 औद्योगिक इकाइयाँ थीं, हालाँकि, इनमें से केवल 1,063 पंजीकृत थीं (अनुलग्नक-3 देखें)। जिले में, सूक्ष्म और लघु उद्यम औद्योगिक इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।

होजरी और वस्त्र, कागज उत्पाद और छपाई, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, विद्युत मशीनरी और उपकरण, धातु उत्पाद और चमड़े के उत्पाद जिले के कुछ महत्वपूर्ण उद्यम हैं। निवेश के मामले में, होजरी और कपड़ों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद विविध विनिर्माण उद्योग और इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी और पुर्जे हैं। इसके अलावा, होजरी और वस्त्र क्षेत्र में रोजगार का अधिकतम हिस्सा है, इसके बाद विविध विनिर्माण उद्योग, कागज उत्पाद और छपाई और रबर और प्लास्टिक उत्पाद हैं (तालिका 3.39 देखें)।

तालिका 3.39 गौतमबुद्धनगर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20-21	खाद्य उत्पाद	229	89079.98	3622
22	पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	125	66284.36	1538
23	सूती वस्त्र	183	7277.70	2149
24	ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर, कपड़ा	335	25346.81	3366
25	जूट, जूट और मेस्टा वस्त्र	77	1036.54	754
26	होजरी और गारमेंट्स	3249	1315938.00	76716

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
27	लकड़ी उत्पाद	404	1609.38	2923
28	कागज उत्पाद और छपाई	1420	265190.80	20123
29	चर्म उत्पाद	427	139884.90	7220
30	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	1169	587140.10	17395
31	रासायनिक और रासायनिक उत्पाद	304	47162.12	4232
32	गैर-धातु खनिज उत्पाद	140	58523.90	3056
33	बुनियादी धातु उद्योग	602	103047.30	5404
34	धातु उत्पाद	619	49104.79	7440
35	इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी और पुर्जे	776	282140.80	11420
36	विद्युत मशीनरी और उपकरण	892	140538.50	12110
37.	परिवहन उपकरण और पुर्जे	362	135543.00	5316
38	विविध एमएफजी उद्योग	1178	1137514.00	36432
96-97	मरम्मत और सर्विसिंग उद्योग	1395	39575.84	10925
	कुल	**14048**	**4383534.00**	**234560**

स्रोत: गौतमबुद्धनगर जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार.

एनसीआरपीबी द्वारा आयोजित अध्ययन के लिए किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर में क्षेत्र में आवश्यक सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन के प्रावधान पर विकास की अच्छी संभावनाएं हैं (देखें प्लेट 3.12)। रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर और फ़र्नीचर (वुडवर्क) क्लस्टर की क्लस्टर विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, इन संबंधित क्लस्टर में औसत रोज़गार 13 और 3 कर्मचारी/इकाई है, जिसका औसत टर्नओवर लगभग रु. 8.45 और रु. 2.16 लाख/यूनिट, क्रमशः (तालिका 3.40 देखें)।

तालिका 3.40 क्लस्टर विश्लेषण, गौतमबुद्ध नगर जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर	60	790	दिल्ली, नोएडा	507
2	फर्नीचर (लकड़ी का काम) क्लस्टर	50	130	नोएडा	108

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर[xxviii]

ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर[xxix]

फर्नीचर निर्माण (लकड़ी का काम), नोएडा[xxx]

प्लेट 3.12 गौतमबुद्ध नगर में एमएसएमई

3.4.3 राजस्थान उप-क्षेत्र

1. अलवर जिला

अलवर जिले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित लगभग 87 मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ये उद्योग शेविंग ब्लेड्स, हैंड टूल्स, एल्युमीनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट, सर्जिकल ब्लेड, सिंथेटिक ब्लेंडेड फैब्रिक, खाली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, लेदर शूज, सब्सक्राइबर कैरियर सिस्टम, टायर-ट्यूब, पिक्चर ट्यूब, केमिकल्स, सैनिटरी आइटम, क्रॉकरी, सूटिंग, स्लेट टाइल, विभिन्न रसायन जैसे कैल्शियम साइनाइड, क्षार नमक, मोपेड, पीवीसी केबल सेनेटरी वेयर, रेडीमेड वस्त्र आदि जैसे उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का निर्यात कर रहे हैं। जिले का संक्षिप्त औद्योगिक विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

खाद्य उत्पाद इकाइयाँ जिले में सबसे अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयाँ बनाती हैं, इसके बाद जूट, जूट और मेस्टा कपड़ा, पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद और लकड़ी के उत्पाद हैं। निवेश के मामले में, ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर, कपड़ा का हिस्सा जिले में सबसे अधिक है, इसके बाद जूट, जूट और मेस्टा कपड़ा और अन्य खाद्य उत्पाद हैं। इसके अलावा, रोजगार के संबंध में, कागज उत्पादों और प्रिंटिंग उद्यमों का अधिकतम हिस्सा है, इसके बाद चमड़े के उत्पाद, ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर, कपड़ा और जूट, जूट और मेस्टा कपड़ा उद्यम हैं (तालिका 3.41 देखें)।

तालिका 3.41 अलवर जिले में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	खाद्य उत्पाद	2500	13011	7500
21	अन्य खाद्य उत्पाद	1300	15015.25	6000
22	पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद	1980	10015	5580
23	सूती वस्त्र	20	9015	600
24	ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर, कपड़ा	1541	20001	8000
25	जूट, जूट और मेस्टा वस्त्र	2001	18338	8000
26	होजरी और गारमेंट्स	1260	7338	6500
27	काष्ठ उत्पाद	1910	11538	7500
28	कागज उत्पाद और छपाई	1620	9538	9800
29	चर्म उत्पाद	1070	8500	9300
30	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	1600	7500	5750
31	रासायनिक और रासायनिक उत्पाद	1700	11300	6800
32	गैर धातु खनिज उत्पाद	1480	12600	5800

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
33	बुनियादी धातु उद्योग	1270	14800	4000
35	इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी और पुर्जे	1360	13200	4256
36	विद्युत मशीनरी और उपकरण	1360	10200	4200
97	मरम्मत सेवाएं	570	14200	6500
01	अन्य	372	12300	6700
	कुल	**24914**	**218409.25**	**112786**

स्रोत: अलवर जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

प्रोसेस्ड फूड, ऑटो कंपोनेंट, खाद्य तेल, सीमेंट पाइप, जैली, लेदर टैनिंग आदि जिले की कुछ प्रमुख औद्योगिक गतिविधियाँ हैं; हालाँकि, इन निर्माण गतिविधियों के अलावा, जिले में इंजीनियरिंग कार्यशाला, सौंदर्य और हर्बल चिकित्सा, दो और चार पहिया सेवा कार्यशालाओं जैसे सेवा क्षेत्र के क्लस्टर भी मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा कुछ समूहों की पहचान की गई है जिनमें चमड़े का जूटा और चमड़े की कमाना, मूर्ति निर्माण, मिट्टी के बर्तन, गलीचा, रस्सी बनाना, पत्थर काटना, टोकरी, तेल मिल, लोहे का निर्माण और टेराकोटा शामिल हैं (देखें प्लेट 3.13)।

एनसीआरपीबी द्वारा आयोजित अध्ययन के लिए किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि टेराकोटा क्लस्टर, लेदर क्लस्टर और मूर्तिकला क्लस्टर में क्षेत्र में आवश्यक सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन के प्रावधान पर विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। इन तीन समूहों की क्लस्टर विश्लेषण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि इन संबंधित क्लस्टर में औसत रोजगार 4, 5 और 3 कर्मचारी/इकाई है, जिसका औसत कारोबार क्रमशः 2.34 लाख रुपये, 2.91 लाख रुपये और 2.69 लाख रुपये/यूनिट है। तालिका 3.42 देखें)।

तालिका 3.42 क्लस्टर विश्लेषण, अलवर जिला

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1	टेराकोटा क्लस्टर, रामगढ़	35	141	रामगढ़	82
2	मूर्तिकला क्लस्टर, रामगढ़	200	564	अलवर, मकराना, रामगढ़	538
3	चमड़ा क्लस्टर, इस्माइलपुर, किशनगढ़	100	481	दिल्ली, रेवाड़ी, इस्माइलपुर, किशनगढ़	291

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

टेराकोटा क्लस्टर, रामगढ़[xxxi]

चमड़ा (फुटवियर बनाना) क्लस्टर, किशनगढ़[xxxii]

मुर्तिकाला क्लस्टर, रामगढ़[xxxiii]

प्लेट 3.13 अलवर जिले में एमएसएमई

3.4.4 एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र

एमएसएमई-विकास संस्थान, एनसीटी दिल्ली द्वारा तैयार एनसीटी दिल्ली के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, कुल 1,29,000 औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से केवल 20,986 इकाइयाँ पंजीकृत हैं (अनुलग्नक 3 देखें)। एनसीटी दिल्ली में लगभग 875 सूक्ष्म और लघु उद्यम और शिल्पकार इकाइयाँ हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख सूक्ष्म और लघु उद्यम विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण, रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित उत्पाद, धातु (स्टील फैब), इंजीनियरिंग सामान और तैयार वस्त्र और कढ़ाई (तालिका

3.44) से संबंधित हैं।

तालिका 3.43 एनसीटी-दिल्ली में मौजूदा सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों का विवरण

एनआईसी कोड संख्या	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (रुपये लाख में)	रोजगार (संख्या में)
20	कृषि आधारित	19	475	608
22	सोडा - वाटर	--	--	--
23	सूती कपड़ा	2	45	45
24	ऊनी, रेशमी और कृत्रिम धागे पर आधारित कपड़े	2	36	40
25	जूट और जूट आधारित	7	210	280
26	तैयार वस्त्र और कढ़ाई	60	1500	1920
27	लकड़ी/लकड़ी आधारित फर्नीचर	17	595	595
28	कागज और कागज उत्पाद	55	1925	1375
29	चमड़ा आधारित	22	748	660
31	रासायनिक/रासायनिक आधारित	9	315	135
30	रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित	142	5254	2556
32	खनिज आधारित	1	35	24
33	धातु आधारित (स्टील फैब)	83	2905	2075
35	इंजीनियरिंग इकाइयां	73	2701	2044
36	विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण	151	5436	5285
97	मरम्मत और सर्विसिंग	85	3230	2550
01	अन्य	232	10690	9521
	कुल	**960**	**36100**	**29713**

स्रोत: एनसीटी दिल्ली जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, (एमएसएमई-विकास संस्थान), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

एनसीआर के सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर किए गए अध्ययन में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण विश्लेषण से संकेत मिलता है कि गैर-चमड़े के उत्पाद, धातु निर्माण, छपाई, प्लास्टिक, फर्नीचर, हथकरघा, कागज उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, मिश्रित, कपड़ा परिष्करण, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्लस्टर उपकरण, जरी/कढ़ाई, छपाई और प्रकाशन, रेडीमेड वस्त्र, आभूषण, टोकरी के बर्तन और चमड़े के उत्पादों में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं (देखें प्लेट 3.14)।

गैर-चमड़ा उत्पाद क्लस्टर (उत्तरी दिल्ली), फर्नीचर क्लस्टर, गैर-चमड़े के फुटवियर क्लस्टर (पश्चिम दिल्ली) और रेडीमेड वस्त्र (पूर्वी दिल्ली), लगभग 6.30 लाख, 5.13 लाख, 8.38 लाख और 4.34 लाख रुपये का प्रति यूनिट के साथ 9,

3, 6 और 5 कर्मचारियों/इकाई का औसत रोजगार प्रदान करते हैं।(तालिका 3.44 देखें)। इसके अलावा, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग क्लस्टर, जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर (दक्षिण दिल्ली), ज्वैलरी क्लस्टर, लेदर प्रोडक्ट्स क्लस्टर (सेंट्रल दिल्ली) के मामले में, इनमें से औसतन 12, 7, 5 और 5 कर्मचारी/यूनिट का सृजन करते हैं। इकाई औसत कारोबार क्रमश: 7.75 लाख, 3.03 लाख, 1.61 लाख और 3.46 लाख है।

तालिका **3.44** क्लस्टर विश्लेषण, एनसीटी दिल्ली

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
1.	गैर-चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, नरेला	900	8,379	दिल्ली	5670
2.	मेटल फैब्रिकेशन क्लस्टर, धीरपुर	60	194	दिल्ली	157
3.	गैर चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, मादीपुर	500	2,920	दिल्ली	4190
4.	प्रिंटिंग क्लस्टर, नरैना	84	1,216	दिल्ली	151
5.	प्लास्टिक क्लस्टर, उद्योग नगर	36	357	दिल्ली	200
6.	फर्नीचर क्लस्टर, कीर्ति नगर	495	1,698	दिल्ली	2544
7.	हथकरघा क्लस्टर, सुंदर नगरी/नंद नगरी	50	260	दिल्ली	197
8.	कागज उत्पाद क्लस्टर, पुश्ता	30	152	दिल्ली	132
9.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गांधी नगर	9500	50,825	दिल्ली	41230
10.	मिश्रित क्लस्टर, करावल नगर	50	194	दिल्ली	236
11.	टेक्सटाइल फिनिशिंग क्लस्टर, सीलमपुर	48	189	दिल्ली	128
12.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण क्लस्टर, ओखला	8	85	दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम	132
13.	जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर, जाकिर नगर	100	716	दिल्ली, सूरत	303
14.	पैकेजिंग सामग्री क्लस्टर, ओखला	18	165	दिल्ली	114
15.	मुद्रण और प्रकाशन क्लस्टर, ओखला	40	484	दिल्ली	310

क्रमांक	गतिविधि का नाम	क्लस्टर में उद्यम (लगभग)	रोजगार सृजित (लगभग संख्या)	कच्चे माल का स्रोत	अनुमानित कारोबार (रुपये लाख में)
16.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, ओखला	40	250	दिल्ली	244
17.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गोविंद पुरी	40	296	दिल्ली	130
18.	ज्वैलरी क्लस्टर, दरीबा कलां	300	1,458	दिल्ली	483
19.	बास्केटवेयर क्लस्टर, मोतिया खान	50	318	दिल्ली	97
20.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, नबी करीम, पहाड़गंज	190	961	दिल्ली	657

स्रोत: एनसीआर, एनसीआरपीबी में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन

आभूषण निर्माण, दरीबा कलां,[xxxiv]

सजावटी हस्तशिल्प निर्माण, दिल्ली[xxxv]

गारमेंट निर्माण, संगम विहार[xxxvi]

हस्तशिल्प वस्तुएं, शकूरपुर[xxxvii]

पैकेजिंग यूनिट, दरीबा कलां[xxxviii]

टेक्सटाइल (हाथ की कढ़ाई), पटेल नगर[xxxix]

चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, नबी करीम, दिल्ली[xl]

फर्नीचर निर्माण इकाई, कीर्ति नगर, दिल्ली[xli]

मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा इकाई, मालवीय नगर, दिल्ली[xlii]

मिश्रित उत्पाद निर्माण, ओखला, दिल्ली[xliii]

प्लेट 3.14 एनसीटी-दिल्ली में एमएसएमई

3.5 विभिन्न समूहों के स्थानिक विकास में तुलनात्मक विश्लेषण और बाधाएं

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी के अध्ययन से पता चलता है कि एनसीटी दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर की एकाग्रता है, हालांकि, इसमें सूक्ष्म उद्यमों की संख्या सबसे अधिक है। विकास के मामले में, हरियाणा उप-क्षेत्र और एनसीआर के उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र ने एमएसएमई के कुछ क्षेत्रों में विकास का अनुभव किया है। एनसीआर के विभिन्न उप-क्षेत्रों के बीच एमएसएमई समूहों का स्थानिक वितरण **मानचित्र 3.1** में दिखाया गया है। इसके अलावा, उप-क्षेत्रवार तुलनात्मक विश्लेषण और स्थानिक विकास में बाधाएं निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई हैं।

हरियाणा उप क्षेत्र: हरियाणा उप-क्षेत्र में अधिकांश सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण क्लस्टर पानीपत और फरीदाबाद जिलों में स्थित हैं। इस उप-क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यम मुख्य रूप से हल्के इंजीनियरिंग उद्यम हैं या जो ऑटोमोबाइल उद्योग के सहायक हैं; उदाहरण के लिए, फरीदाबाद में लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर, रोहतक में नट और बोल्ट क्लस्टर और पानीपत में टेक्सटाइल एंटरप्राइज क्लस्टर हैं। हरियाणा उप-क्षेत्र का औद्योगिक विकास ऑटोमोबाइल क्षेत्र की ओर झुका है; यह गुरुग्राम जिले में मारुति उद्योग संयंत्र की स्थापना और केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) में ऑटोमोबाइल घटकों की उच्च मांग के कारण हो सकता है।

उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र: मेरठ जिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बगल में समूहों की उच्च एकाग्रता है। यह देखा गया है कि मेरठ शहर में **18** से अधिक क्लस्टर हैं। मेरठ शहर में एमएसएमई समूहों की उच्च एकाग्रता का कारण जिले के भीतर पड़ोसी क्षेत्र (सरधना, मवाना आदि) में सहायक उद्यमों की उपलब्धता हो सकती है। मेरठ के भीतर और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और दिल्ली आदि के पड़ोसी शहरी क्षेत्रों में उत्पादों के लिए एक मजबूत बाजार की उपस्थिति और व्यापारिक गतिविधियों की एकाग्रता भी उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में एक विनिर्माण केंद्र के रूप में मेरठ के विकास के प्रमुख कारक हैं। मेरठ के अलावा, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के अन्य जिलों यानी गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों में भी कई एमएसएमई क्लस्टर हैं। गाजियाबाद, एक औद्योगिक शहर होने के कारण जिले में सहायक सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के विकास के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में हथकरघा, रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी के उत्पाद और अन्य विविध विनिर्माण उद्यमों से संबंधित अन्य एमएसएमई का एक बड़ा एकाग्रता है।

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में समूहों की सघनता अधिक है क्योंकि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आदि जैसे बड़े शहरों की उपस्थिति और एनसीटी दिल्ली (उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार होने) से निकटता मांग-आपूर्ति संबंधों को दृढ़ता से प्रभावित कर रही है। ये बड़े शहर मुख्य रूप से उत्पादों के बाजार के रूप में कार्य करते हैं। बाजार और सरकार की नीतियों के अलावा, कच्चे माल का स्रोत और आपूर्ति और सामान्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के विकास और अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राजस्थान उप क्षेत्र: राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर जिला शामिल है, जिसमें लगभग **10** प्रमुख क्लस्टर हैं। क्लस्टर के सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार और डीआईसी जिले में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों सहित विभिन्न समूहों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके अलावा, स्थानीय कच्चे माल जैसे संगमरमर और मिट्टी ने जिले में कारीगर समूहों के विकास में मदद की है। इन समूहों को जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बड़े पर्यटक बाजार का अतिरिक्त लाभ है।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के अध्ययन से पता चलता है कि राजस्थान उप-क्षेत्र में सूक्ष्म और घरेलू विनिर्माण उद्यमों की उत्पत्ति और विकास के मुख्य कारक उनके उत्पादों के लिए बड़े बाजार की उपस्थिति है जिसके बाद सरकार का सहयोग है। एनसीटी दिल्ली से निकटता भी जिले में एमएसएमई समूहों की एकाग्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र: एनसीटी दिल्ली में बेहतर बुनियादी ढांचे की स्थिति, बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति, बेहतर सड़क और रेल संपर्क आदि के कारण क्लस्टर का उच्च घनत्व है। इसके अलावा, एनसीटी दिल्ली मांग-आपूर्ति, कच्चे माल की खरीद/बिक्री और उत्पादों के मार्केटिंग के लिए व्यापारियों और व्यापारिक गतिविधियों

का गढ़ है। कुशल श्रम और प्रशिक्षण संस्थानों की उपलब्धता का तुलनात्मक लाभ दिल्ली को प्राप्त है। एनसीटी दिल्ली, एमएसएमई मंत्रालय की सीट होने के नाते, तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह के विभिन्न संस्थानों द्वारा जागरूकता पैदा करने के मामले में कई पहल की गई है। इस एकाग्रता का एक अन्य कारक दिल्ली का ऐतिहासिक परंपरा है जिसका विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव है।

बड़े/भारी उद्योगों के साथ-साथ खतरनाक, अप्रिय उद्योगों (जो सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के विकास के अवसर प्रदान करता है) की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध और गतिविधि, जनशक्ति और बिजली की खपत के मामले में लघु उद्योगों पर प्रतिबंध एनसीटी दिल्ली में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के विकास के लिए कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। एनसीटी-दिल्ली में, डीएसआईआईडीसी द्वारा संचालित और प्रबंधित कई नियमित औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन घरेलू उद्यमों/अन्य समूहों की देखभाल करने वाला कोई प्राधिकरण नहीं है। यह देखा गया है कि उद्योग आयुक्तालय के पास जिला स्तर पर उद्यमों के विकास की निगरानी के लिए जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) जैसा कोई विकेन्द्रीकृत कार्यालय नहीं है।

उप-क्षेत्रों में क्लस्टरों का तुलनात्मक लाभ **अनुबंध-4** में दिया गया है।

3.6 संभावित क्लस्टर

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन के दौरान, उद्यमियों, कारीगरों, संघों, सरकारी अधिकारियों, विभिन्न तकनीकी संस्थानों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई और संभावित समूहों की पहचान की गई है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप के लिए लिया जा सकता है। इन पहचाने गए संभावित और प्राथमिकता समूहों को निम्नलिखित मानदंडों के संबंध में समूहों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर पहचाना जाता है:

1. **विकास क्षमता:** पिछले पांच वर्षों में प्रवृत्ति और विकास की संभावना के आधार पर।
2. निर्यात क्षमता: संबंधित क्लस्टर द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों, उत्पाद की गुणवत्ता और सुधार की गुंजाइश के आधार पर।
3. **सरकार की नीति के संदर्भ में अनुकूल वातावरण:** स्थानीय प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों पर आधारित। यह क्लस्टर के स्थानिक प्रसार के संदर्भ में भी प्रासंगिक है।
4. **मौजूदा हस्तक्षेप:** यदि एमएसएमई मंत्रालय/राज्य सरकार/डीआईसी या अन्य तकनीकी संस्थानों/निजी संस्थानों द्वारा किसी योजना के तहत हस्तक्षेप के लिए पहले से ही क्लस्टर का चयन किया गया है।
5. **उत्पाद के संदर्भ में विशिष्ट:** क्लस्टर जो विशिष्ट उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं (उत्पाद जो किसी अन्य क्लस्टर में उपलब्ध नहीं हैं) को प्राथमिकता क्लस्टर के रूप में चिह्नित किया जाता है।

पहचाने गए संभावित और प्राथमिकता वाले क्लस्टर अनुबंध-5 में दिए गए हैं।

3.7 नए और संभावित सूक्ष्म उद्यम

एनसीआरपीबी द्वारा आयोजित एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर किए गए अध्ययन के आधार पर, एमएसएमई विकास संस्थानों, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई संक्षिप्त जिला प्रोफाइल रिपोर्ट (जिलेवार) और विभिन्न क्षेत्रों और गतिविधि-मिश्रण की समग्र समझ, निम्नलिखित संभावित सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों की पहचान की गई है, जिन्हें एनसीआर में विकसित किया जा सकता है:

- **खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ:** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में वर्तमान में एनसीआर में क्लस्टर की संख्या नगण्य है, एमएसएमई के तहत विकसित होने की एक बड़ी संभावना है, क्योंकि एनसीआर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मैदानी इलाकों की उपस्थिति के साथ उत्तर भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा, एनसीटी दिल्ली और सेंट्रल एनसीआर शहर/कस्बे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए बड़े बाजार हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वित्तीय प्रोत्साहनों की मदद से एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों का निर्माण/तैयार किया जा सकता है उनमें बिस्कुट, केक, कुकीज, कुल्फी, कन्फेक्शनरी आइटम, जैम, जेली, खाद्य संरक्षण, अचार, मिठाई, नमकीन, टमाटर केचप, सेंवई, मैकरोनी आदि शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि वहाँ एनसीआर के कुछ जिलों जैसे जिला मेवात में डेयरी उत्पाद (क्रीम, घी, पनीर आदि) इकाइयों के लिए एक संभावना है।
- **प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयाँ:** प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयों में वर्तमान में एनसीआर में क्लस्टर की संख्या नगण्य है। पानीपत में आईओसी की बड़ी पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं और पाटा में गेल और एनसीआर में प्लास्टिक उत्पादों का बड़ा बाजार कुछ प्रमुख कारक हैं जो एनसीआर में प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय से वित्तीय प्रोत्साहनों की मदद से, एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे उद्यम (पीवीसी उत्पादों का निर्माण) स्थापित किए जा सकते हैं।
- **पैकेजिंग इकाइयाँ:** पैकेजिंग इकाइयाँ विशेष रूप से कागज, कपड़ा और प्लास्टिक में एमएसएमई के रूप में विकसित होने की क्षमता है, क्योंकि दिल्ली और मध्य एनसीआर शहर /कस्बे पैकेजिंग सामग्री के लिए बड़ा बाजार प्रदान करते हैं। जहां कहीं भी खुदरा/उपभोक्ता उत्पादों के लिए एनसीआर में बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, वहां हेयर ऑयल, शैंपू, दूध, दवा आदि जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए पैकेजिंग सामग्री के निर्माण/तैयार करने के लिए पैकेजिंग इकाइयों/क्लस्टर का विकास किया जा सकता है।

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी के अध्ययन, एमएसएमई विकास संस्थानों, एमएसएमई मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए जिलेवार संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल ने एनसीआर के विभिन्न जिलों में कुछ संभावित नए एमएसएमई की पहचान की है। इन संभावित नए एमएसएमई की जिलेवार सूची अनुबंध-6 में दी गई है।

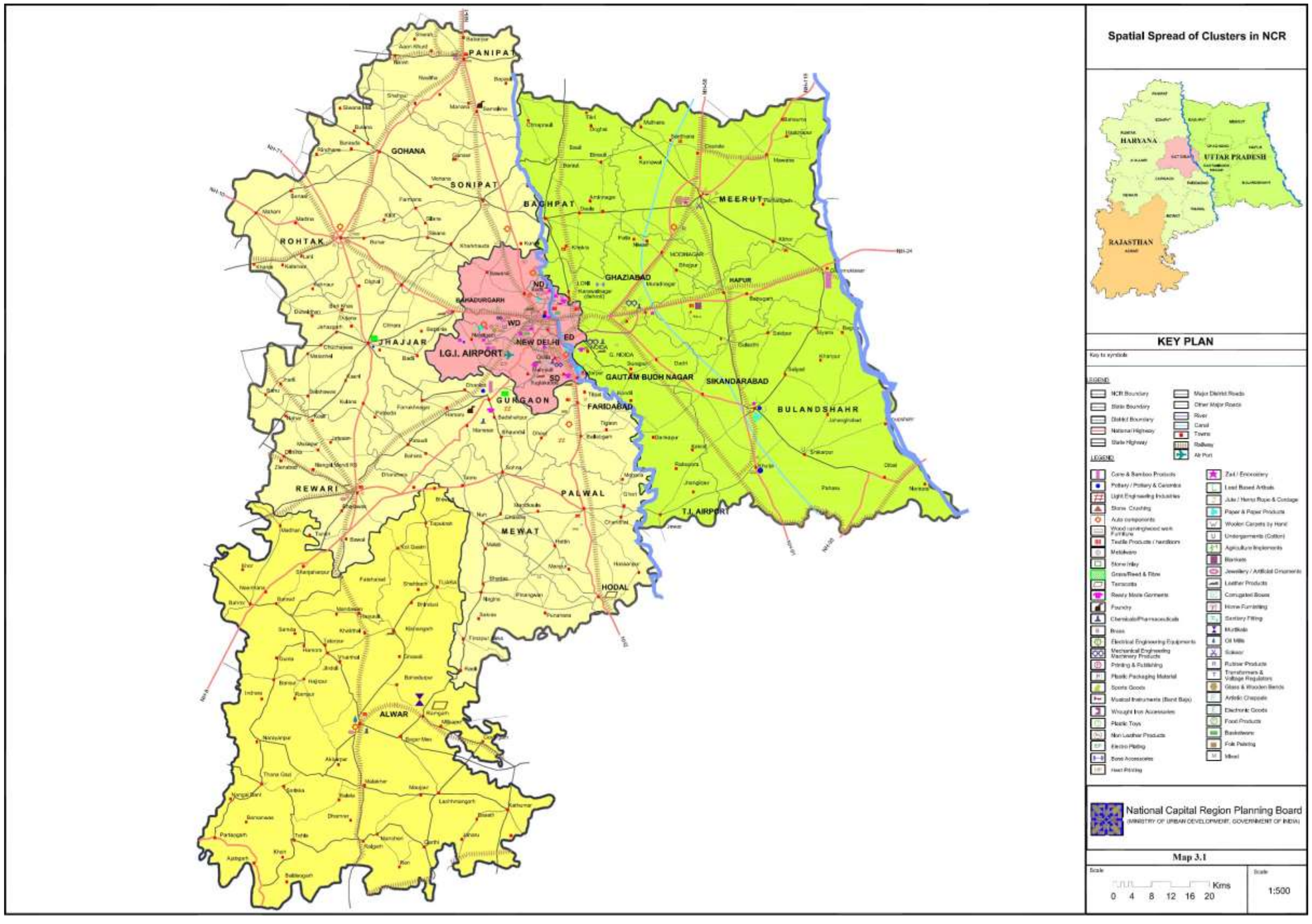

मानचित्र 3-1 एनसीआर में क्लस्टरों का स्थानिक प्रसार

4. केस स्टडीज

4.1 पृष्ठभूमि

सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों, एमएसएमई मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकरणों, एसपीवी/उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषद और विभिन्न अन्य संगठनों के कुल वृद्धि और विकास के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के महत्व को ध्यान में रखते हुए देश में एमएसएमई समूहों के विकास के लिए काफी प्रयास किए हैं। सॉफ्ट इंटरवेंशन यानी तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, एक्सपोजर विजिट, मार्केट डेवलपमेंट, ट्रस्ट बिल्डिंग, आदि और हार्ड इंटरवेंशन यानी कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर /प्रोडक्शन सेंटर, डिजाइन सेंटर, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, सामान्य कच्चा माल बैंक और भौतिक अवसंरचना का विकास जैसे बहिःस्राव उपचार संयंत्र, सड़कें आदि जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना के माध्यम से विभिन्न क्लस्टर विकसित किए गए हैं। क्लस्टर विकास ने सस्ते दरों पर कच्चे माल की खरीद, कौशल विकास, डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादों के प्रसंस्करण, तैयार उत्पादों के मार्केटिंग और निर्यात के मामले में व्यक्तिगत उद्यमों को लाभान्वित किया। इसने समूहों में एसएमई के वित्तीय स्वास्थ्य में भी सुधार किया। निम्नलिखित पैराग्राफों में कुछ सफल क्लस्टर/केस स्टडीज पर प्रकाश डाला गया है।

4.2 केस स्टडीज

4.2.1 हथकरघा क्लस्टर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वाराणसी देश में सबसे अधिक बुनकरों में से एक है। वाराणसी में बुनाई एक स्थानीय परंपरा की तरह है जो 1500 से 2000 ईसा पूर्व से ब्रोकेड बुनाई में महारथ हासिल है। ब्रोकेड एक कपड़ा है जिसमें ताने के बीच पैटर्न धागे को ट्रांसफिक्सिंग या थ्रस्ट करके बुनाई में पैटर्न बनाया जाता है। ज़री ब्रोकेड में सोने (अर्थात् सोने की पॉलिश के साथ चांदी का धागा) और चांदी के धागे-असली या नकली-थ्रस्ट का उपयोग या तो विशेष बाने या ताने के रूप में किया जाता है ताकि चमकदार अलंकरण तैयार किया जा सके। वाराणसी में साड़ियों की बुनाई-समृद्ध किस्में जंगला, तंचोई, वास्कट, कटवर्क, ऊतक और बुटीदार हैं। साड़ियों के अलावा, अन्य उत्पाद जिन्हें बाद में क्लस्टर में पेश किया गया, वे हैं ड्रेस मटेरियल, स्टोल, स्कार्फ, मफलर और होम फर्निशिंग आइटम। वाराणसी क्लस्टर में लगभग 2,00,000 बुनकर शामिल हैं, जिनमें से केवल 40 प्रतिशत ही सक्रिय हैं।[xliv].

सबक सीखा

i) डीसीएचएल के आईएचसीडीपी के तहत वाराणसी के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। शुरुआत में, हथकरघा क्लस्टर का नैदानिक अध्ययन किया गया था और क्लस्टर मैपिंग की गई थी। क्लस्टर पॉकेट के चयन के बाद, बेसलाइन डेटा एकत्र किया गया था। डेटा संग्रह का उद्देश्य क्लस्टर विकास के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों के सेट को समझना था। इस सर्वेक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और आवश्यक मानक स्थापित किए थे।

ii) वर्षवार कार्य योजना तैयार की गई और कार्य योजना के विभिन्न तत्वों को विभिन्न चरणों में लागू

किया गया। वास्तविक स्थिति को समझने और कार्य योजना को मान्य करने के लिए क्लस्टर के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता कार्यक्रम और हितधारकों के साथ फोकस समूह चर्चा आयोजित की गई।

iii) बुनकरों को संगठित करने के लिए, सभी वर्गों के बुनकरों के साथ लगभग 108 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में औसतन 11 सदस्य थे। समूह के प्रत्येक सदस्य को मासिक आधार पर एक विशेष राशि की बचत करनी होती है, जिसे समूह के पास जमा करना होता है। समूहों के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

iv) इन छोटे स्वयं सहायता समूहों के प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, एक बड़ा समूह बनाने का निर्णय लिया गया जिसका नाम "बनारस हाथकरघा बुनकर विकास समिति निर्माता कंपनी लिमिटेड" रखा गया, कुल मिलाकर इस कंपनी से जुड़े 1,554 बुनकर/मास्टर बुनकर हैं।

v) बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए, नए डिजाइन के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। स्थानीय डिजाइनरों की मदद से नए डिजाइन विकसित करने के लिए निफ्ट डिजाइनरों की सेवाएं ली गईं। इस प्रक्रिया में, कपड़े पर 96 नए डिजाइन विकसित किए गए और विभिन्न बाजारों जैसे खुदरा स्टोर, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता समागम (बीएसएम) आदि में परीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया ने स्थानीय बुनकरों को नए डिजाइन और रंग संयोजन बनाने में उनकी क्षमता का निर्माण करने में मदद की।

vi) कलर फास्टनेस एक चिंता का विषय है और इससे निपटने के लिए दो डाई हाउस को यूजर चार्ज के आधार पर पीपीपी के तहत जरूरी मशीनों से अपग्रेड किया गया है। रंगाई के अच्छे तरीकों और विभिन्न प्रकार की रंगाई के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने के लिए बुनकर सेवा केंद्रों और अन्य एजेंसियों के तकनीकी मार्गदर्शन में लगभग 13 कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले रंग भी उपलब्ध कराए गए। वर्तमान में, ये डाई हाउस पूरे क्लस्टर की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

vii) क्लस्टर के बुनकरों की सुविधा के लिए, बुनकरों के संगठन यानी "बनारस हाथकरघा बुनकर विकास समिति" के सहयोग से एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) विकसित किया जा रहा है ताकि उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर बुनकरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह सीएफ़सी शोरूम-कम-डिस्प्ले सेंटर, मीटिंग रूम, वीविंग शेड, टेस्टिंग लैबोरेटरी और यार्न बैंक से लैस होगा। यह सीएफ़सी नए डिज़ाइनों के विकास, खरीदारों और आगंतुकों को नए/विविध उत्पादों के प्रदर्शन और एनएचडीसी की 'मिल गेट योजना' के तहत प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले यार्न की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

viii) बुनकरों को देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर दिया गया ताकि वे ग्राहकों की आवश्यकता और रुचि को समझ सकें, उन्हें अच्छे मार्केटिंग व्यक्तियों के रूप में विकसित कर सकें और अपने उत्पादों को बेच सकें। नतीजतन, उन्होंने अब तक लगभग 70 प्रदर्शनियों में भाग लिया है और लगभग 100.37 / - लाख रुपये की बुनाई बेची है। संस्थागत खरीदारों के साथ संगठनों का जुड़ाव बाजार में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। इसे प्राप्त करने के लिए, कई क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। नतीजतन, लाइफस्टाइल, सीसीआईसी, यूपी हैंडलूम, फैबइंडिया, श्री डिजाइन स्टूडियो इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित खरीदारों के साथ संबंध स्थापित किए गए, जिनकी कीमत अब

तक 2.58 करोड़ रुपये है। साथ ही मार्केटिंग के लिए फैब्रिक में कैटलॉग, प्रिंटेड और डिजिटल फॉर्म को सभी तकनीकी विवरणों के साथ बनाया गया। हथकरघा मार्क को भी बढ़ावा दिया गया और बुनकरों को इसके लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

4.2.2 निटवेअर क्लस्टर, तिरुपुर, तमिलनाडु

तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले का एक छोटा सा शहर तिरुपुर भारतीय समूहों की सफलता की कहानियों की पहचान है और इसे 'बनियन सिटी / निट सिटी' के नाम से जाना जाता है। तिरुपुर क्लस्टर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और अधिकतर, परिधान बनाने की प्रत्येक गतिविधि शहर में की जा रही है। क्लस्टर में बुनाई, रंगाई और ब्लीचिंग, कपड़े की छपाई, परिधान और कढ़ाई, कॉम्पैक्टिंग और कैलेंडरिंग और अन्य सहायक गतिविधियों से संबंधित इकाइयाँ शामिल हैं। कस्बे में ऐसी 6200 से अधिक इकाइयां हैं।

1870 से तिरुपुर कपड़ा व्यवसाय का केंद्र रहा है, जो यूरोपीय मिलों, विशेष रूप से मैनचेस्टर में श्रम की उच्च लागत का मुकाबला करने के लिए औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्थापित मिलों को पूरा करता था। इस टाउनशिप की शुरुआत 1920 के दशक के दौरान कम मूल्य की सूती होजरी वस्तुओं, मुख्य रूप से अंडरगारमेंट्स के उत्पादन और वर्ष 1974 के दौरान निर्यात के साथ हुई। तिरुपुर, मुख्यतः यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और मध्य पूर्व को निर्यात करता है।

सबक सीखा

(i) सरकार के सहयोग की प्रतीक्षा किए बिना, व्यवसाय के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास, उत्कृष्ट प्रदर्शन और स्वयं की पहल, तिरुपुर निटवेअर क्लस्टर की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारक हैं।

(ii) बुनाई प्लांट, कपड़ा प्रक्रिया घर स्थापित करने और वस्त्र निर्माता बनने के लिए यार्न स्पिनरों की संख्या को एकीकृत किया गया है। ऐसे फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड एक्सपोर्टर्स जो यार्न स्पिनरों से विकसित हुए हैं, वे हैं ईस्टमैन, सेंटविन, पोपी, ट्यूब निट फैशन, केपीआर, आदि और जो अग्रणी प्रोसेस हाउस से बढ़े हुए हैं, वे हैं विक्टस डाइंग (गीना गारमेंट्स), रिलायंस डाइंग, एससीएम, पीकेपी, आदि। इन्हें परिधान बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए भी एकीकृत किया गया है। पिछड़े एकीकरण के उदाहरण बहुत कम हैं जैसे धनम इंटरनेशनल, कायती कॉर्पोरेशन, नेटवर्क क्लोदिंग कंपनी आदि।

(iii) तिरुपुर में, यदि एकीकरण एक ऊर्ध्वाधर इकाई बनने के लिए निर्यातक के पूर्ण स्वामित्व में नहीं है, तो निर्यातक कपड़ा प्रक्रिया के लिए अपने आदेशों को वरीयता सुनिश्चित करने और मानक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भागीदार बनने के लिए हिस्सेदारी खरीदते हैं या एक प्रोसेस हाउस में निवेश करते हैं, जैसा कि उनके खरीदारों द्वारा वांछित है। प्रोसेस हाउस के मालिकों को पर्यावरण नियंत्रण के लिए कड़े कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तिरुपुर में, प्रोसेस हाउस में रिवर्स ऑस्मोसिस या जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज प्लांट होना चाहिए या फिर मौजूदा प्लांट (इकाइयों) को बंद करना होगा और नए प्लांट के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(iv) एकीकृत परिधान उद्योग में प्लांट और मशीनरी और ओवरहेड्स के मामले में निवेश की मात्रा अन्य निटवेअर समूहों की तुलना में काफी अधिक है और इस प्रकार निवेश पर समय पर वापसी के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह कारक उन्हें मौजूदा प्रौद्योगिकी को स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

लगातार उन्नत करने के लिए प्रेरित करता है। इस तथ्य के बावजूद कि तिरुपुर शहर भारी बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा है, तिरुपुर बुना हुआ कपड़ा निर्यातक कपड़ा उद्योग के अंतरराष्ट्रीय सोर्सिंग मानचित्र में एक पहचान बनाने में सक्षम हैं क्योंकि वे एक समूह के रूप में काम करते हैं और एक सामान्य कारण के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं।

(v) निर्यातक स्वेच्छा से नगर पालिका और या पंचायत द्वारा किए गए सड़कों, पुलियों, पेयजल आपूर्ति आदि की मरम्मत या नए निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को (पूर्ण या आंशिक रूप से) वित्तपोषित करते हैं।

(vi) तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टीईए) की स्थापना 1990 में तिरुपुर को निटवेअर में हर चीज के लिए ग्लोबल आउटसोर्सिंग के तहत एक जीवंत निटवेअर क्लस्टर बनाने की दृष्टि से की गई थी। वर्तमान में, टीईए के सदस्य के रूप में 668 निटवेअर निर्यातक हैं और निर्यातकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(vii) तिरुपुर निर्यात 1985 में मात्र 10 करोड़ रुपये से 2003 में 5000 करोड़ रुपये और 2006-07 में 11,000 करोड़ रुपये एक ऐसा प्रदर्शन है जिसकी दुनिया में कहीं भी समानता नहीं है। जहां तक निर्यात का संबंध है, सभी प्रमुख ब्रांड नाइके, कुटेर एंड बुक, एडिडास, जीएपी, टॉमी हिलफिगर, काटज़ेनबर्ग, वैन ह्यूसेन, फिला, एरो, आदि और प्रमुख चेन स्टोर जैसे सीएंडए, वालमार्ट, टारगेट, सेअर्स , सीएंडए और मदर्स केयर, एचएंडएम तिरुपुर से सोर्सिंग कर रहे हैं।

(viii) टीईए ने पर्याप्त रूप से पहले से ही निटवेअर क्षेत्र के विकास की दिशाओं और आयामों की कल्पना की थी। इसने विकास को बनाए रखने और बुना हुआ कपड़ा निर्यात में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बड़ी परियोजनाओं की कल्पना, योजना और निष्पादन भी किया। इसकी प्रमुख उपलब्धियां तिरुपुर एक्सपोर्ट निटवेअर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), टीकटेक्स , न्यू तिरुपुर एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीएडीसीएल), निफ्ट- टीईए निटवेअर फैशन इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय मानकों के ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स, नेताजी अपैरल पार्क, यूरोप और ई-रेडीनेस सेंटर में वेयरहाउसिंग और गारमेंट्स के वितरण के लिए जेवी की स्थापना / निर्माण करना है। परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

a. तिरुपुर निर्यात निटवेअर औद्योगिक परिसर (तिरुपुर से लगभग 8 किमी) नामित निर्यात के लिए निटवेअर के निर्माण के लिए एक विशेष औद्योगिक परिसर जो शहर के भीतर भीड़भाड़ को दूर करने और उत्पादन क्षमता के विस्तार की सुविधा के लिए 100 एकड़ की साइट है। यह निजी उद्यम द्वारा प्रचारित पहला औद्योगिक परिसर है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, वर्षा जल निकासी, सीवरेज, सुरक्षा पोस्ट और दूरसंचार जैसी पूर्ण बुनियादी सुविधाओं के साथ 189 औद्योगिक शेड शामिल हैं। इस परिसर में निवेश 200 करोड़ रुपये को पार कर गया है और उत्पादन का मूल्य 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

b. टी लेमुइर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (तिरुपुर से लगभग *10* किमी), तिरुपुर में ही निर्यात और आयात कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग की व्यवस्था करता है। तिरुपुर में निर्यातक अब तिरुपुर में ही कस्टम औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और सभी दक्षिणी बंदरगाहों और मुंबई के माध्यम से सीधे कंटेनरों में माल भेज रहे हैं।

c. पलक्कड़ के पास कांजीकोड में स्थित प्रसंस्करण और उत्पादन परिसर को सबसे आधुनिक प्रोसेस हाउस में से एक माना जाता है, जो निटवियर कपड़ा और कपड़ों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय

मानकों तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। कुछ निटवियर कपड़ा उत्पादन इकाइयां भी परिसर में काम कर रही हैं। यह केरल सरकार और तिरुपुर में बुना हुआ कपड़ा निर्यातकों की एक संयुक्त उद्यम परियोजना है।

d. तमिलनाडु सरकार, भारत सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस), मुंबई के साथ संयुक्त रूप से टीईए द्वारा प्रचारित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कावेरी नदी (जो तिरुपुर से लगभग 55 किमी दूर है) से औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए न केवल तिरुपुर के लोगों द्वारा, बल्कि पाइपलाइन के रास्ते में आने वाले 30 से अधिक गांवों के लोगों को पानी की आपूर्ति करती है। 1100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस विशाल परियोजना में तिरुपुर के लिए भूमिगत सीवरेज प्रणाली, सीवरेज और ठोस कचरे के संग्रह, उपचार और निपटान की भी परिकल्पना की गई है। जल परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है।

e. टीईए ने तिरुपुर डायर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर परियोजना के इक्विटी योगदान के लिए 10.00 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। यह परियोजना यूएसएआईडी जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित बड़े पैमाने के पीपीपी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे एशिया में यह अपनी तरह का पहला मामला है।

f. निफ्ट - टीईए निटवेअर फैशन इंस्टीट्यूट की स्थापना डिजाइनिंग, निर्माण, मार्केटिंग और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में निटवेअर उद्योग और निर्यात व्यवसाय की जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। भारत सरकार (उद्योग मंत्रालय) और आईसीआईसीआई के समर्थन से 2.5 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रचारित, संस्थान के पास सीएडी सहित अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरण हैं और उद्योग को परीक्षण, प्रशिक्षण और डिजाइनिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इस संस्थान में अपैरल फैशन डिजाइन, फैशन अपैरल मैनेजमेंट, गारमेंट प्रोडक्शन एंड केमिकल प्रोसेसिंग, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइजिंग में बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। संस्थान परिधान व्यवसाय और परिधान उत्पादन में मास्टर डिग्री भी प्रदान करता है।

g. दुनिया के सभी हिस्सों के खरीदारों को तिरुपुर निटवियर उद्योग में आकर्षित करने के लिए, टीईए और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के एक व्यापार मेला परिसर का निर्माण किया, जो तिरुपुर से लगभग 12 किमी दूर है,जिससे खरीदार कोयंबटूर हवाई अड्डे से मेले में आसानी से और जल्दी पहुँच सकते हैं। ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स में अब तक लगभग 27 निटवियर मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे तिरुपुर से शरद ऋतु/सर्दियों के वस्त्रों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारतीय बुनाई मेले (आईकेएफ) - गर्मी और शरद ऋतु / सर्दी- विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर के खरीदार इन मेलों के लिए तत्पर हैं। कार्यक्रम, बैठक आदि आयोजित करने के लिए आईकेएफ परिसर में एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है।

h. देश में अपनी तरह का पहला नेताजी अपैरल पार्क 2005 में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ एक रणनीतिक स्थान पर 166 एकड़ साइट में विकसित किया गया है। पार्क में अत्याधुनिक मशीनरी और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के साथ 52 निटवियर निर्माण सुविधाएं हैं जो 300/- करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है। यह 15,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

तिरुपुर के निटवेअर निर्यात कारोबार में पार्क का योगदान लगभग 1500.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।

i. टीईए और सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स लिमिटेड ने टीईए - सेंट जॉन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर भारत में 50:50 के अनुपात में एक जेवी कंपनी (जेवीसी) बनाई है। नया जेवीसी यूरोप में कपड़ों के भंडारण और वितरण के लिए जल्द ही एंटवर्प, बेल्जियम में एक सहायक कंपनी शुरू करेगा। जेवीसी एंटवर्प, बेल्जियम में परिधान वितरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने के साथ एंड टू एंड सर्विस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा और एंटवर्प में बिक्री टीम को भी नियुक्त करेगा। जेवीसी तिरुपुर के विक्रेताओं और यूरोपीय खरीदारों के लिए यूरोप में निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जेवीसी असाधारण लॉजिस्टिक्स बैक-अप लाभों के साथ एक व्यापारिक घराने के रूप में कार्य करने की भी योजना बना रहा है, जो मौजूदा खरीदारों के साथ संबंधों में जबरदस्त मूल्य जोड़ देगा और नई साझेदारी बनाने में भी मदद करेगा। जेवीसी की यूरोप के प्रमुख शहरों में अपनी खुदरा दुकानें/शोरूम और एंटवर्प में अपना गोदाम बनाने की योजना है। इसके अलावा, वेंचर की सफलता के लिए, यूके और यूएसए में भी इसी तरह की संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी शुरू की जा सकती है।

j. टीईए ने ई-तैयारी केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन दिया है, जो ई-तैयारी कार्यक्रम, ई-लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करता है और स्थानीय सिस्टम इंटीग्रेटर्स, पुनर्विक्रेताओं और स्वतंत्र समाधान विक्रेता के लिए समाधान वितरण क्षमता बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक तिरुपुर क्लस्टर पोर्टल भी विकसित करेगा जिसमें एक सार्वजनिक इंटरफ़ेस और एक निश्चित व्यक्ति होगा, जो तिरुपुर में एसएमई समुदाय के लिए सुलभ होगा। माइक्रोसॉफ्ट नियामक अनुपालन, पर्यावरणीय मुद्दों, गुणवत्ता और प्रमाणन प्रक्रियाओं, परियोजना प्रबंधन और कपड़ा डिजाइन विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सहयोगी आदान-प्रदान की सुविधा के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा।

4.2.3 किशमिश क्लस्टर, सांगली, महाराष्ट्र

किशमिश उत्पादन सांगली जिले में की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। सांगली देश के सबसे बड़े किशमिश उत्पादक जिलों में से एक है। किशमिश मूल रूप से सूखे अंगूर होते हैं और इन्हें किशमिश, मुनक्का, बेदाना या सूखे मेवे के रूप में भी जाना जाता है। पहले के दिनों में अंगूर को केवल एक पौधे पर सुखाया जाता था, जो कि किशमिश बनाने की एक बहुत ही कच्ची विधि थी, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता था। अंगूर को किशमिश में बदलने की परियोजना लगभग 40-45 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 3-5 साल से उत्पादन लगभग मजबूत होता जा रहा है। किसान (उत्पादक-सह-संसाधक) किशमिश उत्पादन गतिविधि स्वयं करते हैं और खुले बाजार में किशमिश बेचते हैं। गुणवत्तायुक्त किशमिश के उत्पादन के लिए अंगूरों को काटा, श्रेणीबद्ध, धोया जाता है और 2 से 5 मिनट के लिए एफिलोलेट, पोटेशियम कार्बोनेट और पानी युक्त घोल में डुबोया जाता है। इन अंगूरों को फिर सुखाने वाले शेड में लाया जाता है और शेड पर फैला दिया जाता है। सुखाने की प्रक्रिया मौसम की स्थिति के आधार पर 15 से 21 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। मार्केटिंग या बिक्री के लिए पैकिंग से पहले किशमिश को एकत्र, छाँटा और वर्गीकृत किया जाता है।

सबक सीखा

(i) महाराष्ट्र के सांगली जिले में किशमिश समूह भारत के उन समूहों में से एक है, जहां एमएसई-सीडीपी हस्तक्षेप किया गया था। किशमिश बनाने वाले क्लस्टर के लिए नैदानिक अध्ययन आयोजित किया गया था और 2008 में 2 लाख रुपये की परियोजना लागत पर नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए भारत सरकार का 1.8 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

(ii) एमएसई-सीडीपी के तहत, सामान्य जागरूकता, परामर्श, प्रेरणा और विश्वास निर्माण, एक्सपोजर दौरे, निर्यात सहित बाजार विकास, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भागीदारी के लिए सॉफ्ट इंटरवेंशन कार्यक्रम गतिविधियों को लिया गया। 2009 में 3.3 लाख रुपये की परियोजना लागत के साथ, जिसमें भारत सरकार ने 2.97 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया था।

(iii) एसपीवी का गठन मैसर्स के रूप में किया गया था। सांगली ग्रेप प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च/प्रकाशित किए गए।

(iv) स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से स्वच्छ किशमिश की आपूर्ति के लिए पूछताछ की गयी थी।

(v) क्लस्टर उद्यम विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बी2बी बैठक में भाग लेते हैं। प्रतिभागियों ने ग्राहकों की जरूरतों को जानने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खरीदारों के साथ बातचीत किया है।

(vi) विभिन्न संस्थानों जैसे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर और विकास और तकनीकी परामर्श राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुणे, आदि में प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता पहलुओं पर कार्यशाला और संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्व में किशमिश बनाने के लिए प्रयुक्त अंगूरों की विभिन्न किस्मों और उनकी उपज, अंगूर/किशमिश में पोषक तत्वों और पानी की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के रोगों और उनके नियंत्रण, मौसम की भविष्यवाणी, अंगूर को सुखाने की विधि, विभिन्न प्रकार के रसायनों पर प्राप्त जानकारी/मार्गदर्शन गुणवत्ता किशमिश, आदि के लिए उपयोग किया जाता है।

(vii) क्लस्टर उद्यम भी प्रबंधन प्रथाओं पर सेमिनार में भाग लेते हैं और बैंकरों के साथ बातचीत करते हैं। ऐसे संगोष्ठियों/बातचीत बैठकों के माध्यम से, बैंकरों को क्लस्टर और एमएसएमई उद्यमों के लिए फाइनेंस की जरूरतों और पैमाने के बारे में स्पष्टता मिलती है।

(viii) राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे और सीएफटीआरआई, मैसूर को किशमिश क्लस्टर के विकास के लिए विशेषज्ञ तकनीकी एजेंसियों (ईटीए) के रूप में शामिल किया गया था।

(ix) सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केंद्र, (उत्पादन लाइन को संतुलित/सही/सुधार करने के लिए, जो अलग-अलग इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता है) डिजाइन केंद्र, परीक्षण केंद्र, सामान्य

पैकेजिंग केंद्र आदि जैसी सुविधाओं के साथ सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) संयुक्त रूप से भारत सरकार (70%), महाराष्ट्र सरकार (10%), एसपीवी योगदान (15%) और बैंक ऋण (5%) के वित्त के माध्यम से तालिका 4.1 में दर्शाये गए घटकों सहित बनाए गए थे।

तालिका 4.1 सीएफ़सी परियोजना के घटक और उनकी लागत, किशमिश क्लस्टर, सांगली

क्रमांक	सीएफ़सी परियोजना के घटक	राशि (रूपये लाख में)
1.	भूमि	18.00
2.	इमारत	96.60
3.	संयंत्र और मशीनरी	454.01
4.	फर्नीचर एंड फिक्स्चर	3.00
5.	सहायक उपकरण और विविध अचल संपत्तियां	74.51
6.	कुल अचल संपत्तियां (टीएफए)	646.12
7.	जोड़ें:-डबल्यूसी के लिए मार्जिन मनी	1.78
8.	जोड़ें: - प्रीली और प्री-ऑप ईएक्सपी और टीएफए का 5%	32.44
9.	जोड़ें: - आकस्मिकताएं और भवन का 2%	1.93
10.	जोड़ें: - आकस्मिकताएं और संयंत्र और मशीनरी का 5% और अन्य एफ.ए.	26.58
	परियोजना की कुल लागत	**708.85**

रायसिन क्लस्टर, सांगली में सामान्य सुविधा केंद्र का एक दृश्य

प्लेट 4.1 सामान्य सुविधा केंद्र, सांगली

किशमिश क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र के लाभों का सार तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2 रायसिन क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के बाद प्राप्त लाभ

सीएफ़सी की स्थापना से पहले	सीएफ़सी की स्थापना के बाद

ग्रेडिंग और सॉर्टिंग श्रमिकों द्वारा खुद की जाती थी, खुद सॉर्टिंग में पत्थरों के मिश्रण, अशुद्धियों की संभावना अधिक थी। मैन्युअली छांटे गए किशमिश के निर्यात के अवसर कम थे।	**सामान्य प्रसंस्करण** छँटाई और प्रसंस्करण एटमाइज्ड मशीनरी द्वारा किया जाता है, यह स्वच्छ और निर्यात गुणवत्ता वाली किशमिश का उत्पादन करता है। एमएसएमई इकाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया जाता है। सीएफ़सी संसाधित किशमिश विभिन्न देशों यानी दुबई, कुवैत, रूस को निर्यात की जाती है।
क्लस्टर क्षेत्र में कोई परीक्षण और निरीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं थी।	**सामान्य परीक्षण प्रयोगशाला** सीएफ़सी में तैयार माल और कच्चे माल के लिए रासायनिक और जैविक परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। सीएफ़सी में जल परीक्षण, रंग परीक्षण, नमी परीक्षण, मिट्टी और पत्ती परीक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं
क्लस्टर क्षेत्र में पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	**सामान्य पैकेजिंग केंद्र** निर्यात गुणवत्ता किशमिश के लिए पैकेजिंग सुविधा सीएफ़सी में उपलब्ध है। घरेलू बाजार के लिए छोटे पाउच में किशमिश की पैकेजिंग सुविधा सीएफ़सी में उपलब्ध है।
अन्य	○ एमएसएमई की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करना। ○ उत्पादों की लागत कम करना ○ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी किशमिश का निर्माण संभव है

सीएफ़सी की स्थापना से पहले	सीएफ़सी की स्थापना के बाद
	○ किशमिश की गुणवत्ता में सुधार जो वैश्विक बाजार की आवश्यकता को पूरा करता है। ○ मूल्यवर्धन में 10 से 20% की वृद्धि

4.2.4 द फुटवियर क्लस्टर, अथानी, बेलगाम, कर्नाटक

क्लस्टर विकास के लिए एक बहुत अलग परिप्रेक्ष्य, जिसका नाम "ग्रुप एंटरप्राइज" है और जिसमें एक निजी व्यवसाय सेवा प्रदाता शामिल है, का कर्नाटक के अथानी में प्रयोग किया गया था। अथानी लगभग 35,000 आबादी का एक छोटा सा शहर है, जिसमें लगभग 800 परिवार हाथ से बने चमड़े की चप्पलों के उत्पादन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। पूरा परिवार उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है और पुरुषों और महिलाओं के बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है। जबकि पुरुष कच्चे माल को काटते हैं, नीचे के तलवों को तैयार करते हैं और चप्पलों की मार्केटिंग करते हैं, महिलाएं भीतरी तलवों और सजावटी ऊपरी और ग्रेड को तैयार करती हैं।

सबक सीखा

(i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने 1968 में अथानी में एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र के उद्घाटन के साथ सरकारी हस्तक्षेप शुरू किया, जिसने कारीगरों को तकनीकी जानकारी, कार्यशील पूंजी और मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान कीं। नए डिजाइनों और उत्पादों में उचित वृद्धि के साथ यह पहल सफल रही।

(ii) कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एलआईडीकेएआर) को बढ़ावा देकर उद्योग को सक्रिय रूप से मदद करना शुरू कर दिया, जिसने मार्केटिंग के माध्यम से चप्पल की मांग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। निगम ने राज्य में बड़ी संख्या में आउटलेट खोले और उत्तरी क्षेत्र को भी कवर करने के लिए असम की एक सरकारी मार्केटिंग एजेंसी के साथ सहयोग किया। यह अकेले बेलगाम जिले में 10,000 से अधिक चमड़ा कारीगरों को रोजगार प्रदान करने में सफल रहा।

(iii) राज्य सरकार ने श्रमिकों को रियायती दरों और ब्याज मुक्त ऋण पर घर-सह-कार्य शेड प्रदान करके प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया।

(iv) केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) ने निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद किया। सीएलआरआई ने पाया कि केवल तकनीकी इनपुट का प्रावधान कारीगरों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, मार्केटिंग में प्रशिक्षण और उनकी मानसिकता में बदलाव, विशेष रूप से काम और खुद के बारे में उनकी मूल्यह्रास धारणा में, सफलता के लिए अन्य आवश्यक शर्तें थीं। इस आकलन के आलोक में, संगठन ने 1999 में कारीगरों को उद्यमियों में बदलने के उद्देश्य से उद्यमिता में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए, यह एशियन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स (एएससीईएनटी), बैंगलोर स्थित एक एनजीओ और राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया गया। इस पहल को *'प्रोजेक्ट एंटरप्राइस'* नाम दिया गया था, इसमें 600 कारीगर शामिल थे और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया था। इसके स्वयंसेवकों ने आधारभूत सर्वेक्षण किया और रोटरी क्लब के माध्यम से कारीगरों, सरकारी और विकास एजेंसियों और समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत की।

(v) कार्यशालाएं शुरू करने से पहले, (एएससीईएनटी) ने विश्वास बनाने के लिए अपने परिवारों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हुए महिलाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित किए।

(vi) 15 से 20 महिलाओं को पुनर्समूहित करके एसएचजी बनाए गए, जिन्होंने बाद में ऋण के रूप में अपनी बचत से लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से एक निश्चित राशि की बचत करना शुरू कर दिया।

(vii) लागत, मूल्य निर्धारण, उत्पादों के मानकीकरण और समय पर डिलीवरी के बारे में जागरूकता

पैदा करने के लिए क्लस्टर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(viii) बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किया गया था और कुछ महिलाओं को डिजाइन और प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था।

(ix) ब्रांड निर्माण एक प्राथमिकता बन गया और समूहों ने अवधारणा के निहितार्थों को तुरंत समझ लिया, जिसके कारण टोहोल्ड ब्रांड का निर्माण हुआ। टोहोल्ड आर्टिसन्स कोआपरेटिव (टीएएसी) को 1998 में एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें एसएचजी, एएससीईएनटी प्रतिनिधियों और रोटरी क्लब के सदस्यों को एक शीर्ष मार्केटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने और विदेशी बाजारों में बिक्री विकसित करने के उद्देश्य से पुनर्संमूहित किया गया था। एक बार जब कोई खरीदार टीएसी के साथ एक ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर उन ग्यारह एसएचजी को सबमिट किया जाता है जो निगम के साथ पंजीकृत हैं, और ये एसएचजी इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बोली लगाते हैं। कोटेशन की स्वीकृति पर, एसएचजी के सदस्य सहमति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से या एक साथ आदेश निष्पादित करते हैं। फिर चप्पलों को दो-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और टीएसी को दिया जाता है, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कारीगरों को पारिश्रमिक देता है। वित्तीय वर्ष के अंत में, शुद्ध लाभ का 40% कारीगरों को पुनर्वितरित किया जाता है, 20% एसएचजी को और 40% टीएसी के पास उत्पादक और सामाजिक निवेश के वित्तपोषण के लिए रहता है, जिसे क्लस्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता और कारीगरों को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है।

(x) फुटवियर क्लस्टर में, कारीगरों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के कारण, 60% से अधिक कारीगरों ने बिजली प्राप्त की और लगभग 10% ने 1998-2003 के दौरान टेलीफोन का उपयोग किया। रोटरी क्लब के सहयोग से स्वास्थ्य शिविरों, शैक्षिक सुविधाओं, जूता बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के माध्यम से स्वच्छता में सुधार हुआ।

4.2.5 पॉटरी और सिरेमिक क्लस्टर, खुर्जा, उत्तर प्रदेश

खुर्जा पॉटरी क्लस्टर देश के सबसे पुराने पॉटरी क्लस्टर में से एक है। यह उत्तरी भारत में मुगल शासन के दौरान अस्तित्व में आया जब मिट्टी के बरतन की मांग थी। खुर्जा क्लस्टर दिल्ली से लगभग 100 किमी की दूरी पर स्थित है। अधिकांश इकाइयाँ खुर्जा शहर और उसके आसपास स्थित हैं।

खुर्जा में विभिन्न प्रकार के सिरेमिक उत्पादों के उत्पादन में लगी लगभग 750 मिट्टी के बर्तन इकाइयाँ हैं। मिट्टी के बर्तनों के निर्माण व्यवसाय ने विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 25,000 व्यक्तियों और व्यापार क्षेत्र में एक लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा किया है।

खुर्जा पॉटरी क्लस्टर विभिन्न प्रकार के सिरेमिक उत्पादों जैसे स्टोनवेयर और बोन चाइना क्रॉकरी, एचटी (हाई टेंशन) और एलटी (लो टेंशन) इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल आइटम, सैनिटरी वेयर, डेकोरेटिव वेयर और केमिकल पोर्सिलेन के उत्पादन में लगा हुआ है। क्लस्टर में निर्भर और स्वतंत्र मिट्टी के बर्तन इकाइयाँ शामिल हैं।

सिरेमिक निर्माण प्रक्रिया में मोटे तौर पर मोल्ड तैयार करना, डील-डौल की सामग्री तैयार करना, आकार देना, सुखना और तपाना शामिल है। सिरेमिक उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:

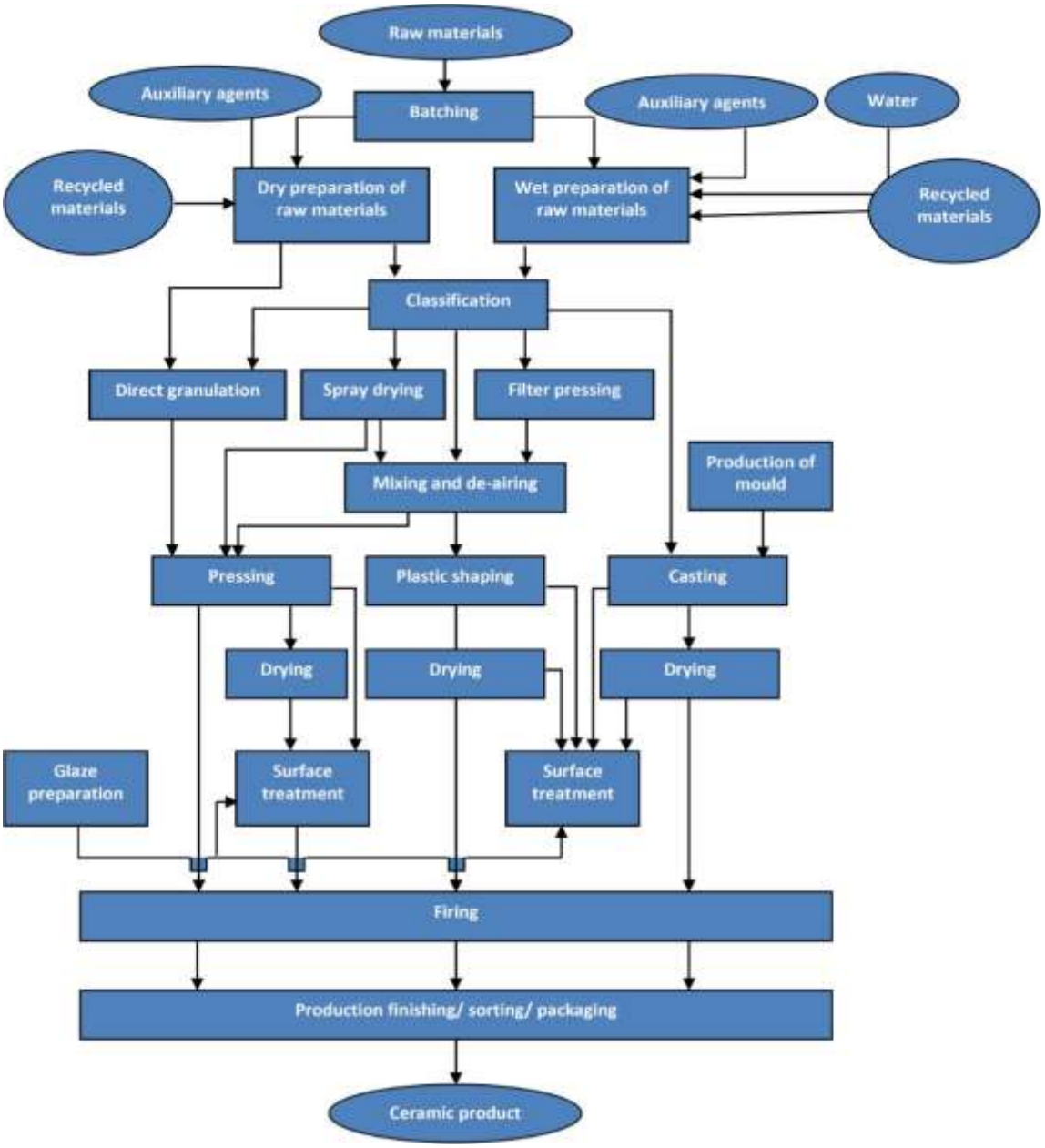

कच्चा माल

बैचिंग

सहायक कारक

सहायक कारक

पानी

पुनर्निर्मित माल

पुनर्निर्मित माल

कच्चे माल की सूखी तैयारी

कच्चे माल की गीली तैयारी

वर्गीकरण

सीधा दाना बनाना

स्प्रे ड्राईंग

फिल्टर प्रेसिंग

मिश्रण और डी-एयरिंग

मोल्ड का उत्पादन

दबाना

प्लास्टिक का आकार देना

ढलाई

सुखाना

ग्लेज़ की तैयारी

सतह का उपचार

तपाना

उत्पादन समापन/छँटाई/पैकेजिंग

सिरेमिक उत्पाद

चित्र 4.1 सिरेमिक उत्पादों के निर्माण में शामिल प्रक्रिया

स्रोत: क्लस्टर प्रोफाइल रिपोर्ट- खुर्जा पॉटरीज, टेरी, 2015

सबक सीखा

(i) स्वतंत्र मिट्टी के बर्तनों के निर्माताओं ने कच्चे माल के प्रसंस्करण से लेकर फायरिंग तक की सुविधाओं को एकत्रित किया है। निर्भर और स्वतंत्र कुम्हार दोनों के अपने-अपने संघ हैं, जैसे क्रमशः केएचपीए (कुटीर एवं हस्त-शिल्प कुम्हार एसोसिएशन) और केपीएमए (खुर्जा पॉटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन)।

(ii) परंपरागत रूप से, खुर्जा मिट्टी के बर्तनों का समूह डाउनड्राफ्ट भट्टों का उपयोग कर रहा था जो मुख्य रूप से कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में कर रहे थे। हालांकि, डाउनड्राफ्ट भट्टों के संचालन से संबंधित कई मुद्दे थे जिनमें उच्च विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी), कम उपज और

खराब पर्यावरणीय प्रदर्शन शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, अधिकांश डॉवड्राफ्ट भट्टों को सुरंग भट्टों और शटल भट्टों से बदल दिया गया है।

(iii) खुर्जा में मिट्टी के बर्तनों की इकाइयां लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ), रबर प्रोसेस ऑयल (आरपीओ), प्राकृतिक गैस और बिजली का उपयोग करती हैं। एक मिट्टी के बर्तनों की इकाई में कुल ऊर्जा खपत में तापीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 80-85% और विद्युत ऊर्जा का 15-20% हिस्सा होता है। कुल उत्पादन लागत में ऊर्जा लागत 25-40% होने का अनुमान है। क्लस्टर में मिट्टी के बर्तनों की इकाइयों द्वारा आरपीओ का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से एलडीओ की तुलना में कम लागत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, मौजूदा बर्नर सेटअप में आरपीओ के उपयोग से संबंधित मुद्दों में फ्लू गैसों में उच्च बिना जला हुआ और बर्नर का लगातार रखरखाव शामिल है।

(iv) खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के समूह में प्रमुख हितधारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

a) **उद्योग संघ:** खुर्जा पॉटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (केपीएमए) क्लस्टर स्तर पर महत्वपूर्ण उद्योग संघ है। सुरंग और शटल भट्टों का उपयोग करके बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तनों द्वारा इसका अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। अन्य उद्योग संघों में खुर्जा पॉटरी रॉ मैटेरियल्स एसोसिएशन (केपीआरएमए) और खुर्जा कुटीर उद्योग संघ (केकेयूए) शामिल हैं।

b) **सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई):** सीजीसीआरआई, सीएसआईआर, भारत सरकार की एक इकाई क्लस्टर के भीतर स्थित है। सीजीसीआरआई कच्चे माल की तैयारी और भट्ठा फायरिंग के लिए एक प्रयोगशाला से सुसज्जित है। यह कौशल उन्नयन पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

c) इंडियन सिरेमिक सोसाइटी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश चैप्टर): इंडियन सिरेमिक सोसाइटी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश चैप्टर) सीजीसीआरआई में स्थित है और इस क्षेत्र में सिरेमिक उद्योगों के लिए प्रासंगिक कार्यशालाओं और सम्मेलनों के संचालन में शामिल है।

खुर्जा पॉटरी क्लस्टर "भारत में चयनित एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने" पर यूएनआईडीओ सहयोग अध्ययन में फोकस क्लस्टर में से एक है। यूनिडो क्लस्टर में परियोजना के कार्यान्वयन में सीजीसीआरआई के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(v) डीसी, एसएसआई (विकास आयुक्त, लघु उद्योग) के कार्यालय ने खुर्जा में मिट्टी के बर्तनों के उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए एक नैदानिक अध्ययन किया है। पिछले अध्ययनों की समीक्षा आयोजित करके इसके संबंध में क्लस्टर के आधुनिकीकरण पहलुओं, उत्पादन के प्रत्येक चरण में समस्या क्षेत्रों का आकलन, समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक

उपाय और कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रणनीति तैयार करने का कार्य किया गया।

4.2.6 ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर, चेन्नई, तमिलनाडु

पिछले दशक के दौरान घरेलू और निर्यात बाजारों के विस्तार के साथ भारतीय मोटर वाहन उद्योग काफी तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग ने 50,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1,65,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट उद्योग आधार है जो अकेले भारत के ऑटो कंपोनेंट्स उत्पादन का 35% हिस्सा है। उद्योग ने, वर्षों से, वाहनों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी घटकों के निर्माण की क्षमता विकसित की है।

भारत के ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई में और उसके आसपास फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान, मित्सुबिशी और बीएमडब्ल्यू सहित 6 प्रमुख कार निर्माण उद्योगों के साथ-साथ चेन्नई में लगभग 40 मध्यम और बड़े उद्यम हैं। इन 6 कार परियोजनाओं की कुल क्षमता 13.80 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। इसके अलावा अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड निसान, राइट बस निर्माण बसें, ट्रक विशेष एप्लिकेशन वाहन, इंजन आदि हैं। 2007-09 के दौरान, भारत का कुल ऑटोमोबाइल निर्यात लगभग 8,861 करोड़ रुपये था, जिसमें से अकेले चेन्नई ने 4,733 करोड़ रुपये (53.41%) का निर्यात किया। चेन्नई में टियर IV सेगमेंट के तहत 4000 से अधिक छोटे और मध्यम उद्यमों के अलावा 350 से अधिक टियर I से III आपूर्तिकर्ता हैं। सभी मदर व्हीकल प्रोजेक्ट्स के बगल में समर्पित वेंडर पार्क भी हैं। चेन्नई अब शीर्ष 10 वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। निम्नलिखित आंकड़ा चेन्नई में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर में विभिन्न एक्टर को दिखाता है।

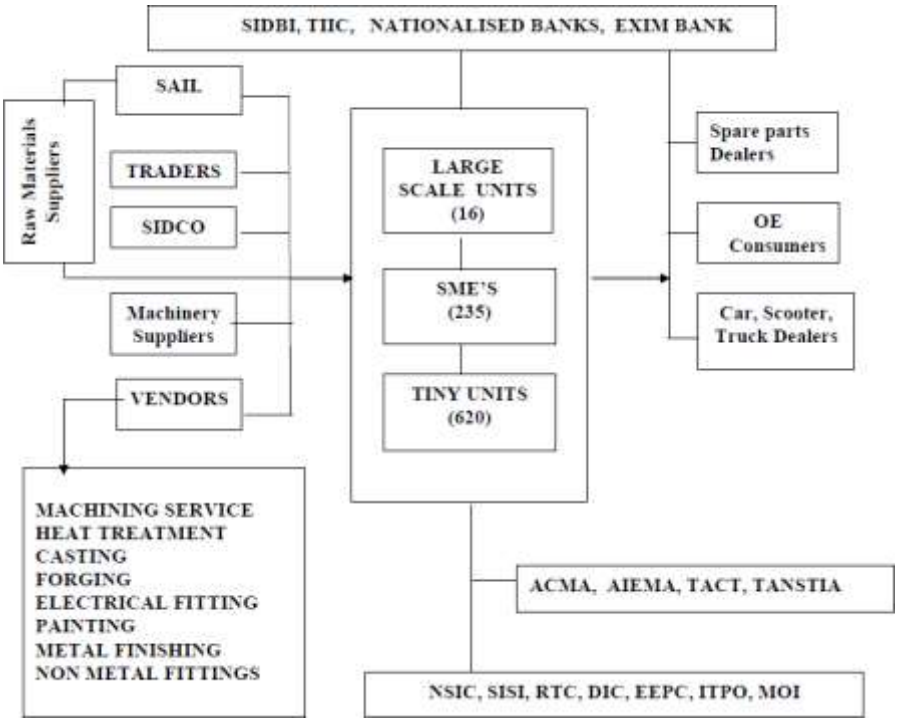

सिडबी, टीआईआईसी, राष्ट्रीयकृत बैंक, एक्ज़िम बैंक

सेल

कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता

व्यापारी

सिडको

मशीनरी आपूर्तिकर्ता

विक्रेता

मशीनिंग सेवा

उष्मा उपचार

ढलाई

फोर्जिंग

विद्युत फिटिंग

पेंटिंग

मेटल फिनिशिंग

नॉन मेटल फिटिंग

बड़े पैमाने की इकाइयाँ (16)

एसएमई (235)

छोटी इकाइयां (620)

एसीएमए, एआईईएमए, टीएसीटी, टीएएनएसटीआईए

एनएसआईसी, एसआईएसआई, आरटीसी, डीआईसी, ईईपीसी, आईटीपीओ, एमओआई

स्पेयर पार्ट्स डीलर

ओई उपभोक्ता

कार, स्कूटर, ट्रक डीलर

चित्र 4.2 ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर के हितधारक

स्रोत: ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर चेन्नई की नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट, क्लस्टर विकास कार्यकारी, लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार

सबक सीखा

(i) **कच्चा माल:** अधिकांश इकाइयाँ बड़े निर्माताओं के डीलरों के माध्यम से सामग्री खरीदती हैं। स्टील और फे-अलॉय जैसे कच्चे माल मुख्य रूप से सेल और उसके आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमीनियम जैसे अलौह मिश्र धातुओं के लिए, स्थानीय पुन: पिघलने वाली इकाइयाँ और फाउंड्री हैं जो निर्माताओं की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न संरचना के साथ मिश्र धातुओं और श्रेणियों का निर्माण करती हैं। अशोक लीलैंड के वेंडर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओसीएम) का सेल के साथ एक गठबंधन है और एक अनौपचारिक कंसोर्टियम दृष्टिकोण का अभ्यास करता है जिसमें इसके सभी विक्रेताओं की स्टील आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और थोक खरीद के आधार पर सेल के साथ कीमत पर बातचीत की जाती है। इससे अशोक लीलैंड के वेंडरों को कच्चे माल की लागत कम करने में काफी मदद मिली है। यह एनसीआर समेत अन्य क्लस्टर के लिए रोल मॉडल हो सकता है।

(ii) इस क्लस्टर में एनएसआईसी हायर परचेज एंड लीजिंग योजनाओं में शामिल है। हायर परचेज और लीजिंग स्कीम में आसान वित्तीय शर्तों पर स्वदेशी और आयातित मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति का प्रावधान है और यह मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को लक्षित करता है। लीजिंग योजना का मुख्य उद्देश्य एसएमई को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने या बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी तकनीक में विविधता लाने और/या अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, उद्यम स्वदेशी/आयातित मशीनरी के लिए एकल खिड़की के तहत 100% वित्त और पूरे साल के किराये पर कर छूट के हकदार हैं। इस योजना का उपयोग क्लस्टर में उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए किया जाता है।

(iii) **लघु उद्योग विकास निगम (सिडको)** जरूरतमंद उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिडको के औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ डिपो हैं। इकाइयों को एक से दो महीने तक की अवधि के लिए खरीद के लिए क्रेडिट मिलता है। आम तौर पर कॉम्पोनेन्ट के लिए न्यूनतम आर्डर मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है।

(iv) **संस्थागत सहयोग:** तमिलनाडु स्मॉल एंड टिनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (टीएएनएसटीआईए) राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त एक शीर्ष निकाय है। व्यापार संघ और कई छोटे और अति छोटे उद्योग इसके सदस्य हैं। यह एसोसिएशन एक प्रचार भूमिका निभाता है, राज्य और केंद्र सरकार की समितियों में भाग लेता है और छोटे और अति छोटे उद्योगों के हित को बढ़ावा देता है। यह राज्य के प्रमुख औद्योगिक सम्पदाओं में क्लस्टर विकास गतिविधियों को लाने का प्रयास कर रहा है।

(v) **ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए):** यह एक अखिल भारतीय एसोसिएशन है और इसके पास ऑटो कंपोनेंट्स निर्माताओं और उनके उत्पादन का एक व्यापक डेटाबेस है। यह क्रेता-विक्रेता बैठक, व्यापार मेलों, संगोष्ठियों और व्याख्यानों का आयोजन करता है। यह निकाय ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेन्ट के क्षेत्रों में एक व्यापक सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करता है और इसके कई प्रकाशन हैं।

(vi) **लघु उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई):** यह एक केंद्र सरकार का संगठन है जो विकास आयुक्त, लघु उद्योग के नियंत्रण में आता है। यह निकाय केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करता है और विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यूएनआईडीओ के तत्वावधान में, इस संगठन के पास विक्रेताओं के लिए एक उपठेकेदार एक्सचेंज भी है। इस संगठन को चेन्नई में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर में क्लस्टर विकास एजेंसी के रूप में भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य किया गया है।

(vii) एनएसआईसी हायर परचेज और लीजिंग स्कीम और कच्चे माल की सहायता योजना में शामिल है और यह कंसोर्टिया मार्केटिंग सहायता कार्यक्रम संचालित करता है। जबकि, कच्ची सामग्री सहायता योजना बड़ी संख्या में इकाइयों को कच्चे माल की उपलब्धता के पूरक के लिए है, किराया खरीद और पट्टे योजना का उपयोग प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्लस्टर में किया जा सकता है। संस्था क्लस्टर विकास कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक है।

(viii) **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)** प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने में सबसे आगे है। इसके अन्य उद्योगों के साथ अच्छे संबंध हैं और कई ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ऑटोमोबाइल निर्माता इसकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। यह प्रशिक्षुओं के लिए विभिन्न प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित करके उद्योगों के लिए कर्मचारी की व्यवस्था भी करता है।.

(ix) **इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशनल काउंसिल (ईईपीसी):** यह वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्र सरकार का संगठन है, जो ऑटो कॉम्पोनेन्ट सहित निर्यात इंजीनियरिंग सामान का ट्रैक रखता है। यह निकाय क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, विदेशी एक्सपोजर यात्राओं आदि का आयोजन करके उद्योग की मदद करता है। यह मार्केटिंग विकास सहायता योजना संचालित करता है और विशिष्ट उत्पादों पर प्रचार सामग्री और बाजार सर्वेक्षण तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(x) **तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (टीआईआईसी)** राज्य का प्रमुख वित्तीय संस्थान है और राज्य में मध्यम और लघु इकाइयों के लिए परियोजना वित्तपोषण करता है। पारंपरिक सावधि ऋण उधार के अलावा, इस संस्थान के पास आधुनिकीकरण की एक योजना भी है जिसका लाभ ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर में इकाइयों द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए लिया जा रहा है। क्लस्टर में कई उद्योग कार्यशील पूंजी के लिए धन का लाभ उठा रहे हैं।

(xi) **औद्योगिक विभाग**, **तमिलनाडु सरकार** ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेन्ट निर्माण इकाइयों के एकीकृत और व्यापक विकास के लिए 'तमिलनाडु ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेन्ट नीति', 2014 तैयार की है। नीति का उद्देश्य नए ऑटो क्लस्टर को बढ़ावा देना और राज्य में मूल्य वृद्धि को अधिकतम करने और छोटे और मध्यम उद्यम विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की सुविधा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य इस उद्योग की दीर्घकालिक कुशल श्रमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिभा शक्ति को बढ़ाना और कौशल विकास में पीपीपी पहल और उद्योग-संस्था भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

(xii) **नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी)**, भारत सरकार की एक परियोजना है, जिसे विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव सुरक्षा, उत्सर्जन और प्रदर्शन मानकों की शुरूआत की सुविधा के लिए एक परीक्षण ट्रैक के साथ चेन्नई के पास ओरगडम में स्थापित किया गया है। यह वैश्विक उद्योग के साथ भारतीय ऑटोमोटिव कंपोनेंट उद्योग का निर्बाध एकीकरण भी सुनिश्चित करता है।

(xiii) चेन्नई के पास मराईमलाई नगर में एक ***"रिसर्च वैली"*** ने नए वाहन मॉडल के डिजाइन, प्रोटोटाइप विकास और परीक्षण का काम शुरू किया है।

(xiv) **तमिलनाडु कौशल विकास मिशन**, शुरू में एक समाज के माध्यम से लागू किया गया था और बाद में इसे तमिलनाडु कौशल विकास निगम के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

5. मुद्दे और सिफारिशें

5.1 पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की एमएसएमई की चौथी जनगणना के अनुसार, देश में कुल 3.6 करोड़ एमएसएमई हैं, जो 8.0 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो इसे कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र बनाता है। एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद (37.54%) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कुल औद्योगिक उत्पादन का 45% और देश के कुल निर्यात का 40% है। एमएसएमई के भीतर विनिर्माण खंड जीडीपी का 7.09% योगदान देता है।

एनसीआर देश में तेजी से बढ़ते औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में से एक है। इसके संसाधन आधार, औद्योगिक आधार (लगभग 2.5 लाख बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयां), बड़ी शहरी आबादी और विशाल उपभोक्ता बाजार ने इस क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की तेजी से वृद्धि की है। एनसीआर में 94,929 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 85,648 सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जिनमें लगभग 9 लाख लोग कार्यरत हैं। सूक्ष्म और लघु उद्योग न केवल क्षेत्र के कारीगरों और ग्रामीण लोगों सहित लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि सूक्ष्म, घरेलू और छोटे उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का विकास और पोषण करके अर्थव्यवस्था में एक मजबूत उद्यमशीलता का आधार भी बनाते हैं।

यह देखा गया है कि एनसीआर में सूक्ष्म, घरेलू और लघु उद्यमों के अत्यधिक महत्व और क्षमता के बावजूद, एनसीआर में इनमें से अधिकांश क्लस्टर/उद्यम बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़क, आश्रय, भंडारण, आदि, कच्चे माल की खरीद, मशीनरी और उपकरण की खरीद, डिजाइन और प्रौद्योगिकी, ऋण तक पहुंच, उनके उत्पादों का मार्केटिंग और संस्थागत सहयोग, आदि जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से संबंधित कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस अध्याय में, एनसीआर में सूक्ष्म, घरेलू और लघु उद्यमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई है और एनसीआर में इस क्षेत्र की उन्नति और विकास को बढ़ावा देने के लिए इन मुद्दों और चुनौतियों को दूर करने के लिए सिफारिशें तैयार की गई हैं।

5.2 एनसीआर में सूक्ष्म, घरेलू और लघु विनिर्माण उद्यम/क्लस्टर

एनसीआर में विभिन्न सूक्ष्म, घरेलू और लघु विनिर्माण उद्यम और क्लस्टर मौजूद हैं। ऐसे समूहों का एक संग्रह (जैसा कि विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा पहचाना

गया है; एमएसएमई-विकास संस्थान जिलों के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल (2012-2015) पर रिपोर्ट; क्लस्टर वेधशाला; एमएसएमई क्लस्टर के लिए फाउंडेशन और एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी का अध्ययन) तैयार किया गया है और **अनुबंध-7** में दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक एनसीआर जिले के 'संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल' पर एमएसएमई-विकास संस्थानों की रिपोर्ट और 'क्लस्टर ऑब्जर्वेटरी वेब पोर्टल' पर उपलब्ध क्लस्टर की सूची के आधार पर, कुल 81 सूक्ष्म, घरेलू और लघु उद्यम समूहों में लगे हुए हैं। उत्पादों की विभिन्न किस्मों की पहचान की गई है और एनसीआर में प्राथमिकता के विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है। इन चिन्हित समूहों की उप-क्षेत्रवार सूची नीचे **तालिका 5.1** में दी गई है:

तालिका 5.1 एनसीआर में प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए प्रस्तावित उप-क्षेत्रवार एमएसएमई क्लस्टर

क्रमांक	क्लस्टर का नाम और स्थान	लगभग उद्यमों की संख्या
एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र		
1.	पॉटरी क्लस्टर - उत्तम नगर	7000
2.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर - ओखला	2039
3.	प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर - नारायणा और मायापुरी	450
4.	कढ़ाई क्लस्टर - पालम और पटेल नगर	15
5.	हाथ की कढ़ाई क्लस्टर - खिचड़ीपुर, नंद नगरी और दरियागंज	41
6.	लोक चित्रकारी समूह - हस्तसाल	9
7.	टेक्सटाइल हैंडलूम क्लस्टर - सरायकाले खां	15
8.	लेदर क्राफ्ट क्लस्टर - ओखला	10
9.	फर्नीचर क्लस्टर - कीर्ति नगर	500
10.	कॉस्मेटिक और पैकेजिंग क्लस्टर - उत्तर पश्चिम दिल्ली	240
11.	दाल और बेसन क्लस्टर - मध्य और उत्तर पश्चिम दिल्ली	50
हरियाणा उप-क्षेत्र		
12.	ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर- गुरुग्राम	1478
13.	ऑटो रबर पार्ट्स क्लस्टर- गुरुग्राम	135
14.	रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर- गुरुग्राम	1310
15.	चमड़े के सामान और गारमेंट क्लस्टर - मानेसर	205
16.	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर- गुरुग्राम	5000
17.	रासायनिक क्लस्टर- फरीदाबाद	275
18.	निर्माण और सामान्य इंजीनियरिंग क्लस्टर- फरीदाबाद	40
19.	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर- फरीदाबाद	2500
20.	लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर- फरीदाबाद	203
21.	टेराकोटा हस्तशिल्प क्लस्टर - बड़खल	10
22.	होडल टेराकोटा क्लस्टर- पलवल	15
23.	कढ़ाई क्लस्टर - फिरोजपुर झिरखा, मेवात	N/A
24.	एल्यूमिनियम बर्तन क्लस्टर- रेवाड़ी	35
25.	छिद्रित शीट क्लस्टर- रेवाड़ी	50
26.	फुटवियर क्लस्टर- रेवाड़ी	N/A
27.	फुटवियर क्लस्टर- बहादुरगढ़	125
28.	ज्वैलरी हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर- बहादुरगढ़	15

क्रमांक	क्लस्टर का नाम और स्थान	लगभग उद्यमों की संख्या
29.	बेंत और बांस हस्तशिल्प क्लस्टर- झज्जर	8
30.	टेराकोटा क्लस्टर-फारूख नगर	15
31.	नट बोल्ट क्लस्टर- रोहतक	N/A
32.	कढ़ाई क्लस्टर– रोहतक	N/A
33.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर - कलानौर	N/A
34.	स्टेनलेस स्टील क्लस्टर - कुंडली	72
35.	प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर - राय, सोनीपत	110
36.	सॉफ्ट टॉयज एंड एम्ब्रायडरी आर्टिसन्स क्लस्टर- सोनीपत	12
37.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर - खरखोदा	N/A
38.	हथकरघा क्लस्टर– सोनीपत	N/A
39.	होम फर्निशिंग क्लस्टर- पानीपत	3200
40.	टेक्सटाइल मशीनरी डेवलपमेंट क्लस्टर- पानीपत	28
41.	फाउंड्री क्लस्टर - समालखा	30
42.	फ्लोर कवरिंग क्लस्टर- पानीपत	331
43.	मेड अप्स (वस्त्र उत्पाद) क्लस्टर- पानीपत	7475
44.	हथकरघा क्लस्टर - पानीपत	N/A
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र		
45.	कैंची क्लस्टर - मेरठ	225
46.	कांच और लकड़ी के मनकों का क्लस्टर - मेरठ	328
47.	कढ़ाई क्लस्टर, मेरठ	25025
48.	कृत्रिम आभूषण समूह - मेरठ	4447
49.	ट्रांसफार्मर और वोल्टेज नियामक क्लस्टर - मेरठ	100
50.	ऑटो कंपोनेंट्स-मेरठ	4700
51.	संगीत वाद्ययंत्र - मेरठ	433
52.	पावरलूम टेक्सटाइल क्लस्टर - मेरठ	27500
53.	खेल कूद का सामान - मेरठ	3500
54.	कालीन और दरी – मेरठ	N/A
55.	हथकरघा समूह – सरधना, मेरठ	N/A
56.	टेक्सटाइल हैंड प्रिंटिंग क्लस्टर - हसनपुर, मेरठ	N/A
57.	फुटवियर क्लस्टर- बागपत	N/A
58.	हथकरघा क्लस्टर- खेकड़ा, बागपती	300

क्रमांक	क्लस्टर का नाम और स्थान	लगभग उद्यमों की संख्या
59.	टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर - पिलखुआ	400
60.	बोन क्लस्टर - लोनी, गाजियाबाद	N/A
61.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लस्टर - साहिबाबाद, गाजियाबाद	750
62.	प्लास्टिक पैकेजिंग- गाजियाबाद	150
63.	रसायन क्लस्टर - गाजियाबाद	N/A
64.	मिट्टी और प्लास्टर की मूर्तियों का क्लस्टर - गाजियाबाद	N/A
65.	ग्रास मैट क्लस्टर, गढ़मुकेतेश्वर,	N/A
66.	मोधा क्लस्टर - गढ़मुकेतेश्वर	100
67.	वुड क्राफ्ट क्लस्टर - पिलखुवा	N/A
68.	रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग क्लस्टर नोएडा	6014
69.	इंजीनियरिंग क्लस्टर - नोएडा	12000
70.	प्लास्टिक क्लस्टर - नोएडा	350
71.	रग्स और दरी क्लस्टर – ग्रेटर नोएडा	10
72.	टॉयज क्लस्टर - नोएडा	N/A
राजस्थान उप-क्षेत्र		
73.	ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर - अलवर	200
74.	मूर्ति कला क्लस्टर - गोला का बांस	52
75.	मूर्ति कला क्लस्टर - रामगढ़	200
76.	चमड़ा समूह - बानसूर और रेनी	N/A
77.	रसायन समूह – अलवर	N/A
78.	पत्थर पर नक्काशी का समूह – खातूमास, अलवर	20
79.	टेराकोटा क्लस्टर, रामगढ़	35
80.	कालीन और दरी समूह - नीमराणा	N/A
81.	वुड क्राफ्ट क्लस्टर - खाटूमार, अलवर	N/A

नोट: *N/A* – जानकारी उपलब्ध नहीं है

5.3 मुद्दे और सिफारिशें

एमएसएमई मंत्रालय, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों और एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के विकास की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं। हालांकि, एनसीआरपीबी 'एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन' और जिलेवार 'एमएसएमई के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल' से पता चला है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/एजेंसियों और एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों के विभिन्न प्रयासों/कार्यों के बावजूद, सूक्ष्म, एनसीआर में छोटे

और घरेलू उद्यम/क्लस्टर अभी भी अपने उन्नति और विकास के लिए कई मुद्दों/चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

एनसीआर में इन उद्यमों से संबंधित मुद्दों/चुनौतियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात (i) सामान्य मुद्दे और (ii) क्षेत्र/क्लस्टर विशिष्ट मुद्दे, और तदनुसार सिफारिशें तैयार की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:

I. सामान्य मुद्दे और सिफारिशें

सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों / समूहों से संबंधित अधिकांश मुद्दे सामान्य और सामान्य प्रकृति के होते हैं। इकाई स्तर, क्लस्टर स्तर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पर एमएसएमई से संबंधित मुद्दों को नीचे **चित्र 5.1** में दर्शाया गया है। इसके अलावा, कामकाज, जनशक्ति आवश्यकताओं, कच्चे माल, भूमि/स्थान और भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता आदि से संबंधित मुद्दों पर आगामी अनुभागों में विस्तार से चर्चा की गई है।

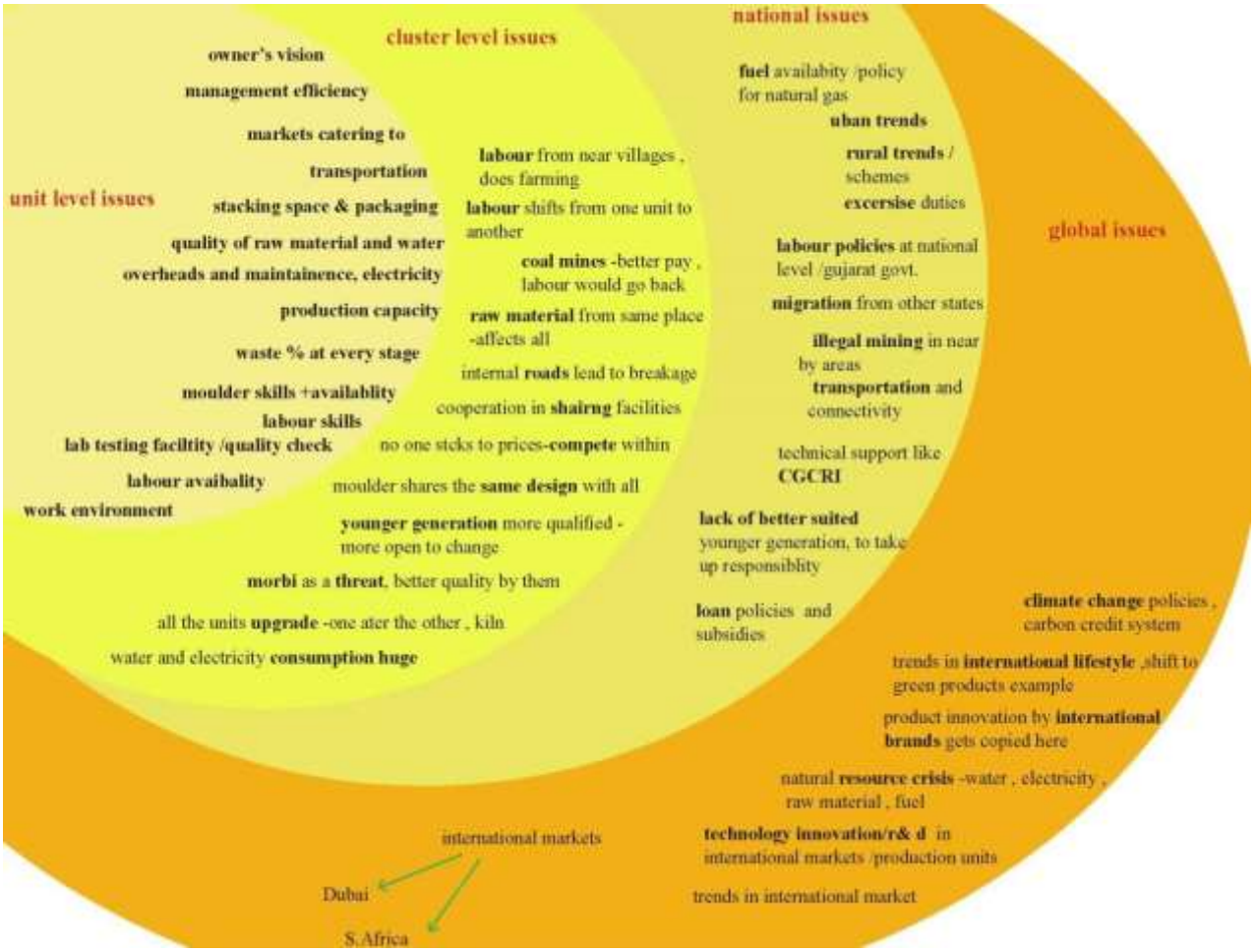

चित्र 5.1 एमएसएमई के विकास से जुड़े मुद्दे

स्रोत: पुनर्प्राप्त प्रपत्र <**http://clusterconference.in/ppt/bindoo%20ranjan.pptx**>

1. विशेष प्रयोजन वाहन के निर्माण की आवश्यकता

सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के महत्व और उनके विकास की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक क्लस्टर या ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स के स्तर पर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाया जाना चाहिए और एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित उप-क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए जाने चाहिए।

2. कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता

यह देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के माल के निर्माण में लगे सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों को एनसीआर में कुशल श्रमिक हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, श्रम के कौशल उन्नयन के साथ-साथ इंजीनियरिंग समूहों में उत्पाद डिजाइनिंग और विकास के लिए नवीनतम तकनीकी ज्ञान और उन्नत कम्प्यूटरीकृत मशीनों को पेश करने की आवश्यकता है। कुछ उद्यम/क्लस्टर जैसे फाउंड्री, आवश्यक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल उन्नयन के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण कुशल श्रमिक की समस्या का सामना करते हैं। यह भी देखा गया है कि सूक्ष्म उद्यम धन की कमी के कारण अपनी मौजूदा श्रमिक के कौशल को उन्नत करने में सक्षम नहीं हैं। प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुछ सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों को कौशल उन्नयन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी नहीं है।

यह अनुशंसा की जाती है कि क्लस्टरों/स्थानीय कामगारों और उद्यमियों के निर्देशों और आवश्यकता के अनुसार लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी, आदि द्वारा एसपीवी/औद्योगिक संघों/आईटीआई,आदि के सहयोग से आयोजित/शुरू किए जाने चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न राष्ट्रीय या राज्य स्तर के तकनीकी और डिजाइन अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उद्यमियों और श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उद्यमियों और श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए निसबड और संस्थान द्वारा तकनीकी इनपुट के साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है।

एनआईईएसबीयूडी में आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर कौशल आधारित उद्यमिता के स्रोत और बिंदु की सेवा कर सकते हैं। इनक्यूबेटर विभिन्न क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण, सौंदर्य और कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और उद्यमिता विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से विशिष्ट अन्य क्षेत्र/संसाधन में घरेलू और सूक्ष्म उद्यम की अवधारणा और विकास में मदद करेगा।

मेंटरिंग और पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट- स्टैंड अलोन ट्रेनिंग प्रोग्राम लंबे समय में उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि एक परामर्श और प्रशिक्षण के बाद प्रकोष्ठ स्थापित किया जा सकता है। प्रकोष्ठ का प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म और घरेलू उद्योग स्थापित करने में व्यक्ति की सहायता करना होगा। सेल लाभार्थियों को व्यवहार्य व्यावसायिक योजना विकसित करने, बैंकों से मिलने, बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने और सूक्ष्म व्यवसाय इकाइयों की स्थापना में मदद करेगा।

3. कच्चे माल की खरीद

कच्चे माल की खरीद उन प्रमुख बाधाओं में से एक है जो सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यम एनसीआर में सामना कर रहे हैं। अधिकांश क्लस्टर/उद्यम अपने संबंधित कच्चे माल की खरीद के लिए दिल्ली पर निर्भर हैं। एनसीआरपीबी द्वारा किए गए अध्ययन से यह भी पता चला है कि उद्यमों की कच्चे माल उत्पादकों/उत्पादक क्षेत्रों तक सीधी पहुंच नहीं है। सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के लिए आवश्यक कच्चे माल का बड़ा हिस्सा व्यापारियों और डीलरों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की उच्च लागत

और समूहों/उद्यमों के संभावित प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है।

इसे देखते हुए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

(क) **विभिन्न प्रकार के उद्यमों या समूहों की कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर कच्चे माल के बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। आम बाजारों की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए जहां उद्यम कम लागत पर थोक में कच्चे माल की खरीद कर सकें।**

(ख) **उद्यमों को सीधे प्रत्यक्ष उत्पादकों से कच्चे माल की खरीद के लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में प्रत्येक जिले या क्लस्टर स्तर पर विभिन्न कच्चे माल के उत्पादकों का एक साझा डेटा बैंक बनाया जाना चाहिए।** ऐसे सफल उदाहरणों में से एक तमिलनाडु के कोयंबटूर में वेट ग्राइंडर क्लस्टर है, जिसमें तांबे के तार को स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर होने के बजाय सीधे निर्माताओं से अलग-अलग इकाइयों द्वारा खरीदा जा रहा है।

(ग) चूंकि अधिकांश सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों में भंडारण स्थान की कमी है, इसलिए क्लस्टर स्तर पर एक *सामान्य शेड/भंडारण* क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जहां उद्यम अपने कच्चे माल को स्टोर कर सकें।

(घ) **प्राकृतिक संसाधन आधारित विनिर्माण समूहों के मामले में, अनुसंधान और विकास शुरू किया जाना चाहिए और समान गुणों वाली नई सामग्री के साथ आने के लिए वित्त पोषित किया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को प्रतिस्थापित और कम किया जा सके।**

(ड़) एक क्लस्टर कच्चे माल, मशीनरी और उपकरण, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, बाजार आदि की आपूर्ति के लिए अन्य समूहों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, पहने हुए परिधान समूह कच्चे माल के लिए हथकरघा समूहों पर निर्भर हैं, जबकि पहने हुए परिधान समूह हथकरघा समूहों के लिए मुख्य बाजार के रूप में कार्य करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कच्चे माल और तैयार माल/उत्पादों के संदर्भ में समूहों/उद्यमों के बीच एक अंतर्निर्भरता है, **यह सुझाव दिया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय या राज्य सरकारों के कुछ हस्तक्षेपों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज के संदर्भ में समूहों की अंतर्निर्भरता को मान्यता/स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की जाती है कि बार-बार क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ताकि वे कच्चे माल के लिए सीधे संपर्क स्थापित कर सकें।**

4. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भूमि / स्थान

भूमि/स्थान सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों की उन्नति और विकास के लिए एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से प्राकृतिक समूहों में जो एनसीआर के शहरी क्षेत्रों के पुराने और भीड़भाड़ वाले हिस्सों में स्थित हैं। क्लस्टरों में काम करने के लिए जगह, कच्चे माल के भंडारण, संचलन, माल का लदान और उतराई, पार्किंग आदि की भारी कमी है। इस प्रकार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है।

यह अनुशंसा की जाती है कि विकास प्राधिकरणों/यूएलबी/राज्य सरकारों को सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के लिए भूमि/स्थान की पहचान करनी चाहिए और उन्हें चिन्हित करना चाहिए। और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और एसपीवी आदि के सहयोग से सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसे भू-खंडों पर वर्क-शेड या वर्क शेड-कम-हाउसिंग क्लस्टर विकसित किए जाने चाहिए।

5. भौतिक अवसंरचना

स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए स्वस्थ दर पर एमएसएमई क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। हालांकि, उचित ढांचागत सुविधाओं की कमी से उद्यम की मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया जैसे उत्पादन, खपत और उत्पादों के वितरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, एमएसएमई को वित्त की कमी, अपर्याप्त मार्केटिंग सुविधाओं, तकनीकी अप्रचलन आदि का भी सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क संपर्क और जर्जर सड़कें व्यापारियों/निर्यातकों को अधिकांश समूहों में जाने से रोकती हैं। यह तैयार उत्पादों के परिवहन को भी प्रभावित करता है क्योंकि टूटने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अपशिष्ट के रूप में रासायनिक बही:श्राव उत्पन्न करने वाले समूहों को भूमि या जल निकायों को प्रदूषित करने से रोकने के लिए एक सामान्य बही:श्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) की आवश्यकता होती है। अधिकांश उद्यमों को अपर्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, भंडारण और पैकेजिंग और उत्पाद प्रदर्शन क्षेत्रों आदि के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, सामान्य रूप से उद्योगों और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। जिसमें सड़क मार्ग, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, पानी, सीईटीपी, सामान्य भंडारण और पैकेजिंग-सह-उत्पाद प्रदर्शन क्षेत्र आदि जैसी सभी प्रकार की ढांचागत सुविधाएं और टूल रूम, परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन केंद्र आदि जैसी अन्य सहायक सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। कुछ अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना की झलक **प्लेट 5.1** में दी गई है।

पॉटरी क्लस्टर, खुर्जा: सडकों की बदहाली और जलजमाव [xlv]

पॉटरी क्लस्टर, खुर्जा: एमएसएमई ठोस अपशिष्ट का सड़क किनारे डंपिंग[xlvi]

बैंड-बाजा (संगीत वाद्ययंत्र) क्लस्टर, मेरठ: भीड़भाड़ वाली सड़क[xlvii]

प्लेट 5.1 भौतिक अवसंरचना की स्थिति

क्लस्टरों में और उसके आसपास अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

i) बुनियादी ढांचे के विकास की पहल जैसे भूमि का विकास, जल आपूर्ति का प्रावधान, जल निकासी, बिजली वितरण, सामान्य कैप्टिव उपयोग के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, सड़कों का निर्माण, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) जैसे सामान्य उत्पादन / प्रसंस्करण केंद्र (संतुलन के लिए) / उत्पादन लाइन को ठीक करना / सुधारना जो व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता है), डिजाइन केंद्र, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, मार्केटिंग प्रदर्शन / बिक्री केंद्र, सामान्य रसद केंद्र, सामान्य कच्चा माल बैंक / बिक्री डिपो, आदि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कैंटीन और अन्य आवश्यकता आधारित बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा क्लस्टरों में और उसके आसपास एसपीवी/उद्योग संघों के सहयोग से लिया जाना चाहिए।

ii) **क्लस्टर विकास कार्यक्रम या केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार की किसी अन्य प्रचलित नीति या कार्यक्रम के तहत एसपीवी/स्थानीय प्राधिकरणों/संबंधित विभागों/एजेंसियों/उद्योग संघों द्वारा क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।**

iii) **विभिन्न क्लस्टरों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर और बायोमास सहित वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकल्प तलाशे जाने चाहिए। एसपीवी/उद्योग संघों को अपने स्वयं के समूहों के लिए बिजली उत्पादन में पहल करनी चाहिए।**

iv) **राज्य सरकारों/प्राधिकरणों/एसपीवी/उद्योग संघों को पर्यावरण प्रदूषण से बचने और नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर संबंधित समूहों में सीईटीपी का निर्माण करना चाहिए। संबंधित राज्य सरकारें क्लस्टरों में पीपीपी मोड पर सीईटीपी और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं।**

6. सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण गतिविधियों के साथ मास्टर प्लान में सामंजस्य स्थापित करना

यह माना गया है कि असंगठित क्षेत्र में अधिकांश विनिर्माण इकाइयां मास्टर प्लान के गैर-अनुरूप क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, एनसीटी-दिल्ली में प्लास्टिक के खिलौने निर्माण) से संचालित होती हैं। दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) ने घरेलू उद्योगों की एक विस्तृत सूची प्रदान की है।

यह सुझाव दिया जाता है कि एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और संबंधित विभागों/एजेंसियों को शहरों/कस्बों के विकास योजना बनाते समय शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण सहित आर्थिक विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के लिए भूमि/स्थान शहरों की संबंधित मास्टर प्लान/विकास योजना में निर्धारित किया जाना चाहिए। जहां भी एमएसएमई पुराने शहर के क्षेत्रों में स्थित/संकेंद्रित हैं, ऐसे क्षेत्र/समूहों के पुनर्विकास/पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

शहरी केंद्रों या उभरते शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा यूएलबी और विकास प्राधिकरणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह की पहल की संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा वकालत की जा सकती है और पर्याप्त संसाधनों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

7. वित्त और ऋण

एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण में तेजी लाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति, एमएसएमई मंत्रालय ने देखा कि ऋण उपलब्धता-पर्याप्तता, समय पर उपलब्धता, लागत और बंधक से जुड़े मुद्दे एक सतत चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए एमएसएमई विकास पर कार्य समूह, एमएसएमई मंत्रालय ने देखा कि एमएसएमई क्षेत्र में एक बड़ा क्रेडिट अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस अंतर को आम तौर पर अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो अक्सर संस्थागत वित्त की तुलना में अधिक लागत पर होते हैं।

इसके अलावा, एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र के अधिकांश सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम धन की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इन उद्यमों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो उद्यमों के प्रदर्शन और क्षमता को प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि उच्च जोखिम धारणा के कारण बैंक/वित्तीय संस्थान उद्यमियों से संपार्श्विक व्यवस्था की मांग करते हैं। इसके अलावा, उद्यमों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए एजेंटों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है और ऋण की पर्याप्त राशि का भुगतान एजेंट के कमीशन के रूप में किया जाता है।

एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के बीच वित्त और ऋण के मुद्दों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

i) उद्यमों को ऋण से संबंधित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए जिनका वे लाभ उठा सकते हैं। इससे बिचौलियों और एजेंटों का खतरा कम होगा। एसपीवी/उद्योग संघों को एमएसएमई को ऋण प्रवाह की सुविधा के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, फरीदाबाद स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सिडबी के साथ करार किया है जो इस एसोसिएशन की सिफारिश के आधार पर उद्यमों को ऋण प्रदान करता है। इस तरह के मॉडल को एनसीआर के अन्य हिस्सों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। डीआईसी को एक पहल करने और उद्यमियों को एसपीवी/औद्योगिक संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है जो इसी तरह की पहल कर सकते हैं।

ii) **एमएसएमई को विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा एमएसई ऋण अधिकारियों की क्षमता विकसित की जानी चाहिए।**

iii) एनसीआर में एमएसएमई के लिए 25 लाख रुपये तक की जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिले का अग्रणी बैंक या सिडबी डीआईसी के सहयोग से जिले में व्यवहार्य समूहों की परियोजना प्रोफाइल तैयार कर सकता है और इन समूहों को उनके विकास के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। उद्योग/उद्यम संघों के सहयोग से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार विभिन्न क्लस्टर अपना सकते हैं।

अग्रणी बैंक/सिडबी को ऐसे एमएसएमई क्लस्टरों को अपनाना चाहिए। पहले चरण में, प्रत्येक उप-क्षेत्र में एमएसएमई के ऐसे एक क्लस्टर को विकास के लिए लिया जाना चाहिए।

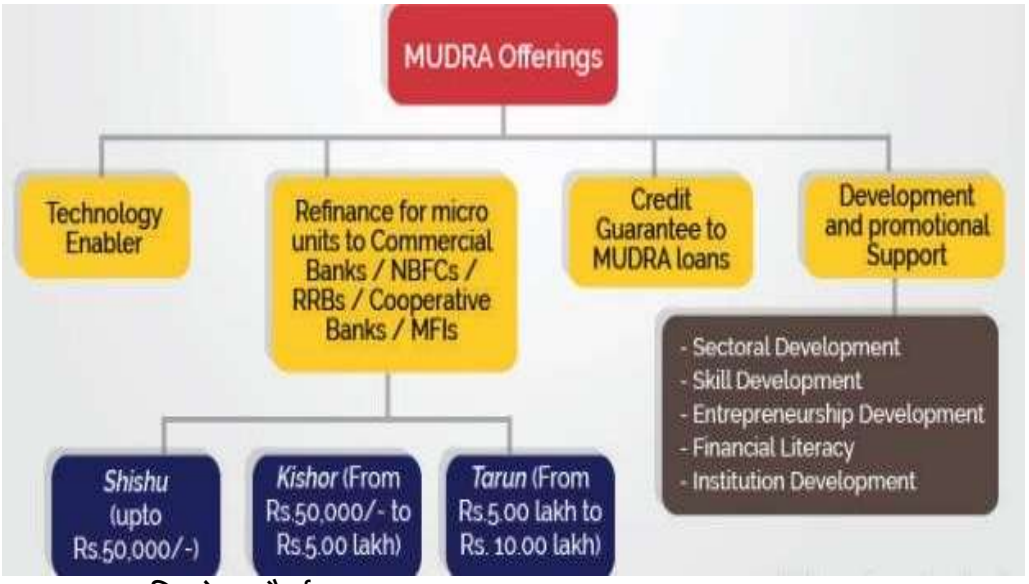

चित्र 5.2 मुद्रा का वित्तपोषण पैटर्न

स्रोत: *MyGov India*, साप्ताहिक समाचार पत्र, खंड *1* अंक *2, 14* सितंबर, *2016* को प्रकाशित, *<http://jan-sampark.nic.in/jansampark/images/campaign/2016/15-Sep/pdf/english-sample-2.2 compress.compressed.pdf>* से प्राप्त किया गया

मुद्रा की पेशकश

प्रौद्योगिकी प्रवर्तक

वाणिज्यिक बैंकों/एनबीएफसी/आरआरबी/सहकारी बैंकों/एमएफआई की सूक्ष्म इकाइयों के लिए पुनर्वित्त

मुद्रा ऋणों के लिए ऋण गारंटी

विकास और प्रचार सहायता

क्षेत्रीय विकास

कौशल विकास

उद्यमिता विकास

वित्तीय साक्षरता

संस्थागत विकास

शिशु (*50,000/-* तक)

किशोर (*5.00* लाख रुपये से *10.00* लाख रुपये तक)

तरुण (*5.00* लाख रुपये से *10.00* लाख रुपये तक)

iv) माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा बैंक), एक सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दरों पर ऋण प्रदान करता है, जो तब विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करते हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात शिशु (स्टार्ट-अप), किशोर (जिन्होंने शुरू किया है लेकिन व्यवसाय अभी तक स्थापित नहीं

हुआ है) और तरुण (सभी छोटे व्यवसाय) और अधिकतम अनुमत ऋण राशि शिशु और सभी सूक्ष्म उद्यम के लिए 50,000 रुपये तक, किशोर के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये और तरुण श्रेणी के लिए 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक है। मुद्रा के वित्तपोषण पैटर्न को उपरोक्त **चित्र-5.2** में दर्शाया गया है।

मुद्रा बैंक से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आरबीआई के मानदंडों के अनुसार मुद्रा ऋण, यानी 10 लाख तक के ऋण को संपार्श्विक मुक्त कर दिया गया है। मुद्रा ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-8 में दी गई हैं।

v) **भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आदि जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। केन्द्र सरकार की ऐसी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए।** पीएमआरवाई और पीएमईजीपी के नीति दस्तावेज क्रमशः **अनुलग्नक-**9 **और अनुलग्नक-**10 में दिए गए हैं

8. प्रौद्योगिकी, डिजाइन और पैकेजिंग

यह देखा गया है कि एनसीआर में अधिकांश एमएसएमई समूहों में उनके संबंधित तकनीकी और डिजाइन पहलुओं की कमी है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम नवीनतम तकनीक और डिजाइन के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इन उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास पर सब्सिडी देने की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

उदाहरण के लिए, हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्व है जो बाजार के रुझान के साथ बदलता रहता है। बाजार पर कब्जा करने के लिए, कपड़ों की गुणवत्ता का परीक्षण और सुनिश्चित करने की जरुरत है। इसलिए, प्रत्येक क्लस्टर या ग्रुप और क्लस्टर में एक डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की जरुरत आवश्यक हो जाती है।

यह भी पाया गया है कि अधिकांश सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों द्वारा उपयोग की जा रही मशीनरी/प्रौद्योगिकी आमतौर पर अप्रचलित है। बदलते बाजार परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए, इन उद्यमों के तकनीकी विकास की अत्यधिक आवश्यकता है।

तकनीकी और डिजाइन बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

i) केंद्र सरकार ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने में सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) जैसे कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। एनएमसीपी के तहत, डिजाइन क्लिनिक योजना **(चित्र 5.3 देखें)** को डिजाइन के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एमएसएम विनिर्माण उद्यमों में डिजाइन सीखने की स्थापना करने और निरंतर सीखने और कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की पहल एमएसएमई मंत्रालय/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी/एसपीवी, आदि को शुरू करने की आवश्यकता है।

ii) **उद्यमियों और श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी आदि द्वारा एसपीवी/औद्योगिक संघ के सहयोग से क्लस्टरों की विशिष्टताओं और आवश्यकता के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए।**

चित्र 5.3 **डिज़ाइन क्लिनिक योजना और डिज़ाइन ऑडिट की अवधारणा**

स्रोत: <**http://clusterconference.in/ppt/bindoo%20ranjan.pptx**> से पुनः प्राप्त

डिजाइन क्लिनिक योजना
एमएसएमई
डिजाइन विशेषज्ञ
वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता के मुद्दों का समाधान करना
डिजाइन ऑडिट-चुनौतियों को समझना
संगठनात्मक स्तर
अंतर-विभाग स्तर
अंतर-विभागीय स्तर
कॉर्पोरेट संचार और सह.छवि
उत्पाद, प्रक्रियाएं, डिजाइन
पर्यवेक्षण
साक्षात्कार
वीडियो एथोग्राफी
बाजार अनुसंधान
परिदृश्य निर्माण

ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्यमों से संबंधित नवीनतम तकनीकों और डिजाइनों का व्यावहारिक प्रदर्शन शामिल होना चाहिए। उद्यमियों को आवश्यक उपकरण/उपकरणों की जानकारी देने की आवश्यकता है। क्लस्टर के भीतर कुछ उद्यमियों/कुशल श्रमिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल/प्रशिक्षित किया जा सकता है।

ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न राष्ट्रीय या राज्य स्तर के तकनीकी और डिजाइन अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए।

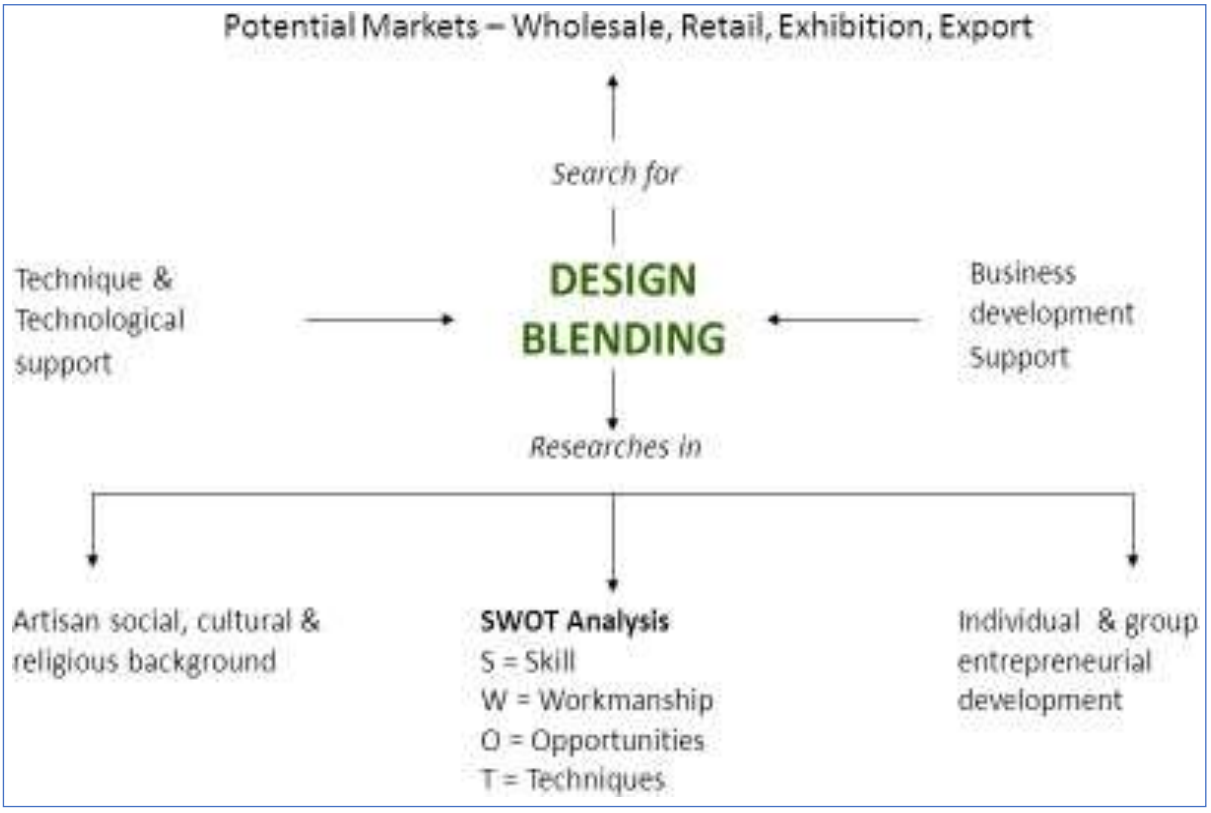

चित्र 5.4 डिजाइन सम्मिश्रण की प्रक्रिया

स्रोत: *<http://clusterconference.in/ppt/bindoo%20ranjan.pptx>* से पुनः प्राप्त

संभावित बाजार-थोक, खुदरा, प्रदर्शनी, निर्यात

निम्न को खोजें

तकनीकी और तकनीकी सहायता

डिजाइन सम्मिश्रण

व्यापार विकास सहायता

में अनुसंधान

कारीगर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

एस = कौशल

डब्ल्यू = कारीगरी

ओ = अवसर

टी = प्रौद्योगिकी

व्यक्तिगत और समूह उद्यमशीलता विकास

iii) **एसपीवी/एसएचजी/औद्योगिक संघों के सहयोग से क्लस्टर या जिला मुख्यालय स्तर पर एमएसएमई मंत्रालय/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी द्वारा डिजाइन केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। डिजाइन केंद्र की स्थापना करते समय विभिन्न डिजाइन संस्थानों जैसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, केंद्रीय फुटवियर प्रौद्योगिकी संस्थान आदि को शामिल किया जाना चाहिए। *चित्र 5.3* में दर्शाए अनुसार डिजाइन ऑडिट भी की जानी चाहिए।**

iv) विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर या जिला स्तर पर विशिष्टताओं और आवश्यकता के अनुसार परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

v) **भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों/डीआईसी और/या एसपीवी द्वारा साझा सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जो उद्यमों को किराये के आधार पर उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी/मशीनरी प्रदान कर सकते हैं। एनएसआईसी द्वारा 'किराया खरीद और पट्टे' जैसी योजनाएं क्लस्टर स्तर पर शुरू की जानी चाहिए।**

vi) **सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के मौजूदा और संभावित श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए न्यू टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र / संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। युवाओं को ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, लेदर, गारमेंट्स आदि जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आसानी से रोजगार योग्य बनाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों के साथ औद्योगिक जिलों / समूहों में स्थापित किया जा सकता है।**

vii) देश में एक विशिष्ट संस्थान है अर्थात भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP) जो पैकेजिंग और डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। पैकेजिंग और डिजाइनिंग के लिए एमएसएमई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि पैकेजिंग और डिजाइनिंग में अधिक संख्या में विशिष्ट संस्थान स्थापित किए जाएं। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए एमएसएमई के बीच इन संस्थानों के बारे में जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए।

9. उत्पादों की मार्केटिंग

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी के अध्ययन से पता चला है कि इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमियों के बीच मार्केटिंग का ज्ञान बहुत कम है और अधिकांश उद्यम और क्लस्टर मार्केटिंग के वर्ड-ऑफ-माउथ मोड पर निर्भर हैं। उद्यम कई एजेंटों या व्यापारियों के माध्यम से किये जाते हैं जिसके कारण उत्पाद उपभोक्ता को बहुत अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं लेकिन इससे उद्यमों / कारीगरों को नगण्य लाभ होता है। यह आगे देखा गया है कि केवल कुछ ही उद्यम अपने उत्पादों को राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करते हैं। एमएसएमई को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने और उन्हें मौके पर बेचने के लिए अपने उत्पादों और क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने की जरुरत है।

विभिन्न सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम समूहों के बीच जुड़ाव का भी अभाव है। इसके अलावा, ऐसे क्लस्टर एनसीआर में और बाहर विभिन्न पर्यटन स्थलों/सर्किटों से अच्छी तरह से सम्बद्ध/जुड़े नहीं हैं। मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पादों की ब्रांडिंग और विज्ञापन/प्रचार की जरुरत है।

एमएसएमई उत्पादों के मार्केटिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

(i) सूचना प्रसार केंद्र, डिस्प्ले हॉल, प्रदर्शनी केंद्र आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, जहां एमएसएमई की सघनता हो। यह केंद्रीय/राज्य संगठनों, उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों, एसपीवी आदि द्वारा किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो ऐसी सुविधाओं को पीपीपी मोड में विकसित किया जा सकता है। पर्याप्त खाली भूमि वाले डीआईसी/एसपीवी भी इस गतिविधि में मदद कर सकते हैं।

(ii) एनसीआर के भीतर आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए इंटर-क्लस्टर और इंट्रा-क्लस्टर लिंकेज की पहचान की जानी चाहिए।

(iii) एनसीटी दिल्ली उत्तरी भारत के पर्यटन स्थलों के लिए नोडल बिंदु है क्योंकि यह दिल्ली-आगरा-जयपुर-दिल्ली; दिल्ली-देहरादून; दिल्ली-चंडीगढ़-शिमला आदि जैसे विभिन्न पर्यटन सर्किटों/कोरिडोर्स पर पड़ता है। इन मार्गों पर सरकारी गेस्ट हाउस/मोटल या रेस्तरां के साथ एकीकरण में बिक्री डिपो, डिस्प्ले सेंटर इत्यादि स्थापित करके ऐसे पर्यटक सर्किट/कॉरिडोर की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के केंद्र को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों जैसे पर्यटन मंत्रालय, एनएचएआई, आदि के सहयोग से संबंधित भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों द्वारा रणनीतिक स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। कारीगरों को इन केंद्रों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया को ऐसी प्रदर्शनी को कवर/एडवर्टाइज करना चाहिए।

(iv) भाग लेने वाले प्रत्येक एनसीआर राज्य को अपने स्वदेशी उत्पादों की ब्रांडिंग करनी चाहिए और राज्य स्तर के वेब-पोर्टल, प्रमुख पत्रिकाओं, राष्ट्रीय टेलीविजन आदि पर उनका विज्ञापन करना चाहिए। यह देखा गया है कि अधिकांश क्लस्टर ब्रांडिंग तकनीकों से अनजान हैं और ऐसा नहीं करते हैं। गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करें। भाग लेने वाले एनसीआर राज्य द्वारा डीआईसी की मदद से विभिन्न परीक्षण केंद्रों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग या बड़े ब्रांडों के साथ गठजोड़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और

ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि है, को व्यापक रूप से अपनाया और एडवर्टाइज किया जाना चाहिए।

(v) एनसीआर भाग लेने वाले राज्य को व्यवसाय से ग्राहक (बी2सी) और व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) के आधार पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाकर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि ई-कॉमर्स को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सके और खरीदार और विक्रेताओं को आला उत्पादों के साथ-साथ विभिन्न मात्रा में बड़े पैमाने पर उपभोग के उत्पादों के लिए आभासी बाजार तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। इसे संबंधित भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों के प्रचार विभागों द्वारा कार्यक्रम हस्तक्षेप और वकालत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(vi) सार्वजनिक खरीद नीति (2012) में परिकल्पना की गई थी कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% खरीदना अनिवार्य है। यह नीति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एमएसएमई मंत्रालय के तहत एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण में तेजी लाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट, 2013 में देखा कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग सालाना लगभग 80,000/- करोड़ रुपये के सामान की खरीद करते हैं, जिसमें से 10% माइक्रो और छोटे उद्यम से खरीदा जा रहा है।

यह अनुशंसा की जाती है कि भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तर्ज पर 'सार्वजनिक खरीद नीति' तैयार करें। इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन से उत्पादन की मांग में वृद्धि होगी, विक्रेता विकास तंत्र को मजबूती मिलेगी और सूक्ष्म और लघु उद्यमों में प्रौद्योगिकी विकास की सुविधा होगी।

(vii) भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों द्वारा एक एनसीआर वेब-पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उनके समूहों का विवरण हो। वेब-पोर्टल पर क्लस्टर, निर्मित उत्पादों, प्रयुक्त सामग्री और उनके लक्षित बाजार की रूपरेखा का उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही, उत्पादों की एक विस्तृत सूची इस पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए और साथ ही उन स्थानों की जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए जहां उन्हें बेचा जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कुछ उत्पादों की ऑनलाइन खरीद भी शुरू की जा सकती है।

10. उद्यम/क्लस्टर संबंध और भागीदारी

एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन से पता चलता है कि उद्यमों का प्रत्येक समूह अन्य समूहों से जुड़ा हुआ है। क्लस्टर अधिक कुशलता से कार्य करेंगे यदि उनके बीच एक मजबूत निर्भरता और अंतर्संबंध/साझेदारी बनती है। क्लस्टर कच्चे माल की आपूर्ति और मशीनरी और उपकरण, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, बाजार आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अन्य समूहों पर निर्भर हो सकते हैं। विभिन्न समूहों का अंतर-संबंध मैट्रिक्स **चित्र *5.5*** में दिया गया है।

विश्लेषण से पता चलता है कि जहां सभी क्लस्टर किसी न किसी तरह से मशीनरी और उपकरण क्लस्टर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी क्लस्टर पर निर्भर हैं, वहीं कुछ क्लस्टर अन्य क्लस्टर पर भी विशिष्ट निर्भरता रखते हैं। उदाहरण के लिए, पहने जाने वाले परिधान समूह जो कच्चे माल के लिए हथकरघा समूहों पर निर्भर हैं, जबकि पहने हुए परिधान समूह हथकरघा समूहों के लिए मुख्य बाजार के रूप में कार्य करते हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज और स्थानीय निर्भरता के संदर्भ में विभिन्न समूहों के बीच निर्भरता स्थापित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और संबंधित भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों द्वारा इसी तरह का अभ्यास किया जा सकता है। इससे क्लस्टरों को लाभ होगा और एमएसएमई की उन्नति और विकास में वृद्धि होगी। व्यापक कवरेज और प्रचार के लिए ऐसे उद्यम/क्लस्टर लिंकेज और भागीदारी को वेब-पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित/अपलोड किया जाना चाहिए।

विभिन्न समूहों के अंतर-संबंध मैट्रिक्स																	
उद्यम / क्लस्टर	खाद्य उत्पाद	कपड़ा	परिधान पहनना	चमड़ा	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	कागज और कागज उत्पाद	प्रकाशन, मुद्रण	रसायन और रासायनिक उत्पाद	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	अन्य गैर-धातु उत्पाद	मूल धातु	निर्मित धातु उत्पाद	उपकरण और औजार	विद्युत मशीनरी	इलेक्ट्रॉनिक सामान	ऑटो कंपोनेंट्स	फर्नीचर और अन्य विविध
खाद्य उत्पाद																	
कपड़ा																	
परिधान पहनना																	
चमड़ा																	
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद																	
कागज और कागज उत्पाद																	
प्रकाशन, मुद्रण																	
रसायन और रसायन उत्पाद																	

विभिन्न समूहों के अंतर-संबंध मैट्रिक्स																	
उद्यम / क्लस्टर	खाद्य उत्पाद	कपड़ा	परिधान पहनना	चमड़ा	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	कागज और कागज उत्पाद	प्रकाशन, मुद्रण	रसायन और रासायनिक उत्पाद	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	अन्य गैर-धातु उत्पाद	मूल धातु	निर्मित धातु उत्पाद	उपकरण और औजार	विद्युत मशीनरी	इलेक्ट्रॉनिक सामान	ऑटो कंपोनेंट्स	फर्नीचर और अन्य विविध
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद																	
अन्य गैर-धातु उत्पाद																	
मूल धातु																	
निर्मित धातु उत्पाद																	
उपकरण और औजार																	
विद्युत मशीनरी																	
इलेक्ट्रॉनिक सामान																	
ऑटो कंपोनेंट्स																	
फर्नीचर																	

चित्र 5.5 विभिन्न समूहों के अंतर-संबंध मैट्रिक्स

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर एनसीआरपीबी अध्ययन

क्लस्टर और मार्केटिंग सेवाओं का एकत्रीकरण - चूंकि क्लस्टर एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्लस्टर का एकत्रीकरण सूक्ष्म उद्योगों के विकास में और मदद कर सकता है। एक बार जब सूक्ष्म उद्योग उत्पादन शुरू कर देते हैं, तो ऐसे उद्योगों के लिए ऐसे समूहों के उत्पाद को देश के बाकी हिस्सों में लाने के लिए विशेष ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

11. उद्यमी ज्ञापन (ईएम) का पंजीकरण/दाखिलीकरण

एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार, एक सूक्ष्म या लघु उद्यम को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरणों के साथ उद्यमी ज्ञापन (ईएम) दाखिल करना आवश्यक है। चूंकि ईएम-II दाखिल करना स्वैच्छिक प्रकृति का है और अनिवार्य नहीं है, उद्यमी जागरूकता की कमी और डर के कारण ईएम-II/पंजीकरण दाखिल नहीं कर रहे हैं। कई सरकारी योजनाएं हैं जो एमएसएमई क्षेत्र की मदद और सहायता के लिए शुरू की गई हैं जैसे हथकरघा बुनकरों के लिए रियायती दरों पर कपास के लिए मिल गेट मूल्य योजना (एमजीपीएस); एकीकृत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (आईएचडीएस); सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), आदि। उद्यमी जिन्होंने ईएम-II दाखिल नहीं किया है, वे ऐसी किसी भी सरकारी योजना/लाभ के अंतर्गत नहीं आते हैं।

चूंकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समग्र विकास के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए ईएम-II भरना जरूरी है, इसलिए ईएम-II/पंजीकरण भरने में उद्यमों को प्रोत्साहित करने के

लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

i) **भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ ईएम- II / राज्य सरकार / डीआईसी के साथ पंजीकरण के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जरुरी हस्तक्षेप करना चाहिए। सभी सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों को चरणबद्ध तरीके से पंजीकृत करने के लिए भाग लेने वाले एनसीआर राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।**

ii) **एमएसएमई मंत्रालय/राज्य सरकारें/डीआईसी, एसपीवी/औद्योगिक संघों के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों को पंजीकृत करने/ईएम-II दाखिल करने के लिए कार्य योजना और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।**

12. संस्थागत/शासन संरचना

यह देखा गया है कि कई सरकारी एजेंसियां और योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य देश में एमएसएमई का समग्र विकास करना है। एमएसएमई के लिए अपने-अपने क्षेत्रों या कार्यात्मक क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों की अपनी नीतियां और कार्यक्रम हैं। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के परिणामों का विस्तार करने के लिए समन्वित और व्यापक संस्थागत ढांचे का अभाव है।

क्लस्टरों का समग्र विकास संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, संबंधित राज्य सरकार और उसके संबंधित विभाग/एजेंसियों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि से निरंतर सहयोग पर निर्भर करता है। हालांकि, यह अधिक आवश्यक है कि सरकारी कार्यक्रमों से निपटने वाले अधिकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं।

केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न विकास एजेंसियां एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं और क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपना रही हैं। कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) का मुख्य जोर क्लस्टर विकास के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देना है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से हस्तशिल्प इकाइयों के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। मोटे तौर पर, निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग और एजेंसियां एनसीआर में एमएसएमई के विकास में शामिल हैं:

(i) एमएसएमई मंत्रालय
(ii) विकास आयुक्त (एमएसएमई)
(iii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
(iv) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय
(v) विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय
(vi) कपड़ा समिति, वस्त्र मंत्रालय
(vii) औद्योगिक संवर्धन और आतंरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(viii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(ix) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ)
(x) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
(xi) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
(xii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य अग्रणी बैंक

(xiii) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी)

(xiv) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

(xv) एनसीआर प्रतिभागी राज्यों से संबंधित सरकारें यानी एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान

(xvi) राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आरसीसीआई)

यह सुझाव दिया गया है कि भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों को सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए। डीआईसी को सक्रिय किया जाना चाहिए और उनके क्षेत्रीय अधिकारियों को उचित रूप से निर्देशित और इकठ्ठा किया जाना चाहिए। डीआईसी अधिकारियों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

एमएसएमई से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए, उनमें कर्मचारियों की उचित तैनाती और उनकी मौजूदा सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों का गठन/प्रवर्तन किया जाना चाहिए।

13. एनसीआर के सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों के लिए डेटाबेस

यह देखा गया है कि क्लस्टर स्तर और जिला स्तर पर सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम क्षेत्र पर डेटा/सूचना की कमी है। असंगठित क्षेत्र सहित इन उद्यमों के लिए व्यापक डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव, ठोस नीति निर्माण, कार्यान्वयन और उनके विकास की निगरानी के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इन उद्यमों से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद पर क्षेत्रीय डेटा अनुसंधान और डेटा के संकलन की भी आवश्यकता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्रत्येक उप-क्षेत्र स्तर पर एनसीआर के सूक्ष्म, लघु और घरेलू विनिर्माण उद्यमों के लिए एक व्यापक डेटाबेस या वेब-पोर्टल बनाया जाना चाहिए, जिसमें क्लस्टरों / उद्यमों के बारे में उनकी आवश्यकताओं और उत्पादों आदि के बारे में बुनियादी जानकारी समय-समय पर अपडेट की जा सके।

14. वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं का सूत्रीकरण

बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल और प्रौद्योगिकी उन्नयन, मशीनरी और उपकरण, सामान्य सुविधा केंद्र आदि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और तकनीकी संगठनों (जैसे एमएसएमई-सीडीपी, आईएचसीडीएस, एनएसआईसी, एनपीआरआई, स्फूर्ति, डिजाइन क्लिनिक योजना, आईआईयूएस, टीयूएफएस, आदि) के कई कार्यक्रम/योजनाएं हैं।

कार्यक्रमों/योजनाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

i) **क्लस्टरों को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजनाएं/प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। एसपीवी/औद्योगिक संघ और/या डीआईसी अपने संबंधित समूहों के लिए ऐसी परियोजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करने/ लागू करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।**

ii) **इसके अलावा, एनसीआर में भाग लेने वाले राज्य एनसीआरपीबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम समूहों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एनसीआरपीबी से सॉफ्ट लोन के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।**

15. रुग्ण एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए नीतियां/योजनाएं तैयार करना

परस्पर रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए आरबीआई द्वारा 1 नवंबर, 2012 को जारी संशोधित दिशा-निर्देश,प्रदान करते हैं:

(i) रुग्णता का जल्दी पता लगाना;
(ii) संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण एमएसई के पुनर्वास पैकेज का आधार बनाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन; तथा
(iii) एमएसई क्षेत्र के लिए एक गैर-विवेकाधीन *एकमुश्त निपटान* (ओटीएस) योजना।.

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के प्रचार और विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 'एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा' जारी किया है।

साथ ही, सिडबी ने "एमएसएमई के लिए स्ट्रेस्ड एसेट्स का प्रबंधन/पुनर्गठन और पुनर्वास योजना" शुरू की है। यह योजना राहत और रियायतें (पुन: निर्धारण, ब्याज दर में कमी, अतिदेय/भविष्य के ब्याज और छूट आदि के वित्तपोषण के रूप में) के साथ-साथ एमएसएमई रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि सभी भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों/ढांचे/योजनाओं के अनुसार अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में खराब पड़े एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए नीतियां/योजनाएं तैयार करें।

II. सेक्टर/क्लस्टर-वार मुद्दे और सिफारिशें

1. हथकरघा उद्यम/क्लस्टर

मुद्दे:

a) हथकरघा उद्यम, रंगाई और परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान खतरनाक रासायनिक अपशिष्टों का निर्वहन करते हैं। यह देखा गया है कि एनसीआर में अधिकांश हथकरघा समूहों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) नहीं होता है और अपशिष्टों को बिना किसी उपचार के सीधे नालों में छोड़ा जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है।

b) एनसीआरपीबी के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र के अधिकांश क्लस्टर उचित दरों पर कच्चे माल की खरीद में एक बड़ी समस्या का सामना करते हैं। यह देखा गया है कि अधिकांश हथकरघा उद्यमों के लिए मुख्य कच्चा माल कच्चा कपास है जिसे वे कपड़ा बनाने के लिए कताई/बुनाई करते हैं। हालांकि, परिवहन लागत के साथ-साथ कच्चे कपास की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है।

c) परिधान निर्माण उद्यम हथकरघा उद्यमों के लिए मुख्य बाजार हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि परिधान उद्योग अपने कच्चे माल के संभावित स्रोत के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है और वे डीलरों के माध्यम से अधिकांश कच्चे माल की खरीद करते हैं।

d) एनसीआर में अधिकांश हथकरघा उद्यम/क्लस्टर जैसे पानीपत, पिलाखुवा, आदि में आवश्यक बुनियादी ढांचे यानी जगह, कनेक्टिविटी, बिजली, अपशिष्ट निपटान सुविधाओं आदि की कमी है, जो उद्यमों के सुचारू कामकाज में बाधा पैदा कर रहा है।

e) हथकरघा उद्यमों द्वारा उपयोग की जा रही मशीनरी/प्रौद्योगिकी ज्यादातर अप्रचलित हैं। इनमें से अधिकांश उद्यम नई तकनीक/मशीनरी को व्यक्तिगत रूप से वहन नहीं कर सकते हैं।

f) साथ ही, हथकरघा उद्यमों के बीच डिजाइन और तकनीकी पहलुओं के मामले में नवाचार की कमी है। यह पहलू प्रतिस्पर्धी बाजार में हथकरघा उत्पादों की बिक्री को कम करता है।

सिफारिशें:

i) भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों को अपने संबंधित हथकरघा समूहों में सीईटीपी का निर्माण करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, राज्य सरकारों को इन क्लस्टरों में पीपीपी मोड पर सीईटीपी के निर्माण और संचालन के लिए निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

ii) **यह सुझाव दिया जाता है कि जिला या क्लस्टर स्तर पर बड़े पैमाने पर कच्चे माल के बैंक (आरएमबी) स्थापित किए जाने चाहिए जो हथकरघा उद्यमों के लिए आसानी से सुलभ हो सकें।**

iii) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की 'यार्न आपूर्ति योजना' के तीन घटक हैं, अर्थात् (i) मिल गेट मूल्य पर यार्न की आपूर्ति (ii) सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम और ऊन पर 10% मूल्य सब्सिडी (iii)) एनएचडीसी में निवेश। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी:

(a) यार्न के परिवहन के लिए माल ढुलाई प्रतिपूर्ति (सभी प्रकार)

(b) यार्न डिपो के संचालन का खर्च।

(c) हैंक यार्न (कपास, रेशम, ऊन) पर 10% मूल्य सब्सिडी

(d) एनएचडीसी को सेवा शुल्क।

इनमें से 10% मूल्य सब्सिडी का भुगतान एनएचडीसी द्वारा चालान में अग्रिम रूप से किया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी को अग्रिम दिया जाएगा। योजना में भाड़ा प्रतिपूर्ति, डिपो परिचालन व्यय और एनएचडीसी के सेवा प्रभार की दरें दी गई हैं। हथकरघा एमएसएमई/क्लस्टरों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। 'धागा आपूर्ति योजना' के विस्तृत दिशा-निर्देश **अनुबंध-11** में दिए गए हैं।

iv) **हथकरघा उद्यमों की सुविधा के लिए, एमएसएमई मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों या अन्य हितधारकों आदि द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए ताकि हथकरघा उद्यमों के बीच परिधान उद्योग के लिए अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए जागरूकता पैदा की जा सके। इसका लाभ हथकरघा उद्यमों के बीच भी लाया जाना चाहिए। नियमित क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि हथकरघा उद्यम (उत्पादक) और परिधान उद्योग (खरीदार) एक दूसरे की आवश्यकता को बेहतर तरीके से समझ सकें और सीधा संपर्क स्थापित कर सकें।**

v) **हथकरघा उद्यमों के लिए विशिष्ट डिजाइन और तकनीकी पहलुओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं को वस्त्र मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा डिजाइन और व्यवस्थित करने की जरुरत है। उत्पाद डिजाइन और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए ये विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं जिला/क्लस्टर स्तर पर समय-समय पर आयोजित की जानी चाहिए।**

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में लगा हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। केवीआईसी कौशल सुधार जैसी गतिविधियां करता है; प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; अनुसंधान एवं विकास; मार्केटिंग आदि और रोजगार/स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में

मदद करता है। यह एक नोडल एजेंसी के रूप में पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) के तहत खादी और ग्रामोद्योग के पारंपरिक उद्योगों में क्लस्टर विकास गतिविधियों को भी लागू करता है। केवीआईसी ने कच्चे माल के भंडार का निर्माण / रखरखाव भी किया और कच्चे माल के प्रसंस्करण और केवीआईसी उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया।

खादी और/या ग्रामोद्योगों या हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी प्रतिष्ठित मार्केटिंग एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों और एसपीवी को कौशल सुधार; प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; अनुसंधान एवं विकास;मार्केटिंग, कच्चे माल के भंडार का निर्माण, आदि के उद्देश्य से केवीआईसी के साथ संयुक्त रूप से काम करना चाहिए।

vi) **हथकरघा उद्यमों के विकास के लिए प्रमुख विकास केंद्रों/क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और उन्हें एनसीआर में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जा सकता है। अपने वर्तमान स्थान पर अंतरिक्ष, भीड़भाड़, प्रदूषण आदि से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे उद्यमों / कारीगरों को इन विकास केंद्रों / क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।**

vii) **सीएफ़सी को क्लस्टर स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो किराए के आधार पर सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों को उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी/मशीनरी प्रदान कर सके। क्लस्टर स्तर पर एसपीवी/औद्योगिक संघ इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एनएसआईसी द्वारा हायर परचेज एंड लीजिंग स्कीम जैसी योजनाएं क्लस्टर स्तर पर शुरू की जानी चाहिए।**

2. वियरिंग अपैरल/गारमेंट इंटरप्राइजेज/क्लस्टर्स

मुद्दे:

परिधान बाजार में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। उद्योग को हथकरघा क्षेत्र द्वारा फीड किया जाता है, हालांकि, यह आम तौर पर आसपास के डीलरों से कच्चे माल की खरीद करता है, बजाय स्रोत यानी हथकरघा उद्यमों से, जो आसपास के क्षेत्र में भी मौजूद है।

a) हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्व है जो बाजार के रुझान के साथ बदलता रहता है। बाजार पर कब्जा करने के लिए, कपड़ों की गुणवत्ता का परीक्षण और सुनिश्चित करने की जरुरत है। इसके अलावा, अंतिम उत्पादों को बेचने के लिए बाजारों की पहचान करने की जरुरत है।

b) यह देखा गया है कि हथकरघा उद्यमों द्वारा उपयोग की जा रही मशीनरी/प्रौद्योगिकी ज्यादातर अप्रचलित हैं। इनमें से अधिकांश उद्यम नई तकनीक/मशीनरी को व्यक्तिगत रूप से वहन नहीं कर सकते हैं

निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

i) एमएसएमई मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों आदि द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए ताकि परिधान निर्माताओं के बीच हथकरघा उद्यमों से सीधे कच्चे माल की खरीद के लिए जागरूकता पैदा की जा सके। इससे कच्चे माल की लागत कम करने में मदद मिलेगी। नियमित क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि हथकरघा बुनकर (उत्पादक) और परिधान निर्माता (खरीदार) सीधा संपर्क स्थापित कर सकें।

ii) डिजाइन में सुधार और कपड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में जिला या क्लस्टर स्तर पर भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों/डीआईसी/एसपीवी के सहयोग से एमएसएमई मंत्रालय/वस्त्र मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों आदि द्वारा परिधान परीक्षण केंद्र के साथ डिजाइन केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए।

iii) एमएसएमई मंत्रालय/वस्त्र मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों/एजेंसियों आदि को एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी/एसपीवी के सहयोग से उन प्रमुख बाजारों की पहचान/चिह्नित करना चाहिए जहां उद्यम अपने उत्पाद बेच सकते हैं। उद्यमों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऐसे बाजारों से अवगत कराया जाना चाहिए।

iv) यह प्रस्तावित है कि सीएफ़सी की स्थापना एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी और/या एसपीवी द्वारा की जानी चाहिए जो कि सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों को किराये के आधार पर उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी/मशीनरी प्रदान कर सकते हैं। एनएसआईसी द्वारा 'किराया खरीद और पट्टे' जैसी योजनाएँ क्लस्टर स्तर पर शुरू की जानी चाहिए।

3. कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्यम/क्लस्टर्स

कृषि-उद्योग, यानी मध्यवर्ती और अंतिम उपभोग के लिए कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण, संरक्षण और तैयारी, विकास और आय सृजन में सहयोग करने वाले कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उत्पाद उद्योग एनसीआर में अपार संभावनाएं रखने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यह स्पष्ट है कि डेयरी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म और लघु उद्यम (जैसे बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्र), अचार बनाना (जैसे पानीपत), मुर्गी पालन, आलू के चिप्स, सरसों का तेल (जैसे अलवर और आसपास के क्षेत्र), आदि एनसीआर में मौजूद हैं। विशाल शहरी उपभोक्ता बाजार और इसकी बढ़ती मांग एनसीआर में इन उद्यमों के विकास के प्रमुख कारकों में से एक है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, मसाले और अन्य कृषि उत्पाद भी एनसीआर में उगाए जा रहे हैं और उत्पादन में तेजी लाने की और क्षमता रखते हैं।

एनसीआर में सब्जियों, फलों और मसालों का जिलेवार उत्पादन इंगित करता है कि इन सब्जियों, फलों और मसालों का अधिकतम उत्पादन जिला बुलंदशहर (754 हजार मीट्रिक टन), मेवात (535 हजार मीट्रिक टन) और गुरुग्राम (451 हजार मीट्रिक टन) में होता है। जिलेवार विवरण **अनुबंध-12** में दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (फल और सब्जियां) द्वारा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए पहचाने गए प्रमुख जिले नीचे **तालिका 5.2** में दिए गए हैं।

तालिका 5.2 एनसीआर में उत्पादित जिलेवार फल और सब्जियां

क्रम संख्या	उप क्षेत्र	जिला	प्रमुख फल	प्रमुख सब्जी
1.	उत्तर प्रदेश	मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर	आम, अमरूद, आड़ू, लीची	फूलगोभी, भिंडी, शलजम, पत्ता गोभी, बैगन, और आलू

2.	हरियाणा	सोनीपत और मेवात	अमरूद, आम, तरबूज, खरबूजा	आलू, फूलगोभी, टमाटर, प्याज, मूली, पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, बैगन, गाजर, लौकी
3.	राजस्थान	अलवर	कुछ नहीं	प्याज, गाजर

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार[xlviii]

कृषि और डेयरी उत्पादों को पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में बढ़ती जटिलता और सामूहिक प्राथमिकताओं की प्रौद्योगिकियों द्वारा आकार दिया गया है। कृषि का औद्योगीकरण और कृषि प्रसंस्करण उद्यमों का विकास एक संयुक्त प्रक्रिया है जो एक पूरी तरह से नए प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है। कृषि-प्रसंस्करण उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों को **अनुबंध-13** में विस्तार से दिया गया है।

मुद्दे:

क्षेत्र में कृषि-प्रसंस्करण उद्यमों के विकास की गति को प्रभावित करने वाले कारकों को (a) स्थापना, (b) वित्तीय प्रबंधन, (c) कच्चे माल की खरीद में (d) प्रसंस्करण में और, (e) मार्केटिंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि-प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक बाधाओं/समस्याओं का सारांश नीचे दिया गया है:

a) **प्लांट लगाने के समय आने वाली समस्या** जैसे भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और भूमि की उच्च कीमत, तकनीकी जानकारी की कमी, मशीनरी की उच्च लागत, बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई, लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई आदि।

b) **वित्तीय व्यवस्था से संबंधित समस्याएं** जैसे ब्याज की उच्च दर, उधार देने वाली संस्थाओं से अपर्याप्त वित्त, वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित कम वित्तीय सीमाएं, सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और सब्सिडी की कमी और बाजार से खरीदे गए कच्चे माल पर उच्च कर।

c) **कच्चे माल की खरीद में आने वाली समस्याएं** यानी कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति की कमी, कच्चे माल की उच्च दर और अनियमित आपूर्ति, उच्च मार्केटिंग शुल्क, गुणवत्ता नियंत्रण की कमी आदि।

d) पावर/बिजली की कमी, यूनिट की स्थापित क्षमता के कम उपयोग, बिजली और ईंधन की उच्च दर/शुल्क, उच्च कार्यशील पूंजी, तकनीकी कर्मचारी की कमी आदि के संबंध में **प्रसंस्करण में आने वाली समस्याएं**।

e) **अंतिम उत्पादों केमार्केटिंग में आने वाली समस्याएं** जैसे अंतिम उत्पाद के लिए कुशल बाजार की कमी, बड़े खिलाड़ियों और संगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, उच्च सरकारी हस्तक्षेप, करों की बहुलता / बिक्री कर की उच्च दर, मार्केटिंग सहकारी समितियों की कमी और सड़क मार्ग से कुशल परिवहन की अनुपलब्धता और उच्च लागत

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" के तहत 'कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण' की योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह योजना मानचित्रण अभ्यास के माध्यम से चिन्हित कृषि/बागवानी उत्पादन के क्षेत्र में लागू की जानी है। ये क्लस्टर अतिरिक्त उपज के अपव्यय को कम करने और कृषि/बागवानी उत्पादों के मूल्य वृद्धि में मदद करेंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भाग लेने वाले राज्य सरकारों में कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के इरादे हैं और राजस्थान सरकार (राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-मार्केटिंग संवर्धन नीति-2015),

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017) और हरियाणा (कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018) ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में मदद करने के लिए अपनी-अपनी नीतियां तैयार की हैं। भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों की उपर्युक्त नीतियां कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विभिन्न बाधाओं/समस्याओं को दूर करने के लिए रोडमैप और उपकरण प्रदान करती हैं। इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल एनसीआर में कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई के विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करके क्षेत्र के आर्थिक आधार को भी मजबूत करेगा।

सिफारिशें:

i. **कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए। प्रोडक्शन कैचमेंट में प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और कोल्ड चेन बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए।**

ii. **बिजली आपूर्ति को मजबूत किया जाना चाहिए और एमएसएमई को कम दरों पर बिजली कनेक्शन की आसान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

iii. **चूंकि कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई के अधिकांश आइटम/उत्पाद तत्काल उपभोग के लिए होते हैं और जल्दी खराब होने वाले होते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि उपभोक्ता बाजारों तक सुरक्षा के साथ कृषि-खाद्य उत्पादों के परिवहन में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं जैसे रेफ्रिजेरेटेड वैन, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वैगन आदि को पीपीपी मोड पर बनाया जाना चाहिए।**

iv. **किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण के लिए एमएसएमई अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को उचित रूप से मजबूत किया जाए ताकि प्रसंस्करण उपकरण और मशीनरी की लागत को कम किया जा सके।**

v. **एनसीआर में डेयरी, सब्जी और तिलहन आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।**

vi. **जलग्रहण क्षेत्रों/क्लस्टरों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। अधिक संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी स्थापित की जानी चाहिए।**

vii. **कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), आदि के सहयोग से आईसीएआर, एसएयू, निजी क्षेत्र, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और राज्य के कृषि और बागवानी विभागों की मदद से एमएसएमई के लिए उद्यमिता / कौशल विकास कार्यक्रम, स्मार्ट मार्केटिंग पर प्रशिक्षण आदि नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।**

viii. **संबंधित भाग लेने वाली एनसीआर राज्य एजेंसियों और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य के मार्केटिंग के लिए उपयुक्त मार्केटिंग बुनियादी ढांचे और प्रावधान को विकसित करने की जरुरत है। ऐसी एजेंसियों द्वारा सहकारी मार्केटिंग विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए और कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई की सुविधा के लिए बाजार की जानकारी और खुफिया जानकारी पर एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए एमएसएमई द्वारा उत्पादित कार्यात्मक भोजन (अनाज और दालों से प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पाद, सोयाबीन, तेल भोजन उत्पाद) पर विचार किया जाना चाहिए।**

ix. **बिजली और पानी के कनेक्शन, लाइसेंस और ऋण आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम / सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए और जहां भी संभव हो, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात सब्सिडी सहित कर अवकाश और अन्य प्रोत्साहन शुरू किए जा सकते हैं।**

4. लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट एंटरप्राइजेज / क्लस्टर्स

एनसीआर सबसे अधिक औद्योगिक और शहरीकृत क्षेत्रों में से एक है, जहां लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट्स से संबंधित उत्पादों की बहुत अधिक मांग है। लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट MSME मूल रूप से बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के सहायक / विक्रेता के रूप में काम करते हैं। एनसीआर में इस क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

मुद्दे:

a) उद्यमों में बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों और निर्यात बाजारों के गुणवत्ता उपायों से मेल खाने के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने की कमी है।

b) कच्चे माल की लागत अब तक का सबसे बड़ा लागत हिस्सा है। ऑटो कंपोनेंट विनिर्माताओं के लिए स्टील सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एनसीआर में लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट निर्माण क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम वर्तमान में कच्चे माल की उच्च कीमतों, कीमतों में वृद्धि और आपूर्तिकर्ताओं के एकाधिकार से जूझ रहे हैं।

c) बड़ी संख्या में उद्यमों के पास उत्पादों को शुरू से लेकर अंत तक डिजाइन करने की क्षमता नहीं है। इन उद्यमों के पास बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। उनकी वित्तीय ताकत और आकार उन्हें एक समर्पित इन-हाउस डिजाइनिंग और आर एंड डी लैब और परीक्षण और उत्पाद डिजाइन सुविधाओं की अनुमति नहीं देते हैं।

d) लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट्स सेक्टर से संबंधित सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों को कम ब्याज दर पर क्रेडिट और क्रेडिट प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई उद्यमों को बैंकों या उद्यम पूंजीपतियों से आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।

e) उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने की जरुरत है, हालांकि, इन उद्यमों की ऋण प्राप्त करने में असमर्थता ने उन्हें नवीनतम मशीनरी को अपनाने/प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

f) बढ़ती मजदूरी लागत के कारण लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट उद्यमों से उपलब्ध कर्मचारी का एक बड़ा हिस्सा या तो सेवा उद्योग या नई विनिर्माण इकाइयों में जा रहा है। कुशल कर्मचारी को बनाए रखना एक चुनौती साबित हो रही है।

g) उत्पादकता में सुधार के लिए कौशल विकास और कर्मचारी के व्यवहारिक प्रशिक्षण की जरुरत है।

h) एनसीआर में स्थित इस क्षेत्र के उद्यमों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, परिवहन / रसद सुविधाओं आदि जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता भी प्रमुख समस्याओं में से एक है। खराब बुनियादी ढांचे के कारण उच्च विनिर्माण लागत और बाजार का नुकसान हुआ है।

एनसीआर में लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट्स संबंधित क्लस्टर के मुद्दों/समस्याओं को दूर करने के लिए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

i) **एमएसएमई मंत्रालय/अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और/या एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों/डीआईसी को इस क्षेत्र के कौशल और उत्पाद की गुणवत्ता मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट क्लस्टर के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए एसपीवी/उद्योग संघों को शामिल किया जा सकता है।**

ii) **सरकार को स्टील की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए जो लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्यमों के लिए मुख्य कच्चा माल है।**

iii) **सरकार को आरएंडडी, परीक्षण प्रयोगशालाओं, डिजाइन केंद्रों आदि के लिए साझा बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास के निर्माण और उपयोग के लिए लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट निर्माण उद्यमों / समूहों की सुविधा और / या प्रोत्साहन देना चाहिए।**

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) और एमएसएमई मंत्रालय जैसे संस्थानों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उपयोग ऐसी सुविधाओं की स्थापना की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। उद्यमों के बीच ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी है। लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को प्रोत्साहित करने में रुचि रखने वाले सरकारी संस्थानों को न केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहल करनी चाहिए बल्कि हितधारकों को ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा भी देनी चाहिए।

iv) **भारत सरकार ने राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) के तहत बड़ी पहल की है और ऑटोमोटिव उद्योग की क्षमताओं को विकसित करने के लिए महंगा बुनियादी ढांचा प्रदान करने की योजना बनायी है। प्रतिभागी एनसीआर राज्यों/डीआईसी/एसपीवी/औद्योगिक संघों को ऐसी योजनाओं से अधिकतम लाभ मिलना चाहिए।**

v) **सरकार को सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के बीच साख योग्यता रेटिंग प्राप्त करने की जरुरत के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इन उद्यमों में उनकी विस्तार योजनाओं के लिए कम लागत वाली संस्थागत इक्विटी पूंजी और जोखिम पूंजी निधि की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी जरुरत है। इस श्रेणी की कुछ योजनाओं में सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) का एसएमई ग्रोथ फंड शामिल है। इसका उपयोग ऑटो-कंपोनेंट क्लस्टर में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एक्जिम बैंक के पास एसएमई, फर्मों, उत्पाद निर्यात और विदेशी निवेश के वित्तपोषण के लिए भी कई योजनाएं हैं। इस क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के लिए ऐसी योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम तैयार और आयोजित किए जाने चाहिए।**

vi) विशिष्ट कौशल के लिए प्रशिक्षण, विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त, श्रमिकों और उद्यमियों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की जरुरत है। सरकार को संस्थानों को लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट्स क्लस्टर्स/एसपीवी/एसोसिएशंस के साथ सहयोग करने और अल्पकालिक उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम के साथ आने के लिए प्रोत्साहित और सहयोग करना चाहिए। इससे उद्योग को तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी जो इसके विकास के लिए आवश्यक है।

vii) **लाइट इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्यमों का सहयोग करने के लिए, भाग लेने वाली एनसीआर**

राज्य सरकारों को क्लस्टर स्तर पर अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बिजली की नियमित आपूर्ति, कुशल परिवहन और रसद सेवाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।

5. मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और सिरेमिक उद्यम / क्लस्टर

मिट्टी के बर्तन बनाने का सिरेमिक कार्य है, जिसमें मिट्टी के बरतन, पत्थर के पात्र और चीनी मिट्टी के बरतन शामिल हैं। मिट्टी के बर्तनों का तात्पर्य कुम्हार की कला या शिल्प या मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा, चीनी मिट्टी की चीज़ें और काली मिट्टी के बर्तनों के निर्माता से भी है। मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा, सिरेमिक उत्पादों की विविधता में कट-वर्क लैंप, पिचर्स मनी बैंक, फूलों के फूलदान, बर्तन, रसोई के सामान, संगीत वाद्ययंत्र, मिट्टी के खिलौने, गोबलेट और कई अन्य सामान शामिल हैं।

एनसीआर में, कई सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यम विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों/टेराकोटा/सिरेमिक कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ क्लस्टर राजस्थान उप-क्षेत्र के अलवर जिले के रामगढ़ में हैं; हरियाणा उप-क्षेत्र में फरीदाबाद, भटकल, पलवल, फरुखनगर, बहादुरगढ़, पानीपत, गुरुग्राम जिले और यूपी उप-क्षेत्र में मेरठ, खुर्जा और बुलंदशहर और दिल्ली में उत्तम नगर में हैं। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों का समूह देश के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों के समूहों में से एक है। एनसीआर में मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा और सिरेमिक गतिविधियों में लगे उद्यमों / समूहों से संबंधित मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है।

मुद्दे:

a) मुख्य उत्पाद संबंधी बाधा उत्पादन प्रक्रिया से ही संबंधित है। शिल्प को तैयार करने और डिजाइन करने के लिए, समूहों में कारीगर अभी भी पारंपरिक तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसा कि उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है। इस तरह की उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादित वस्तु की प्रति यूनिट उच्च समय और श्रम की खपत होती है और इस प्रकार, उत्पादन में दक्षता प्रभावित होती है। इसके अलावा, यह उत्पाद लाइनों और उत्पाद डिजाइनों में विविधता को सीमित करता है। इसमें कौशल और तकनीक उन्नयन की कमी होती है।

b) कारीगरों के पास काम करने का उचित स्थान नहीं है, उनमें से अधिकांश या तो खुले शेड में काम कर रहे हैं या अपने घरों के भीतर एक जगह का उपयोग कर रहे हैं। अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अनुचित वेंटिलेशन से काम करने की स्थिति सबसे खराब हो जाती है। घर के अंदर काम करना, कारीगरों की उत्पादकता को कम करने के अलावा, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है, खासकर बच्चों के लिए, जो शिल्पकारों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

c) कई कारीगरों के पास अपनी उपज के लिए कोई भंडारण स्थान नहीं होता है, इसलिए अधिकांश समय तैयार उत्पादों को पास के खुले स्थान में छोड़ दिया जाता है। उनमें से कई अपना तैयार माल भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान की कमी के कारण घरों के बाहर या सड़क के किनारे रखते हैं। स्थान की कमी के परिणामस्वरूप, टूट-फूट, बारिश के पानी और ओले आदि से काफी मात्रा में नुकशान होता है।

d) तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनके प्रभावी प्रचार के लिए उचित स्थान का अभाव है।

उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

i) एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकार/एसपीवी/औद्योगिक संघों और गैर सरकारी संगठनों को उत्पादन के आधुनिक तरीकों, उन्नत उपकरणों के उपयोग और माल के तेजी से उत्पादन, उत्पाद डिजाइन, गुणवत्ता

नियंत्रण आदि के लिए नवीनतम तकनीक पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में इस तरह के प्रशिक्षण और उत्पाद डिजाइन के शोधन आदि के लिए भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान (आईआईसीडी, जयपुर), केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (सीजीसीआरआई, खुर्जा) आदि जैसे प्रमुख संस्थानों को शामिल करना चाहिए।

ii) सरकारी अधिकारियों को शिल्प के आक्रामक बाजार संवर्धन के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे बेहतर प्रचार हो सके और इस प्रकार, पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित किया जा सके जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है।

iii) कारीगरों/समूहों को उचित बुनियादी सुविधाएं जैसे अच्छी सड़कें, परिवहन सुविधाएं, संचार, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पानी आदि प्रदान की जानी चाहिए।

iv) बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों के शिल्पकारों को पूंजी की कमी की पुरानी समस्या से छुटकारा मिल सके।

v) उत्पादों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार को शिल्प गांव के भीतर और बाहर यानी आसपास के शहरों में शोरूम/प्रदर्शन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

vi) सरकार को इस असाधारण कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। इन उद्यमों/कारीगर समूहों को पर्यटक सर्किट और अंतरराष्ट्रीय बाजार (वेबसाइटों, मेलों आदि के माध्यम से) से जोड़ा जाना चाहिए। उत्पाद के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

vii) सरकारी अधिकारियों/एसपीवी/गैर सरकारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि कारीगरों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले और उन्हें व्यापारियों/बिचौलियों के शोषण से बचाया जाए।

6. चमड़ा और फुटवियर उद्यम/क्लस्टर

मुद्दे:

चमड़ा और फुटवियर निर्माण समूहों से संबंधित कमियों और मुद्दों को संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार किया गया है:

(a) असंगठित उद्योग संरचना, कम कीमत वाले बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक बड़ी बाधा है और इसलिए, चमड़ा और फुटवियर निर्माता व्यवसाय बंद कर देते हैं।

(b) उत्पादन के पैमाने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कॉम्पोनेन्ट और मशीनरी की सीमित उपलब्धता के साथ संबंधों का अभाव।

(c) कच्चे माल की लागत में वृद्धि और महत्वपूर्ण गैर-चमड़े के कम्पोनेंट्स जैसे पीयू एकमात्र, इनसोल बोर्ड, स्टील टो कैप, धातु फिटिंग आदि के लिए आयात पर निर्भरता।

(d) अनिवार्य अपशिष्ट उपचार प्लांट के कारण चर्मशोधन कारखानों पर लागत दबाव के परिणामस्वरूप तैयार चमड़े की लागत में भी वृद्धि होती है।

(e) अपर्याप्त परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियां।

(f) रंगाई, सिलाई, काटने और अकुशल या अर्ध-कुशल कार्यबल में गिरावट से संबंधित कुशल श्रमिकों की

कमी।

(g) अनुसंधान और डिजाइन विकास में निवेश की कमी और गुणवत्ता मानदंडों और मानकों के बारे में जागरूकता की कमी।

चमड़ा और फुटवियर उद्यमों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

(i) उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय और/या एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाने चाहिए। संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के संचालन के लिए उद्योग और शैक्षणिक संबंधों को भी मजबूत किया जाना चाहिए और सभी उद्योग क्षेत्रों (टैनिंग, चमड़े के फुटवियर, चमड़े के परिधान और सामान, आदि) और शिक्षा की समान भागीदारी के लिए एक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना क्लस्टर स्तर पर की जानी चाहिए।

(ii) भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों द्वारा सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों के बीच सहयोग को समृद्ध करने के लिए सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए और प्रमुख समूहों में सामान्य सुविधाओं में सहयोग करने के लिए योजना/कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। सामान्य सुविधाओं के निर्माण की लागत सरकार और एसपीवी/औद्योगिक संघों के बीच साझा की जा सकती है। कुछ सुविधाएं जिन्हें प्रदान करने की जरुरत है वे हैं:

- **मार्केटिंग और व्यवसाय विकास केंद्र।**
- **साझा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र।**
- **उप-क्षेत्र स्तर पर अनुसंधान एवं विकास केंद्र।**

***(iii)* संबंधित भाग लेने वाले एनसीआर राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन योजना/कार्यक्रम प्रारम्भ/शुरू किया जाना चाहिए।**

(iv) उद्योग विशेषज्ञों का डेटाबेस, जिनसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए उद्यमों द्वारा संपर्क किया जा सकता है, डीआईसी/एसपीवी द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसी के लिए, विशेषज्ञों के प्रोफाइल को आमंत्रित करने और एक भंडार में रखने की जरुरत है।

(v) उद्यमियों को पारंपरिक फुटवियर (जैसे मोजरी) और अन्य चमड़े के सामान विशेष रूप से नए डिजाइन और तकनीकों पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की जरुरत है।

(vi) उद्यमियों और श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उद्यमियों और श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए वजीफा दिया जाना चाहिए।

(vii) एसपीवी/औद्योगिक संघों/डीआईसी द्वारा कच्चा माल बैंक स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चमड़े को प्रतिस्थापित करने के लिए नई और समान सामग्री पर शोध शुरू किया जाना चाहिए।

(viii) चमड़े का सामान और फुटवियर के डिजाइनरों के साथ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए जो उद्यमियों को शैलियों, डिजाइनों आदि के संदर्भ में बाजार की मांग के बारे में जानकारी देने में सक्षम होंगे।

7. पैकेजिंग उद्यम / क्लस्टर्स

पैकेजिंग एक ऐसी तकनीक है जो परिवहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और बिक्री सहित उपभोक्ता द्वारा कारखाने से उसके अंतिम उपयोग तक की यात्रा में किसी उत्पाद को कवर करती है और उसकी सुरक्षा करती

है। पैकेजिंग के उद्देश्य में मूल रूप से रोकथाम, सुरक्षा और संरक्षण, संचार, सुविधा, चोरी में कमी और मार्केटिंग प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। पैकेजिंग विभिन्न आकार, माप, सामग्री (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त), आदि ले सकती है और इसे मोटे तौर पर चार समूहों यानी फ़ूड, सामग्री, कॉस्मेटिक और फार्मास्युटिकल में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में पैकेजिंग उद्योग बड़ी संख्या में एमएसएमई और कुछ बड़े एकीकृत प्लेयर के साथ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों का एक विषम मिश्रण है। भारत में 22,000 से अधिक पंजीकृत पैकेजिंग कंपनियां हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई हैं।

फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भारत के पैकेजिंग उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। अपने आकर्षण, लागत-प्रभावशीलता और मजबूती के कारण पारंपरिक कठोर पैकेजिंग से लचीली पैकेजिंग में बदलाव को प्रसंस्कृत फ़ूड की उपभोक्ता मांग में वृद्धि से काफी हद तक सहायता मिली है। साफ़ पानी, सुरक्षित भोजन और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बढ़ती जागरूकता इस विकास को गति प्रदान करेगी।

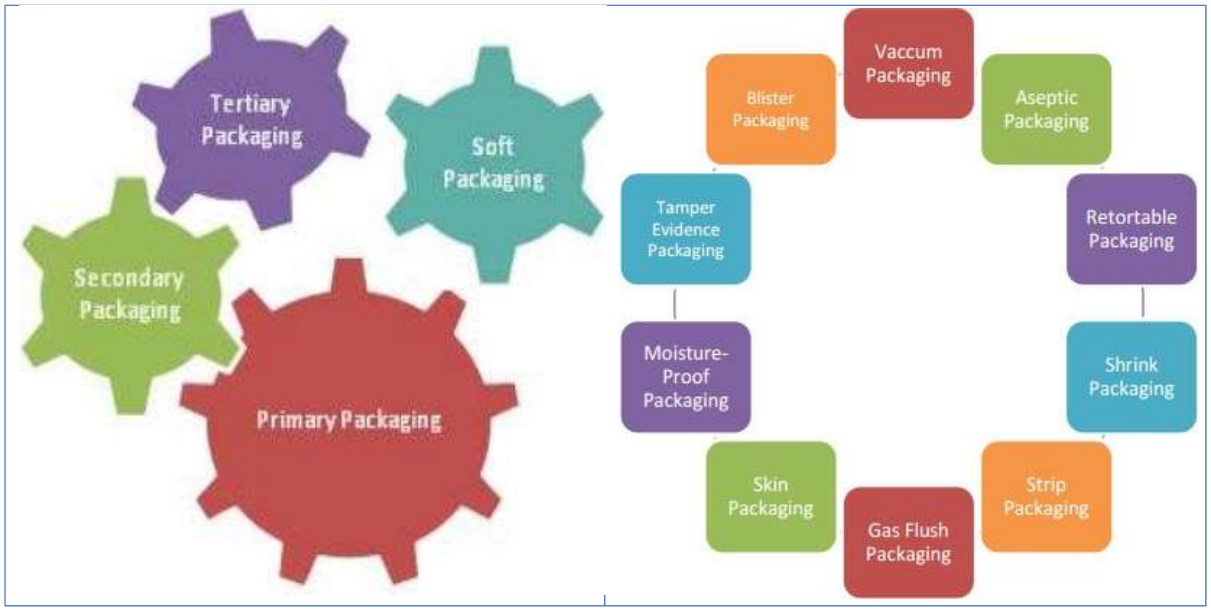

चित्र 5.6 पैकेजिंग के प्रकार

तृतीयक पैकेजिंग

माध्यमिक पैकेजिंग

प्राथमिक पैकेजिंग

सॉफ्ट पैकेजिंग

वैक्यूम पैकेजिंग

ब्लिस्टर पैकेजिंग

एसेप्टिक पैकेजिंग

टैम्पर एविडेंस पैकेजिंग

रिटोर्टेबल पैकेजिंग

नमी प्रतिरोधी पैकेजिंग

श्रिंक पैकेजिंग

स्किन पैकेजिंग

स्ट्रिप पैकेजिंग

गैस फ्लश पैकेजिंग

पैकेजिंग में नियामक स्पष्टता की कमी, टिकाऊ पैकेजिंग के प्रति उपभोक्ता जागरूकता और हरी पैकेजिंग सामग्री के प्रति तनाव के कारण उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है। पैकेजिंग उद्यमों की कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:

(a) एमएसएमई द्वारा भारत में उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री की गुणवत्ता विश्व मानकों से मेल नहीं खा रही है।

(b) एमएसएमई के पास उपलब्ध आर एंड डी सुविधाएं सामग्री / प्रणालियों के विकास के लिए या उनके प्रदर्शन को मापने के लिए नई सामग्री पर परीक्षण करने के लिए अपर्याप्त हैं। विभिन्न उत्पादों के लिए नई पैकेजिंग सामग्री/अवधारणाओं/प्रणालियों और प्रसंस्करण सूत्रीकरण को शुरू करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयास और अनुप्रयोग इंजीनियरिंग की कमी रही है।

(c) उद्यम/क्लस्टर विभिन्न अन्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे:
- प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव,
- कच्चे माल की कमी और बढ़ती लागत और इनपुट लागत
- अत्यधिक अपर्याप्त ऋण प्रवाह/ऋण
- बाजार तक पहुंच का आभाव, मार्केटिंग, वितरण और ब्रांडिंग
- सर्वोत्तम प्रबंधन और विनिर्माण प्रथाओं के संपर्क में कमी
- प्रशिक्षण सुविधा का अभाव
- उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री के भंडारण के लिए जगह की कमी
- एंड-टू-एंड समाधानों की कमी, प्राथमिक और द्वितीयक पैकेजिंग मशीनों का स्वचालन और एकीकरण।

(d) कुशल कर्मचारी की अनुपलब्धता भी एक और चुनौती है।

उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

(i) भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों/डीआईसी और/या एसपीवी/औद्योगिक संघों को पैकेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीआईएआई) के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल और नवीन पैकेजिंग समाधान पेश करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन/विश्व मानकों के अनुपालन, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, उच्च जीवनचक्र लागत और अपशिष्ट प्रबंधन, लागत प्रभावशीलता, नवाचार और उपभोक्ता सुविधा के साथ पैकेजिंग समाधान प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(ii) एनसीआर में पैकेजिंग उद्यमों/क्लस्टरों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, नवीनतम मशीनरी, प्रौद्योगिकी

उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों आदि के विकास के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी तैयार की जानी चाहिए। सब्सिडी में उत्पादन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान, नवाचार, स्वचालन, कच्चे माल के आयात आदि के लिए मशीनरी शामिल होनी चाहिए प्रणाली और क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली और सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण (एसपीसी) प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष सब्सिडी दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खुदरा क्षेत्र की अधिकांश वैश्विक कंपनियां घरेलू एमएसएमई पैकेजर्स को पैकेजिंग की आउटसोर्सिंग कर रही हैं।

(iii) **भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों को पीपीपी को उन स्थानों पर पैकेजिंग पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जहां ऐसे क्लस्टर संबंधित उप-क्षेत्र में सक्रिय हैं।**

(iv) **एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों/डीआईसी/एसपीवी को एक-दूसरे के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ टाई-अप स्थापित करने के लिए एक्सपोजर और अवसर प्रदान करके विनिर्माण और पैकेजिंग उद्यमों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ताकि अच्छे और उत्पादन के लिए समकालीन प्रौद्योगिकियों उचित मूल्य में उच्च अंत पैकेजिंग सामग्री तक पहुंच प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधिमंडलों, उद्योग विशिष्ट मेलों और कार्यक्रमों में भागीदारी को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की जरुरत है।**

(v) **एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत वह एमएसएमई/डीआईसी के संबंधित निदेशालय के माध्यम से आईएसओ 9001/14001/एचएसीसीपी प्रमाणन खर्चों की 75% या रु 75,000/- जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति करता है। भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारों को सभी पैकेजिंग संबंधित उद्यमों का आईएसओ प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए अभियान/कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करने चाहिए।**

(vi) **श्रमिकों और उद्यमियों को उनके कौशल और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की जरुरत है। सरकार को चाहिए कि वह संस्थानों को पैकेजिंग क्लस्टर/एसपीवी/एसोसिएशन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे और लघु और उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करे। इससे उद्योग को तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो इसके विकास और क्षेत्र की क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।**

(vii) **एमएसएमई के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और उन्हें विशेष रूप से मार्केटिंग के क्षेत्र में इनपुट प्रदान करने के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता है। एनसीआर प्रतिभागी राज्यों को एमएसएमई मंत्रालय और एनएसआईसी के सहयोग से मार्केटिंग सहायता योजना के माध्यम से पैकेजिंग उद्यमों/क्लस्टरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकारें पैकेजिंग से संबंधित एमएसएमई के विकास की कुशलता से निगरानी करने के लिए प्रत्येक उद्योग (एमएसएमई पैकेजिंग उद्योग की निर्देशिका) श्रेणी के साथ-साथ क्षेत्रवार डेटाबेस बनाने की पहल कर सकती हैं। इससे व्यापार में वृद्धि और बाजार का विस्तार होगा क्योंकि यह उन्हें संगठित क्षेत्र, अन्य उद्योगों, बाजार के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी जोखिम प्रदान करेगा।**

(viii) एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों को एमएसएमई पैकेजिंग निर्माताओं के विभिन्न देशों और बाजार में एक्सपोजर दौरे आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में नवीनतम तकनीक और प्रवृत्तियों को समझने का अवसर मिल सके। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि निर्माताओं को प्रमुख खिलाड़ियों की आर एंड डी क्षमताओं को समझने, उनकी अपनी नवाचार आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने और आधुनिक और रचनात्मक तरीके से सोचने में सक्षम बनाया जा सके।

(ix) विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र एमएसएमई मंत्रालय और/या एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा बनाए जाने चाहिए। देश में मौजूदा प्रीमियम संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी), स्कूल ऑफ पैकेजिंग-पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सेंटर आदि पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जहां तक गुणात्मक आवश्यकताओं, ज्ञान के आधार, उत्पादन जैसे मुद्दों पर इनपुट, आपूर्ति में सुधार और नई लाइनें विकसित करने का संबंध है, ऐसे संस्थानों को एनसीआर में पैकेजिंग से संबंधित एमएसएमई समूहों की कमियों को पूरा करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

(x) एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों को एनसीआर में पैकेजिंग उद्यमों/क्लस्टरों के समग्र विकास के लिए मील के पत्थर पर प्रतिबद्धता के साथ एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करना चाहिए।

8. खेल सामग्री उद्यम/क्लस्टर

जालंधर के बाद मेरठ देश के सबसे बड़े खेल सामग्री निर्माण केंद्र में से एक है, जो कुल खेल के सामान का लगभग 20% उत्पादन करता है। खेल के सामान से संबंधित उद्यम मुख्य रूप से विभाजन के बाद अस्तित्व में आए, जब संख्या में सियालकोट (वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान में) से संबंधित कुछ परिवार मेरठ और जालंधर में चले गए और बस गए। इन परिवारों को खेल की वस्तुओं के निर्माण का पर्याप्त ज्ञान था और इसलिए उन्होंने स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए इकाइयाँ शुरू कीं। इनमें से कुछ इकाइयों ने, क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव के आधार पर, अपने उत्पादों का एक अच्छा ब्रांड नाम बनाया है, जिससे घरेलू बाजार के साथ-साथ अन्य देशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं।

हॉकी स्टिक, विकेट, फ़ुटबॉल, वॉली बॉल, कैरम बोर्ड, टेनिस रैकेट/रैकेट, टेनिस बॉल, नेट, एथलेटिक उपकरण, सुरक्षा सहायक उपकरण, किट बैग, स्पोर्ट्स वियर, सभी प्रकार के इनडोर खेल, बॉक्सिंग दस्ताने, स्वास्थ्य उपकरण, खिलौने, आदि प्रमुख सामान हैं जो मेरठ में निर्मित होते हैं।

मेरठ के अलावा, हरियाणा उप-क्षेत्र में जिला गुरुग्राम जैसे एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी खेल के सामान का निर्माण किया जा रहा है, हालांकि, खेल के सामान के निर्माण का पैमाना बहुत छोटा है। यह देखा गया है कि एनसीआर में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज/क्लस्टर विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

a) क) खेल सामग्री निर्माताओं को विभिन्न खेल उपकरणों के निर्माण के लिए लकड़ी, रबर, बेंत, धागे, स्टील आदि जैसे कच्चे माल की अनुपलब्धता और उच्च लागत की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, बल्ले के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल (विलो वुड) जम्मू और कश्मीर से खरीदा जाता है और कच्चे माल के रूप में विलो की बिक्री की अनुमति नहीं है, लेकिन इसे अर्ध-तैयार

रूप में खरीदा जा सकता है। इसी तरह, गन्ना केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर-पूर्वी राज्यों में उपलब्ध है। ऐसे सभी मुद्दों से कच्चे माल और तैयार उत्पाद की लागत बढ़ जाती है।

b) उद्यम मैनुअल के साथ-साथ पुरानी स्वदेशी मशीनरी का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रतिबंधित किया जाता है।

c) खेल के सामान बनाने वाले उद्यमों/क्लस्टरों में मुख्य रूप से बिजली आपूर्ति, अच्छी सड़क, जल निकासी, भंडारण, प्रदर्शन केंद्र आदि पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है।

d) खेल के सामान के निर्माण के लिए कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की कमी है।

e) ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीतियों का अभाव।

f) नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का अभाव।

g) विभिन्न खेल सामग्री निर्माताओं के बीच तालमेल और समन्वय का अभाव।

h) ऋणों के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च ब्याज दरें

i) ग्राहकों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता/ग्राहक प्रतिक्रिया और ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली के खराब चैनल।

स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसमें निकट भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। एनसीआर को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने के लिए कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i) युवा मामले और खेल मंत्रालय; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय या किसी अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को कच्चे माल की आवाजाही में प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को राज्य सरकारों के सहयोग से कच्चे माल के बैंकों की स्थापना करनी चाहिए ताकि उचित दरों पर नियमित कच्चे माल की आपूर्ति के माध्यम से खेल सामग्री निर्माण उद्यमों की सुविधा प्रदान की जा सके।

ii) एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारें और/या एमएसएमई मंत्रालय को एनसीआर में खेल के सामान के उत्पादन में लगे एमएसएमई के तकनीकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

iii) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी), प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स गुड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा उद्यमियों और कार्यों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। प्रौद्योगिकी और डिजाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीतियों आदि के लिए विशेष क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

iv) ब्रांड इंडिया को घरेलू स्तर पर लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण है। भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टताओं और मानकों के साथ भारत में निर्मित खेल सामग्री का उपयोग करना आवश्यक है। राष्ट्रीय खेल चैनल, डीडी स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया रेडियो आदि को रियायती दरों पर स्थानीय खेल ब्रांडों का विज्ञापन करना चाहिए।

v) अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों और प्रदर्शनियों में छोटे और मध्यम निर्माताओं की भागीदारी को केंद्र/राज्य

सरकार द्वारा भागीदारी की लागत पर सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन अंतरराष्ट्रीय मेलों में सरकार के प्रचार मदद से स्थानीय ब्रांड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

vi) मौजूदा खेल सामग्री निर्माण उद्यमों / समूहों को बिजली की आपूर्ति, अच्छी सड़क, जल निकासी, भंडारण, प्रदर्शन केंद्र आदि जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

vii) राज्य सरकारों को खेल सामग्री उद्यमों का एक डेटाबेस/निर्देशिका बनाने की पहल करनी चाहिए और कार्यशालाओं, सेमिनारों और बातचीत बैठकों आदि का आयोजन करके विभिन्न खेल सामग्री निर्माताओं के बीच तालमेल और समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए डेटाबेस/निर्देशिका में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादों, खरीदारों आदि जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

viii) केंद्र/राज्य सरकार और बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, विशेष प्रोत्साहन, उदाहरण के लिए, कर अवकाश, खेल के सामान निर्माण उद्यमों को दिया जा सकता है जो विनिर्माण के लिए स्वचालित और आधुनिक तरीके अपनाते हैं।

ix) भारत में केवल खेल के सामानों के सीमित उत्पाद समूहों का निर्माण किया जा रहा है। उत्पाद विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता है जिसे नए उत्पादों पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करके पूरा किया जा सकता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से भाग लेने वाली एनसीआर राज्य सरकारें; एमएसएमई मंत्रालय या किसी अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/संस्थान को विभिन्न प्रकार के खेल सामानों पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करना चाहिए।

x) एमएसएमई के लिए स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स/पार्क एनसीआर में भाग लेने वाली प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने उप-क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए। ऐसे परिसरों/पार्कों को सूचना केंद्र जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए जहां कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, विशिष्टताओं आदि पर नवीनतम जानकारी और कार्यबल प्रशिक्षण के उद्देश्य से कौशल विकास केंद्र मुहैया कराया जा सके।

9. विविध विनिर्माण उद्यम/क्लस्टर

एमएसएमई विकास संस्थानों, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार एनसीआर के विभिन्न जिलों की संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल रिपोर्ट, एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी के अध्ययन और एमएसएमई के क्लस्टर वेधशाला से पता चलता है कि एनसीआर श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्यमों में लगा हुआ है जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रमुख एमएसएमई गतिविधियों/क्लस्टरों के मुद्दे और सिफारिशें ऊपर दी गई हैं, हालांकि, कई अन्य गतिविधियां/क्लस्टर हैं जो एनसीआर में उच्च विकास क्षमता वाले स्थान विशिष्ट हैं जिनमें कच्चे माल, बुनियादी ढांचे और जगह, कौशल विकास, ऋण, मार्केटिंग और प्रचार, जनशक्ति, आदि जैसे उनके विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

ऐसे कुछ एमएसएमई समूहों को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है:

i. **कैंची निर्माण क्लस्टर:** मेरठ में कैंची क्लस्टर लगभग **360** वर्ष पुराना है। इस क्लस्टर में निर्मित मुख्य प्रकार के उत्पाद नाई कैंची, दर्जी कैंची, सामान्य कैंची, कागज कैंची आदि हैं। नीसबड, एमएसएमई

मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले ही इस क्लस्टर के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किया है।

ii. **म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर:** मेरठ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर एनसीआर में एक अनूठा क्लस्टर है। इसके अलावा, एनसीआर के अन्य हिस्सों में फैले हुए कुछ संगीत वाद्ययंत्र निर्माण उद्यम हैं।

iii. **कृत्रिम आभूषण समूह:** उत्तर प्रदेश में मेरठ और लोनी उप-क्षेत्र, हरियाणा उप-क्षेत्र में पटौदी और एनसीटी दिल्ली एनसीआर में कृत्रिम आभूषणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं।

iv. **हथकरघा, जरी और कढ़ाई क्लस्टर:** हथकरघा, जरी और कढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में लगे उद्यम पूरे एनसीआर में फैले हुए हैं, खासकर एनसीटी दिल्ली, हरियाणा और यूपी उप-क्षेत्र में। इस क्षेत्र में उच्च विकास क्षमता है।

v. **पीतल के बर्तन निर्माण क्लस्टर:** रेवाड़ी में पीतल के बर्तनों की बड़ी संख्या में निर्माण इकाइयां हैं। बेशक, अधिक मात्रा में खाना पकाने के बर्तन होते हैं; लेकिन फैंसी वस्तुओं में शामिल हैं- चैसिंग, एनग्रेविंग और पार्सल टिनिंग भी उत्पादित और निर्यात किया जाता है।

vi. **मोढ़ा मेकिंग क्लस्टर:** यूपी उप-क्षेत्र के हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर मोधा बनाने या बेंत के फर्नीचर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह गतिविधि हरियाणा उप-क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर मौजूद है।

vii. **मार्बल मूर्ति कला क्लस्टर:** गोला का बास और रामगढ़ एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में मार्बल मूर्ति कला के हब के रूप में उभरा है।

मेरठ में कैंची निर्माण क्लस्टर

मेरठ में संगीत वाद्ययंत्र क्लस्टर

एनसीआर में हथकरघा जरी और कढ़ाई क्लस्टर

रेवाड़ी में पीतल के बर्तन निर्माण क्लस्टर

राजस्थान में मार्बल मूर्ति कला क्लस्टर

प्लेट 5.2 एनसीआर में एमएसएमई

यह देखा गया है कि ये क्लस्टर (पानीपत हथकरघा को छोड़कर) अत्यधिक असंगठित और खंडित हैं, जो छोटे शहरों/गांवों और/या राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकार को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों का व्यापक विश्लेषण करना चाहिए और इस अध्याय में की गई सामान्य सिफारिशों पर विचार करते हुए ऐसे समूहों के समग्र नियोजित उन्नति और विकास के लिए एक रोड-मैप/विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।

III. एनसीआर में नए जोड़े गए क्षेत्रों/जिलों के लिए सिफारिशें

एनसीआर में नए जोड़े गए जिले, अर्थात् हरियाणा राज्य के भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले, राजस्थान राज्य का भरतपुर जिला और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर और शामाली जिले 'सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन' के तहत शामिल नहीं थे। हालांकि, यह माना गया है कि विभिन्न प्रकार की एमएसएमई गतिविधियां, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मौजूद हैं या इन जिलों में भी की जा रही हैं। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि उपरोक्त सिफारिशों को उपरोक्त नए जोड़े गए छह जिलों में भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि एनसीआर के सभी जिलों में एमएसएमई के विकास और नियोजित विकास को सुनिश्चित किया जा सके जैसा कि मानचित्र 5.1 में दिखाया गया है।

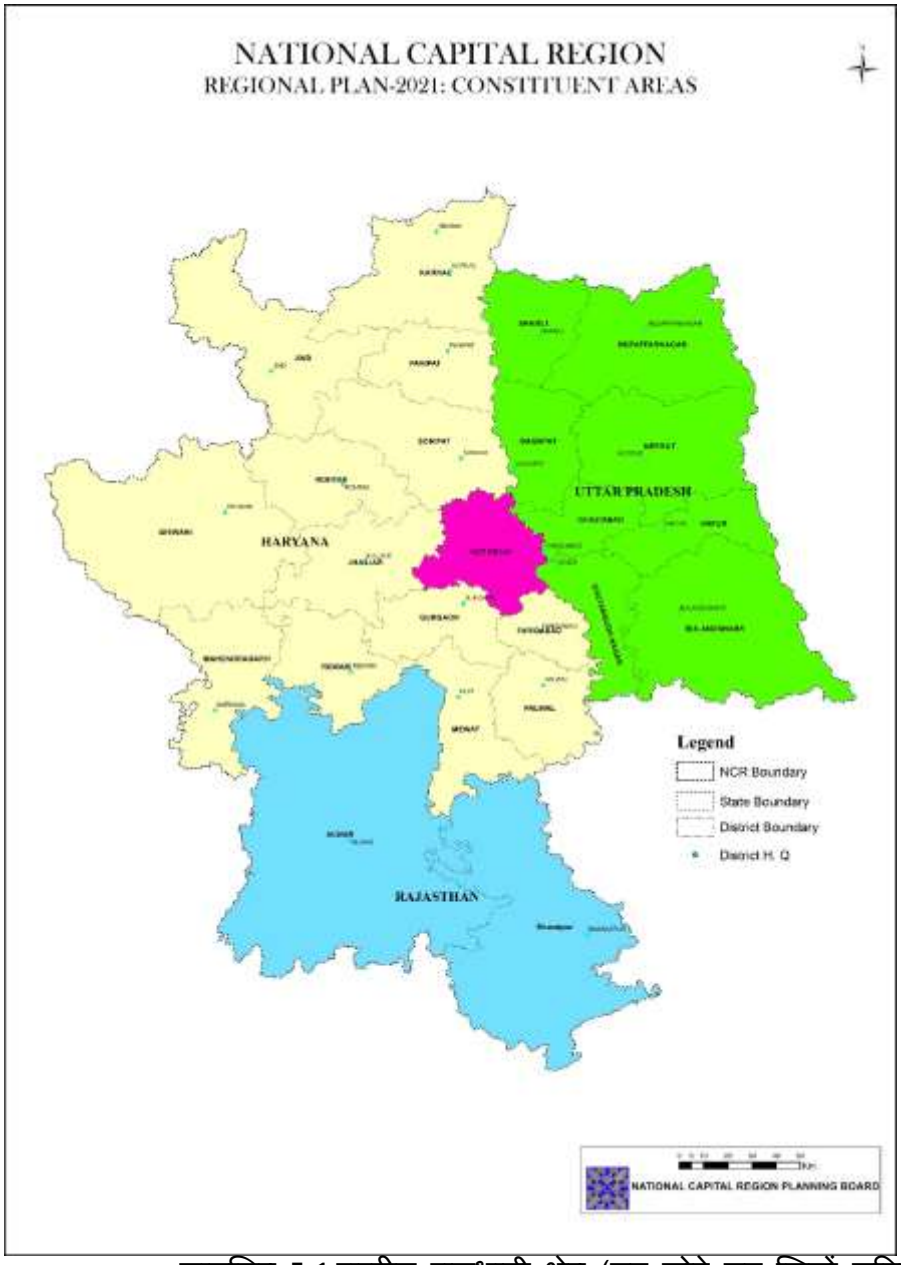

मानचित्र **5-1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नए जोड़े गए जिलों सहित)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
क्षेत्रीय योजना-**2021:** घटक क्षेत्र
निलोखेड़ी करनाल जींद पानीपत सामली मुजफ्फरनगर सोनीपत
बागपत मेरठ उत्तरप्रदेश गाजियाबाद हापुड़ नोएडा गौतमबुद्ध नगर
बुलंदशहर एनसीटी दिल्ली फरीदाबाद पलवल गुड़गांव नूंह मेवात
रौहतक झज्जर रेवाड़ी हरियाणा भिवानी महेंद्रगढ़ नारनौल अलवर
राजस्थान भरतपुर
प्रमुख
एनसीआर सीमा
राज्य सीमा
जिला सीमा
जिला मुख्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अनुलग्नक -1

अनुबंध ***1.A***

क्लस्टरों का जिलावार वितरण

	खाद्य उत्पाद	कपड़ा	पहने वाले परिधान.	चमड़ा	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	कागज और कागज उत्पाद	प्रकाशन और मुद्रण	रसायन और रासायनिक उत्पाद	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	अन्य गैर-धातु उत्पाद	मूल धातु	निर्मित धातु उत्पाद	उपकरण और औजार	विद्युत मशीनरी	इलेक्ट्रॉनिक सामान	ऑटो कंपोनेंट्स	फर्नीचर	समूहों की कुल संख्या	आनुपातिक नमूनाकरण विधि के अनुसार नमूना क्लस्टर
एनआइसी कोड **04**	**15**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**31**	**32 & 33**	**34**	**36**		
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
बागपत	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1
झज्जर	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1
पलवल	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1
सोनीपत	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1
रेवाड़ी	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	1
रोहतक	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	6	2
फरीदाबाद	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	7	2
उत्तरी दिल्ली	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	10	2
पानीपत	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	8	2
गुरुग्राम	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	9	2
अलवर	1	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	10	2
गौतमबुद्धनगर	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	1	10	2

अनुबंध *1.A*

क्लस्टरों का जिलावार वितरण

	खाद्य उत्पाद	कपड़ा	पहने वाले परिधान.	चमड़ा	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	कागज और कागज उत्पाद	प्रकाशन और मुद्रण	रसायन और रासायनिक उत्पाद	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	अन्य गैर-धातु उत्पाद	मूल धातु	निर्मित धातु उत्पाद	उपकरण और औजार	विद्युत मशीनरी	इलेक्ट्रॉनिक सामान	ऑटो कंपोनेंट्स	फर्नीचर	समूहों की कुल संख्या	आनुपातिक नमूनाकरण विधि के अनुसार नमूना क्लस्टर
एनआइसी कोड **04**	**15**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**31**	**32 & 33**	**34**	**36**		
वालड सिटी और वालड सिटी एक्सटेंशन	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	11	3
बुलंदशहर	0	6	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	13	3
गाज़ियाबाद	0	5	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	13	3
मेरठ	0	4	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	1	6	18	4
पूर्वी दिल्ली	0	9	1	1	4	1	0	0		0	1	1	0	0	0	0	4	22	5
पश्चिमी दिल्ली	0	4	0	1	1	1	2	0	4	3	0	1	1	1	1	1	3	24	5
दक्षिण दिल्ली	0	4	2	3	2	3	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	2	26	6
कुल																		**209**	**49**

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर अध्ययन

अनुबंध ***1.B***

नमूना क्लस्टर

	17				18	19		20	21	22	25	26			27	28		31	33	34	36					
	Zari/ Embroidery	Hand-printed textiles	Mfg of blankets/shwals/ carpets etc. by hand	Powerloom	Wearing Apparel, Garments	Footwear	Leather Products- Handbags, luggage etc.	Grass, Leaf, Fibre and Reed	Packaging Material	Printing	Mfg. of Plastic Products	Pottery & Ceramics	Stone Crushing	Terracotta	Casting of Iron and Steel	Fabrication of Metal Products	Stainless Steel Utensils	Electrical Engg. Equipment	Electronic goods	Auto Components	Bone Accessories	Sports Goods	Jewellery	Band- Baja	Furniture & Fixtures	
	1724	1714	1725	1711	1810	1920		2029	2102	2201	2520	2691	2696	2693	2731	2899	2893	3110	3311	3430	3699	3693	3699	3692	3610	Total
Mewat																										1
Baghpat			1																							1
Jhajjar						1																				1
Palwal																										1
Sonepat									1																	1
Rewari																1										1
Rohtak																				2						2
Faridabad																				2						2
North Delhi						1													1							2
Panipat			1												1											2
Gurgaon					1															1						2
Alwar						1							1	1												3
Gautambudh Nagar					1																				1	2
Central Delhi							1	1															1			3
Bulandshahr	1				1							1														3
Ghaziabad		1						1													1					3
Meerut																	1					1	1	1		4
East Delhi		1		1	1				1																1	4
West Delhi						1				1	1							1								5
South Delhi	1				2				1	1								1								6
																									TOTAL	49

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म एवं घरेलू उद्यम पर अध्ययन

मेवात बागपत झज्जर पलवल सोनीपत रेवाड़ी रोहतक फरीदाबाद उत्तरी दिल्ली पानीपत गुड़गांव अलवर गौतमबुद्ध नगर मध्य दिल्ली बुलंदशहर गाजियाबाद मेरठ पूर्वी दिल्ली पश्चिम दिल्ली दक्षिणी दिल्ली
जरी/कढ़ाई
हाथ से मुद्रित वस्त्र
हाथ वाले कंबल/शॉल/कालीन आदि का निर्माण
बिजली से चलने वाला करघा
परिधान, वस्त्र पहनना
जूते
चमड़ा उत्पाद - हैंडबैग, सामान आदि
घास, पत्ती, रेशा और रिड
पैकेजिंग सामग्री
छपाई
प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण
मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के पात्र
स्टोन क्रशिंग
टेराकोटा
लोहा और इस्पात की ढलाई
धातु उत्पादों का निर्माण
स्टेनलेस स्टील के बर्तन
विद्युत इंजीनियरिंग उपकरण
इलेक्ट्रॉनिक सामान
ऑटो कम्पोनेंट
हड्डी का सामान
खेलकूद के सामान
आभूषण
बैंड-बाजा
फ़र्निचर व फिक्सचर
कुल

अनुबंध ***1.C***

क्लस्टरों की सूची जहां प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	स्थान
1	हथकरघा क्लस्टर	खेकड़ा टाउन, बागपत
2	फुटवियर	फुटवियर पार्क, सेक्टर 16 और 17, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादुरगढ़, झज्जर
3	नालीदार पैकेजिंग	राय औद्योगिक क्षेत्र, सोनीपत
4	पीतल	चौधरीवाड़ा, रेवाड़ी शहर, रेवाड़ी
5	नट और बोल्ट क्लस्टर	औद्योगिक क्षेत्र के पास, रोहतक टाउन
6	ऑटो कंपोनेंट्स	औद्योगिक क्षेत्र के पास, रोहतक टाउन
7	लाइट इंजी. इंडस्ट्रीज	मुजस्सर गांव, फरीदाबाद
8	ऑटो कंपोनेंट्स	सेक्टर 58, औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद
9	गैर चमड़े के फुटवियर	नरेला इंडस्ट्रियल एस्टेट, उत्तरी दिल्ली
10	धातु का निर्माण	धीरपुर गांव, किंग्सवे कैंप, उत्तरी दिल्ली
11	फाउंड्री	समालखा, पानीपत, पानीपत
12	हथकरघा	देसीराज कॉलोनी, नूरवाला, जाटव रोड, काबरी रोड, कच्चा कवड़ी पाठक, किशनपुरा, उबरा खेड़ी, उझा रोड, पानीपत
13	रेडीमेड कपड़े	उद्योग विहार, गुरुग्राम
14	टेरकोटा	कृष्णा कॉलोनी, रामगढ़, अलवरी
15	चमड़ा क्लस्टर	बानसूर (इस्माइलपुर, घसोली, करण और बंधका, चतुरपुरा), अलवर
16	मूर्ति कला	रामगढ़, अलवर
17	रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग	सेक्टर 2,4,6,7,8,9 10,11 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
18	फर्नीचर (लकड़ी का काम)	सेक्टर 5, 8, 9, 10. नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
19	जेवर	चेल पुरी, दरीबन कलां, चांदनी चौक; वालड सिटी और वालड सिटी एक्सटेंशन, दिल्ली
20	टोकरी बर्तन	मोतिया खान से सदर बाजार, वालड सिटी और वालड सिटी एक्सटेंशन, दिल्ली
21	चर्म उत्पाद	नबी करीम, वालड सिटी और वालड सिटी एक्सटेंशन, दिल्ली
22	जरी / कढ़ाई क्लस्टर	जहांगीराबाद, बुलंदशहर
23	गारमेंट्स क्लस्टर के तहत (कपास)	शिकारपुर, बुलंदशहर
24	मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक क्लस्टर,	खुर्जा, बुलंदशहर
25	मोढ़ा (बेंत और बांस उत्पाद क्लस्टर)	गढ़ मुक्तेश्वर, गाज़ियाबाद
26	अस्थि सहायक उपकरण	लोनी, गाजियाबाद
27	हथकरघा क्लस्टर	पिलाखुवा, गाज़ियाबाद
28	खेल के सामान उत्पाद	एसके रोड, फूलबाग कॉलोनी, विक्टोरिया पार्क, लाल कुर्ती, मेरठ
29	कृत्रिम आभूषण क्लस्टर	नील गोली, सराफा बाजार, कागजी बाजार, घंटा घर, कबोली बाजार, मेरठ
30	बैंड बाजा क्लस्टर	जॉली कोठी, पटेल नगर, केसरगंज, खैर नगर, अहमद नगर, मेरठ
31	कैंची क्लस्टर	पीरामल बाजार, कांच का पूल, खैर नगर, करीम नगर, कोटला, करीमवाला, मेरठ
32	हथकरघा क्लस्टर	सुंदरनगरी, नंदनगरी, पूर्वी दिल्ली
33	कागज उत्पाद क्लस्टर	करावल नगर, पूर्वी दिल्ली
34	रेडीमेड कपड़े	गांधीनगर, कैलाश नगर, पूर्वी दिल्ली
35	मिश्रित क्लस्टर	करावल नगर, पूर्वी दिल्ली
36	रेडीमेड कपड़े	सीलमपुर, पूर्वी दिल्ली
37	गैर चमड़े के फुटवियर क्लस्टर	मादीपुर गांव और जेजे कॉलोनी; पश्चिमी दिल्ली
38	मुद्रण क्लस्टर	नारायणा फेज I और II, पश्चिमी दिल्ली
39	विद्युत इंजीनियरिंग उपकरण क्लस्टर	नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज I और II, वेस्ट दिल्ली
40	प्लास्टिक उत्पाद	उद्योग नगर, पश्चिमी दिल्ली
41	फर्नीचर	ब्लॉक ए और बी, कीर्ति नगर, पश्चिमी दिल्ली
42	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण	ओखला फेज I और II, दक्षिणी दिल्ली

43	जरी / कढ़ाई क्लस्टर	जाकिरनगर, ओखला, दक्षिणी दिल्ली
44	पैकेजिंग सामग्री	ओखला फेज I और II, दक्षिणी दिल्ली
45	मुद्रण और प्रकाशन	ओखला फेज I और II, दक्षिणी दिल्ली
46	रेडीमेड कपड़े	ओखला फेज I, II, III, दक्षिणी दिल्ली
47	रेडीमेड कपड़े	गोविंदपुरी, दक्षिणी दिल्ली

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर एनसीआरपीबी का अध्ययन, *2015*

नोट: मेवात और पलवल जिलों में क्लस्टर का गठन नहीं हुआ है, हालांकि इन जिलों में सूक्ष्म उद्यमों का भी सर्वेक्षण किया गया है।

अनुलग्नक -2

एमएसएमई विकास के लिए योजनाएं, पहल और कार्यक्रम

क्रम संख्या	मंत्रालय और योजना का नाम
I.	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय 1. सर्वेक्षण, अध्ययन, नीति अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के लिए योजना 2. एमएसएमई के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए)) योजना 3. गुणवत्ता प्रबंधन मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण (क्यूआईटी) 4. एनएमसीपी के तहत लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना 5. एमएसएमई में मार्केटिंग सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन 6. उद्योग/संघों द्वारा क्षमता निर्माण, डेटाबेस के सुदृढ़ीकरण और हिमायत की योजना और सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला के आयोजन की योजना 7. इन्क्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता 8. (एनएमसीपी) के तहत डिजाइन क्लिनिक योजना 9. एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता 10. एमएसएमई मार्केटिंग क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता के लिए डिजाइन क्लिनिक (डिजाइन) 11. गुणवत्ता प्रबंधन मानकों और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम बनाना 12. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) 13. इन्क्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई का उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास 14. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) 15. एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता 16. कच्चे माल की सहायता 17. एस्पायर (नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना) 18. कयर उद्योग का कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन 19. आईपीआर पर जागरूकता पैदा करना और पीपीपी मोड के तहत नए मिनी टूल रूम की स्थापना
II.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 1. निर्यात बुनियादी ढांचे और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए राज्यों को सहायता 2. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम a. मेगा लेदर क्लस्टर b. बाजार पहुंच पहल
III.	श्रम और रोजगार मंत्रालय 1. पीपीपी के माध्यम से सरकारी आईटीआई का उन्नयन 2. शिक्षुता प्रशिक्षण 3. शिल्पकार प्रशिक्षण (आईटीआई) 4. कौशल विकास पहल (एसडीआई)
IV.	आयुष मंत्रालय 1. आयुष पर विनिमय कार्यक्रम/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला के लिए सहायता
V.	ग्रामीण विकास मंत्रालय 1. स्वंजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत विशेष परियोजनाएं 2. आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम
VI.	कपड़ा मंत्रालय 1. विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना 2. एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए परिधान निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान 3. व्यापक हथकरघा विकास (सीएचडी) 4. यार्न आपूर्ति 5. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन 6. मानव संसाधन विकास (एचआरडी)
VII.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
VIII.	वित्त मत्रांलय 1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) 3. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड 4. ग्रोथ कैपिटल और इक्विटी सहायता योजना 5. सामान्य पुनर्वित्त योजना 6. एमएसई इकाइयों द्वारा आईएसओ सीरीज प्रमाणन का अधिग्रहण 7. समग्र ऋण योजना 8. (एमएसई, एस) के लिए रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास 9. एमएसएमई क्षेत्र के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास की योजना 10. एकीकृत ढांचागत विकास (आईआईडी)

क्रम संख्या	मंत्रालय और योजना का नाम
	11. स्टैंड-अप इंडिया
IX.	युवा मामले और खेल मंत्रालय 1. युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)
X.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1. एमएसई को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने में सक्षम बनाने की योजना 2. स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान
XI.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 1. मेगा फूड पार्क योजना
XII.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
XIII.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1. नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र (आईईडीसी) 2. उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी) 3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम 4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास (एसटीईडी) 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी/उद्यमिता पार्क (स्टेप) 6. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई)
XIV.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1. शिक्षुता प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना

अनुलग्नक -3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जिलावार औद्योगिक रूपरेखा

उप-क्षेत्र/जिला	कुल औद्योगिक इकाई	पंजीकृत औद्योगिक इकाई	पंजीकृत मध्यम और बड़ी इकाई	अनुमानित औसत लघु उद्योग में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों की संख्या	बड़े और मध्यम उद्योगों में रोजगार	औद्योगिक क्षेत्र की संख्या	लघु उद्योग का कारोबार (रु. लाख में)	मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों का कारोबार (रु. लाख में)
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र								
कुल योग	*129000*	*20986*	-	*975194*	-	*32*	-	-
हरियाणा उप-क्षेत्र								
पानीपत	5500	4068	43	80667	14192	4	2500000	3794796
फरीदाबाद	17186	17186	180	4500	1600	22	3924.75	5691.30
रोहतक	1435	4761	15	-	2820	03	-	-
गुरुग्राम	24741	22491	436	186040	143300	7	868504	354500
सोनीपत	13039	13039	06	59707	17031	-	726530	6240
झज्जर	2500	1849	-	16082	1000	3	13800	34000
रेवाड़ी	1800	1370	141	9313	21000	3	1431100	5900000
पलवल	380	73	40	7200	8000	2	350000	600000
मेवात	57	42	16	800	1200	1	12403.53	15360
कुल योग	*66638*	*64879*	*877*	*364309*	*210143*	*45*	*5906262*	*10710587.3*
यूपी उप-क्षेत्र								
गाजियाबाद (हापुड़ सहित)	5957	1796	-	17221	72749	12	-	-
बुलंदशहर	5565	5565	5	80000	87	5	-	-
मेरठ	8197	8197	13	48280	3325	04	66856.49	10325
बागपत	3500	2635	05	13000	3900	01	30520	31750
गौतमबुद्धनगर	6349	1063	359	77260	187572	4	1247	3703
कुल योग	*29568*	*19256*	*382*	*235761*	*267633*	*26*	*98623.49*	*45778*
राजस्थान उप-क्षेत्र								
अलवर	25465	551	87	112554	8100	21	60000	80000
कुल योग	*25465*	*551*	*87*	*112554*	*8100*	*21*	*60000*	*80000*
कुल एनसीआर	**250671**	**105672**	**1346**	**1687818**	**485876**	**124**	**6064885.49**	**10836365.3**

स्रोत: एमएसएमई विकास संस्थानों (ओखला, करनाल, आगरा और जयपुर), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार विभिन्न जिलों (एनसीआर में पड़ने वाले) का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल

अनुलग्नक -4

क्लस्टर का तुलनात्मक लाभ

दिल्ली	हरियाणा उप क्षेत्र	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	राजस्थान उप क्षेत्र
एनआईसी कोड **17**			
टेक्सटाइल डाइंग क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	हथकरघा समूह, पानीपत	टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर	
हथकरघा क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली		जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर	
जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर, दक्षिणी दिल्ली		हथकरघा क्लस्टर	
तुलनात्मक लाभ			
बाजार से निकटता मुख्य आकर्षण है, भले ही दिल्ली के भीतर किये जाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध है। बिजली की उपलब्धता और अच्छी कनेक्टिविटी भी एक फायदा है।	इस क्लस्टर की उत्पत्ति प्रकृति में ऐतिहासिक है जब सिंध के प्रवासी कारीगरों को आजादी के दौरान यहां जमीन आवंटित की गई थी। तब से कपड़ा मंत्रालय, सिडबी द्वारा कई हस्तक्षेप किए गए हैं। क्लस्टर निर्यात संचालित है और इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा है।	राज्य सरकार ने ऐसे उद्यमों को नियोजित बुनियादी ढांचा प्रदान करने के प्रयास किए हैं, विशेष रूप से एचपीडीए द्वारा लाए गए पिलाखुवा के टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर में देखा गया है। केंद्र सरकार ने भी जहां आवश्यक हो सहायता प्रदान की है।	
एनआईसी कोड **18**			
रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गुरुग्राम	अंडर गारमेंट्स (कॉटन) क्लस्टर	
रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, ओखला, दक्षिणी दिल्ली		रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग क्लस्टर	
रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गोविंदपुरी, दक्षिण दिल्ली			
तुलनात्मक लाभ			
कच्चे माल और तैयार उत्पादों दोनों के बाजार की निकटता और मुख्य चालक है। इसके अलावा, ओखला में उद्यमों को डीएसआईआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है। दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बिजली की उपलब्धता और अच्छी कनेक्टिविटी भी एक फायदा है।	इस क्षेत्र के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा, बाजार से निकटता के साथ, इस क्लस्टर के विकास के लिए प्रमुख लाभ रहा है। निर्यातक भी क्लस्टर के भीतर मौजूद हैं।	इस क्षेत्र के लिए यूपीएसआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा, बाजार से निकटता के साथ, इस क्लस्टर के विकास के लिए प्रमुख लाभ रहा है। निर्यातक भी क्लस्टर के भीतर मौजूद हैं।	
एनआईसी कोड **19**			
चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, दिल्ली की दीवारों वाला शहर और दीवारों वाला शहर विस्तार	फुटवियर क्लस्टर, झज्जर		चमड़े और गैर चमड़े के फुटवियर, अलवर

दिल्ली	हरियाणा उप क्षेत्र	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	राजस्थान उप क्षेत्र
गैर-चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, नरेला, उत्तरी दिल्ली			
गैर-चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, मादीपुर, पश्चिमी दिल्ली			
तुलनात्मक लाभ			
कच्चे माल और तैयार उत्पादों दोनों के बाजार की निकटता मुख्य चालक है। इसके अलावा ओखला में उद्यमों को डीएसआईआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है। दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बिजली की उपलब्धता और अच्छी कनेक्टिविटी भी एक फायदा है।	इस क्षेत्र के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा, बाजार से निकटता के साथ, इस क्लस्टर के विकास के लिए प्रमुख लाभ रहा है।		पारंपरिक शिल्प, स्थानीय कौशल की उपलब्धता और पर्यटन बाजार इस क्लस्टर के प्रमुख लाभ हैं
एनआईसी कोड **20**			
बास्केटवेयर क्लस्टर, दिल्ली वाल्ड सिटी और वालड सिटी एक्सटेंशन		मोधा (बेंत और बांस उत्पाद) क्लस्टर, गढ़ मुक्तेश्वर, गाजियाबाद	
तुलनात्मक लाभ			
पारंपरिक शिल्प, स्थानीय कौशल की उपलब्धता और बाजार से निकटता इस क्लस्टर के प्रमुख लाभ हैं।		कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय कौशल की उपलब्धता और बाजार से निकटता प्रमुख लाभ हैं।	
एनआईसी कोड **21**			
कागज और कागज उत्पाद क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	नालीदार शीट क्लस्टर, राय, सोनीपत		
पैकेजिंग क्लस्टर, ओखला, दक्षिणी दिल्ली			
लाभ			
बाजार से निकटता मुख्य आकर्षण है, डीएसआईआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भी पहल की गई है। बिजली की उपलब्धता और अच्छी कनेक्टिविटी भी एक फायदा है।	इस क्षेत्र के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचे के साथ-साथ बाजार से निकटता इस क्लस्टर के विकास के प्रमुख लाभ रहे हैं।		
एनआईसी कोड **26**			
		मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक क्लस्टर, बुलंदशहर	टेराकोटा क्लस्टर, अलवर
			मूर्ति कला क्लस्टर, अलवर
तुलनात्मक लाभ			
		स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय कौशल की उपलब्धता और पर्यटन बाजार इस क्लस्टर के प्रमुख लाभ हैं। इस क्लस्टर के विकास के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा भी कई पहल की गई हैं।	स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय कौशल और पर्यटन बाजार इस क्लस्टर के प्रमुख लाभ हैं।

दिल्ली	हरियाणा उप क्षेत्र	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	राजस्थान उप क्षेत्र
एनआईसी कोड **34**			
	लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर, फरीदाबाद		
	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर, फरीदाबाद से रोहतक		
	टर्निंग कपोनेट्स क्लस्टर, रोहतक		
तुलनात्मक लाभ			
	ये मूल रूप से फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी में स्थापित बड़े ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग हब के सहायक विनिर्माण उद्यम हैं		
एनआईसी कोड **36**			
फर्नीचर क्लस्टर, कीर्तिनगर, पश्चिमी दिल्ली		फर्नीचर क्लस्टर, गौतमबुद्ध नगर	
तुलनात्मक लाभ			
कच्चे माल और उपभोक्ता बाजार की निकटता मुख्य आकर्षण हैं। बिजली की उपलब्धता और अच्छी कनेक्टिविटी भी एक फायदा है।.		इस क्षेत्र के लिए नोएडा द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचा, बाजार से निकटता के साथ, इस क्लस्टर के विकास के लिए प्रमुख लाभ रहा है।	

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर एनसीआरपीबी का अध्ययन, *2015*

अनुलग्नक -5

एनसीआर में संभावित और प्राथमिकता क्लस्टर

क्रम संख्या	मापदंड	विकास क्षमता	निर्यात क्षमता	सरकार की नीति के संदर्भ में अनुकूल वातावरण	मौजूदा हस्तक्षेप / सहायता	उत्पाद के मामले में विशेष	संभावित (प्राथमिकता क्लस्टर)
1.	टेक्सटाइल फिनिशिंग क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	N	Y	N	N	N	N (स्थानांतरित किया जाना है)
2.	टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर, गाजियाबाद	Y	Y	Y	Y	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
3.	हथकरघा क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	Y	Y	Y	Y	N	Y (कम प्राथमिकता)
4.	जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर, बुलंदशहर	Y	N	Y	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)
5.	हथकरघा समूह, पानीपत	Y	Y	Y	Y	N	Y (कम प्राथमिकता)
6.	हथकरघा क्लस्टर, बागपत	Y	Y	Y	Y	N	Y (कम प्राथमिकता)
7.	जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर, दक्षिणी दिल्ली	N	N	N	N	N	N (स्थानांतरित किया जाना है)
8.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	M	Y	N	N	N	N
9.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, ओखला, दक्षिणी दिल्ली	Y	Y	Y	Y	N	Y (कम प्राथमिकता)
10.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गोविंदपुरी, दक्षिण दिल्ली	N	N	N	N	N	N (स्थानांतरित किया जाना है)
11.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गुरुग्राम	Y	Y	Y	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)
12.	अंडर गारमेंट्स (कॉटन) क्लस्टर, बुलंदशहर	Y	Y	Y	N	Y	Y (उच्च प्राथमिकता)
13.	रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग क्लस्टर, गौतमबुद्ध नगर	Y	Y	Y	P	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
14.	बास्केटवेयर क्लस्टर, मोतिया खान	N	N	N	N		N (स्थानांतरित किया जाना है)
15.	मोधा (बेंत और बांस उत्पाद) क्लस्टर, गढ़ मुक्तेश्वर	Y	Y	Y	P	Y	Y (मध्यम प्राथमिकता)
16.	फर्नीचर क्लस्टर, कीर्ति नगर	Y	Y	Y	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)

क्रम संख्या	मापदंड	विकास क्षमता	निर्यात क्षमता	सरकार की नीति के संदर्भ में अनुकूल वातावरण	मौजूदा हस्तक्षेप / सहायता	उत्पाद के मामले में विशेष	संभावित (प्राथमिकता क्लस्टर)
17.	फर्नीचर क्लस्टर, गौतमबुद्ध नगर	Y	N	N	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता, स्थानांतरित किया जाना है)
18.	संगीत वाद्ययंत्र क्लस्टर, मेरठ	Y	Y	Y	Y	Y	Y (मध्यम प्राथमिकता)
19.	स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर, मेरठ	Y	Y	Y	Y	Y	Y (कम प्राथमिकता)
20.	ज्वैलरी क्लस्टर, दिल्ली वाल्ड सिटी और वालड सिटी एक्सटेंशन	N	Y	Y	N	Y	Y (उच्च प्राथमिकता)
21.	बोन एक्सेसरीज क्लस्टर, लोनी, गाजियाबाद	Y	Y	Y	Y	Y	Y (कम प्राथमिकता)
22.	कृत्रिम आभूषण समूह, मेरठ	Y	Y	Y	P	Y	Y (मध्यम प्राथमिकता)
23.	मिश्रित क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	Y	N	Y	N	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
24.	मिश्रित क्लस्टर, पलवल	Y	N	N	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)
25.	मिश्रित क्लस्टर, मेवात	Y	N	N	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)
26.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, वालड सिटी, दिल्ली	N	N	N	N	N	N
27.	गैर-चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, नरेला, उत्तरी दिल्ली	Y	Y	Y	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)
28.	गैर-चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, मादीपुर, पश्चिमी दिल्ली	Y	N	Y	N	N	Y (उच्च प्राथमिकता)
29.	फुटवियर क्लस्टर, झज्जर	Y	Y	Y	P	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
30.	चमड़े और गैर चमड़े के फुटवियर, अलवर	Y	Y	Y	Y	Y	Y (मध्यम प्राथमिकता)
31.	कागज और कागज उत्पाद क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	Y	N	Y	Y	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
32.	पैकेजिंग क्लस्टर, ओखला, दक्षिणी दिल्ली	Y	N	Y	Y	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
33.	नालीदार शीट क्लस्टर, राय, सोनीपत	Y	N	Y	Y	N	Y (मध्यम प्राथमिकता)
34.	मुद्रण और प्रकाशन क्लस्टर, दक्षिण दिल्ली	Y	N	Y	P	N	Y

क्रम संख्या	मापदंड	विकास क्षमता	निर्यात क्षमता	सरकार की नीति के संदर्भ में अनुकूल वातावरण	मौजूदा हस्तक्षेप / सहायता	उत्पाद के मामले में विशेष	संभावित (प्राथमिकता क्लस्टर)
							(Medium Priority)
35.	प्रिंटिंग क्लस्टर, नारायणा, पश्चिमी दिल्ली	Y	N	Y	P	N	Y (Medium Priority)
36.	प्लास्टिक क्लस्टर, पश्चिमी दिल्ली	Y	Y	Y	P	Y	Y (High Priority)
37.	टेराकोटा क्लस्टर, अलवर	Y	Y	Y	Y	Y	Y (Low Priority)
38.	मूर्ति कला क्लस्टर, अलवर	Y	Y	Y	Y	Y	Y (Low Priority)
39.	मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक क्लस्टर, बुलंदशहर	Y	Y	Y	Y	Y	Y (Low Priority)
40.	फाउंड्री क्लस्टर, समालखा, पानीपत	Y	N	Y	Y	Y	Y (Low Priority)
41.	ब्रास क्लस्टर, रेवाड़ी	Y	Y	Y	P	Y	Y (Medium Priority)
42.	कैंची क्लस्टर, मेरठ	Y	Y	Y	Y	Y	Y (Low Priority)
43.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण क्लस्टर, दक्षिणी दिल्ली	Y	Y	Y	Y	N	Y (Low Priority)
44.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण क्लस्टर, नरैना	Y	Y	Y	P	N	Y (Medium Priority
45.	मेटल फैब्रिकेशन क्लस्टर, उत्तरी दिल्ली	Y	N	N	N	Y	N (To be relocated)
46.	लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर, फरीदाबाद	Y	Y	Y	Y	N	Y (Low Priority)
47.	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर, फरीदाबाद	Y	Y	Y	Y	N	Y (Low Priority)
48.	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर, रोहतक	Y	Y	Y	Y	N	Y (Low Priority)
49.	टर्निंग कंपोनेंट्स क्लस्टर, रोहतक	Y	Y	Y	Y	N	Y (Low Priority)

Y = हां, ***N*** = नहीं, ***P*** = आंशिक रूप से,, ***M*** = मध्यम

स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर अध्ययन, *2015*

अनुलग्नक -6

एनसीआर में नए एमएसएमई के लिए पहचान की गई संभावनाओं की सूची

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र / जिला	नए एमएसएमई के लिए संभावना
हरियाणा उप-क्षेत्र		
I.	पानीपत जिला	1. वस्त्र मशीनरी का निर्माण 2. बाथरूम फिटिंग आइटम आदि का निर्माण
II.	फरीदाबाद जिला	1. हर्बल सौंदर्य देखभाल उत्पाद
		2. झटपट फास्ट फूड
		3. न्यूट्रास्युटिकल्स
		4. विशेष भोजन
		5. सीडी/डीवीडी का निर्माण
		6. हेल्थकेयर उत्पाद
		7. प्रसाधन सामग्री
		8. ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स
		9. रक्षा उन्मुख वस्त्र
		10. कंक्रीट फर्नीचर
III.	रोहतक जिला	1. बायोटेक उत्पाद जैसे फास्टनर
		2. नट, बोल्ट, पैंट और रसायन
		3. दवा और कॉस्मेटिक उपयोग के लिए हर्बल अर्क
		4. रेडीमेड वस्त्र
		5. खाद्य तेल
		6. ऑटो कंपोनेंट्स
		7. इंजीनियरिंग उत्पाद
		8. लकड़ी आधारित उद्योग
		9. मूल औषधि और दवा
		10. खाने का सामान आदि परोसने के लिए तैयार
IV.	झज्जर जिला	1. फुटवियर
		2. प्लास्टिक मोल्डिंग
		3. पेंट और रसायन
		4. ऑटो कंपोनेंट्स
		5. इंजीनियरिंग उत्पाद
		6. खाद्य तेल
		7. लकड़ी आधारित उद्योग
		8. बुनियादी दवाएं और दवा उद्योग
		9. खाने का सामान आदि परोसने के लिए तैयार
V.	रेवाड़ी जिला	1. ऑटो कंपोनेंट्स
		2. फैब्रिकेशन कार्य आदि
VI.	पलवल जिला	1. बेकरी उत्पाद
		2. अचार निर्माण
		3. खोया पनीर
		4. फर्नीचर उद्योग
		5. इंटरलॉक टाइल्स
		6. पापड़ निर्माण
		7. बुना हुआ कपड़ा
		8. कोल्ड स्टोरेज आदि
VII.	मेवात जिला	1. ऑटो सहायक इकाइयां
		2. प्लास्टिक
		3. रासायनिक आधारित इकाइयां

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र / जिला	नए एमएसएमई के लिए संभावना
		4. इंजीनियरिंग इकाइयां
		5. धातु आधारित (इस्पात निर्माण)
		6. परिधान उद्योग
		7. बिल्डिंग स्टोन
		8. कपड़ा रंगाई
		9. इलेक्ट्रोप्लेटिंग
		10. कृषि आधारित
		11. सूती वस्त्र
		12. सिलाई के धागे
		13. लकड़ी आधारित फर्नीचर आदि
VIII.	सोनीपत जिला	1. बायोटेक उत्पाद जैसे जैव ईंधन, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक
		2. दवा और कॉस्मेटिक उपयोग के लिए हर्बल अर्क
		3. रेडीमेड वस्त्र
		4. खाद्य तेल
		5. परफ्यूमरी
		6. ऑटो कंपोनेंट्स
		7. इंजीनियरिंग उत्पाद
		8. लकड़ी आधारित उद्योग
		9. मूल औषधि और दवा
		10. खाने का सामान आदि परोसने के लिए तैयार
IX.	गुरुग्राम जिला	1. खाद्य प्रसंस्करण
		2. शीट धातु के घटक
		3. प्लास्टिक के पुर्जे ऑटोमोबाइल और उसके पुर्जे
		4. इंजीनियरिंग घटक
		5. चमड़े के फुटवियर आदि।
यूपी उप-क्षेत्र		
I.	बुलन्दशहर जिला	1. ट्रांसफार्मर इंसुलेटर
		2. दूध और संबद्ध उत्पाद
		3. सिरेमिक हस्तशिल्प आइटम
		4. क्रॉकरी
		5. सिरेमिक टाइलें
		6. बाथरूम/शौचालय आइटम
		7. वॉश बेसिन
		8. बर्तन/सीटें/कमोड्स
II.	गाजियाबाद जिला (हापुड़ सहित)	1. प्लास्टिक कंटेनर-एचडीपीई, एलडीपीई और पीपी
		2. एचडीपीई बैग
		3. तेल क्षेत्र में रंग छुड़ाने के लिए ब्लीचिंग अर्थ (आरएम यूनिट)
		4. रक्षा के लिए सामान्य इंजीनियरिंग और सटीक घटक निर्माण
		5. विमानन और अन्य क्षेत्र
		6. ऑक्सीजन प्लांट
		7. जीआई पाइप इकाइयां
		8. फोर्जिंग यूनिट
		9. इंडक्शन फर्नेस आधारित कास्टिंग उत्पाद
		10. कागज उद्योग
		11. रेलवे कोच और वैगन के पुर्जे

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र / जिला	नए एमएसएमई के लिए संभावना
		12. फार्मा यूनिट
		13. डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स
		14. एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न
		15. पैकेजिंग सामग्री - प्लास्टिक की पट्टियाँ, नालीदार बक्से आदि
		16. गर्मी सिकुड़ती पॉलिथीन
		17. लकड़ी के शिल्प
		18. विलायक निष्कर्षण
		19. दाल मिल
		20. विद्युत और दूरसंचार केबल
		21. पिसे हुए और प्रसंस्कृत मसाले
		22. फ्लाई ऐश ब्रिक्स
III.	मेरठ जिला	1. फल सरक्षण
		2. जैम और जेली
		3. अचार
		4. नमकीन
		5. स्क्वैश और सिरप
		6. बेकरी और कन्फेक्शनरी
		7. सब्जियों का निर्जलीकरण
		8. शीतल पेय
		9. आइसक्रीम और आइस कैंडी
		10. चावल मिल
		11. दाल मिल
		12. मवेशी चारा
		13. पोल्ट्री फीड
		14. फिनाइल
		15. पॉलिथीन बैग
		16. डिस्पोजेबल सिरिंज
		17. डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज
		18. कीटनाशक और कीटनाशक
		19. मच्छर भगाने वाला कवयाल
		20. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम और निकल चढ़ाना
		21. नेफ़थलीन बॉल्स
		22. टायर रीट्रीटिंग और वल्केनाइजिंग
		23. इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक उत्पाद
		24. पॉलिथीन फ़ाइल
		25. ऑफिसियल पेपर बैग, लिफाफा
		26. साइकिल, स्कूटर, रिक्शा सीट कवर
		27. मिनरल वाटर
		28. शोषक कपास
		29. सर्जिकल दस्ताने
		30. जैव उर्वरक
		31. बैटरी कंटेनर और बैटरी प्लेट
		32. काडे बोर्ड
		33. लकड़ी के बिजली के सामान
		34. लकड़ी के संगीत वाद्ययत्र
		35. लकड़ी की पेंसिल
		36. आयुर्वेदिक और हर्बल दवाए
		37. इन्वर्टर
		38. वोल्टेज स्टेबलाइजर
		39. कंप्यूटरों की असेंबलिंग
		40. सामान्य इंजीनियरिंग कार्यशाला
		41. स्टील अलमारी और फर्नीचर
		42. अत्याधुनिक इंजीनियरिंग कार्यशाला
		43. फाइल कवर, फाइल बोर्ड और लेटर पैड

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र / जिला	नए एमएसएमई के लिए संभावना
		44. कोल्ड स्टोरेज
		45. रेडीमेड गारमेंट्स
		46. लकड़ी के पैकिंग केस
		47. मीट प्लाट
		48. खेल के सामान उद्योग
IV.	बागपत जिला	1. कृषि आधारित
		2. बागवानी आधारित
		3. वन आधारित
		4. यांत्रिक और इंजीनियरिंग आधारित उद्यम
		5. रासायनिक आधारित
		6. विद्युत आधारित
		7. खाद्य और विविध उद्यम
V.	गौतमबुद्ध नगर जिला	1. पशु आहार
		2. दूध-क्रीम, मक्खन, पनीर के उत्पादो द्वारा
		3. मसाला प्रसंस्करण
		4. मशरूम प्रसस्करण
		5. डिब्बाबंद फल और सब्जिया
		6. जैम, जेली का निमोण
		7. फल सरक्षण
		8. अचार और चटनी
		9. टमाटर केचप
		10. स्कूल बैग
		11. स्कूटर/साईकिल सीट कवर
		12. खेल के फुटवियर, औद्योगिक फुटवियर
		13. कूलर, पखे
		14. साबुन
		15. औषधि फामोस्यूटिकल्स
		16. सर्जिकल बैंडेज
		17. कोल्ड स्टोरेज
		18. होजरी का सामान
		19. हस्तनिर्मित कागज
		20. हार्ड पेपर बॉक्स
		21. खिलौने बनाना
		22. सिलाइ
		23. राखी बनाना
		24. बटन बनाना
		25. मोमबत्ती
		26. पुट्टी
		27. कार्ड बोर्ड बॉक्स
		28. अगरबत्ती
		29. नेफ़थलीन बॉल्स
		30. फिनाइल
		31. पेंट ब्रश
		32. कम कीमत के पीवीसी फुटवियर और चप्पल
		33. नायलॉन की रस्सी
		34. डिटर्जेंट
		35. बिजली के सामानों की असेंबली और मरम्मत
		36. हैंड पंप
		37. स्टील फर्नीचर
		38. मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर
		39. लाड्री और ड्राइ क्लीनिंग
		40. वोल्टेज स्टेबलाइजर
		41. स्टील फर्नीचर
		42. इलेक्ट्रिक मोटर
		43. ऑटो मरम्मत, सेवाएं और गैरेज जेम कटिंग और पॉलिशिंग
		44. ब्यूटी पालेर
		45. फोटोग्राफिक लैब

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र / जिला	नए एमएसएमई के लिए संभावना
		46. केबल टीवी नेटवर्क की स्थापना और संचालन
		47. टायर रिट्रीडिंग
		48. वेल्डेड वायर नेटिंग आदि।
राजस्थान उप-क्षेत्र		
I.	अलवर जिला	1. सरसों का विभाजन
		2. दालें
		3. मसाला पाउडर
		4. आटा
		5. शाकाहारी प्रसंस्करण
		6. मोज़ेक टाइल
		7. सीमेंट पाइप
		8. सीमेंट की जेली आदि
		9. माबेल गैंग साँ
		10. लेदर टैनिंग
		11. बोन मिल
		12. मिनरल पाउडर
		13. ग्रेनाइट टाइलें
		14. कपास की ओटाई
		15. ईंधन के रूप में कृषि-अपशिष्ट
		16. स्टोन ग्रिट
		17. स्लेट पत्थर की टाइलें
		18. मशीनीकृत ईंटें
		19. रेफेक्ट्री आइटम
		20. आयुर्वेदिक दवाएं
		21. डेयरी उत्पाद
		22. रोटी और बिस्कुट
		23. व्यायाम ग्रथ
		24. रबड़ की चादरें
		25. चमड़े के फुटवियर
		26. चमड़ा उत्पाद
		27. डिस्पोजेबल
		28. इंजीनियरिंग
		29. रोलिंग मिल
		30. स्टील फर्नीचर
		31. लड़कियों और महिलाओं के बैग
		32. टिन कंटेनर
		33. प्लास्टिक मोल्डेड आइटम
		34. प्लास्टिक की बोतलें
		35. कृषि उपकरण
		36. फ्लोरोसेंट ट्यूब
		37. पेंट्स
		38. इलेक्ट्रॉनिक आइटम
		39. फोर्जिंग
		40. सीआई कास्टिंग
		41. ऑटो लैंप
		42. ऑटो स्पेयर्स
		43. इलेक्ट्रो प्लाटिंग
		44. टायर री-ट्रेडिंग सर्विसिंग
		45. ऑटो गियर एंड वर्क
		46. इंजीनियरिंग जॉब वर्क
		47. ऑटोमोटिव कॉम्पोनेन्ट
		48. सीमेंट प्लांट के पार्ट मरम्मत
		49. पैकिंग बॉक्स
		50. नालीदार बक्से
		51. कार्डबोर्ड बॉक्स
		52. फार्मास्यूटिकल्स
		53. तार और केबल
		54. दानेदार प्लास्टिक

क्रम संख्या	उप-क्षेत्र / जिला	नए एमएसएमई के लिए संभावना
I.	एनसीटी-दिल्ली	1. रत्न और आभूषण
		2. हथकरघा
		3. हस्तशिल्प और सजावटी सामान
		4. आर्टिफिशियल ज्वैलरी बनाना
		5. खादी और ग्रामोद्योग
		6. बेकरी उत्पाद
		7. विद्युत घरेलू उपकरण
		8. डिब्बाबद खाद्य उत्पाद
		9. प्लास्टिक उत्पाद
		10. वाटर प्यूरीफायर
		11. फ्लेवर, परफ्यूम, फ्रेग्रेन्स एंड डेओडोरैंट्स
		12. गारमेंट्स
		13. इस्पात फनीचर और कायोलय फनीचर
		14. सीएफएल लैंप
		15. इनवटेर और बैटरी
		16. होजरी और संबद्ध उत्पाद
		17. डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक उत्पाद
		18. चमड़े का सामान
		19. चमड़े के वस्त्र
		20. पैकेजिंग इकाइयाँ
		21. प्रिंटिग
		22. ऑप्टिकल लेंस
		23. बोडे और पेपर गलियारा
		24. गैर पीवीसी फुटवियर
		25. चमड़े के फुटवियर
		26. नालीदार बक्से
		27. चमड़े के बैग और सहायक उपकरण
		28. प्लास्टिक कटेनर
		29. प्लास्टिक की फिल्म और बैग
		30. इस्पात निमोण

स्रोत: एमएसएमई विकास संस्थानों (ओखला, करनाल, आगरा और जयपुर), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार विभिन्न जिलों (एनसीआर में पड़ने वाले) का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल

अनुलग्नक -7

एनसीआर में एमएसएमई समूहों का संग्रह

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
एनसीटी दिल्ली					
1.	रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री क्लस्टर, ओखला दिल्ली	2039	रेडीमेड कपड़े	संस्थान	कार्यान्वयन एजेंसी एमएसएमई-डीआई, नई दिल्ली
2.	मुद्रण और पैकेजिंग क्लस्टर, नारायणा मायापुरी, कीर्ति नगर	450	मुद्रण और पैकेजिंग	संस्थान	कार्यान्वयन एजेंसी एमएसएमई-डीआई, नई दिल्ली
3.	मिट्टी के बर्तनों का समूह, उत्तम नगर	700	थाली बर्तन, पानी का घड़ा, सजावटी सामान और विभिन्न सामान	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी, दिल्ली सरकार
4.	हथकरघा क्लस्टर, सुदर नगरी और नंद नगरी	50	विनिर्माण कपड़ा	कोई एसोसिएशन नहीं, एसपीवी	औद्योगिक विभाग एनसीटी दिल्ली सरकार
5.	जरी और कढ़ाई क्लस्टर, जाकिर नगर, दिल्ली	100	साड़ी और कुर्ते पर जरी और कढ़ाई	लागू नहीं	सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।
6.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गांधी नगर और कैलाश नगर, पूर्व, दिल्ली	10,000	कपड़ों का निर्माण	एसोसिएशन	लागू नहीं
7.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गोविंदपुरी, दिल्ली	50	कपड़ों का निर्माण	एसोसिएशन / एसपीवी	सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।
8.	टेक्सटाइल फिनिशिंग क्लस्टर, सीलमपुर, पूर्वी दिल्ली	50	टेक्सटाइल का निर्माण, और फिनिशिंग	एसोसिएशन / एसपीवी	सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।
9.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, नबी करीम, वालड सिटी दिल्ली	200	चमड़ा उत्पादों का निर्माण	एसोसिएशन / एसपीवी	लागू नहीं
10.	गैर-चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, नरेला, दिल्ली	1500	फुटवियर	एसोसिएशन	डीएसआई आईडीसी
11.	गैर चमड़े के फुटवियर क्लस्टर, मादीपुर, दिल्ली	500	महिलाओं के जूते	एसोसिएशन / एसपीवी	लागू नहीं
12.	फर्नीचर क्लस्टर, कीर्ति नगर, तिलक नगर, दिल्ली	NA	टेबल चेयर, बेड सोफा, अलमारी आदि।	लागू नहीं	डीडीए, सरकारी एजेंसियां
13.	बास्केटवेयर क्लस्टर, मोतिया खान, दिल्ली	50	फर्नीचर	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	कागज और कागज उत्पाद क्लस्टर, पुस्ता, पूर्वी दिल्ली	30	पैकेजिंग सामग्री, गत्ते के बक्से हस्तनिर्मित उत्पाद, कागज के लिफाफे आदि।	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	पैकेजिंग क्लस्टर, ओखला	20	पैकेजिंग सामग्री	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	प्रिंटिंग क्लस्टर, नारायणा, फेज I और II वेस्ट दिल्ली	120	मुद्रण	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	मुद्रण और प्रकाशन क्लस्टर, ओखला, दक्षिणी दिल्ली	80	मुद्रण प्रकाशन	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	प्लास्टिक क्लस्टर, उद्योग विहार पश्चिम दिल्ली	40	प्लास्टिक उत्पाद	लागू नहीं	डीएसआई आईडीसी
19.	मेटल फैब्रिकेशन क्लस्टर, धीरपुर, मायापुरी, वज़ीरपुर, दिल्ली	NA	सर्जिकल आइटम का धातु निर्माण और निर्माण	लागू नहीं	सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
20.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लस्टर, ओखला फेज I, II और III, ओखला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	20	इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग उपकरण और मशीनरी का निर्माण	लागू नहीं	सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।
21.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नारायणा, फेज I और II, दिल्ली	60	इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग उपकरण	लागू नहीं	सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।
22.	ज्वेलरी क्लस्टर, दरीबा कलां, दिल्ली	300	आभूषण वस्तुओं का निर्माण	लागू नहीं	
23.	मिश्रित क्लस्टर, पूर्वी दिल्ली	50	प्लास्टिक उत्पादों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण आदि का निर्माण।	लागू नहीं	
24.	कॉस्मेटिक और पैकेजिंग क्लस्टर दिल्ली	240	कॉस्मेटिक आइटम	एसोसिएशन	एमएसई सीडीपी
25.	दाल और बेसन क्लस्टर	50	लागू नहीं	एसोसिएशन	एमएसई सीडीपी
26.	कढ़ाई क्लस्टर पालम और पटेल नगर, दिल्ली	15	चादरें, तकिया कवर टेबल कवर,	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	हैंड एम्ब्रायडरी क्लस्टर खिचड़ीपुर,	10	हैंड एम्ब्रायडरी, बैग, कुशन कवर कुर्ती	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	हैंड एम्ब्रायडरी, नंद नगरी	11	हैंड एम्ब्रायडरी	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	हैंड एम्ब्रायडरी, दरिया गंज, सदर पहाड़गंज, जामा मस्जिद	लागू नहीं	हैंड एम्ब्रायडरी	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	लोक चित्रकला समूह, हस्तसाल, दिल्ली	9	लोक चित्रकला, शतरंज बोर्ड आदि।	लागू नहीं	लागू नहीं
31.	टेक्सटाइल हैंडलूम क्लस्टर, सराय-कालेन-खान, दिल्ली	15	टेक्सटाइल हैंडलूम	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	चमड़ा क्लस्टर- कीर्ति नगर	10	-	लागू नहीं	
33.	लेदर क्राफ्ट क्लस्टर, ओखला दिल्ली	10	पर्स, बैग, चन्दन, हार	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	होम फर्निशिंग क्लस्टर खजूरी क्लस्टर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हरियाणा उप-क्षेत्र					
गुरुग्राम जिला					
35.	ऑटो पार्ट्स निर्माण क्लस्टर, गुरुग्राम	1478	पिस्टन, क्रैंक, रॉकर आर्म, आस्तीन आदि,	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी, एनआईईएसबीयूडी, नोएडा
36.	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर, गुरुग्राम	5000	रबर और प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स और शीट मेटल पार्ट्स सहित ऑटो पार्ट्स	एसोसिएशन	एमएसएमई-डीआई ओखला दिल्ली
37.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, ग्राम मोहम्मदपुर, गुरुग्राम				कार्यान्वयन एजेंसी निवेश प्रोत्साहन केंद्र, चंडीगढ़
38.	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्लस्टर, मानेसर, गुरुग्राम	205	चमड़े की जैकेट, पतलून, शर्ट और बनियान और सडलेरी	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश प्रोत्साहन केंद्र, चंडीगढ़, एमएसएमई-डीआई, ओखला, डीआईसी

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
					चमड़ा निर्यात परिषद और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
39.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गुरुग्राम	1255-1310	ट्राउजर, लोअर, ट्रैक सूट, टी-शर्ट आदि,	नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़
40.	फारुकनगर टेराकोटा हस्तशिल्प क्लस्टर, गुरुग्राम	15	गारा, फूलदान, लैंप, कंटेनर, मछली, आदि		लागू नहीं
41.	ऑटो रबर पार्ट्स क्लस्टर, गुरुग्राम	135	गैसकेट, सील, वाशर और वी-बेल्ट आदि,	लागू नहीं	
फरीदाबाद जिला					
42.	लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज क्लस्टर, फरीदाबाद	203	मेटल बार, रॉड स्क्वायर चैनल शीट कास्टिंग फोर्जिंग प्रेसिंग शीट, प्रेसिंग इनगॉट प्रोसेसिंग :	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी, एमएसएमई-डीआई, दिल्ली
43.	ऑटो कंपाउंड क्लस्टर, फरीदाबाद मुजेसर,	2500	शीट धातु, रबड़ और प्लास्टिक के घटक	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़, डीआईसी एमएसएमई-डीआई, ओखला, एमएसएमई टीसी, ओखला, सरकारी औद्योगिक संस्थान, फरीदाबाद
44.	लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर, फरीदाबाद:-	100	लाइट इंजीनियरिंग उपकरण ऑटोमोबाइल उद्योग का निर्माण		
45.	पैकेजिंग क्लस्टर, सेक्टर 58 फरीदाबाद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश प्रोत्साहन केंद्र, चंडीगढ़
46.	ब्राइट स्टील और वायर ड्रॉइंग क्लस्टर, फरीदाबाद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार
47.	टेराकोटा हस्तशिल्प क्लस्टर, बड़खल, फरीदाबाद	10	मुधा टेबल चेयर शो	लागू नहीं	लागू नहीं
48.	निर्माण और सामान्य इंजीनियरिंग क्लस्टर, फरीदाबाद	40	लाइट इंजीनियरिंग कम्पोनेंट	एसोसिएशन	लागू नहीं
49.	रासायनिक क्लस्टर, फरीदाबाद	275	सतह का उपचार	सहकारी समिति	लागू नहीं
पानीपत जिला					
50.	होम फर्निशिंग, पानीपत (वस्त्र डिजाइन और परीक्षण केंद्र)	85	कपड़ा डिजाइनिंग और परीक्षण प्रयोगशाला, यार्न परीक्षण	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश प्रोत्साहन केंद्र, चंडीगढ़
51.	मेड अप्स (वस्त्र उत्पाद पानीपत)	7475	थ्रोज दुररीज रैग्स रैग रग्स वॉश लिनन टेबल लिनेन आदि	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
52.	क्विट एंड अलाइड प्रोडक्ट्स क्लस्टर, पानीपत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार
53.	कपड़ा मशीनरी विकास केंद्र पानीपत	28	कपड़ा मशीनरी	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, उद्योग और वाणिज्य विभाग, डीआईसी हरियाणा सरकार सिडबी, एमएसएमई/डीआई एनएसआईसी, एचएसपीसीबी
54.	फ्लोर कवरिंग क्लस्टर, पानीपत	331	गुच्छेदार कालीन, झबरा कालीन और दरी	एसोसिएशन	- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान - पानीपत इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
55.	होम फर्निशिंग क्लस्टर, पानीपत	3200	होम फर्निशिंग उत्पाद (कुशन परदे, टेबल लिनन, फर्श के कवरिंग, झबरा, आसनों स्नानागार और कुशन कवर आदि)	एसपीवी	- डीआईसी - एमएसएमई-डीआई, करनाल - एमएसएमई टीसी, ओखला, दिल्ली सिडबी
56.	टेक्सटाइल क्लस्टर, पानीपत (700 इकाइयां)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	- डीआईसी - उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)
57.	फाउंड्री क्लस्टर, समालखा, पानीपत	30	चारा काटने वाली मशीनों की ढलाई केन क्रशर	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र चंडीगढ़, सिडबी एमएसएमई/डीआई एनएसआईसी, एचएसपीसीबी, बीआईएस
पलवल और मेवात जिला					
58.	होडल टेराकोटा हस्तशिल्प क्लस्टर, पलवल होडाल	15	शोपीस, बर्तन, हैंगिंग आदि,	एसएचजी	लागू नहीं
59.	मिश्रित क्लस्टर, पलवल	लागू नहीं	फ़र्नीचर और अन्य लकड़ी के शिल्प	कोई एसपीवी/एसोसिएशन, एसएचजी नहीं	लागू नहीं
60.	मिश्रित क्लस्टर, मेवात	लागू नहीं	मशीनरी और पार्ट्स	कोई एसपीवी/एसोसिएशन, एसएचजी नहीं	लागू नहीं
61.	कढ़ाई क्लस्टर, फ़िरोज़पुर-झिरक, मेवात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
रेवाड़ी जिला					
62.	फैब्रिकेशन क्लस्टर, रेवाड़ी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार

संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
63.	ब्रास क्लस्टर, रेवाड़ी	100	पीतल के बर्तनों का निर्माण		सरकारी संस्थान का सहयोग उपलब्ध नहीं है।
64.	एल्युमिनियम के बर्तन, रेवाड़ी	35	एल्युमिनियम के बर्तन	नहीं	लागू नहीं
65.	छिद्रित शीट क्लस्टर, रेवाड़ी	50	छेद की हुई चादरें	नहीं	लागू नहीं
66.	फुटवियर क्लस्टर रेवाड़ी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
झज्जर जिला					
67.	फुटवियर क्लस्टर बहादुरगढ़ झज्जर	125	गैर-चमड़े के खुले और बंद फुटवियर उत्पाद	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़, डीआईसी - एमएसएमई-डीआई, करनाल - एमएसएमई टीसी, ओखला, दिल्ली एफडीडीआई, नोएडा
68.	बेंत और बांस हस्तशिल्प क्लस्टर झज्जर	8	डोर मैट, वॉल हैंगिंग, मुधा आदि।	लागू नहीं	लागू नहीं
69.	आभूषण हस्तशिल्प समूह, बहादुरगढ़ झज्जर	15	ईयर रिंग हार महिलाओं के बर्तन चित्रकारी	लागू नहीं	लागू नहीं
70.	टेराकोटा क्लस्टर फारूख नगर झज्जर	15	गारा, फूलदान, दीपक, कंटेनर, मछली आदि,	लागू नहीं	लागू नहीं
रोहतक जिला					
71.	ऑटो मोबाइल कंपोनेंट्स क्लस्टर रोहतक	200	ऑटोमोबाइल घटकों का निर्माण	एसोसिएशन	लागू नहीं
72.	टर्न्ड कंपोनेंट्स नट बोल्ट क्लस्टर रोहतक	200	ऑटोमोबाइल घटकों का निर्माण	एसोसिएशन	लागू नहीं
73.	सामान्य इंजीनियरिंग क्लस्टर रोहतक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार
74.	कढ़ाई क्लस्टर रोहतक	लागू नहीं	कढ़ाई	लागू नहीं	लागू नहीं
75.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर कलानौर रोहतक	लागू नहीं	चर्म उत्पाद	लागू नहीं	लागू नहीं
सोनीपत जिला					
76.	प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर राय सोनीपत	110	मुद्रण और पैकेजिंग प्रकाशन	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन केंद्र, उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार
77.	स्टेनलेस स्टील क्लस्टर-कुंडिल सोनीपत	72	बर्तन, कटलरी और रसोई उपकरण आदि,	एसपीवी	डीआईसी बैंकर एचएसएसआईडीसी, नाबार्ड, एनएसआईसी, ईईपीआईसी, उद्योग संघ, डीजीएफटी, सिडबी, आदि,
78.	सॉफ्ट टॉयज और एम्ब्रायडरी आर्टिसन्स क्लस्टर, सोनीपत	12	टेडी बियर, कुत्ता, टेडी तकिया, आदि,	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
79.	नालीदार शीट क्लस्टर, राय औद्योगिक क्षेत्र, राय, सोनीपत,	50	उत्पादों, दवाओं, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, फलों और सब्जियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, आदि की पैकिंग के लिए नालीदार बक्से	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र					
मेरठ जिला					
80.	कैंची क्लस्टर मेरठ	225	कैंची का निर्माण	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी एनआईईएसबीयूडी, नोएडा - डीआईसी
81.	कांच और लकड़ी के मनकों का समूह मेरठ	328	ब्रास प्लेटेड आइटम, लैंप शेड, आदि।	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी- यूपी सरकार
82.	कढ़ाई क्लस्टर मेरठ	25,025	साड़ी, लहंगा, चुनरी, सूट आदि।	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी- यूपी सरकार
83.	कृत्रिम आभूषण क्लस्टर मेरठ,	4,488	फर्नीचर और अन्य एन.ई.सी. (एनआईसी कोड 46) का निर्माण आभूषण का निर्माण।	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी- यूपी सरकार - डीआईसी
84.	स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर मेरठ	3500	हॉकी स्टिक, विकेट, फुटबॉल, वॉली बॉल, कैरम, टेनिस रैकेट, बॉल और नेट, एथलेटिक उपकरण आदि।	एसोसिएशन	क्रियान्वयन एजेंसी - यूपी सरकार - डीआईसी - - पीपीडीसी, मेरठ
85.	संगीत वाद्ययंत्र (बैंड बाजा) क्लस्टर मेरठ	433	साहनी, बिगुल नरसिंहभज, सूरजमुखी कारनेट, आदि का निर्माण	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी, उत्तर प्रदेश सरकार - डीआईसी - पीपीडीसी, मेरठ - - केवीआईसी, मेरठ
86.	ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर मेरठ	4700	घिसने वाले हिस्से इंजन के स्पेयर पार्ट्स को तोड़ते हैं नट और बोल्ट स्प्रिंग पिल्स आदि	लागू नहीं	लागू नहीं
87.	गैस सिलेंडर क्लस्टर मेरठ	160	मिनी सिलेंडर	एसोसिएशन	लागू नहीं
88.	पावरलूम टेक्सटाइल क्लस्टर मेरठ	27500	शिफ्टिंग होम रनिंग, कैनवास	एसोसिएशन	लागू नहीं
89.	रबर क्लस्टर मेरठ	130	टायर और ट्यूब	लागू नहीं	लागू नहीं
90.	ट्रांसफार्मर और वोल्टेज नियामक क्लस्टर मेरठ	100	वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर	लागू नहीं	लागू नहीं
91.	फुटवियर क्लस्टर मेरठ	लागू नहीं	फुटवियर	लागू नहीं	लागू नहीं
92.	स्टेबलाइजर और इन्वर्टर क्लस्टर मेरठ	लागू नहीं	स्टेबलाइजर और इन्वर्टर	लागू नहीं	लागू नहीं
93.	पटसन, जूट, रस्सी और डोरी क्लस्टर मेरठ	लागू नहीं	जूट, सुतली, रस्सी और डोरी	लागू नहीं	लागू नहीं
94.	चमड़ा उत्पाद क्लस्टर मेरठ	लागू नहीं	चर्म उत्पाद	लागू नहीं	लागू नहीं
95.	कालीन और दरी क्लस्टर मेरठ	लागू नहीं	कालीन और दरी	लागू नहीं	लागू नहीं
96.	फर्नीचर और फिक्स्चर क्लस्टर मेरठ	लागू नहीं	फर्नीचर और फिक्स्चर	लागू नहीं	लागू नहीं
97.	हॉर्न एंड बोन क्लस्टर, मेरठ	लागू नहीं	हॉर्न और बोन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
98.	मिट्टी के बर्तन और क्ले क्लस्टर, मेरठ	लागू नहीं	मिट्टी के बर्तन और मिट्टी	लागू नहीं	लागू नहीं
99.	गढ़े गए लोहे का सामान क्लस्टर, मेरठ	लागू नहीं	गढ़े हुए लोहे का सामान	लागू नहीं	लागू नहीं
100.	पेपर माचे क्लस्टर, मेरठ	लागू नहीं	पेपर मेशी	लागू नहीं	लागू नहीं
101.	राजपुरा घास, पत्ता, रीड और फाइबर क्लस्टर, मेरठ	लागू नहीं	घास, पत्ता, रीड और फाइबर	लागू नहीं	लागू नहीं
102.	हैंडलूम क्लस्टर सरधना, मेरठ	लागू नहीं	धोती, पोशाक, सामग्री, साड़ी, तौलिया साज-सज्जा, कंबल, पट्टी, लम्बा	लागू नहीं	लागू नहीं
गाजियाबाद जिला (हापुड़ सहित)					
103.	पैकेजिंग सामग्री (प्लास्टिक), गाजियाबाद	लागू नहीं	पैकेजिंग सामग्री (प्लास्टिक)	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी- एनआईईएसबीयूडी, नोएडा
104.	बोन-हॉर्न क्लस्टर, लोनी गाजियाबाद	200	कृत्रिम मनके गहनों का निर्माण।)	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी- एनआईईएसबीयूडी, नोएडा
105.	टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर, पिलाखुवा, गाजियाबाद	400	कपड़ा छपाई	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी - यूपी सरकार एचपीडीए द्वारा पिलाखुवा टेक्सटाइल सेंटर विकसित किया जा रहा है
106.	रसायन क्लस्टर, गाजियाबाद	लागू नहीं	रसायन	लागू नहीं	लागू नहीं
107.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लस्टर, गाजियाबाद	650	इंजीनियरिंग उपकरण	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी, उत्तर प्रदेश सरकार
108.	कालीन और दरी क्लस्टर, गाजियाबाद	लागू नहीं	कालीन और दरी	लागू नहीं	लागू नहीं
109.	फर्नीचर और फिक्स्चर क्लस्टर, गाज़ियाबाद	लागू नहीं	फर्नीचर और फिक्स्चर	लागू नहीं	लागू नहीं
110.	हाथ की कढ़ाई, क्लस्टर, गाजियाबाद	लागू नहीं	हैंड एम्ब्रायडरी	लागू नहीं	लागू नहीं
111.	प्लास्टिक पैकिंग क्लस्टर, गाजियाबाद	150	कठोर और लचीले पैकेजिंग उत्पाद	एसोसिएशन	लागू नहीं
112.	मिट्टी और प्लास्टर की मूर्तियाँ क्लस्टर, गाजियाबाद	लागू नहीं	मिट्टी और प्लास्टर	लागू नहीं	लागू नहीं
113.	गढ़ मुक्तेश्वर ग्रास मैट क्लस्टर, गाज़ियाबाद	लागू नहीं	गढ़मुक्तेश्वर घास मैट	लागू नहीं	लागू नहीं
114.	हथकरघा क्लस्टर, गाजियाबाद	लागू नहीं	दरी धोती, लुंगी पोशाक, सामग्री, साड़ी, तौलिया साज-सज्जा, चादर गमछा	लागू नहीं	लागू नहीं
115.	मोधा क्लस्टर, गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़	100	मोधा, बेंत फर्नीचर	लागू नहीं	डीआईसी
गौतमबुद्धनगर जिला					
116.	रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग क्लस्टर, नोएडा	6014	रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग क्लस्टर.	एसपीवी	कार्यान्वयन एजेंसी एमएसएमई-डीआई, दिल्ली (एसआई)
117.	प्लास्टिक क्लस्टर, नोएडा	350	ऑटोमोबाइल घटक, घरेलू सामान बिजली का सामान, पैकिंग सामग्री, पीवीसी/एचडीपीई, प्लास्टिक के खिलौने, पानी के भंडारण टैंक आदि	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी (एसआई) + (डीएसआर) सिपेट, लखनऊ
118.	फर्निशर्स, होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज- II नोएडा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी एमएसएमई-डीआई, दिल्ली

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
119.	इंजीनियरिंग क्लस्टर नोएडा	12000	स्टेबलाइजर्स मोटर पार्ट्स, गैस स्टोव जेनरेटर घरेलू उपकरण ब्राइट बार एयर कंडीशन वाच रेफ्रिजरेटर सेनेटरी फिटिंग	एसोसिएशन	- - सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टिट्यूट - - राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला - - केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान - - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री
120.	फर्नीचर क्लस्टर, सेक्टर 8,9,10, नोएडा	50	फर्नीचर	लागू नहीं	लागू नहीं
121.	रसायन क्लस्टर, नोएडा	लागू नहीं	रसायन	लागू नहीं	लागू नहीं
122.	इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, नोएडा	लागू नहीं	इलेक्ट्रानिक्स	लागू नहीं	लागू नहीं
123.	पैकेजिंग क्लस्टर, नोएडा	लागू नहीं	पैकेजिंग	लागू नहीं	लागू नहीं
124.	टॉयज क्लस्टर, नॉएडा	लागू नहीं	खिलौने		
125.	पुंजा दरी क्लस्टर सूरजपुर, नोएडा	लागू नहीं	पुंजा दरी	लागू नहीं	लागू नहीं
126.	रग्स और दरीज़ क्लस्टर, ग्रेटर नोएडा	10	गलीचे और दरी	लागू नहीं	लागू नहीं
बुलन्दशहर जिला					
127.	सफेद बर्तन/मिट्टी के बर्तन उद्योग समूह, खुर्जा, बुलंदशहर	492	हाथ से पेंट किए गए फूलदान और अन्य कलात्मक सामान, कम और उच्च तनाव सिम्युलेटर, किट कैट, मूर्तियाँ प्लांटर्स, नॉब्स स्टोनवेयर क्रॉकरी आदि।	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी -डीआईसी - सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) खुर्जा
128.	अंडरगारमेंट्स क्लस्टर, शिकारपुर, बुलंदशहर	लागू नहीं	अंडरगारमेंट्स	लागू नहीं	डीआईसी कोई अन्य सहायता संगठन नहीं
129.	जूट, गांजा, रस्सी और डोरी क्लस्टर	लागू नहीं	जूट, जूट, रस्सी और डोरी	लागू नहीं	लागू नहीं
130.	मेटलवेयर क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	धातु के बर्तन, उत्पाद	लागू नहीं	लागू नहीं
131.	कालीन और दरी क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	कालीन और दरी	लागू नहीं	लागू नहीं
132.	लकड़ी के सामान क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	लकड़ी के सामान	लागू नहीं	लागू नहीं
133.	वुडवर्क और लैकरवेयर क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	लकड़ी का काम और लाख के बर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
134.	मिट्टी के बर्तन और क्ले क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	मिट्टी के बर्तन और मिट्टी	लागू नहीं	लागू नहीं
135.	पेपर माचे क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	पेपर मेशी	लागू नहीं	लागू नहीं
136.	हाथ और जरी कढ़ाई क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	हाथ और जरी कढ़ाई	लागू नहीं	लागू नहीं
137.	हथकरघा क्लस्टर, बुलंदशहर	लागू नहीं	दरी धोती, लुंगी पोशाक, सामग्री, साड़ी, तौलिया साज-सज्जा, चादर गमछा	लागू नहीं	लागू नहीं
138.	जरी/एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर, जहांगीराबाद, बुलंदशहर	100	जरी/कढ़ाई का काम	लागू नहीं	डीआईसी, कोई अन्य सहायक संगठन नहीं
बागपत जिला					

क्रम संख्या	नाम और स्थान	उद्यम की संख्या	प्रमुख उत्पाद	एसपीवी/एसोसिएशन	टिप्पणियां/हस्तक्षेप
139.	हथकरघा समूह, खेकड़ा, बागपत	300	वस्त्रों का निर्माण	एसोसिएशन	एकीकृत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (आईएचसीडीएस) के तहत नाबार्ड
राजस्थान उप-क्षेत्र					
अलवर जिला					
140.	चमड़ा समूह, बानसूर/अलवर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान सरकार
141.	मूर्ति कला क्लस्टर, गोला का बस, अलवर	52	संगमरमर की स्टेटस और हस्तशिल्प बनाना	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान सरकार
142.	ऑटोमोबाइल कंपोनेंट क्लस्टर अलवर	200	ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स	एसोसिएशन	कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान सरकार
143.	चमड़ा समूह, अलवर	लागू नहीं	टैन्ड लेदर एम्ब्रॉएडर्ड जूटीज जेंट्स जूटीज शूज, लेदर एक्सेसरीज	लागू नहीं	राजस्थान सरकार ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी।
144.	चमड़ा और गैर चमड़े के जूते, इस्माइलपुर, किशनगढ़, अलवर	100	चमड़ा और गैर चमड़े के जूते और बेल्ट	लागू नहीं	डीआईसी ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुडा)
145.	टेराकोटा क्लस्टर, रामगढ़, अलवर	35	कालीन और बर्तन बनाना	लागू नहीं	डीआईसी
146.	मूर्ति कला समूह, रामगढ़, अलवर	200	संगमरमर की स्थिति और हस्तशिल्प बनाना	लागू नहीं	लागू नहीं
147.	स्टोन कार्विंग क्लस्टर खातूमास, अलवर	20	शाई महाराज, मंदिर, गंगम्मा, हेड फिगर, आदि	लागू नहीं	लागू नहीं
148.	रसायन क्लस्टर, अलवर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
149.	कालीन और दरी समूह- नीमराना, अलवर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
150.	चमड़ा समूह- बंसूर और रेनी, अलवर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: (*i*) विकास आयुक्त, एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार *www.dcmsme.gov.in*

(ii) जिलों, एमएसएमई-विकास संस्थानों के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल पर रिपोर्ट - दिल्ली, आगरा, करनाल और जयपुर

(iii) क्लस्टर वेधशाला, एमएसएमई क्लस्टर के लिए फाउंडेशन *www.clusterobservatrory.in*

(iv) एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी का अध्ययन, *2015*

अनुलग्नक -8

मुद्रा ऋण योजना - मुख्य विशेषताएं

1. भारत सरकार द्वारा मुद्रा ऋण योजना शुरू करने की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

एनएसएसओ सर्वेक्षण (2013) के अनुसार, देश में लगभग 5.77 करोड़ छोटी/सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप /ओन अकाउंट वाले उद्यम हैं। 60% से अधिक इकाइयों का स्वामित्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के पास है। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं, और इसलिए उन्हें अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने या अपने सीमित स्वामित्व वाले धन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस अंतर को पाटने के लिए मुद्रा ऋण योजना प्रस्तावित की गई है। मुद्रा ऋण योजना का उद्देश्य इच्छुक युवाओं के पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने के साथ-साथ मौजूदा छोटे व्यवसायों के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए विश्वास बढ़ाना है।

2. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण

मुद्रा ऋण बैंकों का विस्तार, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य योग्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा किया जाता है जैसा कि मुद्रा लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है। 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगे सूक्ष्म उद्यमों को आय अर्जित करने के लिए 10 लाख रुपये तक मुद्रा ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पीएमजेडीवाई के तहत स्वीकृत 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि को भी प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा ऋण निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं:

- 50,000/- रुपये तक का ऋण (शिशु)
- 50,001 से 5 लाख रुपये तक का ऋण (किशोर)
- 5,00,001/- रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण (तरुण)
- शिशु पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

तदनुसार, उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 8 अप्रैल 2015 को या उसके बाद दिए गए सभी अग्रिमों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे ऋणों के लिए आवेदन प्रपत्रों का नाम "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" भी होगा।

पात्र उधारकर्ता

- इंडिविजुअल
- प्रोप्राइटरी कंसर्न
- पार्टनरशिप फर्म
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- पब्लिक कंपनी
- कोई अन्य कानूनी रूप

आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड

संतोषजनक होना चाहिए। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए आवश्यक कौशल/अनुभव/ज्ञान रखने की आवश्यकता होती है। शैक्षिक योग्यता की जरुरत अगर कोई होता है तो उसका मूल्यांकन प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और इसकी आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

4. सहायता का उद्देश्य/सहायता की प्रकृति

कैपिटल एसेट्स और/या कार्यशील पूंजी/मार्केटिंग संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को आवश्यकता के आधार पर मीयादी ऋण/ओडी लिमिट/कम्पोजिट लोन दिया जाता है। मुद्रा ऋण विनिर्माण, प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र या व्यापार में आय उत्पन्न करने वाली लघु व्यवसाय गतिविधि के लिए प्रदान किया जाता है। परियोजना की लागत व्यवसाय योजना और प्रस्तावित निवेश के आधार पर तय की जाती है। मुद्रा ऋण उपभोग/व्यक्तिगत जरूरतों के लिए नहीं है। कार्यशील पूंजी सीमा के उद्देश्य से, मुद्रा ने "मुद्रा कार्ड" नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जो रुपे प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया डेबिट कार्ड है और लचीले तरीके से परेशानी मुक्त क्रेडिट प्रदान करता है।

5. सहायता की राशि

शिशु, किशोर और तरुण जैसी तीन श्रेणियों में 10 लाख रुपये तक।

6. मार्जिन/प्रमोटर्स का योगदान

इस संबंध में आरबीआई के समग्र दिशानिर्देशों के आधार पर मार्जिन/प्रमोटर्स का योगदान बैंक के नीतिगत ढांचे के अनुसार है। बैंक शिशु लोन के लिए मार्जिन के लिए जोर नहीं दे सकते हैं।

7. ब्याज दर

ब्याज दरें बैंक के नीतिगत निर्णय के अनुसार वसूल की जाती हैं। हालांकि, अंतिम उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर उचित होगी। मुद्रा से पुनर्वित्त प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को समय-समय पर मुद्रा लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपनी ब्याज दरें निर्धारित करनी होंगी।

8. अग्रिम शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क

बैंक अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम शुल्क वसूलने पर विचार कर सकते हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा शिशु ऋणों के लिए अग्रिम शुल्क/प्रसंस्करण शुल्क माफ कर दिए जाते हैं।

9. सुरक्षा

a) उधारकर्ता को दिए गए ऋण से सृजित सभी परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार जो सीधे उस व्यवसाय/परियोजना से संबद्ध हैं जिसके लिए ऋण दिया गया है।

b) डीपीएन (जहां लागू हो)।

c) सीजीटीएमएसई (जहां भी वांछनीय लगे)/मुद्रा गारंटी कवर (जब और जब पेश किया गया)

सूक्ष्म लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की इकाइयों के लिए विस्तारित 10 लाख रुपये तक के ऋण के संबंध

में एमएसएमई क्षेत्र (पैरा 4.2) को लोन देने पर 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र (पैरा 4.2) के माध्यम से जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को 10 लाख रुपये तक के लोन के मामले में कोलैटरल सुरक्षा स्वीकार नहीं करना अनिवार्य है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शाखा स्तर के पदाधिकारियों को जहां कहीं वांछनीय लगे, क्रेडिट गारंटी योजना कवर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।

10. सहायता की अवधि

सृजित परिसम्पत्तियों के इकनोमिक लाइफ और उत्पन्न कैश फ्लो के आधार पर। हालाँकि, मुद्रा की रिफाइनेंस सहायता अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए होगी जो कि समय-समय पर आरबीआई द्वारा मुद्रा फंड के आवंटन की शर्तों के अनुरूप भी होगी।

11. पुनर्भुगतान

टर्म लोन: - व्यवसाय के कैश फ्लो के अनुसार उपयुक्त किश्तों में उपयुक्त मोरेटोरियम पीरियड के साथ चुकाया जाना है।

ओडी और सीसी लिमिट:- डिमांड पर चुकाने योग्य। बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार नवीकरण और वार्षिक समीक्षा।

12. ऋण की उपलब्धता

पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण देश भर में सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। मुद्रा ऋण एनबीएफसी / एमएफआई द्वारा भी जारी किया जाता है जो लघु व्यवसाय गतिविधियों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तपोषण में लगे हुए हैं।

स्रोत: www.mudra.org.in

अनुलग्नक -9

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरई) - मुख्य विशेषताएं

पीएमआरवाई योजना 8वीं योजना अवधि के दौरान देश में दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके कार्यान्वयन के पिछले 5 वर्षों के दौरान, यह महसूस किया गया कि पीएमआरवाई योजना के कुछ मापदंडों में संशोधन करने की जरुरत है। उदाहरण के लिए पात्रता की शर्तें जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता कुछ मामलों में योजना के कवरेज के विस्तार के रास्ते में आ रही थीं। इसी प्रकार प्रति मामले में कुल वित्तीय सहायता कुछ व्यवहार्य गतिविधियों के मामले में अपर्याप्त पाई गई।

संशोधन

इसलिए, सरकार ने योजना के इन मानकों में से कुछ को संशोधित करने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष से 10 वर्ष की छूट दी गई है और योजना के तहत पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) से आठवीं उत्तीर्ण तक कर दी गई है। इसी तरह, परियोजना लागत की ऊपरी सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये (व्यापार क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये और अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपये) की गई है। प्रत्यक्ष कृषि कार्यों जैसे फसल उगाने, खाद की खरीद आदि को छोड़कर पीएमआरवाई योजना अब कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियों को कवर करेगी।

पीएमआरवाई योजना के मापदंडों में किए गए परिवर्तनों का विवरण नीचे दिया गया है।

परियोजना लागत की ऊपरी सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का संशोधित वित्तीय मानदंड 1.4.1999 से प्रभावी है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मानदंडों में ढील

पीएमआरवाई का विस्तार बागवानी, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ने, छोटे चाय बागानों आदि के क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया जाएगा ताकि सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियों को कवर किया जा सके। पीएमआरवाई में प्रत्येक लाभार्थी के लिए उसके पति या पत्नी के साथ प्रति वर्ष 40,000 रुपये की पारिवारिक आय सीमा होगी और ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की छूट दी जाएगी। व्यावसायिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना सहायता के लिए पात्र होगी। 1 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कोई कोलैटरल पर जोर नहीं दिया जाएगा। 5 लाख रुपये तक का समूह वित्तपोषण के पात्र होगा। इस योजना में 15,000/- रुपये की ऊपरी सीमा के साथ 15% की दर से सब्सिडी कम्पोनेंट होगा। परियोजना लागत के 20% पर सब्सिडी और मार्जिन योगदान करने के लिए मार्जिन मनी परियोजना लागत के 5% से 12.5% तक भिन्न हो सकती है।

पीएमआरवाई के पैरामीटर्स

क्रम संख्या	मापदंड	संशोधित
1.	उम्र	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट के साथ सामान्य वर्ग के

		18-35 वर्ष के सभी शिक्षित बेरोजगार
2.	शैक्षिक योग्यता	आठवीं पास। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने कम से कम छह महीने की अवधि के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसी भी व्यापार के लिए ट्रेनिंग लिया है।
3.	पारिवारिक आय	न तो लाभार्थी की पत्नी की आय और न ही लाभार्थी के माता-पिता की आय 40,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो।
4.	निवास स्थान	कम से कम 3 साल से क्षेत्र का स्थायी निवासी हो।
5.	चूककर्ता	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पहले से ही अन्य सब्सिडी से जुड़ी सरकारी योजनाओं के तहत सहायता पाने वाला व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।
6.	कवर की गई गतिविधियां	प्रत्यक्ष कृषि कार्यों जैसे फसल उगाना, खाद की खरीद आदि को छोड़कर कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियाँ

क्रम संख्या	मापदंड	संशोधित
7.	परियोजना की लागत	व्यापार क्षेत्र के लिए रु 1.00 लाख। अन्य कार्यों के लिए 2.00 लाख रुपये, कम्पोजिट नेचर का ऋण। यदि दो या दो से अधिक पात्र व्यक्ति एक साथ साझेदारी परियोजना में शामिल होते हैं तो 10.00 लाख रुपये तक कवर किए जाते हैं। सहायता व्यक्तिगत स्वीकार्यता तक सीमित होगी।
8.	सब्सिडी और मार्जिन मनी	सब्सिडी परियोजना लागत के 15% तक सीमित होगी, जो प्रति उद्यमी रु 7,500/- की सीमा के अधीन होगी। बैंकों को परियोजना लागत के 5% से 16.25% तक उद्यमी से मार्जिन मनी लेने की अनुमति दी जाएगी ताकि कुल सब्सिडी और मार्जिन मनी को परियोजना लागत के 20% के बराबर बनाया जा सके।
9.	संपार्श्विक	1 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए कोई कोलैटरल नहीं। साझेदारी परियोजना के मामले में कोलैटरल से छूट भी परियोजना में भाग लेने वाले प्रति व्यक्ति 1.00 लाख रुपये की राशि तक सीमित होगी।
10.	ब्याज दर और चुकौती अनुसूची	सामान्य ब्याज दर वसूल की जाएगी। रीपेमेंट सूची प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद 3 से 7 वर्षों के बीच हो सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
11.	प्रशिक्षण और अन्य सहायता	प्रशिक्षण खर्च और ऑपरेशनल व्यय 2,000/- रुपये प्रति मामले की सीमा के भीतर कवर किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों और लचीलेपन के लिए वित्त के परामर्श से व्यय के पैमाने को संशोधित करने की मौजूदा प्रणाली राज्य और केंद्र स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगी कि सभी प्रशिक्षण और परिचालन खर्च प्रति केस स्वीकृत 2,000 रुपये की सीमा के भीतर रहेंगे।
12.	क्रियान्वयन एजेंसी	जिला उद्योग केंद्र और उद्योग निदेशालय मुख्य रूप से बैंकों के साथ योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
13.	वसूली के साथ लक्ष्यों का जुड़ाव	जनसंख्या और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के आधार पर बुनियादी न्यूनतम लक्ष्य। अतिरिक्त लक्ष्य स्वीकृत ऋणों की वसूली, प्रतिबंधों के पिछले प्रदर्शन या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित विशेष परिस्थितियों से जुड़े होंगे।
14.	आरक्षण	महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को वरीयता दी जानी चाहिए। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की परिकल्पना की गई है। यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार पीएमआरवाई के तहत अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए सक्षम होगी।

आगे स्पष्टीकरण

i) मार्जिन/सब्सिडी/परियोजना लागत:

चालू वर्ष के दौरान 31.3.99 तक स्वीकृत वर्ग सब्सिडी/मार्जिन/परियोजना लागत पर तौर-तरीकों के आधार पर स्वीकृत होते रहेंगे, जैसा कि मूल रूप से 1993 में योजना में अधिसूचित किया गया था। चालू वर्ष में उनका संवितरण और उसके बाद कट ऑफ तक अगले वर्ष की तारीखें स्वीकृति की शर्तों के अनुसार होंगी। सामान्य के साथ-साथ सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बदली हुई सब्सिडी/मार्जिन और परियोजना लागत और सब्सिडी/मार्जिन/परियोजना लागत पर तौर-तरीके 1.4.99: और उसके बाद स्वीकृत मामलों पर लागू होंगे।

ii) प्रशिक्षण और अन्य सहायता:

औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण व्यय की सीमा 1,000/- रुपये प्रति केस की दर से बनी रहेगी, जिसमें स्टाइपेंड और 500/- रुपये प्रति केस शामिल है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए स्टाइपेंड शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत 250/- रुपये प्रति केस की दर से आकस्मिक निधियां स्वीकार्य होंगी। व्यय में लचीलेपन को नियत समय में बताया जाएगा।

iii) उम्र:

a) 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार इस योजना के तहत पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं यानी 45 वर्ष की आयु तक के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट स्वीकार्य होगी।

b) सात उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में सामान्य रूप से 40 वर्ष तक की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं के लिए छूट 45 वर्ष की आयु तक होगी।

स्रोत*: http://dcmsme.gov.in/schemes/pmry.html*

अनुलग्नक -10

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) - मुख्य विशेषताएं

1. योजना

भारत सरकार ने अगस्त, 2008 में, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत को मंजूरी दी थी, जो दो योजनाओं, अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को मिलाकर 31.03.2008 तक चली थी। पीएमईजीपी ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान कार्यात्मक था और इसे वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए बारहवीं योजना से आगे जारी रखने के लिए स्वीकृत किया गया है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत सरकारी सब्सिडी केवीआईसी द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों को उनके बैंक खातों में वितरण के लिए भेजी जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियां, अर्थात् केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी भारत सरकार में उद्यमिता विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थानों को संबद्ध करेंगी और राज्य सरकार/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)/उद्यमी मित्र योजना के कार्यान्वयन में राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई), आरएसईटीआई/रुडसेटी, पंचायती राज संस्थानों और अन्य संबंधित निकायों के तहत विशेष रूप से क्षेत्र विशिष्ट व्यवहार्य परियोजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के क्षेत्र में और उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने, लाभार्थियों के हैंडहोल्डिंग और मार्गदर्शन के क्षेत्र में सूचीबद्ध हैं।

2. उद्देश्य

(i) नए स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

(ii) व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों / ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें उनके स्थान पर यथासंभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

(iii) देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में मदद मिल सके।

(iv) कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी करने में योगदान देना।

3. वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति

3.1 पीएमईजीपी योजना के तहत फंड दो प्रमुख शीर्षों के तहत उपलब्ध होगा

I मार्जिन मनी सब्सिडी

(i) नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए मार्जिन मनी के वितरण के लिए वार्षिक बजट अनुमान के तहत धन आवंटित किया जाएगा; तथा

(ii) मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बीई के तहत आवंटित धनराशि से, मौजूदा पीएमईजीपी इकाइयों के उन्नयन के लिए मार्जिन मनी के वितरण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए *100* करोड़ रुपये या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

II **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज**

पीएमईजीपी के लिए एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान के तहत कुल आवंटन का *5%* बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के तहत निधि के रूप में निर्धारित किया जाएगा और जागरूकता शिविरों, प्रदर्शनियों, बैंकरों की बैठक, टीए/डीए, प्रचार, ईडीपी, भौतिक सत्यापन, समवर्ती मूल्यांकन, आदि और केवीआईसी द्वारा अन्य अवशिष्ट देनदारियों का निपटान की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा।

3.2 पीएमईजीपी के तहत वित्त पोषण के स्तर

(i) नए सूक्ष्म उद्यम (इकाइयों) की स्थापना के लिए

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां (नए उद्यम स्थापित करने के लिए)	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना की लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित)	05%	25%	35%

टिप्पणी:

(1) निर्माण खंड के तहत स्वीकार्य परियोजना / इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है।

(2) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये है।

(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

(ii) मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां (मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए)	लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)
सभी श्रेणियां	10%	15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों में 20%)

टिप्पणी:

(1) उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 1.00 करोड़ रुपये है। अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपये (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपये) होगी।

(2) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी

(3) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उन्नयन के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है।

4. लाभार्थियों की पात्रता शर्तें

4.1 पीएमईजीपी नए उद्यमों (इकाइयों) के लिए

(i) कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है

(ii) पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

(iv) योजना के तहत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

(v) स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है) भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

(vi) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान;

(vii) उत्पादन सहकारी समितियां, और

(viii) चैरिटेबल ट्रस्ट।

(ix) मौजूदा इकाइयाँ (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जो पहले ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

पीएमईजीपी के लिए अन्य पात्रता शर्तें (नई इकाइयां)

(i) पूंजीगत व्यय के बिना परियोजनाएं योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं। 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं, जिनमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय या बैंक की शाखा के नियंत्रक से मंजूरी की आवश्यकता होती है और क्लेम को केस के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक से स्वीकृत की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ii) भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रेडी बिल्ट शेड के साथ-साथ लॉन्ग लीज या रेंटल वर्क-शेड / वर्कशॉप की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, इस तरह के रेडी बिल्ट के साथ-साथ लॉन्ग लीज या रेंटल वर्कशेड / वर्कशॉप केवल 3 वर्षों की

अधिकतम अवधि के लिए गणना की गई परियोजना लागत में शामिल किया जाता है।

(iii) पीएमईजीपी सभी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर लागू होता है, पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों और दिशा-निर्देशों की नकारात्मक सूची में दर्शाई गई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकारियों द्वारा निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित (दिशानिर्देशों के पैरा 30 को संदर्भित करता है)

(iv) व्यापारिक गतिविधियाँ

(a) एनईआर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बिक्री आउटलेट के रूप में व्यापार/व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

(b) रिटेल आउटलेट/व्यवसाय - खादी उत्पादों की बिक्री, खादी से खरीदे गए ग्रामोद्योग उत्पादों और केवीआईसी द्वारा प्रमाणित ग्रामोद्योग और पीएमईजीपी / स्फूर्ति इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को देश भर में केवल पीएमईजीपी के तहत अनुमति दी जा सकती है।

(c) विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित) / सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित खुदरा दुकानों को (देश भर में) अनुमति दी जा सकती है।

(d) ऊपर के रूप में व्यापार / व्यापारिक गतिविधियों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत [(a) और (b)] 10 लाख रुपये हो सकती है (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के बराबर)।

(e) एक राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आवंटन का अधिकतम 10% व्यापार/व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ऊपर [(a), (b) और (c)] के रूप में।

(v) परिवहन गतिविधियाँ

पर्यटकों या आम जनता के परिवहन के लिए परिवहन गतिविधियों जैसे कैब / वैन / नाव / मोटर बोट / शिकारा आदि की खरीद की अनुमति होगी। परिवहन गतिविधियों के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की सीमा पर 10% की सीमा एनईआर, पहाड़ी क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप को छोड़कर सभी क्षेत्रों में लगाई जाएगी या अन्य विशिष्ट क्षेत्रों को सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है।

टिप्पणी:

(1) संस्थाएं/उत्पादन सहकारी समितियां/न्यास विशेष रूप से पंजीकृत हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक संस्थान उप-नियमों में आवश्यक प्रावधानों के साथ इस आशय के लिए विशेष श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) के लिए पात्र हैं। हालांकि, संस्थानों/उत्पादन सहकारी समितियों/न्यासों के लिए जो विशेष श्रेणियों से संबंधित के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, सामान्य श्रेणी के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) के लिए पात्र होंगे।

(2) पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार का केवल एक व्यक्ति पात्र है। 'परिवार' में स्वयं और जीवनसाथी शामिल हैं।

4.2 मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए:

(i) पीएमईजीपी के तहत दावा की गई मार्जिन मनी को सफलतापूर्वक एडजस्ट कर लिया गया है,

(ii) पीएमईजीपी/मुद्रा के तहत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुका दिया गया है।

(iii) इकाई अच्छे टर्नओवर के साथ लाभ कमा रही है और टर्नओवर में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण / उन्नयन के साथ लाभ की क्षमता रखती है।

5. कार्यान्वयन एजेंसियां

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुंबई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी होगी। राज्य स्तर पर, यह योजना केवीआईसी के राज्य निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से लागू की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में यह योजना केवल राज्य जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) द्वारा लागू की जाएगी। केवीआईसी राज्य केवीआईबी/राज्य डीआईसी के साथ समन्वय करेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदर्शन की निगरानी करेगा। केवीआईसी और डीआईसी में एनएसआईसी, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई), आरएसईटीआई/रुडसेटी, आईटीआई और इसी तरह के अन्य संस्थान पंचायती राज संस्थान और पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की पहचान में प्रतिष्ठित अन्य एनजीओ के तहत पैनल में शामिल एनएसआईसी, उद्यमी मित्र शामिल होंगे।

कॉयर बोर्ड, पीएमईजीपी के तहत उनकी स्थापना के लिए कयर इकाइयों की पहचान करने, उनकी मदद करने और सलाह देने में शामिल होगा।

5.1 अन्य एजेंसियां

पीएमईजीपी के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसियों द्वारा संबद्ध की जाने वाली अन्य एजेंसियों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) केवीआईसी और उसके राज्य कार्यालयों के फील्ड कार्यालय

(ii) राज्य केवीआई बोर्ड

(iii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) संबंधित आयुक्तों/सचिवों (उद्योगों) को रिपोर्ट करते हैं।

(iv) कॉयर बोर्ड

(v) बैंक/वित्तीय संस्थान

(vi) केवीआई फेडरेशन

(vii) महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) और पंचायती राज संस्थान।

(viii) लघु कृषि और ग्रामीण औद्योगिक संवर्धन और तकनीकी परामर्श सेवाओं, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण में परियोजना परामर्श में कम से कम पांच साल का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले गैर सरकारी संगठन, जिनके पास आवश्यक बुनियादी ढाँचा और कर्मचारी है और राज्य या जिलों में गाँव और तालुक स्तर तक पहुँचने में सक्षम हैं। एनजीओ को पिछले 3 वर्षों की अवधि में अपने किसी भी कार्यक्रम के

लिए राज्य या राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।

(ix) सरकार/विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान/तकनीकी कॉलेज जिनके पास व्यावसायिक मार्गदर्शन या आईटीआई, ग्रामीण पॉलिटेक्निक, खाद्य प्रसंस्करण, प्रशिक्षण संस्थान, आदि जैसे कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले तकनीकी पाठ्यक्रम हैं।

(x) केवीआईसी / केवीआईबी द्वारा सहायता प्राप्त प्रमाणित केवीआई संस्थान बशर्ते कि ये A+, A या B श्रेणी में हों और भूमिका के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, कर्मचारी और विशेषज्ञता रखते हों।

(xi) केवीआईसी/केवीआईबी के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र।

(xii) कार्यालय विकास आयुक्त, एमएसएमई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी विकास केंद्र।

(xiii) पीपीपी मोड में स्थापित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) कार्यालय, तकनीकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, इनक्यूबेटर और प्रशिक्षण सह ऊष्मायन केंद्र (टीआईसी)।

(xiv) राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एमएसएमई, उनकी शाखाएं और उनके सहयोगी संस्थानों (पीआई) द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी)।

(xv) उद्यमी मित्र एमएसएमई मंत्रालय की राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत सूचीबद्ध हैं।

(xvi) पीएमईजीपी फेडरेशन, जब भी गठित हो।

(xvii) रीसेटी/रुडसेटी

6. वित्तीय संस्थान

(i) 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।

(ii) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(iii) प्रमुख सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक

(iv) प्रमुख सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक।

(v) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

7. लाभार्थियों की पहचान:

लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी जिसमें केवीआईसी/राज्य केवीआईबी और राज्य डीआईसी और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। टास्क फोर्स का नेतृत्व संबंधित जिला

मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर करेंगे। बैंकरों को शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदनों के बंच से बचा जा सके। आवेदक, जो पहले से ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) / कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) / उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) या व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटी) के तहत कम से कम 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर से ईडीपी प्रशिक्षण से गुजरने की जरुरत नहीं है। ऐसे आवेदकों को भी डीएलटीएफसी द्वारा चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित "आपदा" से प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं / आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

केवल सब्सिडी की अधिक राशि प्राप्त करने की दृष्टि से परियोजना की लागत में अतिशयोक्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आईबीए ने केवीआईसी के परामर्श से एक स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) तैयार किया है, जिसका उपयोग पीएमईजीपी मामलों के सदस्य बैंकों द्वारा किया जा रहा है। यह स्कोरिंग मॉडल प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स और अन्य राज्य/जिला पदाधिकारियों को भी भेजा जाएगा। यह स्कोरिंग मॉडल बैंकों को प्रायोजित किए जाने वाले लाभार्थियों के चयन का आधार बनेगा। यह स्कोरिंग मॉडल केवीआईसी और मंत्रालय की वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

8. बैंक वित्त

8.1 लाभार्थी/संस्था की सामान्य श्रेणी के मामले में बैंक परियोजना लागत का 90% और लाभार्थी/संस्था की विशेष श्रेणी के मामले में 95% की मंजूरी देगा, और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त रूप से पूरी राशि को डिसबर्स करेगा।

8.2 बैंक पूंजीगत व्यय को सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में नकद ऋण के रूप में फाइनेंस करेगा। परियोजना को पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी से युक्त समग्र ऋण के रूप में भी बैंक द्वारा फाइनेंस किया जा सकता है।

8.3 पीएमईजीपी के तहत अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये है, जिसमें पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए सावधि ऋण शामिल है। विनिर्माण इकाइयों के लिए, कार्यशील पूंजी कम्पोनेंट परियोजना लागत के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के लिए, कार्यशील पूंजी परियोजना लागत के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, विनिर्माण इकाइयों के लिए, परियोजना लागत में अधिकतम 25 लाख रुपये तक का पूंजीगत व्यय शामिल हो सकता है। ऐसे मामलों में 25 लाख रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सब्सिडी के दायरे में नहीं आएगी। यह एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म इकाइयों की परिभाषा के अनुरूप है। एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष है। पीएमईजीपी के दिशा-निर्देशों को संसद द्वारा स्वीकृत किए जाने पर अधिनियम में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधित प्रावधानों के अनुसार बदला जाएगा।

8.4 हालांकि बैंक परियोजना रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय के अनुमानों और उसकी मंजूरी के आधार पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) को मांगेगे, केवल पूंजीगत व्यय के वास्तविक लाभ पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) को बरकरार रखा जाएगा और इससे अधिक, यदि कोई हो, को रखा जाएगा। उत्पादन शुरू करने के लिए परियोजना तैयार होने के तुरंत बाद केवीआईसी को वापस कर दिया जाएगा।

8.5 कार्यशील पूंजी कम्पोनेंट का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि एक चरण में यह मार्जिन मनी की लॉक इन अवधि के तीन वर्षों के भीतर नकद ऋण की 100% सीमा को छू ले और स्वीकृत सीमा के 75% से कम उपयोग न हो। यदि यह उपरोक्त सीमा को नहीं छूता है, तो मार्जिन मनी (सब्सिडी) की आनुपातिक राशि बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वसूल की जानी चाहिए और तीसरे वर्ष के अंत में केवीआईसी को वापस कर दी जानी चाहिए।

8.6 ब्याज दर और चुकौती अनुसूची

सामान्य ब्याज दर वसूल की जाएगी। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारंभिक मोरेटोरियम के बाद रीपेमेंट शेड्यूल 3 से 7 वर्ष के बीच हो सकती है। यह देखा गया है कि बैंक नियमित रूप से प्रस्ताव की खूबियों के बावजूद क्रेडिट गारंटी कवरेज पर जोर देते रहे हैं। इस दृष्टिकोण को बढ़ाने की जरुरत है।.

पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने में प्राथमिकता देने के लिए आरबीआई बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। आरबीआई उपयुक्त दिशा-निर्देश भी जारी करेगा कि किस आरआरबी और अन्य बैंकों को योजना को लागू करने से बाहर रखा जाएगा।

9. ग्रामोद्योग

(i) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कॉयर आधारित परियोजनाओं (नकारात्मक सूची में डाले गए को छोड़कर) सहित कोई भी ग्रामोद्योग जो बिजली के उपयोग के साथ या उसके बिना किसी भी सामान का उत्पादन करता है या कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें प्रति व्यक्ति निश्चित पूंजी निवेश होता है पूर्णकालिक कारीगर या श्रमिक अर्थात वर्कशॉप/वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर पर पूंजीगत व्यय को परियोजना द्वारा सृजित पूर्णकालिक रोजगार से विभाजित करके मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

<u>नोट: अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के संबंध में पीएमईजीपी के तहत गतिविधियों के लिए एक विशेष मामले के रूप में प्रति व्यक्ति सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दिया गया है।</u>

(ii) **कॉयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)** को कयर बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी की तर्ज पर लागू किया जा रहा है। लेकिन सीयूवाई के तहत केवल कयर इकाइयां ही स्थापित की जाती हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत कॉयर इकाइयों को भी अनुमति है। इसलिए, सीयूवाई पूरी तरह से पीएमईजीपी में समाहित हो जाएगा। ऊपर पैरा **3.2 (i)** में उल्लिखित पीएमईजीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू मार्जिन मनी सब्सिडी दर **15%** से **35%** के साथ अधिकतम **25** लाख रुपये की परियोजना लागत के साथ **1000** कॉयर इकाइयों का लक्ष्य है।

पीएमईजीपी के तहत सहायता प्रदान करने के लिए कॉयर बोर्ड उपयुक्त कॉयर इकाइयों की पहचान करने में केवीआईसी की सहायता करेगा। केवीआईसी कयर बोर्ड को पीएमईजीपी-ई-पोर्टल तक पहुंच भी प्रदान करेगा।

10. ग्रामीण क्षेत्र

(i) जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र।

(ii) इसमें कोई भी क्षेत्र शामिल होगा, भले ही उसे शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, बशर्ते कि इसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो।

11. योजना के तहत आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवाह और निधि प्रवाह के तौर-तरीके

11.1 केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी द्वारा उस विशेष जिले को आवंटित लक्ष्य के आधार पर समय-समय

पर प्रेस, विज्ञापन, रेडियो और अन्य मल्टीमीडिया के माध्यम से जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। योजना का प्रचार/प्रसार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाएगा जिससे लाभार्थियों की पहचान में भी मदद मिलेगी।

11.2 ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होंगे और किसी भी मैनुअल आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि पीएमईजीपी-ई-पोर्टल विकसित किया गया है और पीएमईजीपी के तहत नई परियोजनाओं के लिए केवीआईसी द्वारा संचालन में रखा गया है, केवल उक्त पीएमईजीपी-ई-पोर्टल के माध्यम से भरा और जमा किया जाएगा।

11.3 पोर्टल पर व्यक्तियों और संस्थागत आवेदकों के लिए दो अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।

11.4 आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में उनके उपयोग के लिए प्रारंभिक पंजीकरण (आवेदन दाखिल) के समय यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। अंतिम जमा करने पर आवेदक को आवेदन आईडी प्रदान की जाएगी।

11.5 आवेदक की आधार संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि संस्थानों द्वारा आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं, तो अधिकृत व्यक्ति को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना चाहिए। आधार जहां कहीं भी उपलब्ध है उसे अनिवार्य कर दिया गया है। अन्य मामलों में पैन मांगा जाएगा।

116 आवेदन जमा करने से पहले फोटो और दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान होगा जो आवेदन की जांच के लिए आवश्यक हैं। इन दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a. जाति प्रमाण पत्र

b. विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां भी आवश्यक हो

c. ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र।

d. परियोजना रिपोर्ट।

e. शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

f. संस्थानों के मामले में निम्नलिखित की स्व-सत्यापित प्रतियों की भी आवश्यकता होती है;

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र

2. आवेदन करने के लिए सचिव आदि को अधिकृत करने वाला अनुज्ञा पत्र/उपनियमों की प्रति।

3. विशेष श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।

11.7 आवेदन दाखिल करने और पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदक सबमिट बटन पर क्लिक करेगा और फिर आवेदन जमा हो जाएगा। दस्तावेजों और आवेदन पत्र का पूरा सेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवीआईसी के जिला प्रतिनिधि, राज्य केवीआईबी के जिला प्रतिनिधि और संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र को भेजा जाएगा।

11.8 आवेदन प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी और डीआईसी के नोडल अधिकारी आवेदक के साथ खुद टेलीफोन पर या खुद बैठक करके बातचीत करेंगे और प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की पुष्टि करेंगे। नोडल अधिकारी आवेदक के साथ परामर्श/क्रॉस चेकिंग करके

आवेदन में सभी आवश्यक सुधार करेगा और प्रत्येक चरण में आवेदक को हैंड होल्डिंग भी प्रदान करेगा। वे ऋण के अनुमोदन के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करेंगे। आईबीए द्वारा तैयार किया गया स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) और पीएमईजीपी मामलों के लिए सदस्य बैंकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, यह भी एजेंसी और डीएलटीएफसी स्तर पर लाभार्थियों के चयन का आधार बनेगा। 100 अंकों में से 60 अंक से अधिक अंक प्राप्त नहीं करने वाले आवेदनों को कारणों के साथ खारिज कर दिया जाएगा और उनका स्कोर कार्ड भविष्य में सुधार के लिए आवेदक को भेज दिया जाएगा। केवल 60 अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को ही डीएलटीएफसी के माध्यम से बैंकों को प्रायोजित किया जाएगा। आवेदन जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं या जो आवेदक के परामर्श के बाद भी अपूर्ण या अप्रासंगिक रहते हैं, उन्हें भी संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति के कारणों को बताते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को अस्वीकृति के कारणों से भी अवगत कराया जाएगा। आवेदक इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ राज्य निदेशक, केवीआईसी को शिकायत दर्ज कर सकता है।

11.9 इसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक कार्य दल का गठन किया जाएगा।

a. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर - अध्यक्ष

b. पीडी - डीआरडीए / ईओ - जिला पंचायत - उपाध्यक्ष

c. अग्रणी बैंक प्रबंधक - सदस्य

d. केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के प्रतिनिधि - सदस्य

e. एनवाईकेएस/एससी/एसटी निगम के प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित

f. एमएसएमई-डीआई, आईटीआई/पॉलिटेक्निक के प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित

g. पंचायत से प्रतिनिधि - 3 सदस्य

h. (बारी-बारी से अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर मनोनीत किया जाएगा)

i. निदेशक आरएसईटीआई/रुडसेटी - सदस्य

j. महाप्रबंधक, जिले के डीआईसी - सदस्य संयोजक

प्रारंभिक जांच के बाद जिला स्तर की एजेंसियां (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी) अंतिम रूप से सही किए गए आवेदन को एक साथ डीएलटीएफसी के साथ-साथ आवेदक और अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलबीएम) द्वारा चुने गए एक फाइनेंसिंग बैंक को अग्रेषित करेंगी।

11.10 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) डीएलटीएफसी के संयोजक होंगे और वह अब तक प्राप्त सभी आवेदनों को डीएलटीएफसी के समक्ष रखेंगे। डीएलटीएफसी की बैठकें हर महीने में कम से कम एक बार, यदि संभव हो तो महीने के हर पहले सोमवार को आयोजित की जाएंगी, (या डीआईआर केवीआईसी, केवीआईबी और जीएम, डीआईसी द्वारा आपसी परामर्श के माध्यम से तय की गई तारीखों पर) और यदि आवश्यक हो तो एक ही महीने में एक और डीएलटीएफसी बैठक आयोजित की जा सकती है। निर्धारित बैठक की तिथियां

सभी जिलों के पीएमईजीपी वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी। डीएलटीएफसी की बैठकों की अध्यक्षता कलेक्टर या उनकी अनुपस्थिति में ईओ/पीडी, डीआरडीए या डिप्टी कलेक्टर या उनकी अनुपस्थिति में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा की जाएगी। परियोजना निदेशक-डीआरडीए डीएलटीएफसी के उपाध्यक्ष होंगे। समिति प्रत्येक आवेदन पर विचार करेगी और अपनी सिफारिश ऑनलाइन करेगी। डीएलटीएफसी के निर्णय को बैठक के 3 कार्य दिवसों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिला कार्यान्वयन एजेंसियों (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी) को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा। डीएलटीएफसी बैठक के कार्यवृत्त को केवीआईसी वेबसाइट/पीएमईजीपी-ई-पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। संबंधित एजेंसी डीएलटीएफसी के निर्णय की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर संबंधित बैंकों को अनुशंसित आवेदन अग्रेषित करेगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है। डीएलटीएफसी द्वारा अधिमानतः कोई साक्षात्कार नहीं होगा, चयन का आधार आईबीए द्वारा तैयार किया गया स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) होगा। तथापि, यदि आवश्यक समझा गया तो डीएलटीएफसी आवेदक को व्यक्तिगत बातचीत/साक्षात्कार के लिए बुला सकता है। यदि डीएलटीएफसी 45 दिनों के भीतर मंजूरी नहीं देता है, तो बैंक स्वयं परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। डीएलटीएफसी द्वारा अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति के कारणों से आवेदक को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए।

11.11 केवीआईसी, मुख्यालय द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और एक शिकायत प्रकोष्ठ होगा। शिकायत प्रकोष्ठ 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा और संबंधित राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देगा। आवेदक, यदि समिति की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है, तो इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ संबंधित राज्य के जीएम, डीआईसी या राज्य निदेशक, केवीआईसी, जो भी वरिष्ठ हो, को शिकायत दर्ज करा सकता है। सीईओ, केवीआईसी, सीईओ, केवीआईबी और पीआर. सचिव (उद्योग) संबंधित मामलों के लिए अपीलकर्ता प्राधिकारी होंगे।

11.12 बैंक परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर अपना स्वयं का ऋण निर्णय लेगा। टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में 10 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों द्वारा कोई कोलैटरल सिक्योरिटी पर जोर नहीं दिया जाएगा। हालांकि, वे यह सुनिश्चित करने के बाद तकनीकी और आर्थिक रूप से परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे कि प्रत्येक परियोजना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है।

i. उद्योग
ii. प्रति व्यक्ति निवेश
iii. अपना योगदान
iv. ग्रामीण क्षेत्र (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं) और
v. नकारात्मक सूची (दिशानिर्देशों के पैरा 30)
vi. यह आवश्यक है कि जिला टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृत आवेदन भी उसी स्तर पर इन आवश्यकताओं को पूरा करें ताकि बैंकों में ऋणों के अनुमोदन में देरी से बचा जा सके।

11.13 बैंक एक निर्धारित अवधि के भीतर ऋण आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेंगे। स्वीकृति ऑनलाइन स्वीकृति पत्र के आधार पर जारी की जाएगी और स्वीकृति आदेश की प्रतियां आवेदक (ई-मेल/हार्ड कॉपी द्वारा) के साथ-साथ केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी को जिला एजेंसियों से डीएलटीएफसी द्वारा अनुशंसित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भेजी जाएंगी। स्वीकृति पत्र भी संबंधित आरएसईटीआई को अपने

आप भेज दिया जाएगा या जहां ईडीपी प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कोई आरईएसटीआई अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ऐसे मामले में जहां आवेदक ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। बैंकों द्वारा ऋण जारी करने से पहले निर्धारित ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

11.14 आवेदकों को ऋण की मंजूरी के लिए इन्तजार करने की जरुरत नहीं है, लेकिन ईडीपी शुल्क के भुगतान पर केवीआईसी के राज्य कार्यालय के परामर्श से आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी समय ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते हैं। ईडीपी को केवीआईसी द्वारा स्व-वित्तपोषण के आधार पर चलाया जाएगा।

11.15 आवेदक अपने स्वयं के योगदान और फोटो और आधार संख्या तथा अपने लोन के सैंक्शन सूचना की रिसीविंग के साथ ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रति 10 कार्य दिवसों के भीतर फाइनेंसिंग बैंक को जमा करेगा। ईडीपी प्रमाणपत्र भी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपलोड किया जाएगा।

11.16 बैंक ऋण की पहली किस्त या तो पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करेगा और नोडल बैंक/केवीआईसी पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए क्लेम ऑनलाइन जमा करेगा।

11.17 ऑनलाइन क्लेम फॉर्म की दो शर्तों को पूरा करने के लिए स्वचालित रूप से जांच की जाएगी (i) पहली किस्त जारी करने की तारीख मार्जिन मनी सब्सिडी क्लेम दाखिल करने की तारीख से पहले की हो और

(ii) जारी की गई पहली किस्त की राशि क्लेम की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि से अधिक है। केवीआईसी सब्सिडी के दावे को मान्य करेगा और 3 कार्य दिवसों के भीतर नोडल बैंक पोर्टल पर अपलोड करेगा।

11.18 नोडल बैंक सत्यापन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर केवीआईसी द्वारा मान्य मार्जिन मनी सब्सिडी क्लेम राशि को संबंधित वित्तीय बैंक शाखा को हस्तांतरित करेगा।

यदि फाइनेंसिंग बैंक शाखा प्रमाणित करती है कि क्लेम में प्रस्तुत सभी तथ्य सत्य हैं और यूनिट की उपरोक्त गतिविधि पीएमईजीपी योजना की नकारात्मक सूची के अंतर्गत नहीं है और पीएमईजीपी के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार है, तो केवीआईसी के सत्यापन को समाप्त किया जा सकता है और एमएम क्लेम फाइनेंसिंग बैंक शाखाओं द्वारा ऑनलाइन डिस्बर्समेंट के लिए सीधे कॉर्पोरेशन बैंक पोर्टल पर भेजा जाएगा।

11.19 एक बार बैंक में ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर इसे लाभार्थी/संस्था के नाम पर शाखा स्तर पर तीन वर्ष की सावधि जमा रसीद (टीडीआर) में रखा जाना चाहिए। टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और टीडीआर की संबंधित राशि के लिए दिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

11.20 उपरोक्त प्रत्येक चरण में सिस्टम द्वारा आवेदक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट स्वचालित रूप से भेजे जाएंगे।

11.21 यदि तीन साल की अवधि से पहले बैंक का एडवांस "खराब" हो जाता है, किसी कारणों से, लाभार्थी के नियंत्रण से परे, तो मार्जिन मनी (सब्सिडी) केवीआईसी को ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। यदि बाद में बैंक द्वारा किसी भी स्रोत से कोई रिकवरी की जाती है, तो ऐसी रिकवरी का उपयोग बैंक द्वारा अपने बकाया देय को समाप्त करने के लिए किया जाएगा।.

11.22 मार्जिन मनी (सब्सिडी) सरकार की ओर से 'एकमुश्त सहायता' होगी। इस योजना के तहत द्वितीय ऋण के

माध्यम से उन्नयन के लिए चयनित इकाइयों के मामले को छोड़कर, क्रेडिट लिमिट में वृद्धि या परियोजना के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए, मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता उपलब्ध नहीं है।

11.23 संयुक्त रूप से वित्तपोषित परियोजनाएं अर्थात दो अलग-अलग स्रोतों (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) से वित्तपोषित परियोजनाएं, मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

11.24 बैंक को बैंक वित्त जारी करने से पहले लाभार्थी से एक अंडरटेकिंग प्राप्त करनी होती है कि, केवीआईसी/केवीआईबी/राज्य डीआईसी द्वारा आपत्ति (लिखित और रिकार्डेड रूप में सूचित) की स्थिति में, टीडीआर में रखी गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को लाभार्थी को वापस कर दी जाएगी या तीन साल की अवधि के बाद उसे रिलीज़ किया जायेगा।

11.25 बैंकों/केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक लाभार्थी अपने परियोजना

.....(यूनिट का नाम) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत.....(बैंक) द्वारा वित्तपोषित, जिले का नाम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित साइन-बोर्ड प्रमुखता से लगाएं :-

11.26 पीएमईजीपी पोर्टल को पीएमईजीपी लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान कोलेने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए। संबंधित एजेंसियों जैसे केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के नोडल कार्यालय भी इकाइयों की स्थापना के बाद हर 3 महीने में कम से कम एक बार उनकी स्थिति की जांच करने और आवश्यक मार्गदर्शन/हैंडहोल्डिंग और सलाह प्रदान करने के लिए उनका दौरा करेंगे। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल संबंधित अधिकारी द्वारा इस तरह के दौरों का विवरण हासिल करने में भी सक्षम होना चाहिए। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किए गए यूनिट का खुद सत्यापन के साथ-साथ लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी एडजस्टमेंट के डिस्बर्समेंट का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

11.27 पोर्टल में एमआईएस होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण और डिस्बर्समेंट के बीच कोई ओवरलैप नहीं है और श्रेणीवार, ग्रामीण, शहरी, बैंकवार, जिलेवार, राज्यवार, वर्षवार, उद्योग क्षेत्रवार, परियोजना के अनुसार आकार आदि सहित विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम है।

11.28 **मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सब्सिडी (नया प्रावधान)**

a. पीएमईजीपी/मुद्रा के तहत स्थापित मौजूदा इकाई का विस्तार/उन्नयन नाम से एक अतिरिक्त घटक जोड़ा गया है, जिसमें पहले से ही पीएमईजीपी/मुद्रा के तहत स्थापित इकाइयों और टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, सभी श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा 15% की समान सब्सिडी वाले बैंकों के माध्यम से प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। सर्विस/ट्रेडिंग यूनिट के लिए केवल 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

b. पारंपरिक कौशल/कच्चे माल की उपलब्धता आदि जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक विकास के आधार पर

प्रत्येक जिले से लगभग 10, पूरे देश से समान रूप से इकाइयों का चयन किया जाएगा। उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों का चयन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा किया जाएगा।

c. केवीआईसी उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों द्वारा आवेदन जमा करने के लिए सिंपलआवेदन पत्र के साथ पीएमईजीपी-ई-पोर्टल में प्रासंगिक प्रावधान करेगा।

d. प्रारंभिक जांच के बाद जिला स्तरीय एजेंसियां (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी) एसएलबीसी को आवेदन फॉरवर्ड करेंगी, जो आर्थिक और तकनीकी दोनों तरह से परियोजना का मूल्यांकन करेगी और दूसरे ऋण के लिए बैंकों को वित्तपोषित करने के लिए परियोजना की सिफारिश करेगी। वित्तपोषित बैंक पीएमईजीपी इकाइयों के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी का दावा करेंगे। एमएम सब्सिडी को तीन साल तक टीडीआर के तौर पर रखा जाएगा। टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और टीडीआर की संबंधित राशि के लिए दिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

e. कार्यान्वयन एजेंसी और बैंक द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर शामिल की जाने वाली मशीनरी की स्थापना के बाद टीडीआर को ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।

12. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

12.1 ईडीपी का उद्देश्य वित्त, उत्पादन, मार्केटिंग, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएं, बहीखाता आदि जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों से संबंधित अभिविन्यास और जागरूकता प्रदान करना है। प्रशिक्षण की अवधि परियोजना के साथ परियोजनाओं के लिए कम से कम 5 दिनों के लिए होगी। 10 लाख रुपये तक की लागत और 10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना के लिए, ईडीपी की अवधि कम से कम 10 दिन होगी। प्रशिक्षण में सफल ग्रामीण उद्यमियों, बैंकों के साथ बातचीत के साथ-साथ क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से अभिविन्यास शामिल होगा। ईडीपी का संचालन केवीआईसी, केवीआईबी प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केंद्र सरकार, एनएसआईसी, तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई), यानी निसबड, निम्समे और आईआईई और एमएसएमई मंत्रालय, राज्य सरकारों, बैंकों, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत उनके सहयोगी संस्थान, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन, और समय-समय पर सरकार द्वारा पहचाने जाने वाले अन्य संगठन / संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। सभी पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए ईडीपी अनिवार्य होगा। हालांकि, वे लाभार्थी जिन्होंने केवीआईसी/केवीआईबी या प्रतिष्ठित सरकार के माध्यम से कम से कम दो सप्ताह की अवधि से पहले ईडीपी प्राप्त किया है। प्रशिक्षण केंद्रों को नए ईडीपी से छूट दी जाएगी। केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों की पहचान की जाएगी और प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की सामग्री, अवधि आदि के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रसारित करके किया जाएगा।

12.2 प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए ईडीपी प्रभारों के लिए बजट

योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम सामग्री, अतिथि वक्ताओं को मानदेय, ठहरने, रहने का खर्च आदि के लिए दो से तीन सप्ताह की अवधि के लिए प्रति ट्रेनी 2500/- से 4000/- रुपये की राशि स्वीकार्य है। केवीआईसी इस उद्देश्य के लिए चुने गए प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों को इसके द्वारा अलग से तैयार की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा और केवीआईबी और डीआईसी को परिचालित करेगा।

13. पीएमईजीपी इकाइयों का भौतिक सत्यापन

केवीआईबी और डीआईसी के माध्यम से स्थापित इकाइयों सहित पीएमईजीपी के तहत स्थापित प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और कार्य स्थिति का 100% भौतिक सत्यापन केवीआईसी द्वारा, राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से और/या, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवर संस्थानों को आउटसोर्सिंग करके किया जाएगा। बैंक, डीआईसी और केवीआईबी 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने में केवीआईसी का समन्वय और सहायता करेंगे। इकाइयों के ऐसे भौतिक सत्यापन के लिए केवीआईसी द्वारा एक उपयुक्त प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। केवीआईसी द्वारा एमएसएमई मंत्रालय को त्रैमासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी।

यूनिट लगाने के दो वर्ष बाद भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। राज्य कार्यालय समय पर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो-तीन एजेंसियों को लगा सकता है ताकि तीन साल की निर्धारित अवधि पूरी होने पर मार्जिन मनी एडजस्ट किया जा सके।.

14. जागरूकता शिविर

14.1 पीएमईजीपी को लोकप्रिय बनाने और योजना के बारे में ग्रामीण, अर्ध-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए केवीआईसी और राज्य डीआईसी एक दूसरे और केवीआईबी के साथ मिलकर जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। जागरूकता शिविरों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी शामिल होगी, जिसमें विशेष श्रेणी, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं आदि और ट्रांसजेंडर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में अपेक्षित सूचना/विवरण केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी द्वारा राज्य स्तर के संगठनों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों, आवा, एनवाईकेएस, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों और रोजगार कार्यालयों से प्राप्त किया जाएगा। एक जिले के लिए दो शिविरों की अनुमति होगी, एक केवीआईसी द्वारा संबंधित केवीआईबी के समन्वय से और दूसरा डीआईसी द्वारा। केवीआईसी और डीआईसी को एक विशिष्ट जिले के लिए संयुक्त रूप से इन शिविरों के आयोजन पर विचार करना चाहिए। अग्रणी बैंक, केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी और प्रधानाचार्य, केवीआईसी के बहु-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण केंद्रों (एमडीटीसी) की एक समिति लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगी और उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ ग्रामीण औद्योगिक सेवा केंद्रों (आरआईसीएस) को परियोजना निर्माण के लिए और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंक को भेजेगी। विनिर्दिष्ट राशि ऐसे शिविरों के आयोजन के प्रचार-प्रसार, व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्ययों पर व्यय की जा सकती है, जिसकी सूचना केवीआईसी द्वारा अपने दिशा-निर्देशों में पृथक रूप से दी जायेगी।

14.2 जागरूकता शिविरों में की जाने वाली अनिवार्य गतिविधियाँ:

(i) स्थानीय समाचार पत्रों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार।

(ii) केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी अधिकारियों द्वारा योजना पर प्रस्तुति।

(iii) क्षेत्र के अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(iv) सफल पीएमईजीपी/आरईजीपी उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(v) पीएमईजीपी उद्यमियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण, जिन्हें बैंक द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई है।.

(vi) प्रेस कॉन्फ्रेंस

(vii) संभावित लाभार्थियों से डेटा (निर्धारित प्रारूप में) का संग्रह, जिसमें लाभार्थियों की प्रोफाइल, कौशल, पृष्ठभूमि और योग्यता, अनुभव, परियोजना में रुचि आदि जैसी जानकारी शामिल होगी। प्रशिक्षण का पता लगाने के लिए (दिशानिर्देशों के पैरा 13 में वर्णित) लीड बैंक, केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और प्रिंसिपल, एमडीटीसी के प्रतिनिधियों की एक समिति लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगी और उन्हें अभिविन्यास और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें क्रमशः परियोजना निर्माण और परियोजना स्वीकृति के लिए आरआईसीएस और बैंकों को भी भेजा जाएगा।

(viii) केवीआईसी द्वारा तैयार पीएमईजीपी के तहत विचार के लिए परियोजनाओं का एक शेल्फ केवीआईसी/मंत्रालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कुछ प्रमुख राज्य उद्योग सचिवों और बैंकों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है। पहले से तैयार शेल्फ में परियोजनाओं को शामिल करने के लिए, केवीआईबी और डीआईसी ऐसी परियोजनाओं का विवरण केवीआईसी को भेजेंगे। केवीआईसी बदले में, आगे और पीछे के लिंकेज के तहत 'प्रशिक्षण और अभिविन्यास' में प्रावधानों का उपयोग करके, बैंकों, केवीआईबी और डीआईसी के परामर्श से, परियोजनाओं के शेल्फ का विस्तार करेगा।

(ix) **मार्केटिंग सपोर्ट**

(a) पीएमईजीपी के तहत इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता, जहां तक संभव हो, केवीआईसी के मार्केटिंग बिक्री आउटलेट के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। केवीआईसी गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और केवीआईसी द्वारा केवीआईबी/डीआईसी को अलग से परिचालित किए जाने वाले अन्य मानकों के आधार पर ऐसा सहयोग प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

(b)उपरोक्त के अलावा, केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी लाभार्थियों के लाभ के लिए जिला/राज्य क्षेत्रीय/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि की व्यवस्था की जाएगी।

15. कार्यशालाएं

a) **उद्देश्य**

(i) संभावित लाभार्थियों को पीएमईजीपी योजना और अन्य केवीआईसी योजनाओं जैसे प्रॉडिप, स्फूर्ति, आदि के तहत लाभों के बारे में जानकारी देना।

(ii) उत्पादित उत्पादों, सेवाओं/व्यावसायिक गतिविधि विवरण, उत्पादन, आपूर्ति क्षमता, वर्तमान मार्केटिंग स्थापना रोजगार और परियोजना लागत आदि के संबंध में पीएमईजीपी इकाइयों का डेटा बैंक बनाना।

(iii) इकाइयों, उनकी समस्याओं, आवश्यक सहायता, सफलता की कहानियों आदि के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पीएमईजीपी उद्यमियों के साथ बातचीत करना।

(iv) इन क्षेत्रों में पीएमईजीपी इकाइयों को सहायता देने के लिए मार्केटिंग और निर्यात में विशेषज्ञों को

शामिल करना।

टिप्पणी:

(i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यशाला में कम से कम 200 संभावित उद्यमी भाग लें।
(ii) केवीआईसी के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला और डीआईसी के लिए एक कार्यशाला की अनुमति है।.
(iii) केवीआईसी और डीआईसी इन कार्यशालाओं को एक विशिष्ट राज्य में संयुक्त रूप से आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं
(iv) प्रत्येक कार्यशाला में केवीआईसी और डीआईसी का एक प्रतिनिधि भाग लेगा।

b) राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:
   (i) राज्य के पीएमईजीपी परिदृश्य की प्रस्तुति।
   (ii) राज्य में अग्रणी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीएमईजीपी पर बैंकों के विचारों की प्रस्तुति।
   (iii) पीएमईजीपी/आरईजीपी उद्यमियों द्वारा अनुभव और सफलता की कहानियों को साझा करना, विशेष श्रेणियों से संबंधित उद्यमियों को विशेष जोर देना।
   (iv) उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी), ग्रामीण औद्योगिक सेवा केंद्र (आरआईएससी), पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी) जैसी केवीआईसी की सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी), प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसएमई), आदि।
   (v) नाबार्ड और सिडबी द्वारा क्लस्टर और मार्केटिंग से संबंधित सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी देना।
   (vi) पीएमईजीपी में ग्रामीण युवाओं, कमजोर वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से अक्षम, युद्ध विधवाओं को शामिल करने के लिए एनवाईकेएस, एमडब्ल्यूसीडी, एडब्ल्यूडब्ल्यूए की सेवाओं का उपयोग करना।
   (vii) मार्केटिंग विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध घरेलू और निर्यात बाजार संभावनाओं पर प्रस्तुति।
   (viii) पीएमईजीपी उद्यमियों के साथ कार्यान्वयन के मुद्दों, सामने आने वाली बाधाओं, आगे आवश्यक मदद, आदि और संभावित समाधानों पर पहुंचने पर ओपन हाउस चर्चा।
   (ix) निर्धारित प्रारूप में पीएमईजीपी उद्यमियों का डेटा संग्रह।
   (x) पीएमईजीपी उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री की व्यवस्था करना।
   (xi) पीएमईजीपी फेडरेशन का गठन।
   (xii) प्रेस कॉन्फ्रेंस.

c) केवीआईसी इन कार्यशालाओं का समन्वय करेगा और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यशालाओं का वार्षिक कैलेंडर अग्रिम रूप से प्राप्त करेगा।

16. प्रदर्शनियां

पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और

जिला स्तर पर पीएमईजीपी प्रदर्शनियों और केवीआईबी और डीआईसी के समन्वय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केवीआईसी देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों का वार्षिक कैलेंडर प्राप्त करेगा, जिसे मंत्रालय द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा। केवीआईबी/डीआईसी के माध्यम से स्थापित इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रदर्शन के लिए अलग मंडप उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण उद्यमियों और शहरी उद्यमियों के लिए अलग-अलग लोगो और नामकरण केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी द्वारा तैयार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, ग्रामीण पीएमईजीपी प्रदर्शनियों के लिए ग्रामएक्सपो, ग्रामउत्सव, ग्राम मेला, आदि जैसे नामकरण का उपयोग किया जा सकता है। केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी के समन्वय से सालाना एक जिला स्तरीय प्रदर्शनी (प्रति जिला), एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और एक क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन करेगा।

17. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी

पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उनके निर्यात बाजार को विकसित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की परिकल्पना की गई है। केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी के समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी का आयोजन करेगा और केवीआईबी और डीआईसी से इच्छुक इकाइयों की सूची मांगेगा। केवीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि मेले में भाग लेने की इच्छुक इकाइयों, केवीआईबी और डीआईसी के माध्यम से स्थापित उत्पादों की योग्यता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाता है। पवेलियन, स्टालों के निर्माण और प्रदर्शन, डिमोंस्ट्रेशन आदि के लिए किराये के खर्च को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। केवीआईसी अपने नियमित मार्केटिंग बजट प्रावधानों से शेष खर्च को पूरा कर सकता है।

18. बैंकरों की समीक्षा बैठक

पीएमईजीपी एक बैंक संचालित योजना है और संबंधित बैंक के स्तर पर परियोजना की अंतिम मंजूरी और ऋण जारी किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर बैंकरों के उच्च अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन में बाधाओं, यदि कोई हों, का समाधान किया जा सके, परिणाम प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं और लक्ष्य पूरे किए जाते हैं। निम्नलिखित स्तरों पर बैंकरों की समीक्षा बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाएगी:

(i) लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स मीट (एलडीएम): इसका आयोजन केवीआईसी के स्टेट ऑफिस और डिवीजनल ऑफिस द्वारा केवीआईबी और डीआईसी के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। बैठक का फोकस एलडीएम स्तर पर बैंक अधिकारियों को पीएमईजीपी के बारे में सूचित और शिक्षित करना और योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करना होगा। बैठक तिमाही आधार पर होगी।

(ii) क्षेत्रीय समीक्षा बैठक: पीएमईजीपी योजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केवीआईसी द्वारा त्रैमासिक रूप से **6** क्षेत्रों में क्षेत्रीय समीक्षा की जाएगी जहां केवीआईसी**,** केवीआईबी और डीआईसी के प्रतिनिधि समीक्षा में भाग लेंगे। संबंधित बैंक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

(iii) शीर्ष स्तरीय बैंकरों की बैठक: केवीआईसी शीर्ष स्तरीय बैंकरों की बैठक अर्धवार्षिक (जून और दिसंबर में) आयोजित करेगा ताकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत और अंत में उचित निगरानी की जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सीएमडी/वरिष्ठ कार्यपालक, एमएसएमई मंत्रालय, राज्य डीआईसी और केवीआईबी के प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर की बैंकर्स बैठक में भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता सीईओ, केवीआईसी करेंगे। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दो

समूहों में आमंत्रित किया जाएगा और केवीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि इन अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकों में से प्रत्येक में लगभग आधे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (केवीआईबी और डीआईसी के) भाग लें। बैठक लक्ष्यों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी और पीएमईजीपी के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी।

19. पीएमईजीपी के तहत अभिविन्यास और प्रशिक्षण

केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को पीएमईजीपी के संचालन के तौर-तरीकों के बारे में जागरूक किया जाना है, जिसे केवीआईसी केवीआईबी के साथ समन्वय) और डीआईसी द्वारा पूरे देश में राज्य / जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले 'एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं' में प्रदान किया जा सकता है। केवीआईसी और डीआईसी (प्रत्येक) द्वारा प्रति वर्ष 40 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केवीआईसी और डीआईसी इस उद्देश्य के लिए केवीआईसी द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर, जहां भी संभव हो, संयुक्त रूप से इस तरह की प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं।

20. कर्मचारियों और अधिकारियों का टीए/डीए

केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी के अधिकारी पीएमईजीपी के प्रासंगिक क्षेत्र का दौरा और निगरानी कार्यों को करेंगे। पीएमईजीपी की निगरानी और समीक्षा के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के टीए/डीए के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें स्टेशनरी, दस्तावेजीकरण, आकस्मिकता आदि जैसे प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, और इस राशि का लगभग 40% डीआईसी के लिए निर्धारित किया जा सकता है। केवीआईसी व्यय के प्रमाणीकरण के विस्तृत तौर-तरीकों को शामिल करते हुए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी करेगा, इस तरह के क्षेत्र के दौरों के लिए मानदंड निर्धारित करेगा ताकि सहायता का अधिकतम उपयोग किया जा सके और व्यय में किफ़ायत सुनिश्चित की जा सके।

21. प्रचार और प्रचार गतिविधियाँ

21.1 पीएमईजीपी को पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, रेडियो जिंगल, टेलीविजन संदेश, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित आक्रामक प्रचार अभियानों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, जिसमें पीएमईजीपी के प्रमुख कार्यक्रमों में वीवीआईपी और विशिष्ट अतिथि भी शामिल हों।

21.2 पीएमईजीपी के लिए विज्ञापन/प्रचार जारी करना।

विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में जारी/प्रकाशित किया जाएगा। जिला स्तरीय आयोजनों के लिए क्वार्टर पेज का विज्ञापन तथा राज्य स्तरीय आयोजनों के लिए हाफ पेज का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

पीएमईजीपी के लिए आवश्यक प्रचार और प्रचार गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, चार साल की अवधि के दौरान 16 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। केवीआईसी द्वारा केवीआईसी और डीआईसी के साथ प्रयासों का अधिकतम समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करते हुए केवीआईसी द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के विज्ञापन / प्रचार के लिए केवीआईसी द्वारा 25% धनराशि निर्धारित की जाएगी।

22. एमआईएस पैकेज, एप्लिकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ई-पोर्टल और अन्य सहायक पैकेज

22.1 योजना की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए ई-गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण जरुरत है। इसके अलावा, मौजूदा आरईजीपी लाभार्थियों के साथ-साथ पीएमआरवाई के डेटा बेस को भी डॉक्यूमेंट में दर्ज किया जाना है। केवीआईसी द्वारा एक अलग पीएमईजीपी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई मंत्रालय, राज्य केवीआईबी, डीआईसी, एनआईसी और बैंकों के साथ सभी प्रासंगिक लिंकेज शामिल हैं, जो सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए केवीआईबी/डीआईसी के समन्वय से आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा केवीआईसी की परियोजना तैयार करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक परामर्श सेवा (आरआईसीएस) सॉफ्टवेयर पैकेज को पीएमईजीपी के तहत परियोजना तैयार करने के लिए संभावित लाभार्थियों की सहायता के लिए देश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों में विस्तारित किया जाएगा। केवीआईसी द्वारा उपयोग के लिए फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के तहत एक अलग प्रावधान उपलब्ध है।

22.2 केवीआईसी केवीआईबी और डीआईसी से उचित दस्तावेज आदि सुनिश्चित करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग के संबंध में और दिशानिर्देश जारी करेगा। इस संबंध में व्यय का उचित लेखा राज्य/केवीआईबी/डीआईसी द्वारा रखा जाएगा और केवीआईसी द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

23. पीएमईजीपी के तहत लक्ष्यों के वितरण के लिए मानदंड

राज्यवार लक्ष्यों के वितरण के लिए व्यापक सुझाए गए मानदंड निम्नलिखित हैं:

(i) राज्य के पिछड़ेपन की सीमा;
(ii) बेरोजगारी की सीमा;
(iii) पिछले वर्षों के लक्ष्यों की पूर्ति की सीमा;
(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या; तथा
(v) पारंपरिक कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता।
(vi) नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।.

23.1 केवीआईसी राज्य केवीआईसी निदेशालयों/केवीआईबी और राज्य सरकारों को लक्ष्य सौंपेगा। जिला स्तर पर लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति द्वारा तय किया जाएगा। एसएलबीसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि लक्ष्य प्रत्येक जिले में समान रूप से वितरित किए जाएं। केवीआईसी/केवीआईबी के संबंध में राज्य-वार लक्ष्य केवीआईसी द्वारा एसएलबीसीसी को उपलब्ध कराए जाएंगे जहां जिलेवार लक्ष्यों का समग्र आवंटन तय किया जाएगा। लक्ष्यों में कोई भी संशोधन जिसके लिए केवीआईसी सीधे तौर पर जिम्मेदार है, केवल मंत्रालय की सहमति से ही अनुमति दी जाएगी। केवीआईसी निदेशालयों / केवीआईबी को सब्सिडी और अन्य मापदंडों (इकाइयों की संख्या, रोजगार के अवसर, आदि) के लक्ष्य निर्दिष्ट करने के लिए, केवीआईसी नीचे दिए गए वेटेज के अनुसार लक्ष्य तय करने के लिए राज्य की ग्रामीण आबादी, राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 250 पिछड़े जिलों के आधार पर) और आरईजीपी योजना के तहत राज्य के पिछले प्रदर्शन के मानदंडों को अपनाएगा। इसी प्रकार, डीआईसी को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए केवीआईसी राज्य के पिछड़ेपन के मानदंड को अपनाएगा (नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 पिछड़े जिलों के आधार पर), शहरी बेरोजगारी स्तर (जैसा कि योजना आयोग की रिपोर्ट (2002) में 'प्रति वर्ष दस मिलियन रोजगार के अवसरों को लक्षित करने पर विशेष समूह' और राज्य की ग्रामीण आबादी पर परिलक्षित होता है। पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान पीएमईजीपी के प्रदर्शन को भी लक्ष्य तय करने के लिए उचित महत्व दिया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सौंपे जाने वाले अनुमानित भार नीचे दिए गए हैं:

	मानदंड	लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वजन-आयु	
		केवीआईसी/केवीआ	डीआई

		ईबी	सी
1.	राज्य की ग्रामीण जनसंख्या	40%	30%
2.	राज्य का पिछड़ापन	30%	40%
3.	शहरी रोजगार स्तर	-	30%
4.	पीएमईजीपी के तहत पिछला प्रदर्शन	30%	-

24. खराब यूनिटों का पुनर्वास

पीएमईजीपी के तहत बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके पत्र आरपीसीडी.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.57/06.04.01/2001-2002 दिनांक 16 जनवरी 2002 के माध्यम से जारी खराब लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों से जोड़ा जाएगा।

25. पंजीकरण

(a) योजना के तहत केवीआईसी/केवीआईबी/राज्य डीआईसी के साथ पंजीकरण स्वैच्छिक है। हालांकि, सभी पीएमईजीपी इकाइयों को यूएएम और एमएसएमई डेटा बैंक के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लाभार्थियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग प्रलेखन लागत आदि पर खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

लाभार्थी केवीआईसी/केवीआईबी/राज्य डीआईसी के राज्य/क्षेत्रीय निदेशक को उत्पादन, बिक्री, रोजगार, भुगतान की गई मजदूरी आदि के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और केवीआईसी बदले में हर छह महीने में एमएसएमई मंत्रालय को एक समेकित रिपोर्ट की छानबीन और सबमिट करेगा।

(b) इकाइयों की जियो-टैगिंग: पीएमईजीपी के तहत पहले से स्थापित और स्थापित किए जाने वाले सभी सूक्ष्म उद्यमों को जियोटैग किया जाएगा, जिससे इकाइयों के साथ संपर्क बनाए रखने में सुविधा होगी।

26. पीएमईजीपी के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र (अनुसूचित, वाणिज्यिक / सहकारी) बैंकों की भूमिका

योजना को निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से भी चुनिंदा आधार पर, इच्छुक बैंकों के पिछले 3 वर्षों के बैलेंस शीट के सत्यापन और उधार पोर्टफोलियो की मात्रा का पता लगाने के बाद लागू किया जाएगा। केवीआईसी द्वारा बैंकों को वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) के हिस्से का भुगतान किया जाएगा।

27. पीएमईजीपी की निगरानी और मूल्यांकन

27.1 एमएसएमई मंत्रालय की भूमिका

योजना के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय नियंत्रण और निगरानी एजेंसी होगा। यह केवीआईसी को लक्ष्य, मंजूरी और आवश्यक धनराशि आवंटित करेगा। पीएमईजीपी के प्रदर्शन को लेकर मंत्रालय में त्रैमासिक समीक्षा बैठक होगी। डीआईसी के माध्यम से राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सीईओ, केवीआईसी, प्रधान सचिव / आयुक्त (उद्योग), राज्य केवीआईबी के प्रतिनिधि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे।

27.2 केवीआईसी की भूमिका

केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर पर योजना की एकल नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। सीईओ, केवीआईसी हर महीने राज्य

केवीआईबी, डीआईसी और बैंकों के साथ प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और मंत्रालय को मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में आवंटित मार्जिन राशि (सब्सिडी) की राशि, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं को दर्शाने वाले लाभार्थियों के घटक-वार विवरण शामिल होंगे। केवीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि मार्जिन मनी (सब्सिडी) का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि के लिए अनुमोदित उप घटक योजनाओं के अनुसार किया जाए। लक्ष्य और उपलब्धि की निगरानी संबंधित राज्यों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, केवीआईसी के निदेशकों और उद्योग सचिव (डीआईसी) द्वारा क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी की जाएगी। मौजूदा आरईजीपी इकाइयों की निगरानी केवीआईसी द्वारा पहले की तरह जारी रहेगी और अलग मासिक रिपोर्ट सीधे एमएसएमई मंत्रालय को दी जाएगी।

27.2 (ii) कयर बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पीएमईजीपी के तहत स्थापित कयर इकाइयों की निगरानी करेगा। बोर्ड नियमित रूप से ऐसी इकाइयों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और केवीआईसी को मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

27.3 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका

योजना की समीक्षा अर्धवार्षिक राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। प्रतिनिधि केवीआईसी, एमएसएमई मंत्रालय, राज्य निदेशक (केवीआईसी) सीईओ, केवीआईबी, राज्य के सचिव / आयुक्त (उद्योग), बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। राज्य सरकारें {आयुक्त/सचिव (उद्योग)} अपनी मासिक रिपोर्ट केवीआईसी को भेजेंगी, जिसमें लाभार्थियों के घटक-वार विवरण निर्दिष्ट होंगे, जिसमें आवंटित मार्जिन मनी (सब्सिडी) की राशि, सृजित रोजगार और लगाई गई परियोजनाओं का उल्लेख होगा, जिसका विश्लेषण किया जाएगा। केवीआईसी द्वारा संकलित और समेकित किया जाता है और हर महीने एक व्यापक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जायेगी। मौजूदा पीएमआरवाई इकाइयों की निगरानी अब तक की तरह राज्य डीआईसी द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट सीधे एमएसएमई मंत्रालय को सौंपी जाएगी।

28. योजना का मूल्यांकन

(a) योजना के कार्यान्वयन के दो साल बाद एक व्यापक, स्वतंत्र और कठोर मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजना की समीक्षा की जाएगी।

(b) समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन: प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, पीएमईजीपी की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन (सीएमई) की एक प्रणाली एक साथ प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम करने के लिए लागू की जाएगी। यह एक दोतरफा प्रक्रिया होगी, केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों के नोडल अधिकारी हर तीन महीने में यूनिटों का दौरा करेंगे और आवश्यक हैंडहोल्डिंग प्रदान करेंगे और फीडबैक प्राप्त करेंगे, दूसरे तीसरे पक्ष की एजेंसी लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से इकाइयों का मूल्यांकन करेगी और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक फीडबैक प्रदान करेगी।

29. गतिविधियों की नकारात्मक सूची

सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के तहत गतिविधियों की निम्नलिखित सूची की अनुमति नहीं होगी।

a) मांस (कटा हुआ) से जुड़ा कोई भी उद्योग / व्यवसाय, यानी प्रसंस्करण, डिब्बाबंद और / या खाने के रूप में इनको सर्व करने वाली वस्तुओं, बीड़ी / पान / सिगार / सिगरेट आदि जैसे नशीले पदार्थों का उत्पादन / निर्माण

या बिक्री, कोई भी होटल या ढाबा या शराब देने वाला सेल्स आउटलेट, कच्चे माल के रूप में तंबाकू तैयार करना/उत्पादन करना, बिक्री के लिए ताड़ी निकालना। होटल/ढाबों में मांसाहारी भोजन खिलाने/बेचने की अनुमति होगी।

b) चाय, कॉफी, रबड़ आदि सेरीकल्चर (कोकून पालन), बागवानी, फूलों की खेती जैसे फसलों / बागानों की खेती से जुड़ा कोई भी उद्योग / व्यवसाय। इनके तहत मूल्यवर्धन की अनुमति पीएमईजीपी के तहत दी जाएगी। सेरीकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती आदि के संबंध में ऑफ फार्म / खेती से जुड़े कार्यों की भी अनुमति होगी।

c) पशुपालन से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यवसाय जैसे मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, आदि।

d) 20 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथिन कैरी बैग का निर्माण और खाद्य सामग्री के भंडारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग या कंटेनर का निर्माण और कोई अन्य वस्तु जो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनती है।

*****

अनुलग्नक -11

यार्न आपूर्ति योजना - मुख्य विशेषताएं

1. परिचय

1.1 हथकरघा बुनाई एक श्रम प्रधान व्यवसाय है जो पूरे देश में, अधिकतर गांवों में फैला हुआ है। हथकरघा क्षेत्र में 43 लाख से अधिक व्यक्ति बुनाई और इससे सम्बंधित कार्यों (भारत की 2009-10 की हथकरघा जनगणना के अनुसार) में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल सूत है, जिसका उत्पादन कताई मिलों द्वारा किया जा रहा है। सूत का व्यापार व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और अधिकांश हथकरघा बुनकर अपनी सूत की आवश्यकता के लिए व्यापारियों पर निर्भर थे। इसके परिणामस्वरूप यार्न की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि हुई और इसकी उपलब्धता में कमी आई।

1.2 भारत सरकार ने सूत बाजार में प्रभावी हस्तक्षेप द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकाय के गठन की आवश्यकता महसूस की और 1983 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड की स्थापना की। एनएचडीसी का मुख्य उद्देश्य देश भर के बुनकरों को एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त गुणवत्ता का धागा उपलब्ध कराना है। किसी विशेष स्थान में निर्मित सूत उस स्थान और उसके आसपास उपलब्ध कपास की गुणवत्ता पर आधारित होता है, जबकि किसी विशेष क्षेत्र में बुनकरों द्वारा उपभोग किया जाने वाला सूत उस क्षेत्र में प्रचलित खपत पैटर्न पर आधारित होता है। इसलिए ज्यादातर मामलों में बुनकरों को दूसरे क्षेत्रों में उत्पादित सूत पर निर्भर रहना पड़ता है। सूत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से सूत की लागत काफी बढ़ जाती है जिससे बुनकरों की स्थिति काफी खराब हो जाती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 1992 में मिल गेट पर उपलब्ध कीमत पर यार्न की आपूर्ति के लिए योजना शुरू की। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा यार्न की आपूर्ति में शामिल परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

1.3 हथकरघा क्षेत्र की लागत हानि को कम करने के लिए, भारत सरकार ने पूर्व में हथकरघा क्षेत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूती हैंक यार्न को उत्पाद शुल्क से छूट दी थी, जबकि सूती शंकु यार्न पर 9.2% सेनवैट लगाया गया था। इसके बाद 2004 में कॉटन कोन यार्न पर सेनवेट को हटा दिया गया। नतीजतन, दोनों के बीच मूल्य अंतर गायब हो गया और हथकरघा को अब महत्वपूर्ण कच्चे माल के मूल्य में लाभ नहीं मिला। चूंकि हथकरघा उत्पाद जटिल और उत्कृष्ट डिजाइनों के कारण बुनाई में लंबे समय तक चलने के कारण स्वाभाविक रूप से अधिक महंगे हैं और पावरलूम की तुलना में कम उत्पादकता है, इसलिए हांक यार्न पर स्पष्ट सब्सिडी प्रदान करना आवश्यक है। इसके मद्देनज़र लाभार्थी को सूत, घरेलू रेशमी सूत और ऊनी सूत के मूल्य पर 10% अनुदान अग्रिम रूप से प्रदान किया जाता है। तद्नुसार, यार्न आपूर्ति योजना को 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कम्पोनेंट थे, (i) मिल गेट मूल्य पर यार्न की आपूर्ति और; (ii) हैंक के रूप में कपास, घरेलू रेशम और ऊनी धागे के मूल्य पर 10% की सब्सिडी।

1.4 हथकरघा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि हथकरघा क्षेत्र को उचित मूल्य पर हांक के रूप में सूत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हांक यार्न पैकिंग अधिसूचना दिनांक 17.04.2003 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित किया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि यार्न का प्रत्येक उत्पादक (सूत और / या उसके कचरे से पूरी तरह से बनाया / काता हुआ) जो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए यार्न पैक करता

है, नागरिक उपभोग के लिए पैक किए गए सूत का कम से कम 40% तिमाही आधार पर हांक के रूप में पैक करना चाहिए और पैक किए गए हांक यार्न का कम से कम 80% काउंट 80 और उससे कम का होना चाहिए।

1.5 यह अनुभव किया गया है कि लिनन के कपड़े ने सभी उम्र और वर्ग के बीच लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि लिनन का कपड़ा बहुत शोषक होता है और लिनन से बने वस्त्र गर्म मौसम में उनकी ठंडक और ताजगी के लिए मूल्यवान होते हैं। कुछ राज्यों ने लिनेन को 10% मूल्य सब्सिडी कम्पोनेंट में शामिल करने का भी अनुरोध किया है। इसे देखते हुए लिनेन यार्न को 10% मूल्य सब्सिडी घटक के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। लिनेन से बने उत्पाद हथकरघा बुनकरों को अधिक काम दिलाने में सक्षम बनाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप अधिक आय होगी।

1.6 तदनुसार, यार्न आपूर्ति योजना को 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कम्पोनेंट के साथ लागू करने के लिए स्वीकृत किया गया है:

1. मिल गेट मूल्य पर सूत की आपूर्ति
2. हांक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी

1.7 10% मूल्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट सब्सिडी के बजाय लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होगी। मात्रा प्रतिबंधों के साथ कपास, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न पर हैंक रूप में 10% मूल्य सब्सिडी दी जाएगी।

2. मिल गेट कीमत पर सूत की आपूर्तिः

2.1 योजना के इस कम्पोनेंट का उद्देश्य हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाभार्थियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के सूत उपलब्ध कराना है। ताकि हथकरघा क्षेत्र को बुनियादी कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुगम बनाया जा सके और इस क्षेत्र की पूर्ण रोजगार क्षमता का उपयोग करने में मदद की जा सके।

2.2 मिल गेट मूल्य का अर्थ है वह मूल्य जिस पर रेशम एक्सचेंज के पंजीकृत लाइसेंस धारकों से सूत की खरीद की जाती है, भारतीय रेशम धागे के मामले में, डीजीएफटी पंजीकृत आयातक के लिए एक्स-वेयर हाउस मूल्य और आयातित रेशम यार्न के मामले में एनएचडीसी द्वारा आयात के लिए भारतीय बंदरगाहों पर उतरने की कीमत (सी एंड एफ और किसी भी अन्य लागू पोर्ट शुल्क सहित), विनिर्माण में लगे राज्य निकायों / सेरिफेड के साथ पंजीकृत रेशम के धागे, रीलर्स/ट्विस्टर्स की आपूर्ति करना, घरेलू रेशम/कॉयर/जूट यार्न और पश्मीना फाइबर के निर्माता, रंगे/प्रसंस्कृत यार्न के मामले में प्रोसेसर/डाई हाउस और कपास और अन्य प्रकार के यार्न के मामले में हांक यार्न पैकिंग दायित्व के तहत आने वाली कताई मिलें।

2.3 सूती धागे की आपूर्ति के लिए कपड़ा आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार हैंक यार्न पैकिंग दायित्व के तहत हैंक यार्न का उत्पादन करने वाली मिलों से आपूर्ति की जाएगी। अन्य प्रकार के धागे की आपूर्ति के लिए, एनएचडीसी उचित परिश्रम और जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद, पारदर्शी तरीके से पर्याप्त संख्या में आपूर्तिकर्ता मिलों को सूचीबद्ध करेगा।

2.4 एनएचडीसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे कि योजना के तहत यार्न की आपूर्ति पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से सुनिश्चित की जाए ताकि गुटबंदी या एकाधिकार की स्थिति के निर्माण के लिए कोई जगह न रह जाए, ताकि लाभार्थियों को सस्ती कीमत पर यार्न की आपूर्ति की जा

सके। एनएचडीसी बड़ी मात्रा में यार्न की खरीद करेगा, इसलिए मिल गेट की कीमत आमतौर पर मिल गेट पर थोक खरीदारों द्वारा भुगतान की तुलना में कम होनी चाहिए।

2.5 चूंकि भारत सरकार परिवहन लागत वहन कर रही है, इसलिए एनएचडीसी द्वारा परिवहन दरों को जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से तय किया जाएगा।

2.6 धीरे-धीरे, सूत के परिवहन के लिए केवल जीपीएस युक्त वाहनों को ही तैनात किया जाना चाहिए। यह दिशा-निर्देश जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जीपीएस डेटा को ई-धागा ऐप के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों को वाहन का सटीक स्थान निर्धारित करने में सक्षम बनाया जा सके जो उनके द्वारा लगाए गए इंडेंट के खिलाफ यार्न ले जा रहा है। जीपीएस सिस्टम में नियमित अंतराल पर वाहन की स्थिति को रिकॉर्ड करने की सुविधा भी होनी चाहिए।

2.7 सूत की नियमित और समय पर आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए हथकरघा सघन क्षेत्रों में सूत डिपो खोले जाएंगे। सबसे पहले, प्रत्येक स्वीकृत ब्लॉक स्तर के हथकरघा क्लस्टर में कम से कम एक यार्न डिपो होना चाहिए। धीरे-धीरे सभी हथकरघा जेबों में यार्न डिपो खोले जाएंगे। पैरा 4 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी यार्न डिपो संचालित करने के पात्र होंगे।

2.8 भाड़ा प्रतिपूर्ति, डिपो परिचालन व्यय और सेवा शुल्क के लिए निम्नलिखित शुल्क प्रदान किए जाएंगे:

2.8.1 आपूर्ति मैदानों के लिए: आपूर्ति किए गए सूत के मूल्य का%)

यार्न का प्रकार	अधिकतम भाड़ा प्रतिपूर्ति	डिपो परिचालन व्यय	कार्यान्वयन एजेंसी को सेवा प्रभार
सिल्क यार्न	1.0 %	2.0 %	1.25 %
जूट/कॉयर यार्न	10.0 %	2.0 %	1.25 %
रेशम और जूट/कॉयर यार्न के अलावा अन्य	2.5 %	2.0 %	1.25 %

2.9 डिलीवरी पीरियड को कम करने और कम मात्रा में यार्न की आपूर्ति करने के लिए, एनएचडीसी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यार्न की उचित मात्रा में एक स्टोर में विभिन्न स्थानों पर अधिक गोदाम खोलेगा। एनएचडीसी को प्रत्येक राज्य में बुनकरों की उपस्थिति वाले कम से कम एक गोदाम खोलना चाहिए। गोदाम सबसे अधिक आबादी वाले क्लस्टर या पॉकेट में या उसके पास स्थित होना चाहिए। एनएचडीसी को गोदाम से अलग-अलग बुनकरों को सीधे आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 1.0% (एक प्रतिशत) डिपो संचालन शुल्क दिया जाएगा।

2.10 ट्रांसपोर्टेशन लागत के आसान लेखांकन की सुविधा के लिए, एनएचडीसी माल को भाड़े "भुगतान करने के " आधार पर भेजेगा और डिपो संचालन एजेंसियों द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति एनएचडीसी द्वारा एलआर/जीआर आदि के साथ मदद किये गए क्लेम बिलों को प्रस्तुत करने पर पूरी तरह से की जाएगी। परिवहन की वास्तविक लागत या पैराग्राफ 2.8 के तहत स्वीकार्य भाड़ा, जो भी कम हो, की

प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा द्विमासिक आधार पर एनएचडीसी को की जाएगी। एनएचडीसी द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों को परिवहन शुल्क का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।

2.11 नियमित अंतराल पर वाहन की स्थिति के संबंध में जीपीएस सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा को एनएचडीसी द्वारा भाड़ा प्रतिपूर्ति दावे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

2.12 एनएचडीसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आस-पास के क्षेत्रों में स्थित निकटतम मिलों से आपूर्ति बिना किसी रुकावट के की जाती है, बहुत पहले से एक खरीद और परिवहन योजना तैयार करनी चाहिए।

2.13 एनएचडीसी द्वारा ईआरपी प्रणाली में एक डैशबोर्ड बनाया जाना है जिसमें विवरण की जांच करने की सुविधा होगी जैसे मांगपत्र स्थान, जारी पीओ, मिल, ट्रांसपोर्टर और वाहन विवरण, सामग्री की वास्तविक समय आवाजाही, बुनकरों को सब्सिडी भुगतान, प्रकार और गणना सभी हितधारकों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर आपूर्ति किए गए सूत आदि के अनुसार।

2.14 प्रत्येक यार्न डिपो में विभिन्न प्रकार और किस्मों के यार्न की उपलब्धता को यार्न डिपो पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ईआरपी और ई-धागा ऐप पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

3. 10% मूल्य सब्सिडी हांक यार्न:

3.1 योजना के इस घटक का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को रियायती मूल्य पर हांक के रूप में धागा उपलब्ध कराना है ताकि हथकरघा क्षेत्र को मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सुविधा हो सके।

3.2 हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कपास, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न को 10% मूल्य सब्सिडी के तहत कवर किया जाएगा।

3.3 सूत सब्सिडी के प्रयोजन के लिए एक बुनकर को आपूर्ति किए जाने वाले हैंक यार्न की अधिकतम मात्रा निम्नानुसार होगी:

कपास (40sa की गिनती तक)	30 किग्रा/लूम/माह
कपास (40s गिनती से ऊपर)	10 किग्रा/लूम/माह
सिल्क यार्न	4 किग्रा/लूम/माह
ऊनी यार्न (10s NM से नीचे)	50 किग्रा/लूम/माह
ऊनी यार्न (10s से 39.99s NM)	10 किग्रा/लूम/माह
ऊनी यार्न (40s एनएम और ऊपर)	4 किग्रा/लूम/माह
लिनन यार्न (5 ली से 10 ली तक)	20 किग्रा/लूम/माह
लिनन यार्न 10 ली से ऊपर	7 किग्रा/लूम/माह

3.4 यदि बुनकर को उपरोक्त पैरा 3.3 में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा की जरुरत होती है, तो उसे अतिरिक्त जरुरत से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, अतिरिक्त मात्रा के लिए 10% सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि बुनकर को मिल गेट मूल्य पर अतिरिक्त यार्न मिलेगा। उपरोक्त पैरा 3.3 में उल्लिखित मात्रा के लिए ही सब्सिडी उपलब्ध होगी।

3.5 सब्सिडी वाले धागे की आपूर्ति या तो व्यक्तिगत बुनकर को या किसी निकाय को की जाएगी, जिसका वह सदस्य है (अर्थात स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दायित्व समूह, सहकारी समिति), लेकिन दोनों को कभी नहीं। यार्न पासबुक और ईआरपी सिस्टम में यूनिक लूम नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ईआरपी में एक से अधिक यार्न पास बुक में यूनिक लूम नंबर कैप्चर करने के लिए एक इन-बिल्ट सिस्टम होना चाहिए और जब तक सुधार नहीं होता है तब तक दोनों को अस्वीकार करना चाहिए।

3.6 अलग-अलग बुनकर को उनकी आवश्यकता के आधार पर सूत का प्रकार मिलेगा, जो प्रति करघा प्रति माह समग्र कोटा के अधीन होगा। वह एक या एक से अधिक प्रकार के सूत मांग सकता है। यदि वह अधिक प्रकार के सूत का चयन करता है, तो उसकी पात्रता उसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के लिए दर्शाए गए उपयोग प्रतिशत और ऊपर पैरा 3.3 में दर्शाई गई अधिकतम मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। (उदाहरण: एक बुनकर जो किसी विशेष महीने में 40% सूती धागे (40 से ऊपर की गिनती) और 60% रेशम के धागे की इच्छा रखता है, उसे 4 किलोग्राम सूती धागा (40 से अधिक की गिनती) (यानी 10 किलोग्राम * 0.4) और 2.4 किलोग्राम रेशम यार्न (अर्थात उस महीने में 4 किग्रा.*0.6)] मिलेगा।

3.7 अलग-अलग बुनकरों के अलावा अन्य एजेंसियां अलग-अलग करघों के लिए अलग-अलग प्रकार के सूत/किस्म के सूत के लिए कोटा आवंटन प्राप्त कर सकती हैं, ताकि सूत पासबुक जारी करते समय 10% मूल्य सब्सिडी कम्पोनेंट के तहत आपूर्ति प्राप्त की जा सके।

3.8 दुगने सूत के मामले में, पात्र मात्रा निर्धारित करने के लिए परिणामी गणना पर विचार किया जाएगा।

4. पात्र लाभार्थी:

4.1 सूत आपूर्ति योजना के लाभ निम्नलिखित को प्राथमिकता के क्रम में दिए जायेंगे :

(i) खुद बुनकर

(ii) वे एजेंसियां जिनमें बुनकर सदस्य हैं अर्थात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और सहकारी समितियां।

4.2 राज्य पात्र लाभार्थियों को हथकरघा से संबंधित विभाग/सहकारिता/निगमों के माध्यम से सूत की आपूर्ति करने की स्वीकृति दे सकते हैं। ऐसे मामलों में, वे इन दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

4.3 **कार्यान्वयन एजेंसी:-**

4.4 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) कार्यान्वयन एजेंसी होगी। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, एनएचडीसी सभी बुनकरों को यार्न पासबुक जारी करने, पर्याप्त संख्या में नए यार्न डिपो खोलने, यार्न की आवश्यकताओं को प्राप्त करने, मिलों द्वारा हांक यार्न उत्पादन के आधार पर हैंक यार्न के वितरण के लिए कार्य योजना, हांक यार्न पैकिंग दायित्व आदेश, मिलों को खरीद आदेश देना और पात्र लाभार्थियों को आपूर्ति

सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4.5 पात्र लाभार्थियों को हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा योजना के बीई के 40% की राशि प्रदान की जाएगी। एडवांस में पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि शामिल होगी।

4.6 सूत की आपूर्ति के लिए राज्यवार सांकेतिक लक्ष्य डीसी (हथकरघा) द्वारा राज्य में करघों की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।
पैरा 5.3 में उल्लिखित राज्यवार लक्ष्यों के भीतर अलग-अलग बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लक्ष्य डब्ल्यूएससी/हथकरघा को क्लस्टर वार सौंपे जाएंगे।

4.7 एनएचडीसी को दी गई फसल निधि की प्रतिपूर्ति 70% निधि के उपयोग और प्रगति रिपोर्ट और ऑडिट किये गए व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। एनएचडीसी को कॉर्पस फंड की प्रतिपूर्ति को निर्धारित लक्ष्यों के खिलाफ की गई प्रगति से जोड़ा जाएगा।

4.8 एनएचडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि विभाग/सहकारिता/निगम/एसएचजी/जेएलजी को आपूर्ति किया गया धागा अंततः सदस्य बुनकरों तक पहुंचे।

5. यार्न पासबुक

5.1 सूत की आपूर्ति के मूल दस्तावेज के रूप में सूत की पासबुक, बुनकर से आवेदन मांगे बिना सभी व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को सक्रिय समयबद्ध तरीके से जारी की जानी चाहिए। यार्न पासबुक में प्रत्येक करघे की विशिष्ट संख्या के साथ लाभार्थी के पास उपलब्ध करघों की कुल संख्या होनी चाहिए।

5.2 एनएचडीसी बुनकरों के पहचान पत्र के वितरण के समय सभी बुनकरों को यार्न पासबुक जारी करेगा।

5.3 यदि बुनकर हथकरघा गणना से चूक जाता है या बाद के चरण में हथकरघा बुनाई में शामिल हो जाता है, तो एनएचडीसी करघों का सत्यापन करेगा और संबंधित डेटा एकत्र करेगा और सत्यापन के 5 दिनों के भीतर बुनकर को यार्न पासबुक जारी करेगा।

5.4 सहकारी समितियों, एसएचजी और जेएलजी के मामले में, डेटा का सत्यापन और संग्रह राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार डेटा को एनएचडीसी को अग्रेषित करेगी। एनएचडीसी राज्य सरकार से डेटा प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर सहकारी समितियों, एसएचजी और जेएलजी को यार्न पासबुक जारी करेगा।

5.5 कुछ राज्यों में, शीर्ष सोसायटी/निगम/विभाग अपने साथ जुड़ी सहकारी समितियों/एसएचजी/जेएलजी को सूत की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, एपेक्स सोसाइटी/निगम/विभाग प्रासंगिक डेटा को सत्यापित और एकत्र करेगा और उसे एनएचडीसी को अग्रेषित करेगा। एनएचडीसी डेटा प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर शीर्ष सोसायटी/निगम/विभाग को यार्न पासबुक जारी करेगा।

5.6 शीर्ष सोसायटियों/निगमों/विभागों/सहकारी समितियों/एसएचजी/जेएलजी के मामले में उनके साथ काम करने वाले बुनकरों की संख्या यार्न पासबुक में दर्शाई जाएगी। एनएचडीसी के पास प्रत्येक बुनकर के आधार संख्या, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या के साथ बुनकरों का जनसांख्यिकीय विवरण उपलब्ध होना चाहिए।

5.7 निम्नलिखित को दर्शाने के लिए यार्न पासबुक सीरियल नंबर में 9 अंक होंगे: जानकारी:

पहला दो अंक	-राज्य
पहला दो अंक	-जिला
शेष 6 अंक	-चल रहा क्रमांक

5.8 प्रत्येक व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर को मांगपत्र देने और सूत प्राप्त करने के लिए निकटतम सूत डिपो के साथ टैग किया जाएगा। यार्न डिपो का नाम उसे जारी यार्न पासबुक पर दर्शाया जाएगा। अनुरोध करने पर सहकारी समितियों/एसएचजी/जेएलजी को यार्न डिपो के रूप में नामित किया जा सकता है।

5.9 (i) केवल परिवहन सब्सिडी और; (ii) परिवहन सब्सिडी के साथ मूल्य सब्सिडी के साथ आपूर्ति किये गए धागे के साथ सप्लाई किये गए यार्न के लिए यार्न पासबुक में एंट्री को अलग से की जानी चाहिए।

6. आपूर्ति तंत्र

6.1 लाभार्थी एक बार में एक महीने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार सूत की मांग कर सकते हैं।

6.2 उन बुनकरों की सूची, जिन्हें पिछले मांग के बदले सूत दिया गया है, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और जेएलजी द्वारा नया मांगपत्र देते समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.3 मांग को ई-धागा ऐप या यार्न डिपो के माध्यम से यार्न पासबुक में उल्लिखित किया जा सकता है।

6.4 ई-धागा के माध्यम से दिया गया इंडेंट सीधे एनएचडीसी को दिया जाएगा जबकि यार्न डिपो में रखा गया इंडेंट डिपो ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा एनएचडीसी को भेजा जाएगा। यार्न डिपो इंडेंट में प्रत्येक लाभार्थी की यार्न पासबुक संख्या का उल्लेख किया जायेगा। 10% अग्रिम के साथ मांग स्वीकार किए जाएंगे और डिलीवरी के बाद शेष राशि का भुगतान लिया जाएगा।

6.5 एनएचडीसी मांग विनिर्देशों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति का संयोजन करेगा।

6.6 खरीद आदेश और बिक्री चालान एनएचडीसी द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। एनएचडीसी शेष भुगतान एकत्र करने के लिए यार्न डिपो को बिक्री चालान प्रदान करेगा

6.7 लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत सूत का इस्तेमाल अपने स्वयं के हथकरघा पर कपड़ा उत्पादन के लिए करना चाहिए।

6.8 विभाग/निगम/शीर्ष सोसायटियां/सहकारिता समितियां/एसएचजी/जेएलजी को योजना के तहत सीधे तौर पर नामांकित अपनी सदस्य सोसाइटियों/बुनकरों को योजना का लाभ देते हुए सूत की आपूर्ति करनी चाहिए।

6.9 प्रत्येक लाभार्थी एनएचडीसी को लागू होने वाले निर्धारित प्रारूप में इस आशय का एक स्वीकृति पत्र देगा।

7. 10% मूल्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति:

7.1 जब यार्न डिपो/वेयरहाउस में यार्न आसानी से उपलब्ध हो:

लाभार्थी को पूर्ण भुगतान के बदले यार्न जारी किया जाएगा और एनएचडीसी द्वारा 10% मूल्य सब्सिडी 48 घंटों के भीतर लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

7.2 जब यार्न डिपो/वेयरहाउस में यार्न आसानी से उपलब्ध न हो:

लाभार्थी यार्न की आवश्यकता को 10% अग्रिम भुगतान के साथ डिपो ऑपरेटिंग एजेंसी को रखेगा जो 10% अग्रिम भुगतान के साथ एनएचडीसी को मांगपत्र देगा। एनएचडीसी द्वारा 10% मूल्य सब्सिडी राशि 48 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी या डिपो संचालन एजेंसी से 10% अग्रिम राशि प्राप्त होगी। यदि लाभार्थी सूत डिपो में सूत प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूत नहीं उठाता है तो सब्सिडी की राशि बुनकर से वसूल की जाएगी।

8. गुणवत्ता आश्वासन:

8.1 यार्न के बंडलों पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यार्न विनिर्देश (प्रकार, गिनती, वजन आदि) का उल्लेख किया जाएगा।

8.2 मिल साइट पर डिस्पैच से पहले का निरीक्षण एमएनएचडीसी द्वारा यार्न मात्रा के कम से कम 10% के लिए किया जाएगा।

8.3 विकास आयुक्त कार्यालय हथकरघा योजना के तहत कपड़ा अनुसंधान संघों या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आपूर्ति किए गए यार्न की गुणवत्ता की रैंडम ढंग से जांच करेगा। गुणवत्ता की जांच रैंडम ढंग से नमूने एकत्र करके और विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करके की जाएगी जैसे:

- सिंगल यार्न स्ट्रेंथ
- ली स्ट्रेंथ
- सीएसपी
- नमी फिर से आना
- बालों का झड़ना
- फ्रिक्शन
- घर्षण
- मोड़ माप
- यू%
- गिनती
- सूत बढ़ाव

9. उल्लंघन और उसके परिणाम:

लाभार्थियों द्वारा पहली बार लाभ के दुरुपयोग के मामले में, विकास आयुक्त कार्यालय हथकरघा 10% ब्याज के साथ लाभ राशि वसूल करने के लिए सक्षम होगा। दूसरे दुरूपयोग की दशा में वसूली के अलावा एक वर्ष तक आपूर्ति प्राप्त करने से वंचित रहेगा। तीसरे दुरुपयोग पर, वसूली और आजीवन प्रतिबंध के अलावा, वह आईपीसी और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

10. निगरानी:

प्रबंध निदेशक योजना की मासिक निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे और हथकरघा आयुक्त के विकास कार्यालय को प्रगति को दर्शाते हुए रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें विभिन्न कम्पोनेंट जैसे सूत प्रकार- कपास, रेशम, जूट / कॉयर, लिनन, ऊन और अन्य; हैंक यार्न और शंकु यार्न; और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रकाश डालेंगे। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा की जाएगी हथकरघा हर तिमाही में सचिव, टेक्सटाइल को योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी टिप्पणियों के साथ एक व्यापक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी समीक्षा मंत्रालय के भीतर गठित एक केंद्रीय समिति

द्वारा की जाएगी।

11. प्रचार:

एनएचडीसी को यार्न आपूर्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट और हैंड बिलों का मुद्रण और वितरण, पोस्टर, वॉल पेंटिंग और बायर्स-सेलर्स मीट आदि के माध्यम से योजना का केंद्रित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। एनएचडीसी हथकरघा विकास आयुक्त से वार्षिक मीडिया योजना की मंजूरी लेगा।

*****

अनुलग्नक -12

एनसीआर में सब्जियों, फलों और मसालों का जिलेवार उत्पादन (1000 मीट्रिक टन में), 2015-2016

क्रम संख्या	जिला	कुल (एफ एंड वी)	सब्जियां	फल	मसाले
हरियाणा उप-क्षेत्र					
1.	पानीपत	493.617	474.935	15.992	2.69
2.	सोनीपत	717.294	665.065	47.959	4.27
3.	फरीदाबाद	211.995	195.057	15.728	1.21
4.	रोहतक	326.081	298.844	24.392	2.845
5.	झज्जर	169.957	143.381	26.122	0.454
6.	गुडगाँव	451.703	418.815	30.758	2.13
7.	रेवाड़ी	82.159	76.016	5.612	0.531
8.	मेवात	535.009	502.591	31.628	0.79
9.	पलवल	155.646	144.408	10.906	0.332
राजस्थान उप-क्षेत्र					
10.	अलवर	97.563	95.392	0.966	1.205
यूपी उप-क्षेत्र					
11.	मेरठ	542.164	376.052	166.059	0.053
12.	बागपत	157.449	120.528	36.904	0.017
13.	हापुड़	221.233	156.873	64.353	0.007
14.	गौतम बुद्ध नगर	21.915	20.367	1.543	0.005
15.	बुलंदशहर	754.057	434.88	318.568	0.609
16.	गाज़ियाबाद	200.816	193.079	7.674	0.063

स्रोत: जियो-सम्पदा पोर्टल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

अनुलग्नक -13

एनसीआर में कच्चा माल आधारित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

क्रम संख्या	श्रेणी (कच्चे माल के आधार पर)	तैयार उत्पाद
1.	अनाज आधारित उद्यम	a) गेहूं का आटा b) गेहूं की रोटी c) बिस्कुट निर्माण d) मिष्ठान्न और बेकरी आइटम e) चावल का आटा, चावल के गुच्छे, चावल की भूसी का तेल f) मकई के गुच्छे g) डिब्बाबंद बेबी कॉर्न h) स्टार्च सामग्री i) सूजी
2.	दलहन आधारित उद्यम	a) ग्राम फ्लौर (बेसन) b) नमकीन (स्नैक्स खाने के लिए तैयार) c) पापड़ d) साबुत या टूटी हुई दाल
3.	डेयरी आधारित उद्यम	a) स्किम्ड मिल्क पाउडर b) मक्खन और घी c) दही
4.	फल और सब्जियां आधारित उद्यम	a) जमे हुए फल और सब्जियां b) आलू के चिप्स और वेफर्स (खाने के लिए तैयार स्नैक्स) c) फ्रेंच फ्राइज़ (खाने के लिए तैयार स्नैक्स) d) निर्जलित सब्जियां e) केचप, प्यूरी और कॉन्सेंट्रेटस f) जूस g) अचार
5.	तिलहन आधारित उद्यम	a) खाद्य तेल b) पशु चारा c) बीज प्रसंस्करण
6.	मसाला आधारित उद्यम	a) पेस्ट और पाउडर b) ओलियोरेसिन c) सुगंधित अर्क
7.	फूलों की खेती आधारित उद्यम	a) ताजे और सूखे फूल
8.	पशुपालन और पोल्ट्री	a) प्रसंस्कृत पोल्ट्री उत्पाद b) मांस प्रसंस्करण
9.	औषधीय जड़ी बूटियों पर आधारित उद्यम	a) औषधीय उत्पाद
10.	कपास और जूट आधारित उद्यम	a) कपास और जूट आधारित वस्तुओं का निर्माण
11.	गन्ना आधारित उद्यम	a) गुड़ b) मिष्ठान्न और बेकरी उत्पाद
12.	अन्य उद्यम	a) शहद b) मशरूम

ग्रंथ सूची

1. अंतिम रिपोर्ट- एनसीआर 2015 में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन (खंड I और II) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
2. क्षेत्रीय योजना-*2021* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार
3. अंतिम रिपोर्ट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय जनगणना, 2011-12 में प्रकाशित: पंजीकृत क्षेत्र- विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
4. अंतिम रिपोर्ट चौथी अखिल भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जनगणना 2006-2007: अपंजीकृत क्षेत्र- विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
5. वार्षिक रिपोर्ट *2014-15* एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
6. पानीपत जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
7. फरीदाबाद जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान ओखला, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
8. रोहतक जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
9. झज्जर जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
10. रेवाड़ी जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
11. पलवल जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
12. सोनीपत जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
13. गुरुग्राम जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान करनाल, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
14. जिला बुलंदशहर का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल एमएसएमई-विकास संस्थान आगरा, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
15. जिला मेरठ की संक्षिप्त औद्योगिक रूपरेखा एमएसएमई-विकास संस्थान आगरा, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

16. जिला बागपत एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान आगरा, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
17. गौतमबुद्ध नगर एमएसएमई-विकास संस्थान ओखला, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफ़ाइल
18. दिल्ली के एनसीटी का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- *2012-13* नगर एमएसएमई-विकास संस्थान ओखला, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
19. अलवर जिला एमएसएमई का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल- विकास संस्थान जयपुर, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
20. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन, जनवरी *2009*, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित
21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में तेजी लाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश, सितंबर *2013*, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
22. 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास पर कार्य समूह की रिपोर्ट।
23. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संशोधित दिशानिर्देश - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
24. दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति- *2010-2021*, उद्योग विभाग एनसीटी दिल्ली सरकार
25. उद्यम प्रोत्साहन नीति-*2015*, हरियाणा सरकार
26. राजस्थान एमएसएमई नीति *2015*, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
27. राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना, *2015* उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
28. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (*IIUS)*, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
29. बुनियादी ढांचा और नीति औद्योगिक निवेश नीति, *2012*, उत्तर प्रदेश सरकार
30. भारत में क्लस्टर, *2010*, एमएसएमई क्लस्टर के लिए फाउंडेशन (एफएमसी)
31. डिजाइन क्लिनिक योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
32. एमएसएमई एक नज़र में, *2016*, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
33. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मत्रालय, भारत सरकार

अंतटिप्पण

[i] स्रोत: http://www.tribuneindia.com/2007/20070728/saturday/main1.htm[ii] स्रोत: http://www.panipatcity.net/handlooms-textiles-panipat.htm [iii]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[iv]स्रोत: http://www.business-standard.com/article/pti-stories/ftas-may-hurt-make-in-india-drive-says-auto-parts-industry- 116021700842_1.html

[v] स्रोत: http://sameeeksha.org/pdf/clusterprofile/Faridabad_mixed_engineering_cluster.pdf

[vi] स्रोत: http://www.tradeindia.com/rohtak/automobile-parts-city-215238.html

[vii] स्रोत: http://www.amarujala.com/chandigarh/msme-special-haryana-footwear-industry-sucess-story-hindi-news andhttp://www.footwear-industry.com/listings/everest-footwear-india-pvt-ltd/

[viii]स्रोत: http://www.tribuneindia.com/2007/20071019/harplus.htm and http://www.rewarionline.in/city-guide/metal-work-industries-in-rewari

[ix] स्रोत: http://rewari.gov.in/Industries.html

[x] स्रोत: http://dir.indiamart.com/sonipat/corrugated-packaging-material.html

[xi] स्रोत: http://www.indiamart.com/proddetail/forced-hot-air-treated-wooden-pallets-11400702748.html

[xii] स्रोत: http://www.indiamart.com/rubber-engineers/

[xiii] स्रोत: http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Make-in-India-Production-Relocation-Opportunities-for-Hong-Kong-Garment-Companies/rp/en/1/1X000000/1X0A5PYZ.htm

[xiv] स्रोत: http://dir.indiamart.com/gurgaon/fabrication-works.html

[xv]स्रोत: http://shop.gaatha.com/buy-online-Kurja-pottry-7, http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/GI-certificate-to- preserve-uniqueness-of-Khurja-pottery/articleshow/47498632.cmsandhttps://www.groupouting.com/place/ghaziabad/#link_tab-handicraft

[xvi]स्रोत: http://www.bulandshahronline.in/city-guide/about-bulandshahr[xvii]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xviii]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xix]स्रोत: https://www.behance.net/gallery/18308559/Pilkhuwa-Textile

[xx]स्रोत: http://www.emirates247.com/behind-the-stumps-cricket-action-2011-02-22-1.359323; http://www.livemint.com/Leisure/P0VTzcEu25Ua7WfAjzyCMN/1931-Sanspareils-Greenlands--A-historic-innings.html; http://www.indiamart.com/marshal-sports-meerut/sports-goods.html; http://www.meerutsports.in/ and http://www.gettyimages.in/detail/news-photo/view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-news- photo/149335036#view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-companies-picture-id149335036

[xxi]स्रोत: http://www.emirates247.com/behind-the-stumps-cricket-action-2011-02-22-1.359323; http://www.livemint.com/Leisure/P0VTzcEu25Ua7WfAjzyCMN/1931-Sanspareils-Greenlands--A-historic-innings.html; http://www.indiamart.com/marshal-sports-meerut/sports-goods.html; http://www.meerutsports.in/ and http://www.gettyimages.in/detail/news-photo/view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-news- photo/149335036#view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-companies-picture-id149335036

[xxii]स्रोत: http://www.emirates247.com/behind-the-stumps-cricket-action-2011-02-22-1.359323; http://www.livemint.com/Leisure/P0VTzcEu25Ua7WfAjzyCMN/1931-Sanspareils-Greenlands--A-historic-innings.html; http://www.indiamart.com/marshal-sports-meerut/sports-goods.html; http://www.meerutsports.in/ and http://www.gettyimages.in/detail/news-photo/view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-news- photo/149335036#view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-companies-picture-id149335036

[xxiii]स्रोत: http://www.emirates247.com/behind-the-stumps-cricket-action-2011-02-22-1.359323; http://www.livemint.com/Leisure/P0VTzcEu25Ua7WfAjzyCMN/1931-Sanspareils-Greenlands--A-historic-innings.html; http://www.indiamart.com/marshal-sports-meerut/sports-goods.html; http://www.meerutsports.in/ and http://www.gettyimages.in/detail/news-photo/view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-news- photo/149335036#view-of-a-sports-goods-manufacturing-unit-in-meerut-three-companies-picture-id149335036

[xxiv]स्रोत: http://www.dafatajewels.com/artificial-jewellery.htm and http://www.indiamart.com/swaticreations/artficial-jewellery.html#kundan-jewellery

[xxv]स्रोत: http://www.gettyimages.co.uk/event/inside-the-nadir-ali-co-musical-instruments-factory-ahead-of-industrial- production-figures-183921916#employees-work-on-various-brass-instruments-in-the-assembly-of-the-picture-id183626783 and http://media.gettyimages.com/videos/an-employee-works-on-a-drum-in-the-drum-department-of-the-nadir-ali-video- id185341628?s=640x640

[xxvi]स्रोत: http://www.meerutonline.in/city-guide/business-in-meerut and http://www.bindalscissors.com/

[xxvii]स्रोत: http://www.tradeindia.com/fp101134/Handloom-Floor-Mats.html

[xxviii]स्रोत: http://www.priyaglobal.com/?portfolio=scarves-and-bandanas, http://intagartek.com/photo_gallery.html# andhttp://www.monicagarments.com/index.html

[xxix]स्रोत: http://www.priyaglobal.com/?portfolio=scarves-and-bandanas, http://intagartek.com/photo_gallery.html# and http://www.monicagarments.com/index.html

[xxx]स्रोत: http://www.indiamart.com/hindianenterprises/hotel-furniture.html#antique-iron-fitted-furniture

[xxxi]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xxxii]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xxxiii] स्रोत: एनसीआरपीबी अधिकारी साइट विजिट

[xxxiv]स्रोत: http://www.sodelhi.com/city-blog/pop-art-workers-of-delhi-blood-sweat-tears

[xxxv]स्रोत: http://www.newtechexim.com/decorative-handicraft-items-3045004.html

[xxxvi]स्रोत: http://www.justdial.com/Delhi/Tannu-Garments-Near-Mehbube-Ilahi-Masjid-Sangam-Vihar/011PXX11-XX11- 110322120108-P4X8_BZDET?xid=RGVsaGkgUmVhZHltYWRlIEdhcm1lbnQgTWFudWZhY3R1cmVycyBHb3ZpbmQgUHVyaSBLYWxrY Wpp

[xxxvii]स्रोत: http://mybcard.in/Tarawat-Handicrafts-handicraft-items-manufacturers-in-delhi

[xxxviii]स्रोत: http://kunzum.com/2012/24/delhi-101-31-dariba-kalan-pearls-gold-silver-and-all-that-is-precious/

[xxxix]स्रोत: http://www.craftclustersofindia.in/site/Craft_Gallery.aspx?mu_id=4&Nnid=881

[xl]स्रोत: http://nazleatherexport.com/#, NCRPB Study on Micro and Household Enterprises in NCR and http://www.craftclustersofindia.in/site/Craft_Gallery.aspx?mu_id=4&Nnid=881

[xli]स्रोत: http://www.supdelhi.com/new-delhi-setting-new-home-weve-got-back/

[xlii] स्रोत: एनसीआरपीबी अधिकारी साइट विजिट

[xliii]स्रोत: http://iws.net.in/spartaindia.com/index.htm

[xliv]स्रोत:http://www.fibre2fashion.com/indianhandsnlooms/varanasi.asp)

[xlv]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xlvi]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xlvii]स्रोत: एनसीआर में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर एनसीआरपीबी अध्ययन

[xlviii]स्रोत:http://mofpi.nic.in/Schemes/agro-processing-cluster

[xlix] स्रोत: कुमार, राजेंद्र ईटी अल, हरियाणा में कृषि प्रसंस्करण उद्योग: स्थिति, समस्याएं और संभावनाएं, इकनोमिक अफेयर्स, वॉल्यूम 61, नंबर 4, पीपी. 707-715, दिसंबर 2016 <http://ndpublisher.in/admin/issues/EAV61N4r.pdf>

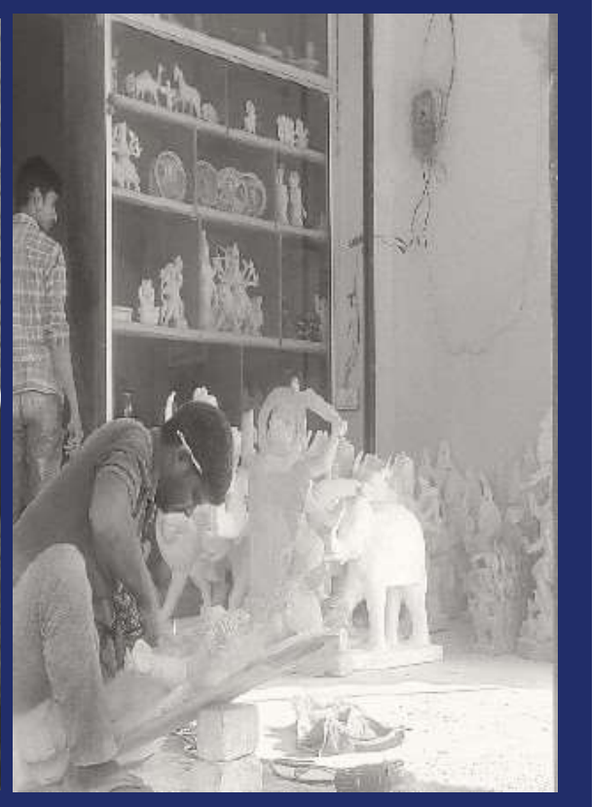

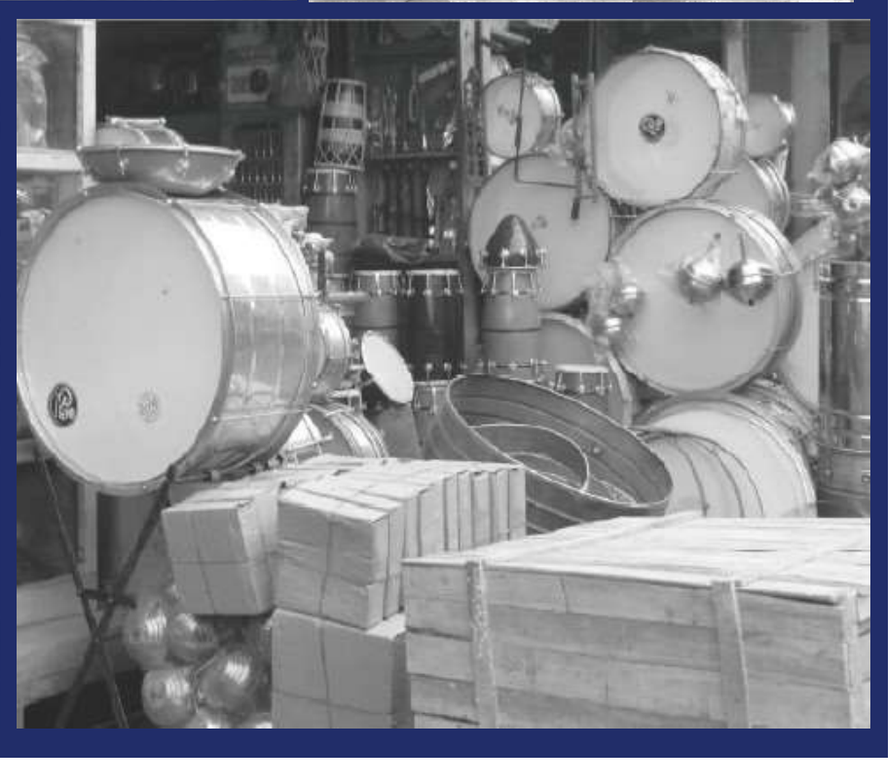

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

कोर - 4बी, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली

www. ncrpb.nic.in